(1100/KN/VR)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

पीपल्स मजलिस ऑफ मालदीव के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

माननीय अध्यक्ष : हमारे अतिथि आए हैं। एक मिनट बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सबसे पहले मुझे एक घोषणा करनी है।

मुझे अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में भारत के दौरे पर आए पीपल्स मजलिस ऑफ मालदीव के स्पीकर महामहिम श्री मोहम्मद नशीद और मालदीव के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

वे रविवार, 8 दिसम्बर, 2019 को भारत आए और अब वे विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। दिल्ली के अतिरिक्त वे शनिवार, 14 दिसंबर, 2019 को भारत से अपने अंतिम प्रस्थान के पहले आगरा और गांधी नगर, गुजरात का भी दौरा करेंगे। हम अपने देश में उनके सुखद और मंगलमय प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम पीपल्स मजलिस ऑफ मालदीव, वहां की सरकार और मालदीव के मित्रवत लोगों के प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट। मैंने व्यवस्थाएँ यहां पर दे रखी हैं कि प्रश्न काल की समाप्ति के बाद मैं सब के विषय पर गौर करूँगा।

…(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, टेक्नीकल मुद्दा है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई टेक्नीकल मुद्दा नहीं है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। मैंने आपको इजाजत नहीं दी। मैंने किसी को इजाजत नहीं दी है। कोई भी बैठे-बैठे नहीं बोलेगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 281- श्री गुमान सिंह दामोर।

(प्रश्न 281)

श्री गुमान सिंह दामोर (रतलाम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे प्रश्न का बहुत अच्छा जवाब दिया, इसलिए मैं पुन: धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी दो-तीन छोटी-छोटी बातें हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे लोक सभा क्षेत्र के झाबुआ और अलीराजपुर के जो मजदूर हैं, वे गुजरात में काम करने जाते हैं। उनकी सिलिकोसिस जैसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है। उनकी सहायता न तो गुजरात सरकार करती है, न ही मध्य प्रदेश सरकार करती है। मेरा निवेदन है कि इस बारे में गम्भीरतापूर्वक चिंतन किया जाए। दूसरा, चूंकि वहां से जब वे मजदूरी करने जाते हैं तो उनके बच्चों की शिक्षा पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। उनकी शिक्षा और इन मजदूरों के स्वास्थ्य को लेकर क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे?

श्री संतोष कुमार गंगवार : माननीय अध्यक्ष जी, जैसे माननीय सदस्य ने अपनी बात कही है, यह बात सही है कि हमारे देश के अंदर कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी को रोकने का काम करे। देश के किसी भी हिस्से में जाकर कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है। वहां पर अगर कोई असुविधा हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अब श्रम कानूनों में हम संशोधन कर रहे हैं। जो बातें आप बता रहे हैं, वह समझ में आ रहा है। इसमें दूसरा जो कोड है, जो वास्तव में इस ओर ध्यान देता है, हम उसकी चिंता कर रहे हैं। कैसे इनकी चिंता को दुरुस्त किया जाए, उस हिसाब से काम हो रहा है। इसके बाद भी हमारी अब तक जो योजना चल रही है, उस योजना के तहत हम सहयोग कर रहे हैं। जो हमारे बीड़ी कामगार हैं, लौह इत्यादि खदानों में काम करने वाले कामगार हैं, सिने वर्कर्स हैं, उनके लिए भी ये सुविधाएँ हम देने का काम कर रहे हैं।

(1105/NK/SAN)

जो ऐसी बात बताई गई है, हम स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। अगर कोई शिकायत मिलेगी तो हम उसे सही ढंग से करेंगे। हम इतना बता सकते हैं कि हमने जो व्यवस्था की है उसके तहत हमारा मंत्रालय विभिन्न अस्पतालों और औषधालयों के माध्यम से कैंसर का पूरा खर्च उठाता है। हम टीवी और अस्पताल बेड रिजर्वेशन के मामले में भी खर्च करते हैं। अगर माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक शिकायत बताएंगे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, the answer given by the hon. Minister is really appreciable because it is truly within the spirit of the constitutional provisions and very correctly said.

Since November 2016, industries have been collapsing and many labourers have been out of employment. In my constituency itself, at a place called Domjur, there were 50,000 workers engaged in the business of preparation of gold ornaments. They were working all over India, especially in

Maharashtra, Kerala and Gujarat. They were working in those States. Now, by reason of demonetisation, these industries have collapsed. Out of 50,000 workers, 45,000 workers have gone out of employment and only 5,000 remain employed.

Sir, through you, my very specific question is this. By reason of demonetisation, industries have collapsed, so many labourers have been out of employment and it has reached a record level of more than 40 per cent where now, 40 per cent of total labourers have lost their employment. What are the measures which the hon. Minister has taken to re-employ them and to put more labourers into employment?

श्री संतोष कुमार गंगवार: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि रोजगार कम हो रहे हैं। रोजगार सृजन के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। वर्ष 2016-17 से अब तक कई काम किए हैं जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत हमने नई योजना चलाई थी। …(व्यवधान) इससे प्लेसमेंट भी मिल रहा है, लोगों को काम भी मिल रहा है। जैसा आपने बताया कि अनइम्पलायमेंट हो गया है तो हम इसकी भी जानकारी प्राप्त करेंगे और आपको देने का काम करेंगे। हमने जो विभिन्न योजनाएं चलाई हैं, उसके माध्यम से लोगों को काम मिल रहा है और काम दिखाई दे रहा है। मुद्रा योजना के अंतर्गत हमारा रिकार्ड बताता है कि हमने जो लक्ष्य रखा था उससे ज्यादा पैसा दिया है और लोग इस संदर्भ में काम कर रहे हैं और यह सभी की जानकारी में है।

(ends)

(Q. 282)

SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon. Speaker, Sir, the reply given by the hon. Minister is not a satisfactory one. It clearly says that there is no proposal under consideration for waiver of educational loans.

There are many cases in our country where the Government is waiving loans worth crores of rupees together, given to the industrialists, but the Government is not ready to consider the rural people who availed of the loan and are searching for employment. There are many cases where they have committed suicides, but in the reply, our hon. Minister says that there has been no such case where people have committed suicides. This is really an unconvincing one. So, I need a proper answer from the hon. Minister.

I would like to know from the hon. Minister whether there is any consideration to waive the loans for rural youths who are unemployed. This is a burning issue in our country. They are suffering a lot. So, kindly consider to waive the loans for the unemployed. Will the hon. Minister consider waiving of loans availed of by rural people?

(1110/SK/RBN)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2001 में मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम शुरू की गई थी। इसका लाभ आज तक हजारों लाखों विद्यार्थियों को मिला है। इसके पीछे मंशा थी कि भारत में पढ़ने वाले, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दस लाख रुपये तक और विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को बीस लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध करवाया जाए। इसे पब्लिक सैक्टर बैंक्स ने इसी मंशा के साथ शुरू किया था कि अच्छी क्वालिफिकेशन हो, प्रोफेशनल कम्पीटेंसी हो, डैवलपमेंट आफ एन्टरप्रेन्योनर स्किल्स हो। इसमें कुल मिलाकर देखें तो लिब्ररल रिपेमेंट सिस्टम है, यानी जब शिक्षा पूरी होती है तो उसके बाद एक साल का मोरेटोरियम पीरियड मिलता है। इसके बाद 15 साल में पूरा लोन रीपे करना है। अगर आप अनएम्प्लाएड या अंडर एम्पलाएड हैं तब भी एक साल का एडीशनल मोरेटोरियम पीरियड मिलता है। अगर आप इन्क्यूबेशन के माध्यम से, यानी स्टार्टअप में शुरुआत करते हैं तो उसमें भी एक साल का मोरेटोरियम पीरियड मिलता है।

अगर मार्जन मनी, बाकी लोन्स में देखा जाए तो कहीं पर 20 से 30 परसेंट हाउसिंग लोन और दस परसेंट कार लोन में है तो यहां मार्जन मनी भी नहीं है। आप इसे वेव करने की बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि इस योजना के माध्यम से पूरे देश में लाखों विद्यार्थियों को लाभ मिला है। मैं आंकड़े देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: आप आंकड़े रहने दीजिए।

SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon. Speaker, Sir, unemployment is a very serious issue. It has become a major crisis in our country. So, we have to consider giving employment to our people, especially to those who belong to rural areas.

Now-a-days, it is very hard to get educational loan from banks. Even now we are fighting for this. No bank is ready to give educational loan. So, will the Minister give directions to the bank authorities to give educational loan to the students, especially to those belonging to rural areas?

I am requesting the Minister again and again to waive the educational loan at least of those who are not getting jobs.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर इसका प्रावधान है, विद्यार्थी लोन के लिए एप्लाई कर सकते हैं। सभी पब्लिक सैक्टर बैंक्स और शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स लोन उपलब्ध करवाते हैं। यहां तक कि चार लाख तक के लोन के लिए कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती है, पेरेंट्स ज्वाइंट बारोअर्स होते हैं। साढ़े सात लाख रुपये तक के लोन के लिए थर्ड पार्टी गारंटी है। यहां तक कि इसमें प्रावधान भी है कि विद्यार्थी को वेवर कर दिया जाए। अगर कुल मिलाकर देखें, जैसा मैंने पहले कहा कि नार्थ-ईस्टर्न रीजन में 25,639 विद्यार्थियों को 810 करोड़ रुपये का लोन मिला है और साउथ इंडिया में 16 लाख 34 हजार 164 विद्यार्थियों को 44,362 करोड़ रुपये का लोन मिला है। पढ़ाई के लिए लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है, कहीं कोई कमी नहीं है।

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट (पुणे): माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की स्कीम अच्छी है। ऐसा पता चला है कि शिक्षा पूरी होने के बाद जॉब मिलने में कठिनाई आती है। सरकार ने एक साल की मोहलत दी है, अगर विद्यार्थी को जॉब न मिले तो उसके लिए एक साल की जगह दो साल की मोहलत देने की हमारी सरकार से विनती है। अगर सरकार यह मांग पूरी करती है तो विद्यार्थियों को फायदा होगा।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं और मैंने पहले भी कहा था, शिक्षा पूरी करने के बाद एक साल का मोरेटोरियम पीरियड है। अगर कोई अनएम्पलाएड या अंडर एम्पलाएड है तो उसके लिए एक साल का और एडीशनल मोरेटोरियम पीरियड है, जो दो साल का बनता है। इसके अलावा अगर कोई स्टार्ट्सअप्स में हैं तो मोरेटोरियम पीरियड की ऑप्शन उपलब्ध है और टेलीस्कोपिक अरेंजमेंट रिपेमेंट का भी प्रावधान है। अगर किसी की कमाई कम है या कम पैसा तनख्वाह के रूप में मिलता है तो छोटी किश्त दे सकते हैं जो बाद में बड़ी किश्त बन जाती है। मुझे लगता है कि अलग-अलग तरह के प्रावधान योजना के अंतर्गत हैं ताकि विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

(1115/ASA/SM)

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो शिक्षा ऋण है, इसका मूलभूत आधार यह है कि आप ऋण लो, शिक्षा प्राप्त करो, उसके बाद आपको रोजगार मिलेगा और उस रोजगार से जो कमाई होती है, उससे आप ऋण वापस करते हैं। जो सरकार द्वारा जवाब दिया गया है कि data linking education loan sanctioned by banks with securing of jobs is not centrally maintained. मेरा माननीय मंत्री जी से यह सवाल है कि आज जो बेरोजगारी की दर है, वह 45 साल में इतनी नहीं हुई, क्या सरकार...(व्यवधान) It is 45 year high ...(*Interruptions*) Unemployment, today, is 45-year high ...(*Interruptions*) That is a reality from which you cannot run away ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिए।

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): My question, Mr. Speaker, Sir, is that given the current economic slowdown, will the Government consider maintaining a Central data base where they have information that somebody. who has availed of an education loan. has got employment, whether it is self-employment or he is employed with somebody else? That is my question.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न यहां पर यह है कि एजुकेशन लोन के रूप में जो वीकर सैक्शंस हैं और जो अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको किन योजनाओं के माध्यम से पैसा उपलब्ध करवाया जाता है। उसमें बड़े स्पष्ट तरीके से उत्तर में भी कहा गया कि सेन्ट्रल डेटा रखने का प्रावधान बैंकों का नहीं है। सरकार की अलग-अलग एजेंसियां निर्धारित रूप में अपना काम करती हैं। यहां पर उस योजना को और बेहतर कैसे किया जा सकता है या जो इंटरेस्ट सब्सिडी जो एचआरडी मंत्रालय के द्वारा भी लगभग 3.5 हजार करोड़ रु. का फंड क्रिएट करने के माध्यम से दी गई है, ताकि विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करें और उनको रोजगार के अवसर मिलें। इसके अलावा मुद्रा योजना में लोन्स बाकियों को भी दिये जाते हैं। ऐसे प्रावधान भी हैं। स्टार्ट-अप्स के लिए जो कदम मोदी सरकार ने उठाए हैं, शायद यही कारण है कि दुनिया भर के पहले पांच स्टार्ट-अप्स नेशन्स में भारत का नाम आया है जो आज के युवाओं के लिए नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया है।

(ends)

(प्रश्न 283)

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अररिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा बाढ़ में क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों का जितनी तेजी के साथ दोबारा पुनर्निर्माण कर शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाया गया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, वह कम है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं।

बिहार राज्य का खासकर अररिया जिला जो अति पिछड़ा जिला है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ त्रासदी के कारण बहुत से छात्र-छात्राएं दोबारा विद्यालय नहीं जा पाते हैं। अत: मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों के बच्चों को कोई प्रोत्साहन सहायता राशि दे रही है या देने पर विचार कर रही है ताकि बाढ़ त्रासदी के बाद ऐसे क्षेत्र के बच्चे पुन: विद्यालय जा सकें?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' : माननीय अध्यक्ष जी, यह विद्यालय भवनों की क्षति और मरम्मत का विषय है। जैसे अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारी सरकार लगातार यह कोशिश कर रही है और वैसे तो यह राज्यों का विषय है, लेकिन फिर भी भारत सरकार की समग्र शिक्षा के तहत हम लोग कोशिश करते हैं कि राज्यों को इस दिशा में पूरी मदद दी जाए। यदि पूरे देश के अंदर देखें जिसमें बिहार भी है कि लगभग 12641 कक्षा कक्ष ऐसे हैं, जो अतिरिक्त बनाने हैं, इसमें 784 करोड़ रुपये मरम्मत के लिए शासन से जारी किए गए हैं। यदि देखा जाए कि पिछले 2-3 सालों में 13425 करोड़ रुपये इसके लिए जारी हुए हैं। जहां तक माननीय सदस्य का जो अररिया जिला है, इसमें भी बहुत सारे विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं और समग्र शिक्षा के तहत उन क्षतिग्रस्त कक्षों के लिए पर्याप्त धनराशि दी गई है।

(1120/RAJ/AK)

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अररिया): अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने बाढ़ पीड़ित राज्यों का कोई सर्वे करावाया है या करवाने पर विचार कर रही है?

माननीय अध्यक्ष : बाढ़ का विषय भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

…(व्यवधान)

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अररिया): बाढ़ का उस जिले तथा उस राज्य की साक्षरता दर पर होने वाले प्रतिकूल असर का मापदंड प्राप्त कर सके तथा उस राज्य की साक्षरता दर बढ़ाने पर आगे और काम किया जा सके। यदि हां, तो इसका ब्यौरा प्रदान करने की कृपा करें, अगर नहीं, तो इसके कारणों से अवगत कराने का कष्ट करें।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: श्रीमन् जहां तक बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का प्रश्न है, तो चूंकि यह विषय प्रदेश के पास होता है, फिर भी यह उन लोगों का विषय है तो यदि उनको जरूरत होगी कि किस-किस राज्य में कितनी क्षति हुई है और दूसरा उन्होंने साक्षरता को बढ़ाने के लिए कहा है। यह एक लगातार प्रक्रिया है, जिसमें भारत सरकार पूरी ताकत के साथ उस दिशा में जुटी हुई है और उसके अच्छे रिजल्ट भी हैं।

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा जिले में बाढ़ की वजह से जो रूम्स टूट गए हैं और जो रूम्स डैमेज हुए हैं, वैसे 1,765 वर्ग खंड बनाने की आवश्यकता है। उनमें से वर्ष 2019-20 में 192 वर्ग खंड सैंक्शन हुए हैं। आज भी 1,513 रूम्स बनने बाकी हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वैसे तो education is a state subject. पर, वे सभी बाढ़ की वजह से टूटे हुए हैं और वर्ष 2015 से वे सभी बनने बाकी हैं। वहां विद्यार्थी खुली जगह में बैठ रहे हैं, उनके लिए कोई खास पैकेज देकर हमारे वर्ग खंड पूरे करवाएंगे, जो 1513 रूम्स बनने बाकी हैं, वे आप कब तक पूरा करवाएंगे?

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हम ने प्रारंभिक 3 लाख, 12 हजार स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिए पैसा स्वीकृत किया है, 18 लाख, 88 हजार अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण के लिए स्वीकृत किया है, 2 लाख, 45 हजार स्कूलों में पेय जल उपलब्ध कराया है, 4 लाख, 8 हजार स्कूलों में शौचालयों का निर्माण करावाया है, जबकि 5.29 लाख स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालयों का निर्माण करवाया है।

श्रीमन् स्कूलों में जो अतिरिक्त विद्युतीकरण से संबंधित है, 2 लाख, 28 हजार स्कूलों में यह भी किया गया है। जहां तक बनासकांठा का विषय है, तो वर्ष 2015 में जो त्रासदी आई थी, उसमें 241 स्कूल्स क्षतिग्रस्त हुए थे, जिनमें 772 कक्ष क्षतिग्रस्त हुए थे। आज की तारीख में इन 241 स्कूल्स के 772 कक्षा कक्ष निर्मित हो चुके हैं। हां, वर्ष 2017 में फिर जो त्रासदी आई थी, उसमें बनासकांठा जिले में 484 स्कूलों के 1,800 कक्ष ध्वस्त हुए थे, जिनमें से अभी तक 121 स्कूलों के 567 कक्षा कक्ष बन चुके हैं।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहूंगा और सूचना भी देना चाहूंगा कि कुल मिला कर अतिरिक्त कक्षा कक्षों की स्वीकृतियां हैं, उनको राज्य सरकार को समग्र शिक्षा के माध्यम से पर्याप्त धन राशि उल्लेखित की गई है। जहां तक गुजरात राज्य का विषय है, इसमें 2, 889 करोड़ रुपये की धन राशि आबंटित की गई है। मैं समझता हूं कि आपके जितने भी भवन हैं, जो यह चार्ट है, इसके तहत उसमें पूरी तरह से वह क्रियान्वित हो सकेगा।

(1125/VB/SPR)

श्री भगवंत मान (संगरूर): माननीय स्पीकर साहब, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि अरविन्द केजरीवाल की सरकार में दिल्ली में शिक्षा में बहुत बड़ी क्रांति आई है। स्कूलों में स्वीमिंग पूल, एथलेटिक्स ट्रैक, हॉकी ग्राउंड, एस्ट्रो टर्फ आदि सुविधाएँ, जो आम तौर पर प्राइवेट स्कूलों में होती हैं, सरकार की ओर से देने का कोई प्रावधान है ताकि सरकारी स्कूलों में भी ये सुविधाएँ मिल सकें और यहाँ से भी बच्चे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ओलम्पिक और एशियन पोडियम पर जा सकें?

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमन्, माननीय सांसद जी ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। देश के सभी राज्य प्राथमिकता के आधार पर खेल के मैदान सुनिश्चत करें और अनिवार्य रूप से एक घंटा शारीरिक शिक्षण कार्य करें। पिछले दिनों, माननीय प्रधान मंत्री जी की प्रेरणा से फिट इंडिया अभियान प्रारम्भ हुआ था, जिसमें एक साथ 10 करोड़ से भी अधिक छात्रों ने भाग लिया था। दिल्ली को भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत 22 करोड़ 85 लाख रुपये स्कूलों के उन्नयन के लिए दिए गए। मैं चाहूँगा कि माननीय सदस्य ने जो कहा, उसको दिल्ली सरकार को जरूर करना चाहिए।

(इति)

(प्रश्न 284)

श्री जुएल ओराम (सुंदरगढ़): मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया रिप्लाई दिया है।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद, आगे बढ़ें?

श्री जुएल ओराम (सुंदरगढ़): मेरा फर्स्ट सप्लीमेंटरी क्वेश्चन यह है कि Annexture-II के अनुसार आपने 103 प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए हैं। उनके लिए क्यूमुलेटिव धनराशि की व्यवस्था की गई है, जो 75,769.9 करोड़ रुपये हैं। अगर आप क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर या डिसबर्समेंट देखेंगे, तो वह ऑलमोस्ट 50 परसेंट हो रहा है, जो 34,248.73 करोड़ रुपये हैं।

मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इतनी धनराशि अवेलेबल होने के बावजूद जो प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए हैं, उसके लिए राज्य सरकार पैसे ले रही है, तो इसमें यूटिलाइजेशन इतना कम क्यों आ रहा है? इसे इम्प्रूव करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि जब प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए धनराशि सैंक्शन की गई, तो यह क्यों हुआ?

माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में यह तय किया गया था कि जो लंबे समय से लंबित इरिगेशन की स्कीम्स हैं, उनको पूरा किया जाए। इसके तहत 99 प्रोजेक्ट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। उनके लिए पैसे का प्रावधान किया गया। शायद पिछले 70 वर्षों में जो योजनाएँ पूरी नहीं की गई थीं, उनको पूरा करने के लिए इस धनराशि का प्रावधान किया गया। यह श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया। हमारी ओर से कोई कमी नहीं है, नाबार्ड की ओर से कोई कमी नहीं है। लेकिन राज्य की सरकारों की जिम्मेवारी बनती है कि उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करें, उनको पैसे दिए गए हैं। इसलिए यह उनके ऊपर निर्भर करता है कि वे कितनी जल्दी उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करते हैं।

माननीय अध्यक्ष: आपने तो धन्यवाद दे दिया, अब क्या सेकेण्ड सप्लीमेंटरी पूछेंगे?

श्री जुएल ओराम (सुंदरगढ़): सर, मेरा सेकेण्ड सप्लीमेंटरी इसलिए है, जैसे मैंने स्पेसिफिक ओडिशा के बारे में पूछा था कि आठ प्रोजेक्ट्स के लिए 6,990.43 करोड़ रुपये सैंक्शन किए, जिसमें से 3,111.59 करोड़ रुपये ही ले पाए। वे आठ प्रोजेक्ट्स कौन-कौन से हैं? अगर इनके डिटेल्स अभी आपके पास नहीं हैं, तो आप बाद में दे दीजिएगा। लेकिन कितने-कितने पैसे डिसबर्समेंट हुए हैं, यह बताया जाए।

हाई लेवल मॉनिटरिंग के लिए राज्य के चीफ सेक्रेट्री को इसमें होना चाहिए। इसका प्रावधान कितने राज्यों ने किया है? यदि इसकी डिटेल नहीं है, तो आप मुझे बाद में लिखित में भिजवा दीजिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय सिंचाई योजना से संबंधित है। यह देश के किसानों से संबंधित है, जिनको बार-बार मौसम की मार झेलनी पड़ती है। यदि बारिश न हो, तो सूखे की मार पड़ती है, यदि बारिश ज्यादा हो, तो बाढ़ की मार पड़ती है। इन्हीं सब से बचने के लिए इन योजनाओं को पूरा करने का प्रावधान किया गया था। आप देखें कि अगर 6,990 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए और ओडिशा की सरकार सिर्फ 3,111 करोड़ रुपए ही यूज कर पाई, तो हम उनसे एक बार

कहने का प्रयास करेंगे कि वे उसका जल्द-से-जल्द इस्तेमाल करें, ताकि उसका लाभ किसानों को मिले और सिंचाई योजनाएँ पूरी हो सकें।

(1130/SPS/UB)

SHRI BHATRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The RIDF provisioning is basically interconnected to Priority Sector Lending of respective banks. जो बैंक प्रॉयरिटी सेक्टर लैंडिंग सही ढंग से नहीं कर पाया, उसी के हिसाब से एक परसेंटेज आर.आई.डी.एफ. फण्डिंग के द्वारा रिस्पेक्टिव स्टेट्स को दिया जाता है। माननीय मंत्री जी ने जो लिस्ट यहां हाउस में पेश की है, इसमें सबसे ज्यादा ओड़िशा को मिले हैं। पिछले तीन सालों में नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स और सबसे ज्यादा पैसा भी ओड़िशा को मिला है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो तथ्य हमारे सामने है, इस तथ्य से हमें पता चलता है कि प्रॉयरिटी सेक्टर लैंडिंग ओड़िशा में ज्यादा नहीं हो रहा है। प्रॉयरिटी सेक्टर लैण्डिंग में जो कमी आ रही है, इसको इम्प्रूव करने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है?

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I just want to take this opportunity to say that the suggestion and the question which were raised by the hon. Member, Shri Jual Oram, do require a lot of consideration and have merit.

As regards little specification, which the hon. Member, Mahtab ji, said about Long-Term Irrigation Fund, both Centre and States' share included, I would like to take this opportunity to take the suggestion which has been given here about the number of projects pertaining to Long-Term Irrigation Fund.

The suggestion that a high-level committee should consider reviewing it is a very well-taken point and I would like to place it before you and through you, Sir, to the House that I will certainly look into forming a high-level committee for reviewing it. The funds which have been allotted and the projects which have been benefited from it under the Long-Term Irrigation Fund will be better served if there is a high-level committee to monitor it. I shall come back to the House after forming a committee which can look into these projects.

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): अध्यक्ष जी, मैंने आर.आई.डी.एफ. के बारे में पूछा था।

माननीय अध्यक्ष: जब आपका नाम लॉटरी में खुल जाए तब आप डबल सप्लीमेंट्री पूछ लेना, लेकिन अभी तो सिंगल ही है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सर, मेरा उत्तर नहीं आया है।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, as regards Long-Term Irrigation Fund, which Shri Jual Oram ji spoke about, I would suggest that that could also be the case for many other things under the NABARD. I will be quite happy to form a

high-level committee. We can review it along with the States and then come up with a reply before the House.

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। नाबार्ड के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के काम करने की जो व्यवस्था है, उसके लिए नाबार्ड का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि सभी जानते हैं कि ग्रामीण इलाकों के रास्ते हों या नदियों के ऊपर ब्रिजेज हों, नाबार्ड से आर्थिक सहायता जितनी ज्यादा मिलती है, उतने ही काम राज्यों के माध्यम से होते हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के 325 प्रोजेक्ट्स के लिए 2202.62 करोड़ रुपये की धनराशि सैंक्शन की थी, लेकिन दुर्भाग्य से 937.70 करोड़ रुपये की धनराशि का वितरण हुआ है। महाराष्ट्र जैसे राज्य को सारी निधि जल्दी से जल्दी मिलने की आवश्यकता है। मैं मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि नाबार्ड के अंतर्गत महाराष्ट्र के लिए जो धनराशि बची है, क्या उसे इस वित्तीय वर्ष में देने की व्यवस्था करेंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): सर, निश्चित तौर पर किसी राज्य को भेदभाव के रूप में नहीं देखा जाता है। अगर माननीय सांसद पिछले दो साल का लेखा-जोखा देखेंगे तो उसमें इनको स्पष्ट तौर पर नजर आएगा कि वर्ष 2016-17 में 999 करोड़ रुपये में से लगभग 850 करोड़ रुपये दिए गए। वर्ष 2017-18 में 993 करोड़ रुपये में से आपने 904 करोड़ रुपये इस्तेमाल किए और 2018-19 में 2202 करोड़ रुपये में से 937 करोड़ रुपया आपको डिस्बर्स हुआ है। यह राज्य के ऊपर भी निर्भर करता है कि वह कितनी तेजी से वह पैसा खर्च करता है। मैं आशा करता हूं कि महाराष्ट्र को जो पैसा सैंक्शन हुआ है, आप उसको अच्छी तरह से खर्च करें। नाबार्ड की ओर से कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में ग्रामीण विकास या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बहुत आवश्यकता है।

(1135/SJN/SNT)

नाबार्ड की भूमिका एग्रीकल्चर और रूरल डेवलेपमेंट के क्षेत्र में ही है। उस दिशा में जहां हमने मात्र कुछ हजार करोड़ रुपयों से शुरू किया था, उसमें आज बढ़कर लगभग 3,44,142 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए हैं। उसमें से 2,68,220 करोड़ रुपये डिस्बर्स भी कर दिए गए हैं।

(इति)

(Q.285)

SHRI N. REDDEPPA (CHITTOOR): Hon. Speaker, Sir, in our country, unemployment rate is increasing day by day. In the month of September, 2019, it was 7.2 per cent whereas in October 2019, it had increased to 8.5 per cent. It is the highest rate of unemployment ever recorded in this country.

I would like to know from the hon. Minister, through you, Sir, the measures the Government of India has taken so far. What is the outcome of those measures? Is there any permanent action plan to improve the employment rate?

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदय, समय-समय पर विभिन्न आंकड़े आते रहते हैं, तो उसकी जानकारी के हिसाब से जो विवरण आता है, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हमारी सरकार रोजगार सृजन के लिए जो काम कर रही है, इसमें पिछले पांच वर्षों से लगातार प्रगति नज़र आ रही है। मैं आपके माध्यम से सभी का ध्यान दो-तीन बातों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के अंतर्गत हम लोगों ने वर्ष 2016-17 से जो ट्रेनिंग दी है, उसमें लोगों को प्लेसमेंट भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री इम्प्लायी जेनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 16,00,000 लोगों को रोजगार मिला है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंतर्गत करीब 4,50,000 लोगों को रोजगार मिला है। मुद्रा योजना तो एक ऐसी योजना है कि हमने इसमें जितना धन तय किया था, इसमें इक्कीस करोड़ से अधिक खातों में दस लाख करोड़ रुपये का लोन दिया गया है। इसमें 60 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं। यह वास्तव में देश के अंदर अपने आप में एक रिकार्ड है।

आदरणीय प्रधान मंत्री जी, जिस प्रकार से चिंता कर रहे हैं, वह सबकी समझ में आ रहा है। जब मनरेगा के माध्यम से लोगों को काम मिल रहा है, तो हम लगातार हर वर्ष पैसों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2016-17 से अब तक हमने 891 करोड़ रुपये के दिनों के हिसाब से रोजगार दिया है। यह वास्तव में इस बात का प्रदर्शन है कि हम इस ओर कितने चिंतित हैं और लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप अपना दूसरा सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री एन. रेड्डप्पा (चित्तूर) : महोदय, नहीं।

माननीय अध्यक्ष : श्री दयाकर पसुनूरी – उपस्थित नहीं।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : श्री शशि थरूर जी, आपको आशा नहीं होगी कि प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा।

…(<u>व्यवधान</u>)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you very much, Sir. I do want to ask this question.

माननीय अध्यक्ष : लेकिन यह आपका लास्ट प्रश्न है।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, the issue is this. Already, in our Government, we are in a situation where the Government and the PSUs have taken to the habit of hiring contract labour instead of filling regular vacancies in order to save money. Now, we are seeing a very disturbing trend in this happening with the employment exchanges. I am looking at the figures that the hon. Minister has given on Kerala. We have seen a dramatic drop from as many as 11,300 to 6,115, that is almost half, from one year to the next. What is the reason? The Kerala Government instead of hiring people through the employment exchanges where they have to pay a full salary – in Kerala which would be Rs.18,000 a month for a daily wage worker – it is taking them through the Women's Collective – Kudumbashree, or the Ex-servicemen's Association and paying them Rs.6,000 a month.

My question to you, Sir, is this. I know that employment exchanges are run by the State Governments but do you not have a national obligation to have a policy whereby you encourage or require all States to hire people from the employment exchanges. We are talking about some of the most unfortunate sections of our society, people who are really dependent on daily wage labour. We used to have a few thousand every year, who are getting jobs like this from the employment exchanges, but now, they are not being hired, and I do not know if other States are going to catch on to this policy to save money. But I would urge the Central Government – it is a question of the viability of the entire concept of employment exchange – to adopt a national policy and send a directive to all States on this matter.

Thank you, Mr. Speaker.

(1140/GG/GM)

श्री संतोष कुमार गंगवार: सर, मैं माननीय सदस्य के सुझाव को सम्मान देता हूँ और उनसे सहमत हूँ। इसीलिए हमारे मंत्रालय के द्वारा नैशनल करियर सर्विस प्रोजैक्ट चलाया जा रहा है। इस प्रोजैक्ट के अंतर्गत एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज, जो अभी आप राज्य सरकार के बारे में बता रहे हैं, उसको मॉर्डनाइज करने की योजना है और एनसीएस के माध्यम से हम देश भर में लगभग 200 एम्पलॉयमेंट एक्सचेंजेस को मॉडल करियर सैंटर्स के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। इन करियर सैंटर्स में रोज़गार पाने के बाद रजिस्टर्ड लोगों को एक उचित परामर्श भी दिया जाएगा और हम इस संदर्भ में मेले भी

आयोजित कर रहे हैं। पर मैं इतना बताना चाहूंगा कि जो नौकरी पा जाता है, वह सूचना नहीं देता है कि हमको नौकरी मिल गई है, इसलिए वह डी-रजिस्टर्ड भी नहीं होता है। परंतु आपने जो सुझाव दिया है, हम उस पर विचार करेंगे और इसके संदर्भ में अवगत भी कराएंगे।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 286

दादा, एक मिनट मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी कोशिश सत्र में यह है कि सभी माननीय सदस्य – जो मूल प्रश्नकर्ता है वह और सप्लिमेंट्री प्रश्न करने वाला, उनको मिला कर एक सत्र में कम से कम रोजाना 50 से 60 लोग क्रॉस क्वेश्चन पूछ लें, ताकि सदन में सभी माननीय सदस्यों का क्रमवाइज नंबर आ जाए। नहीं तो क्या होता है कि वरिष्ठ व्यक्ति का नंबर तो तीन-तीन बार आ जाता है और जो हमारा नया सदस्य है, उसको प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिलता है। मैं माननीय वरिष्ठ सदस्यों से आग्रह करूंगा कि कुछ माननीय नए सदस्यों को भी इस बार सप्लिमेंट्री प्रश्न पूछने का मौका दें।

(इति)

प्रश्न 286

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न पूछे थे, काफी विस्तार से उनका जवाब आया है। प्रथम प्रश्न के उत्तर में इस्पात विनिर्माण में शामिल सरकारी/निजी कंपनियों का राज्य/जिला-वार ब्यौरा जो हमने मांगा था, उसका माननीय मंत्री जी ने विस्तार से हमको जवाब दिया है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य से आता हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य में जो लिस्ट हमारे पास उपलब्ध है – उसमें जिला फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, रायबरेली। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : राजेश जी, यह लिस्ट तो इनके पास भी है, आप प्रश्न पूछिए।

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर) : सर, इन जिलों में इस्पात के कारखानों का ब्यौरा दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि सन् 2009 में, लखीमपुर जनपद की एक मितौली जगह है, जहां पर तत्कालीन इस्पात मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी ने चुनाव के दो महीने पहले एक इस्पात कारखाने का शिलान्यास किया था। उसको लगभग दस वर्ष हो गए हैं। लेकिन अभी तक वहां पर कुछ ऐसी जानकारी या कोई गतिविधि नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मितौली में कोई इस्पात कारखाना लगाने के लिए शिलान्यास हुआ था या केवल वह राजनीतिक लाभ के लिए ही शिलान्यास हुआ था। यह मैं जानना चाहता हूँ।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): अध्यक्ष जी, इसकी जानकारी हम संग्रह कर के आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताएंगे।

श्री राजेश वर्मा(सीतापुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूँ कि जो इस्पात कारखाने हैं, जो पीएसयूज़ हैं, जो अच्छे लाभ में हैं, देश की अच्छी सेवा कर रहे हैं, उनका प्रबंधन बढ़िया है, उनका वित्तीय प्रबंधन अच्छा है, उनकी मार्केटिंग अच्छी है, वे देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो पीएसयूज़ घाटे में हैं, क्या ऐसे पीएसयूज़ के माध्यम से जो देश के हित में कार्य कर रहे हैं, जो लाभ अर्जित कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, ऐसा कुछ कुछ काम करेंगे कि उनके प्रबंधन की व्यवस्था, उनकी वित्तीय व्यवस्था करने के लिए लाभ वाले पीएसयूज़ उनको सहयोग करें। ऐसी मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। वैसे जितने हमारे उपक्रम हैं, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि आपने पिछले पांच वर्षों का जो आंकड़ा पूछा है, तो सेल के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो जो कुल कारोबारी हैं, वे अलग-अलग हैं, वर्षों के आधार पर इसमें दिया गया है और जो कुल खर्च हुआ है, जो लाभ-हानि अर्जित की है, उसमें लाभ-हानि अर्जित करने वाली हमारी जो पीएसयूज़ हैं, लगभग उसमें कुछ नुकसान हुआ है, पर इस समय हम फायदे में हैं। लगभग 2179, यह जो हमारा सन् 2018-19 का है, इसमें अभी हम प्रॉफिट में हैं। यह बहुत अच्छा सुझाव है, इसके बारे में जानकारी हम माननीय सदस्य को उपलब्ध करा देंगे।

(1145/RSG/RV)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, I have to thank you for having allowed me to ask this question. It is not a difficult matter for the Minister. The Minister is very kind to do something to see that the Salem Steel Plant continues. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, बालू जी ने आपको एप्रिशिएट कर दिया।

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): I have to appreciate whatever he does. At the same time, the Salem Steel Plant is not just a plant. It is an embodiment of Tamil pride and culture; it is emotionally integrated with Tamil pride. That is why I request the Minister, through you, that he could kindly consider to have a discussion with all of us, all Tamil Members of Parliament so that he can understand the matter behind it. In fact, he is playing – I am not threatening – with a flame. Hereafter, I cannot just go and beg him for this. Years together, I am fighting for this.

This Plant has been created by Dr. Kalaignar Karunanidhi, the then Chief Minister. Five thousand farmers have extended their land. It will be totally against the interest of the labourers as well as the local farmers who have extended their land for this purpose. Kindly see that somehow their interests are protected. …(*Interruptions*) He cannot run the industry. If it is a private enterprise, he cannot run the industry. I want the industry to develop but at the same time the Minister has to understand the background before taking any decision. He has not taken a decision. He has to consult us and the employees. He has to find out who has done the mistake. It is only the management that has done the mistake. He must understand that. He can just talk to the labourers as well as the farmers who have extended their land for this purpose.

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Hon. Speaker Sir, hon. Shri Baalu has raised this question and some other important Member of Tamil Nadu had raised this question in the last Session also. I can politely say, through you, that last time I have assured the House that if any progressive suggestion would come from the Tamil Nadu friends, the Government is open. They have given some suggestions; immediately I have considered and accepted their suggestions. In that way, the Plant has got some autonomy and it is running; but there is a greater question.

I am open to suggestions and my dear friend the hon. Member from Tamil Nadu Shrimati Kanimozhi always comes to me with some innovative suggestions. I am always open to whoever comes from Tamil Nadu. I am open to discussion. What are the merits and demerits of this is an on-going discussion. I can assure him, I am open and the Government is open. The point is that there are a lot of examples in Tamil Nadu of successful entrepreneurs who belong to the private sector and who belong to the Government sector. The question before me at this juncture is how would the plant run profitably and professionally. That is the main challenge. I am open to any discussion with any friend from Tamil Nadu.

(ends)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 287.

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी - उपस्थित नहीं।

श्री पशुपति नाथ सिंह - उपस्थित नहीं।

माननीय मंत्री जी।

(प्रश्न 287)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

महोदय, यह जो क्वैश्चन है और इसका जो उत्तर है, दोनों में विरोधाभास है। क्वैश्चन बड़ा स्पष्ट है। जो सी.एस.आर. फण्ड बना, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य झारखण्ड है। हमारे यहां इस देश के 40 से 45 प्रतिशत माइन्स और मिनरल्स हैं, लेकिन वहां के लोकल एरिया का जो डेवलपमेंट है और जो प्रोजेक्ट्स वहां चलते हैं, उनके पैसे वहां के लोकल एरियाज में नहीं जाते हैं और इस पैसे को, जो मंत्री हैं, वे अपने यहां लेकर जाते हैं या फिर यह मुम्बई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में खर्च होते हैं।

स्पीकर सर, इस प्रश्न में मूल प्रश्न है कि कौन-से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कहां-कहां चल रहे हैं? हमारे झारखण्ड राज्य में जो प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे हैं और आप इसका हिसाब-किताब नहीं लेते हैं तो क्या आप इसका हिसाब-किताब लेने की कोई व्यवस्था करेंगे? हमारे जैसे जो प्रभावित राज्य हैं और ओडिशा या छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं, उनके लिए सी.एस.आर. फण्ड्स की कैसे व्यवस्था होगी? वहां वे दो प्रतिशत सी.एस.आर. फण्ड्स कैसे खर्च होंगे, अगर इसके बारे में आप बताएंगे तो कृपा होगी।

(1150/MY/RK)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, मैं दो बातों को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। यह बी.ओ.टी. ड्रिवन पॉलिसी है और हर कंपनी को प्रत्येक वर्ष अपने पिछले तीन साल के प्रॉफिट का दो परसेंट खर्च करना होता है। वह जिस कार्यक्षेत्र में है, वहां पर खर्च करे, यह उनकी प्राथमिकता रहनी चाहिए। उसके अलावा, अगर बाकी देश भर में कहीं खर्च करना हो तो उनको वह ऑप्शन भी दी गई है। शेड्यूल-7 के अंतर्गत एरियाज़ बताए गए हैं कि किन-किन प्रोजेक्ट्स पर पैसा खर्च किया जा सकता है। मैं माननीय सांसद महोदय से कहना चाहता हूं कि जहां दो प्रतिशत पैसा कंपनी खर्च करेगी ही करेगी, लेकिन हमारी सरकार ने माइंस एंड मिनरल वाले क्षेत्र में भी यह प्रावधान किया है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, अगर आप उन आंकड़ों को देखेंगे तो यह अपने आप में दिखेगा कि किस तरह से उस क्षेत्र में भी एक अच्छा काम हुआ है। अगर मैं माइंस एंड मिनरल फंड के कुल आंकड़े दूं, इसे हमारी सरकार ने वर्ष 2015 में बनाया। यह दी माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत है। इसमें 10 परसेंट रॉयल्टी वर्ष 2015 के बाद जो माइंस दी गई, उनको देना पड़ेगा और जो वर्ष 2015 से पहले ग्रांट की गई, उनको 30 परसेंट देना पड़ेगा। कुल मिलाकर 33,272 करोड़ रुपये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में इकट्ठा हुआ है। यह उन्हीं क्षेत्रों के खर्च के लिए इकट्ठा किया गया है। यह दो परसेंट के अलावा पैसा है।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदय, विभिन्न ऐतिहासिक कारणों के लिए उत्तर पूर्वांचल में जिस प्रकार की इंडस्ट्रीज या कंपनीज़ होनी चाहिए, वहां पर नहीं हैं। शायद इसीलिए भारत सरकार ने भी विभिन्न समय पर उत्तर पूर्वांचल के लिए अलग फंड रखा है और अलग-अलग मिनिस्ट्री भी रखी है। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से भारत सरकार उत्तर पूर्वांचल के लिए एक अलग फंड तथा स्कीम लेती है, क्या वह एक गाइडलाइन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी के तहत कॉरपोरेट्स को देंगे? उनको अपने सी.एस.आर. फंड से कुछ न कुछ नॉर्थ-ईस्ट में जरूर करना चाहिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, यह केवल नॉर्थ-ईस्ट के लिए, बल्कि बाकी पहाड़ी राज्यों की समस्या है और ऐसे अन्य राज्यों की भी समस्या है, जहां पर इंडस्ट्री नहीं है और उनको सी.एस.आर. फंड कम मिल पाता है और वहां कम खर्च होता है। जो एस्प्रिशन्ल डिस्ट्रिक्ट्रस हैं, वहां पर भी ज्यादा पैसा खर्च हो, ऐसी भी प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा, अभी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी फंड को लेकर हमारे कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने अवार्ड्स किए थे॥ हमने उन संस्थाओं को भी सम्मानित किया है, जिन्होंने नॉर्थ-ईस्ट के क्षेत्र में जाकर पैसा खर्च किया है, चाहे उनके प्रोजेक्ट्स वहां पर थे या नहीं थे। उनको भी विशेष तौर पर सम्मानित किया गया है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने बहुत बड़ी तादाद में पैसा खर्च किया है, वहीं पर जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्होंने भी आगे बढ़कर नॉर्थ-ईस्ट के कुछ राज्यों में अच्छा काम किया है। असम में भी और बाकी नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों में भी पैसा खर्च हो, भविष्य में ऐसा भी प्रावधान हो। ऐसा सरकार की तरफ से तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह बी.ओ.टी. ड्रिवन पॉलिसी है और कंपनीज को पैसा खर्च करना है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम ऐसे लोगों को सम्मानित करें, जिन्होंने उत्तर पूर्वी राज्यों में भी जाकर पैसा खर्च किया और एग्जाम्पल सेट किया। भविष्य में और कंपनीज में वहां पर जाएंगी। ऐसा मेरा मानना है।

(इति)

(प्रश्न 288)

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक और विशेष तौर से गरीबों तथा वंचितों के लिए प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना लागू की थी।

महोदय, माननीय मंत्री महोदय तथा सरकार से इतना ही निवेदन है कि प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष की आयु है और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 19 से 70 है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वे प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में भी 18 से 70 साल आयु करने का विचार रखे हैं? विशेष तौर से 50 साल के बाद ही ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। ऐसा मेरा निवेदन है।

(1155/CP/RC)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, भारत भर में एक ऐसी योजना की शुरुआत हुई, हम कह सकते हैं कि जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति को भी इंश्योरेंस के दायरे में लाया गया, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में लाया गया। यह सोच किसी की थी, माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की थी। यही कारण है कि मात्र 12 रुपये में 2 लाख रुपये का बीमा प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत और 330 रुपये में प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत किया गया। अगर आप कुल आंकड़ा देखें, तो प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 5 करोड़ 91 लाख लोगों को यह सुविधा मिली है, 1,35,212 लोगों के क्लेम्स मिले हैं और 2,704 करोड़ रुपये इनको दिए गए हैं। इनमें 1 करोड़ 55 लाख महिलाएं हैं, जिनको प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। अगर सुरक्षा बीमा योजना की बात करें, तो 15 करोड़ 47 लाख लोगों का बीमा हुआ, 32,176 लोगों को क्लेम्स मिले और 643 करोड़ रुपये का आबंटन या डिसबर्समेंट किया गया। इसमें भी लगभग 5 करोड़ 11 लाख महिलाएं थीं।

जहां तक इनके प्रश्न की बात आती है कि क्या उसको 50 साल की उम्र से ज्यादा किया जाएगा, तो मैं बताना चाहूंगा कि एक कमेटी का गठन माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है, जो इसके अलग-अलग पहलुओं पर विचार कर रही है। जब कमेटी उस

पर विचार करेगी, जब उसका निर्णय आएगा, तो उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा।

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि सरकार उक्त दोनों योजनाओं में क्या मेडिक्लेम बीमा को शामिल करने का विचार रखती है? 31 मई को जो प्रीमियम कटौती होती है, अगर उसके लिए 15 दिन पहले सूचना हो जाए, तो उनको जानकारी हो जाएगी। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, जब एक बार आप इसके नेट में आते हैं, तो आप अपने बैंक या पोस्ट आफिस को कह देते हैं कि आपको स्कीम से जुड़े रहना है, तो अगले वर्ष वह अपने आप ही ऑटो डेबिट कर देती है। अगर कोई नहीं भी करवा पाता है या वापस उसको उस स्कीम में जुड़ना है, तो उतना पैसा हर क्वार्टर के हिसाब से रखा गया है। दूसरे क्वार्टर में जुड़ेगा, तो कितना देना पड़ेगा, तीसरे क्वार्टर में जुड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा और आखिरी क्वार्टर में आएगा, तो उसके लिए पैसा सुनिश्चित करके रखा है कि कितना पैसा उसको देना है। यह सारा कुछ योजना में लिखा हुआ है। बैंक अपने आप ही इसमें ऑटो डेबिट कर देते हैं, जब आप इस योजना से जुड़े हुए हैं।

(इति)

(प्रश्न 289)

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद (जहानाबाद): अध्यक्ष महोदय, 2014-15 में कच्चे इस्पात का उत्पादन 89 मिलियन टन था, जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 111 मिलियन टन हो गया। यह बहुत ही खुशी की बात है। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि हमारे देश की स्टील उत्पादन करने वाली जो कंपनियां हैं, क्या वे आयातित स्टील वाली क्वालिटी और किस्म का उत्पादन करेंगी, जिससे कि आयात करना बंद किया जा सके?

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: अध्यक्ष जी, हमारे पास जो फिगर्स हैं और जो माननीय सदस्य ने बताया है, तो निश्चित तौर से सरकार भी विचार कर रही है और धीरे-धीरे यह कम भी हो रहा है। जिन उपक्रमों के अंदर इसकी आवश्यकता है, उस आवश्यकता के आधार पर उसकी पूर्ति करने के लिए यह बहुत जरूरी हो गया है।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन नंबर 290।

श्री जगदम्बिका पाल जी : उपस्थित नहीं।

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे : उपस्थित नहीं।

(PP. 23-30)

(प्रश्न 291)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। पटना के फतुहा में बाढ़ आई थी और पूरा इंडस्ट्रियल एरिया वर्ष 2016 में डूब गया था। जो उस इंडस्ट्रियल एरिया में थे, वे सब 20-25 वर्षों से रेग्युलर बैंक्स का पेमेंट कर रहे थे। बाढ़ आने की वजह से उनकी यह हालत हुई। मुझे यह समझ में नहीं आता कि बैंक वाले इंश्योरेंस कंपनी क्यों खोलते हैं? जैसे इंडियन बैंक है, यूनिवर्सन सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उन लोगों को एक साजिश के तहत न इंश्योरेंस का पैसा दिलाया गया और न ही बैंक ने उन लोगों को कोई रिलीफ दिया।

मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न होगा कि क्या जहां पर बाढ़ की प्रॉपर रिपोर्टिंग है कि उस स्थान पर बाढ़ आई थी, उन जगहों पर जो इंश्योरेंस कंपनियां पैसे नहीं दे रही हैं, उन पर कोई कार्रवाई होगी?

(1200/NK/SNB)

उन बैंकों से यह कहा जाएगा कि नहीं जो व्यवसायी बाढ़ से पहले तक रेग्यूलर पेमेंट कर रहे थे, उनको कुछ रिलीफ देने का प्रावधान माननीय मंत्री जी करेंगी या नहीं? आपके माध्यम से मेरा यही प्रश्न है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी है, जहां भी नेचुरल डिजास्टर होता है, वहां के लिए स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसिजर जनरल एंश्योरेंस कंपनीज ने बना रखे हैं। अगर मैं केरल फ्लड की बात करूं तो उसमें क्लेम्स का डिस्पोजल 98.2 परसेंट है, अगर आंध्र प्रदेश के तितली साइक्लोन की बात करें तो 97.64 प्रतिशत है। आपने बिहार की बात की है, अगर वहां कोई कमी रही होगी तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि एंश्योरेंस कंपनी से कहा जाए कि डिसर्बसमेंट जल्दी हो। जहां तक बैंकों में एनपीए बाढ़ का कारण है। बैंक रूल्स के अंतर्गत काम करते हैं लेकिन जहां आपदा घोषित की जाती है वहां भी ऐसा कोई न कोई प्रावधान हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे।

(इति)

प्रश्नकाल समाप्त

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1202 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1202 बजे

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नं-2 श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'।

मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

1. विश्विद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): Sir, I, on behalf of Shrimati Nirmala Sitharaman, beg to lay on the Table a copy of the Status Report (Hindi and English versions) on post-budget announcements made by the Finance Minister to boost the Economy, Exports and Housing Sector on 23.08.2019, 30.08.2019 and 14.09.2019.

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF STEEL (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): Sir, I beg to lay on the Table: -

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Petroleum and Energy, Visakhapatnam, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Petroleum and Energy, Visakhapatnam, for the year 2018-2019.

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI R.K. SINGH): Sir, I beg to lay on the Table: -

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Instructional Media Institute, Chennai, for the years 2015-2016 to 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Instructional Media Institute, Chennai, for the years 2015-2016 to 2017-2018.

(2) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) A copy of the Apprenticeship (Amendment) Rules, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.686(E) in Gazette of India dated 25th September, 2019 under sub-section (3) of Section 37 of the Apprentices Act, 1961.

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SANJAY DHOTRE): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur, for the year 2017-2018.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology, Tiruchirappalli, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology, Tiruchirappalli, for the year 2017-2018.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology, Kurukshetra, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology, Kurukshetra, for the year 2017-2018.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Raipur, Raipur, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Raipur, Raipur, for the year 2017-2018.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council for Promotion of Urdu Language, New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Council for Promotion of Urdu Language, New Delhi, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council for Promotion of Urdu Language, New Delhi, for the year 2017-2018.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management Sambalpur, Sambalpur, for the years 2015-2016, 2016-2017 and 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management Sambalpur, Sambalpur, for the years 2015-2016, 2016-2017 and 2017-2018.

(12) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology, Calicut, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology, Calicut, for the year 2017-2018.

(14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

(15) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mahatma Gandhi Central University Bihar, Motihari, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(1) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (15) above.

(17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Assam University, Silchar, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Assam University, Silchar, for the year 2018-2019.

(18) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, for the year 2018-2019.

(19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan Authority Punjab, S.A.S. Nagar, for the years 2016-2017 and 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan Authority Punjab, S.A.S. Nagar, for the years 2016-2017 and 2017-2018.

(20) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (19) above.

(21) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Madhyamika Shiksha Abhiyan Andhra Pradesh, Vijayawada, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Madhyamika Shiksha Abhiyan Andhra Pradesh, Vijayawada, for the year 2017-2018.

(22) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (21) above.

(23) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Madhyamik Shiksha Abhiyan Uttar Pradesh, Lucknow, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Madhyamik Shiksha Abhiyan Uttar Pradesh, Lucknow, for the year 2017-2018.

(24) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (23) above.

(25) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan Haryana, Panchkula, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan Haryana, Panchkula, for the year 2017-2018.

(26) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (25) above.

(27) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Madhyamik Shiksha Abhiyan Uttar Pradesh, Lucknow, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Madhyamik Shiksha Abhiyan Uttar Pradesh, Lucknow, for the year 2016-2017.

(28) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (27) above.

(29) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan UT of Lakshadweep, Kavarrati, for the years 2014-2015 and 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan UT of Lakshadweep, Kavarrati, for the years 2014-2015 and 2015-2016.

(30) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (29) above.

(31) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Haryana School Shiksha Pariyojna Parishad (Rashtriya

Madhyamik Shiksha Abhiyan), Panchkula, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Haryana School Shiksha Pariyojna Parishad (Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan), Panchkula, for the year 2017-2018.

(32) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (31) above.

(33) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the U.P. Education for all Project Board (Sarva Shiksha Abhiyan), Lucknow, for the years 2016-2017 and 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the U.P. Education for all Project Board (Sarva Shiksha Abhiyan), Lucknow, for the years 2016-2017 and 2017-2018.

(34) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (33) above.

(35) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tamil Nadu State Mission of Education for all (Samagra Shiksha), Chennai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tamil Nadu State Mission of Education for all (Samagra Shiksha), Chennai, for the year 2018-2019.

(36) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Paschim Banga Sarva Siksha Mission, Kolkata, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Paschim Banga Sarva Siksha Mission, Kolkata, for the year 2016-2017.

(37) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (36) above.

(38) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the West Bengal Society for Rashtriya Madhyamika Shiksha Mission, Kolkata, for the years 2014-2015, 2015-2016 and 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the West Bengal Society for Rashtriya Madhyamika Shiksha Mission, Kolkata, for the years 2014-2015, 2015-2016 and 2017-2018.

(39) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (38) above.

(40) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Goa, Alto Porvorim, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Goa, Alto Porvorim, for the year 2017-2018.

(41) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (40) above.

(42) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan Maharashtra, Mumbai, for the years 2016-2017 and 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan Maharashtra, Mumbai, for the years 2016-2017 and 2017-2018.

(43) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (42) above.

(44) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Puducherry, Puducherry, for the years 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Puducherry, Puducherry, for the year 2017-2018.

(45) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (44) above.

(46) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan Telangana, Hyderabad, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan Telangana, Hyderabad, for the year 2017-2018.

(47) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (46) above.

(48) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the University of Delhi, Delhi, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(49) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (48) above.

(50) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Navodaya Vidyalaya Samiti, Noida, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts of the Navodaya Vidyalaya Samiti, Noida, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Navodaya Vidyalaya Samiti, Noida, for the year 2018-2019.

(51) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Open Schooling, Noida, for the years 2015-2016 to 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Open Schooling, Noida, for the years 2015-2016 to 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Open Schooling, Noida, for the years 2015-2016 to 2017-2018.

(52) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (51) above.

(53) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi, for the year 2018-2019.

(54) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan Puducherry, Puducherry, for the years 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan Puducherry, Puducherry, for the year 2017-2018.

(55) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (54) above.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Goa, Goa, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Goa, Goa, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Goa, Goa, for the year 2017-2018.

(5) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (56) above.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Jammu, Jammu, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Goa, Goa, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Jammu, Jammu, for the year 2017-2018.

(5) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (58) above.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Tirupati, Tirupati, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Tirupati, Tirupati, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Tirupati, Tirupati, for the year 2017-2018.

(6) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (60) above.

(62) A copy of the University Grants Commission (Open and Distance Learning) Fourth Amendment Regulations, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. 1-8/2019 (DEB-I) published in Gazette of India dated 6th June, 2019 under Section 28 of the University Grants Commission Act, 1956.

(63) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 43 of the Central Universities Act, 2009:-

1. The Guru Ghasidas Vishwavidyalaya (Amendment) Statutes, 2019 published in Notification No. S. No. 309/Academic/2019 in Gazette of India dated 7th November, 2019.
2. Notification No. CUSB/Admin/2nd Court/01/2018-19 published in Gazette of India dated 30th August, 2019, relating to amendment to Statute 10(5) of the Central Universities Act, 2009.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): Sir, I beg to lay on the Table: -

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Empowered Committee of State Finance Ministers, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Empowered Committee of State Finance Ministers, New Delhi, for the year 2017-2018.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Empowered Committee of State Finance Ministers, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Empowered Committee of State Finance Ministers, New Delhi, for the year 2018-2019.

(4) A copy each of the following Annual Reports and Accounts (Hindi and English versions) of the Regional Rural Banks for the year ended the 31st March, 2019 together with Auditor's Report thereon: -

1. Allahabad UP Gramin Bank, Banda
2. Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank, Warangal
3. Andhra Pragathi Grameena Bank, Kadapa
4. Arunachal Pradesh Rural Bank, Papum Pare
5. Assam Gramin Vikash Bank, Guwahati
6. Bangiya Gramin Vikash Bank, Berhampore
7. Baroda Gujarat Gramin Bank, Vadodra
8. Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank, Ajmer
9. Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank, Raebareli
10. Central Madhya Pradesh Gramin Bank, Chhindwara
11. Chaitanya Godavari Grameena Bank, Guntur
12. Chhattisgarh Rajya Gramin Bank, Ballari
13. Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna
14. Dena Gujarat Gramin Bank, Gandhinagar

15. Ellaquai Dehati Bank, Srinagar
16. Gramin Bank of Aryavart, Lucknow
17. Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi
18. J&K Grameen Bank, Jammu
19. Jharkhand Gramin Bank, Ranchi
20. Karnataka Vikas Grameena Bank, Dharwad
21. Kashi Gomti Samyut Gramin Bank, Varanasi
22. Kaveri Grammena Bank, Mysore
23. Kerala Gramin Bank, Mallappuram
24. Langpi Dehangi Rural Bank, Diphu
25. Madhyanchal Gramin Bank, Sagar
26. Maharashtra Gramin Bank, Aurangabad
27. Manipur Rural Bank, Imphal
28. Meghalaya Rural Bank, Shillong
29. Mizoram Rural Bank, Aizawl
30. Narmada Jhabua Gramin Bank, Indore
31. Odisha Gramya Bank, Bhubaneswar
32. Pallavan Grama Bank, Salem
33. Pandyan Grama Bank, Virudhunagar
34. Paschim Banga Gramin Bank, Howrah
35. Pragathi Krishna Gramin Bank, Ballari
36. Prathama Bank, Moradabad
37. Puduvai Bharthiar Grama Bank, Puducherry
38. Punjab Gramin Bank, Kapurthala
39. Purvanchal Bank, Gorakhpur
40. Rajasthan Marudhara Gramin Bank, Jodhpur
41. Saptagiri Grameena Bank, Chittoor
42. Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak
43. Sarva U.P. Gramin Bank, Meerut
44. Saurashtra Gramin Bank, Rajkot
45. Telangana Grameena Bank, Hyderabad
46. Tripura Gramin Bank, Agartala
47. Utkal Grameen Bank, Bolangir
48. Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar

49. Uttar Bihar Gramin Bank, Muzaffarpur
50. Uttarakhand Gramin Bank, Dehradun
51. Vananchal Gramin Bank, Dumka
52. Vidharbha Konkan Gramin Bank, Nagpur

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Insurance Regulatory and Development Authority of India, Hyderabad, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Insurance Regulatory and Development Authority of India, Hyderabad, for the year 2018-2019.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Financial Reporting Authority, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Financial Reporting Authority, New Delhi, for the year 2018-2019.

(7) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) on the working and Administration of the Companies Act, 2013 for the year ended 31st March, 2019.

(8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 241 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016: -

1. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Engagement of Research Associates and Consultants) (Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. IBBI/2019-20/GN/REG041 in Gazette of India dated 23rd July, 2019.
2. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Procedure for Governing Board Meetings) (Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. IBBI/2019-20/GN/REG042 in Gazette of India dated 23rd July, 2019.
3. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. IBBI/2019-20/GN/REG043 in Gazette of India dated 23rd July, 2019.

4. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. IBBI/2019-20/GN/REG044 in Gazette of India dated 23rd July, 2019.
5. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. IBBI/2019-20/GN/REG045 in Gazette of India dated 23rd July, 2019.
6. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. IBBI/2019-20/GN/REG046 in Gazette of India dated 25th July, 2019.
7. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. IBBI/2019-20/GN/REG047 in Gazette of India dated 25th July, 2019.
8. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. IBBI/2019-20/GN/REG048 in Gazette of India dated 25th July, 2019.
9. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Second Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. IBBI/2019-20/GN/REG049 in Gazette of India dated 25th October, 2019.
10. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Medical Facility to Chairperson and Whole-time Members) Scheme Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.553(E) in Gazette of India dated 5th August, 2019.
11. The Insolvency and Bankruptcy (Insolvency and Liquidation Proceedings of Financial Service Providers and Application to Adjudicating Authority) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.852(E) in Gazette of India dated 15th November, 2019.
12. The Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority for Insolvency Resolution Process for Personal

Guarantors to Corporate Debtors) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.854(E) in Gazette of India dated 15th November, 2019.

13. S.O.4126(E) published in Gazette of India dated 15th November, 2019, appointing the 1st day of December, 2019 as the date on which the provisions, mentioned therein, of the said Code only in so far a they relate to personal guarantors to corporate debtors, shall come into force.
14. S.O.3458(E) published in Gazette of India dated 25th September, 2019, appointing Shri Krishnamurthy Subramanian, Chief Economic Advisor, Government of India and Shri B. Sriram, former Managing Director and Chief Executive Officer, Industrial Development Bank of India Limited as part time members.
15. S.O.2953(E) published in Gazette of India dated 16th August, 2019, appointing the date of publication of this notification as the date on which the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 shall come into force.

(9) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013: -

1. The Companies (Incorporation) Sixth Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.411(E) in Gazette of India dated 7th June, 2019.
2. The Companies (Significant Beneficial Owners) Second Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.466(E) in Gazette of India dated 1st July, 2019.
3. The Nidhi (Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.467(E) in Gazette of India dated 1st July, 2019.
4. The Companies (Registration offices and Fees) Fourth Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.527(E) in Gazette of India dated 25th July, 2019.
5. The Companies (Appointment and Qualification of Directors) Third Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.528(E) in Gazette of India dated 25th July, 2019.

6. The Companies (Share Capital and Debenture) Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.574(E) in Gazette of India dated 16th August, 2019.
7. The Companies (Incorporation) Seventh Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.603(E) in Gazette of India dated 28th August, 2019.
8. The National Financial Reporting Authority Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.636(E) in Gazette of India dated 5th September, 2019.
9. The Companies (Registration Offices and Fees) Fifth Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.749(E) in Gazette of India dated 1st October, 2019.
10. The Companies (Appointment and Qualification of Director) Fourth Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.750(E) in Gazette of India dated 1st October, 2019.
11. The Companies (Meetings of Board and its Powers) Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.777(E) in Gazette of India dated 11th October, 2019.
12. The Companies (Cost Records and Audit) Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.792(E) in Gazette of India dated 16th October, 2019.
13. The Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.794(E) in Gazette of India dated 16th October, 2019.
14. The Companies (Incorporation) Eighth Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.793(E) in Gazette of India dated 16th October, 2019.
15. The Companies (Accounts) Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.803(E) in Gazette of India dated 22nd October, 2019.
16. The Companies (Appointment and Qualification of Directors) Fifth Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.804(E) in Gazette of India dated 22nd October, 2019.

17. The Companies (Creation and Maintenance of Databank of Independent Directors) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.805(E) in Gazette of India dated 22nd October, 2019.

(10) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (i) to (iii) of (9) above.

(11) A copy of the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/36 in Gazette of India dated 23rd September, 2019 under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

(12) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999: -

1. The Foreign Exchange Management (Deposit) (Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. G.S.R.498(E) in Gazette of India dated 16th July, 2019.
2. The Foreign Exchange Management (Mode of Payment and Reporting of Non-Debt Instruments) Regulations, 2019 published in Notification No. G.S.R.795(E) in Gazette of India dated 17th October, 2019.
3. The Foreign Exchange Management (Debt Instruments) Regulations, 2019 published in Notification No. G.S.R.796(E) in Gazette of India dated 17th October, 2019.
4. The Depository Receipts (Amendment) Scheme, 2019 published in Notification No. F. No. 9/1/2013-ECB(Pt-2) in Gazette of India dated 7th October, 2019.
5. The Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 published in Notification No. S.O.3732(E) in Gazette of India dated 17th October, 2019.
6. S.O.3715(E) published in Gazette of India dated 15th October, 2019, appointing the 15th day of October, 2019 as the date on which the provisions of Section 139, clause (i) of Section 143 and Section 144 of the said Act shall come into force.
7. S.O.3722(E) published in Gazette of India dated 16th October, 2019, determining the instruments, mentioned therein, as debt instruments.

(13) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 296 of the Income Tax Act, 1961: -

1. The Income-tax (5th Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.614(E) in Gazette of India dated 30th August, 2019, together with an explanatory memorandum.
2. The Income-tax (6th Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. S.O.3215(E) in Gazette of India dated 5th September, 2019, together with an explanatory memorandum.
3. The E-assessment Scheme, 2019 published in Notification No. S.O.3264(E) in Gazette of India dated 12th September, 2019, together with an explanatory memorandum.
4. S.O.3266(E) published in Gazette of India dated 12th September, 2019, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. S.O.2413(E) dated 13th June, 2018.
5. The Income-tax (7th Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.661(E) in Gazette of India dated 16th September, 2019, together with an explanatory memorandum.
6. The Income-tax (9th Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.679(E) in Gazette of India dated 20th September, 2019, together with an explanatory memorandum.
7. The Income-tax (10th Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.694(E) in Gazette of India dated 27th September, 2019, together with an explanatory memorandum.
8. The Income-tax (11th Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.701(E) in Gazette of India dated 30th September, 2019, together with an explanatory memorandum.
9. The Income-tax (12th Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.825(E) in Gazette of India dated 6th November, 2019, together with an explanatory memorandum.

(14) A copy of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Health Insurance)(Amendment) Regulations, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. IRDAI/Reg./14/165/2019 in Gazette of India dated 21st November, 2019 under Section 114A of the Insurance Act, 1938 and

under Section 27 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.

(15) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (6) of Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980: -

1. The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2019 published in Notification No. S.O.3350(E) in Gazette of India dated 18th September, 2019.
2. The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2019 published in Notification No. S.O.3351(E) in Gazette of India dated 18th September, 2019.
3. The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) (Second Amendment) Scheme, 2019 published in Notification No. S.O.4159(E) in Gazette of India dated 20th November, 2019.
4. The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) (Second Amendment) Scheme, 2019 published in Notification No. S.O.4160(E) in Gazette of India dated 20th November, 2019.

(16) A copy of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regulation of Controlled Substances) Amendment Order, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.779(E) in Gazette of India dated 14th October, 2019 under Section 77 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.

(17) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 166 of the Central Goods and Service Tax Act, 2017:-

1. G.S.R.874(E) published in Gazette of India dated 26th November, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to extend the due date for furnishing FORM GSTR-1 for registered persons in Jammu and Kashmir having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees for the months of July, 2019 to September, 2019.
2. G.S.R.875(E) published in Gazette of India dated 26th November, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to extend the due date for furnishing FORM GSTR-1 for registered persons in Jammu and

Kashmir having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees for the months of October, 2019.

3. G.S.R.876(E) published in Gazette of India dated 26th November, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to extend the due date for furnishing FORM GSTR-7 for registered persons in Jammu and Kashmir for the months of July, 2019 to October, 2019.
4. G.S.R.877(E) published in Gazette of India dated 26th November, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to extend the due date for furnishing FORM GSTR-3B for registered persons in Jammu and Kashmir for the months of July, 2019 to September, 2019.
5. G.S.R.878(E) published in Gazette of India dated 26th November, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to extend the due date for furnishing FORM GSTR-3B for registered persons in Jammu and Kashmir for the month of October, 2019.
6. G.S.R.879(E) published in Gazette of India dated 26th November, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to notify the transition plan with respect to J&K reorganization *w.e.f.* 31.10.2019.
7. G.S.R.870(E) published in Gazette of India dated 22nd November, 2019, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 11/2017-Central Tax (Rate), dated 28th June, 2017.

(18) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013: -

(i) Review by the Government of the working of the Security Printing and Minting Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Security Printing and Minting Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Competition Commission of India, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Competition Commission of India, New Delhi, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Competition Commission of India, New Delhi, for the year 2018-2019.

(20) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 467 of the Companies Act, 2013: -

1. G.S.R.776(E) published in Gazette of India dated 11th October, 2019, making certain amendments to Schedule VII of the Companies Act, 2013.
2. G.S.R.859(E) published in Gazette of India dated 19th October, 2019, containing corrigendum to the amendments to Schedule VII of the Companies Act, 2013.

(21) A copy of the National Financial Reporting Authority (Recruitment, Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Secretary, Officers and other Employees of Authority) Rules, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.526(E) in Gazette of India dated 25th July, 2019 under Section 132 read with Section 469 of the Companies Act, 2013.

(22) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 64 of the Competition Act, 2002: -

1. The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2019 published in Notification No. F. No. CCI/CD/Amend/Comb. Regl. /2019 in Gazette of India dated 13th August, 2019.
2. The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Second Amendment Regulations, 2019 published in Notification No. F. No. CCI/CD/Amend/Comb. Regl. /2019(2) in Gazette of India dated 30th October, 2019.

(23) A copy of Notification No. S.O.3705(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 14th October, 2019 delegating powers to

Tribunal-Section 458 read with Section 418 of the Companies Act, 2013 under sub-section (2) of Section 458 of the said Act.

(24) A copy of Notification No. S.O.4024(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 7th November, 2019, together with an explanatory memorandum specifying M/s Go Airlines (India) Ltd. And TATA SIA Airlines Limited (Vistara) as “Designated Indian Carrier” for the purpose of sub-section (5) of the Central Sales Tax Act, 1956 issued under the said Act..

(25) A copy of the Notification No. G.S.R.871(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 22nd November, 2019, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 8/2017-Integrated Tax (Rate), dated 28th June, 2017 under Section 24 of the Integrated Goods and Service Tax Act, 2017.

(26) A copy of the Notification No. G.S.R.872(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 22nd November, 2019, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 11/2017-Union Territory Tax (Rate), dated 28th June, 2017 under Section 24 of the Union Territory Goods and Service Tax Act, 2017.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha: -

> "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Taxation Laws (Amendment) Bill, 2019 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 2nd December, 2019 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति
272वां से 274वां प्रतिवेदन

श्री कमलेश पासवान (बासगाँव): अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

1. "सड़क क्षेत्र में आधारभूत संरचना के लिए ऋण" के बारे में समिति के 236वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 272वां प्रतिवेदन।
2. "भारत में बौद्ध परिपथ का विकास" के बारे में समिति के 262वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 273वां प्रतिवेदन।
3. "संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रशासित अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अनुदान, पेंशन और योजनाएं" के बारे में समिति के 271वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 274वां प्रतिवेदन।

संस्कृति मंत्रालय से संबंधित "अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अनुदान, पेंशन और योजनाएं" के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 271वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अनुदान, पेंशन और योजनाएं के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 271वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं।

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 50TH AND 53RD REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON LABOUR

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI R.K. SINGH): Sir, I beg to make the following statements regarding ---

1. The status of implementation of recommendations in the 50th Report of the Standing Committee on Labour on Action taken by the Government on the observations/recommendations contained in 36th Report of the Committee on `Demands for Grants 2018-19' pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.
2. The status of implementation of the recommendations/observations contained in the 53rd Report of the Standing Committee on Labour on Action taken by the Government on the observations/recommendations contained in the 41st Report of the Committee on `Jan Shikshan Sansthan Scheme' pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

(1205/SK/RU)

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: आप सब बैठिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

RE: SUSPENSION OF MEMBERS

1205 बजे

माननीय अध्यक्ष: मद संख्या 14 – श्री प्रहलाद जोशी।

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रह्लाद जोशी): माननीय अध्यक्ष जी, शुक्रवार को जो घटना हुई, इसके बारे में हमने निवेदन किया था, कांग्रेस पार्लियामेंटरी पार्टी लीडर अधीर रंजन जी से आपके समक्ष भी निवेदन किया था। हमारी रिक्वेस्ट अभी भी है।...(व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरे सदन में शांति से, अच्छे ढंग से, स्ट्रक्चरल रूप से डिबेट चाहते हैं, लेकिन जो बर्ताव उन्होंने किया, दो सदस्यों ने किया, हाउस डिस्टर्ब किया और चेयर से डायरेक्शन भी दी गई कि आप माफी मांगिए, In spite of that, they have not asked apology.

अभी भी अधीर रंजन जी और मैम्बर्स से मेरा आग्रह है, क्योंकि यह बर्ताव बिल्कुल ठीक नहीं है। एक महिला सदस्य हैं, वह भी मंत्री हैं, ऐसे हाथ ऊपर करके आगे आना, ठीक नहीं है। ...(व्यवधान) It has been seen in a very bad light as far as the entire country is concerned. मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। हम तो किसी को बाहर करने के पक्ष में नहीं हैं, फिर भी अगर वे माफी नहीं मांगते हैं, तो मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके ऊपर छोड़ दूंगा, आपको जो कार्रवाई करनी है कर दीजिए।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से पार्लियामेंटरी लीडर और बाकी लोग यह न सोचें कि यह सदन किसी राजा का हवा महल है। ...(व्यवधान) हिन्दुस्तान के लोगों की, नुमाइंदों की बात करने के लिए यह सदन बनाया गया है।...(व्यवधान) ये लोग नहीं जानते हैं कि किस तरह का मोशन लाना चाहिए। आप लोग मोशन लाने का तरीका नहीं जानते हैं, फिर भी पार्लियामेंटरी मिनिस्टर बने हैं।...(व्यवधान) स्पीकर साहब उस दिन थे, जब सदन में चर्चा हुई थी।...(व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): वह अपनी पार्टी के नेता हैं, अनुभवी सांसद हैं। उन्होंने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग इस सम्मानीय सदन के लिए किया है, वह बहुत ही निंदनीय है, उन्हें इसे वापस लेना चाहिए, यह हम कहना चाहते हैं।...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I would like to refer to page No. 1059 of Kaul and Shakdher. It has been clearly stated there that an order passed by the Speaker is final. उस दिन स्पीकर सर ने कोई ऑर्डर नहीं दिया। उस दिन स्पीकर सर की रूलिंग पर ओवर रूलिंग की गई।

The rule of the Speaker was overruled. These kinds of atrocities and arrogance was being shown by you. जनाब, आप 374ए को पढ़ लीजिए।...(व्यवधान)

> "374A. (1) Notwithstanding anything contained in rules 373 and 374, in the event of grave disorder occasioned by a member coming into the well of the House or abusing the Rules of the House persistently and wilfully obstructing its business by shouting slogans or otherwise, such member shall, on being named by the Speaker, stand automatically suspended

from the service of the House for five consecutive sittings or the remainder of the session, whichever is less:"

क्या स्पीकर सर ने उस दिन कोई नाम लिया था? Did the Speaker name anybody? No. The House was continuing....(*Interruptions*) सब कुछ होने के बाद आपको लगा कि हमारे दो सदस्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। ...(व्यवधान) हमारे सदस्यों को डराने की कोशिश मत करो। ...(व्यवधान) हम डरने वाले नहीं हैं।...(व्यवधान) आप बात-बात में हमें डराने की कोशिश न करें।...(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान विनम्रता से नियम 374क की तरफ ले जाना चाहता हूं:-

"नियम 373 और 374 में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष के आसन के निकट आकर अथवा सभा में नारे लगाकर या अन्य प्रकार से सभा की कार्यवाही में बाधा डालकर लगातार और जानबूझकर सभा के नियमों का दुरुपयोग करते हुए घोर अव्यवस्था उत्पन्न किए जाने की स्थिति..."

इसमें अध्यक्ष द्वारा सदस्यों का नाम लिए जाने का प्रावधान है।

(1210/MK/KSP)

ऐसा नहीं है कि यह अध्यक्ष जी के सामने करेंगे। ...(व्यवधान) आप सुन लीजिए। सभा को बाधित करने के किसी भी प्रकार के तरीके पर इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं। एक महिला सदस्य के सामने, महिला मंत्री के सामने हाथ खड़े करके वेग के साथ जाना, मैं नहीं मानता कि इससे ज्यादा कोई शर्मनाक बात हो सकती है। ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, This is a fit case for invoking Rule 374.

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट प्लीज, आप सभी बैठ जाइए।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: सभी माननीय संसद सदस्यगण, हम सबको इस संसद की मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए। जबसे आप सबने मुझे इस आसन पर बैठाया है, मैंने प्रयास किया है और कोशिश की है कि सभी माननीय सदस्यों का सम्मान बना रहे। मैंने कई बार यह भी आग्रहपूर्वक कहा है कि सदन की एक मर्यादा है। जब मैं विश्व के संसदीय सम्मेलनों में जाता हूं तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारत सबसे मजबूत और निर्णायक लोकतंत्र देश है और हमारी संसद की मर्यादा भी सबसे ऊपर है। हमारी संसद की कार्यवाही लाइव होती है, इसलिए मैं बार-बार इस बात को इंगित करता हूं कि हम भारत की संसद से देश को दिशा दे सकें। हम सभी इस मर्यादा को कायम रखें। मैं आपका संरक्षक हूं। जो कुछ भी विषय हुआ है, मैं हमेशा यह अपेक्षा करूंगा कि कोई भी माननीय सदस्य न तो बाहें चढ़ाकर आएं, न कोई तीखा बोलें। तल्ख टिप्पणियां बहुत हुई हैं, तल्ख राजनीति और टिप्पणी होनी चाहिए, लेकिन मर्यादित तरीके से। हम सभी मर्यादा का ध्यान रखेंगे, इससे सदन की मर्यादा रहेगी। सभापति की मर्यादा रहेगी तो संसद की मर्यादा रहेगी। आप निश्चिंत रहें, जो विषय मेरे ध्यान में आया है, मैं पुन: बैठकर यह अपेक्षा करूंगा कि इस विषय पर आपके साथ न्यायपूर्ण निर्णय करूं।

अब सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाई जा सकती है।

CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY-SIXTH AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Mr. Speaker, Sir, I have given a notice to oppose this Bill, which is called the Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill. सर, संविधान लागू होने के समय अनुच्छेद 333 और 334 था, जिसमें एंग्लो इंडियन्स के लिए संरक्षण रखा गया था, उसको बंद किया जा रहा है। इसका प्रावधान अम्बेडकर साहब और जवाहर लाल नेहरू जी ने किया था। आज सरकार को अचानक ध्यान में आया कि इसको एबोलिश करना चाहिए। एंग्लो इंडियन्स के लिए दो सीट लोक सभा में और 9 सीट विधान सभाओं में होती हैं। अनुच्छेद 334 में प्रावधान है कि 70 साल तक एंग्लो इंडियन्स को भी छुटकारा मिले, उसको एबोलिश किया जा रहा है। That is why I have given a notice opposing the introduction of this Constitution (Amendment) Bill. Under Rule 272 (i) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I beg to oppose the introduction of the Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill, 2019 due to its unconstitutional nature.

(1215/KKD/RPS)

This Bill is in violation of Article 14, which talks of equality before law and which provides against arbitrariness, and requires a classification to be based on some real and substantial distinction. The current Bill extends different treatment to various minority communities, namely, SCs, STs and Anglo Indians. Both have reservation under Article 334. This difference is being exercised arbitrarily without relying on any real facts or data.

The Bill is also an attack on the principle of federalism as it deprives the States of the power of appointing Members from the Anglo Indian community. यह जो 70 साल से चला आ रहा है, एक कम्यूनिटी की रिप्रेजेंटेशन को रातों-रात एबॉलिश करना सही नहीं होगा, जायज नहीं होगा, फेयर नहीं होगा, तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इसे विदड्रॉ कर लिया जाए। डॉ. अम्बेडकर और जवाहर लाल नेहरू ने एंग्लो इंडियन्स, जो एक छोटा माइनॉरिटी है, के

लिए जो रिजर्वेशन दिया था, उसे बनाए रखना चाहिए। …(व्यवधान) अभी भी हाउस में एंग्लो इंडियन सदस्य हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए, आपको इजाजत नहीं दी है। आप बैठ जाइए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, मैं बहुत विनम्रता से माननीय प्रोफेसर राय को बताना चाहूंगा कि इस संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से इस देश के अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति का रिजर्वेशन, जो 25 जनवरी, 2020 को समाप्त हो रहा है, उसे दस साल आगे बढ़ाने के लिए संशोधन लेकर आए हैं। हम इसे इसलिए लेकर आए हैं कि हमारी सरकार मानती है कि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति को पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिलना चाहिए, वह नॉमिनेशन नहीं है, वह रिप्रेजेंटेशन है। इस बात को समझना चाहिए। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, इसलिए हम यह विधेयक लाए हैं, वे इसका विरोध कर रहे हैं, यह उनके ऊपर है। यह मेरिट का विषय है।

जहां तक एंग्लो इंडियन्स का सवाल है, मैं उत्तर में विस्तार से बताऊंगा। 2011 के सेंसस के मुताबिक देश में सिर्फ 296 एंग्लो इंडियन्स हैं।…(व्यवधान) मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हमने इस पर विचार बन्द नहीं किया है। …(व्यवधान) यह मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। इसलिए यह जो चिन्ता व्यक्त की जा रही है, अपने आप में उचित नहीं है। …(व्यवधान)

तीसरी बात, सदन में किसी बिल को रोकने या नहीं रोकने के लिए पूरी परम्परा स्थापित है। What is that? It is: 'the House must not have legislative competence and the Bill should be palpably against any fundamental rights.' When these mattes would be raised, when I propose the Bill for consideration, we can discuss it. When he raises, I will reply to it at that time. But how this can be that this sovereign House does not have the competence?

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I introduce the Bill.

CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL

1217 hours

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नागरिकता अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि नागरिकता अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। "

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप विराजें, आपके नेता बोल रहे हैं। बशीर भाई, एक मिनट बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, थोड़ा समय दीजिएगा। …(व्यवधान)

Sir, I do not have any qualm…

माननीय अध्यक्ष: समय देंगे, जब बिल पर डिबेट होगी, अभी मोशन पर बोलना है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, एकदम बिन्दु-बिन्दु में बोलूंगा। …(व्यवधान) I do not have any qualm to opine that this is a regressive legislation. It is nothing but a targeted legislation against the minority people of our country …(*Interruptions*)

श्री अमित शाह: महोदय, मेरा एक ऑब्जेक्शन है। …(व्यवधान) ऐसे नहीं चलेगा। …(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I am not yielding …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्री जी ।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: महोदय, एक सेकण्ड, मेरी बात सुन लीजिए।…(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): No, I am not yielding, Sir. मेरी बात सुन लीजिए। …(व्यवधान)

(1220/IND/RCP)

श्री अमित शाह: अध्यक्ष महोदय, यह बिल कहीं पर भी देश की…(व्यवधान) जरा सुनिए तो…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी की बात सुनिए।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: अध्यक्ष जी, यह बिल कहीं भी .001 प्रतिशत भी इस देश की माइनोरिटी के खिलाफ नहीं है।…(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, let me finish my submission. …(*Interruptions*)

श्री अमित शाह: मगर, आप घुसपैठियों की चिंता कर रहे हैं, उन घुसपैठियों को कोई अधिकार न देने का यह बिल है।…(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, let me finish. …(*Interruptions*) In the year 1947 on 22nd January, Pandit Jawaharlal Nehru had presented a historic Objective Resolution which was adopted. In the subsequent stages, the Objective Resolution always acted in shaping of our Constitution. The ideal of the Resolution was reflected in our Constitution which was later, in 1976, got amended. It was surmised and it was summarised into the aims and objectives which says: "We, the People of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign, Secular, Socialist, Democratic Republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity." In the Constituent Assembly, on 26th November …(*Interruptions*) यदि आप डिस्टर्ब करेंगे, तो हम कहां जाएंगे? …(व्यवधान) गृह मंत्री जी हमें तो बोलने दो।…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: अध्यक्ष जी, सदन को इस बिल पर चर्चा करने का अधिकार है या नहीं है, इस पर ही चर्चा हो सकती है। इसके कंटेंट पर चर्चा नहीं हो सकती है।…(व्यवधान) मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मंत्री जी, आप हमारी रक्षा करो। आप उन्नाव पीड़ित को संभाल नहीं सके और उन्नाव के पीड़ित को बचा नहीं सके।…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान नियम 72(1) पर दिलाना चाहता हूं:

> " जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाए कि यह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है, जो सभा की विधायनी क्षमता से परे है……। "

बिल के कंटेंट पर चर्चा नहीं होगी। बिल जब लेकर आऊंगा, तब जो पूछेंगे, सबका जवाब दूंगा।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी नियम पढ़ रहे हैं।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री अमित शाह: जब मैं बिल प्रस्तुत करता हूं, तब सदन की विधायी क्षमता पर ही चर्चा हो सकती है। बिल पर आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा और एक-एक बात को टाले बिना मैं जवाब भी दूंगा, आप वॉक आउट मत कर जाना। परन्तु अभी सदन की विधायी क्षमता पर ही चर्चा हो सकती है। इस बिल के कंटेंट पर चर्चा नहीं हो सकती है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट शांत हो जाएं। मैं बोलने का मौका दूंगा। मेरा कहना है कि मैं किसी सदस्य को रोक नहीं रहा हूं।

…(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): आप रोक रहे हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं-नहीं, आपको भी बोलने का मौका दूंगा। आप मेरी बात सुनिए। नियम प्रक्रिया में लिखा हुआ है, जब बिल पर डिबेट होगी, जितने सदस्य बोलना चाहेंगे, सभी को बोलने का मौका देंगे। विधेयक पुर:स्थापित करने के समय आपको अधिकार है, आप मत विभाजन भी करा सकते हैं। अभी अपना विषय संक्षिप्त में रखें और चर्चा के समय डिटेल में बोल लेना।

…(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am on a point of order. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : दादा अभी आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है।

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, प्वॉइंट आफ आर्डर है। यह व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष : किस नियम के तहत है।

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, नियम 72(1) के तहत।

माननीय अध्यक्ष : दादा, अभी व्यवस्था दे रहा हूं। अभी अधीर रंजन जी को बोलने का मौका दिया है।

…(व्यवधान)

(1225/VR/ASA)

माननीय अध्यक्ष : आपको भी मौका दूंगा। अभी मैंने पहले अधीर रंजन जी को बोलने के लिए कहा है।

…(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I have a point of order under Rule 72(1). I want to say that what the Home Minister has said is not right. A person may oppose the Bill *per se.* He must give some reasons for opposing the Bill. Only if a substantive question of law is involved when the jurisdiction of the House is called into question, full discussion will be called for.

But I can oppose the Bill *per se* without any detailed discussion. *....(Interruptions)* What the Home Minister is saying is not right. *...(Interruptions)* He is giving a wrong interpretation of the Rule of the House.*....(Interruptions)* Maybe, he is new to this House. *....(Interruptions)*

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब विधेयक पर चर्चा होगी, तब सब लोग अपना-अपना मत रख सकते हैं और विरोध भी कर सकते हैं। …(व्यवधान) अभी इसकी विधायी क्षमता पर ही चर्चा हो सकती है।…(व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, the Rule is very clear. If it is out of the legislative competence, they can oppose it. *....(Interruptions)* It is within the legislative competence. *....(Interruptions)*

Sir, Rule 72(1) says –

"If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker, if thinks fit, after permitting, brief statements from the member who opposes the motion and the member who moved the motion, may, without further debate, put the question:

Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon."

यह आउटसाइड दि परमिशन का ही है। आप तो इस पर पूरी डिबेट कर रहे हैं। इस पर सिर्फ इंट्रोडक्शन होना है या नहीं होना है, इतना ही होना चाहिए। …(व्यवधान)

Sir, if it out of the legislative competence, then let him say that. *....(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप जितना बोलना चाहें, मैं सबको मौका दंगा। मैं यह कह रहा हूं कि एक नियम प्रक्रिया बना रखी है, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से मैं हमेशा आपको मौका देता हूं। आप पाइंटेड बात कर दें। अगर पाइंटेड बात नहीं बोलेंगे, तब आपको पुर:स्थापन पर माननीय मंत्री जी का पूरा जवाब भी सुनना पड़ेगा। जितना विषय बोलेंगे, उतनी देर आपको जवाब भी सुनना पड़ेगा। यह भी आप विचार कर लें।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, there are deficiencies in the Bill. *...(Interruptions)* For the past more than 10 years, Sri Lankan Tamils are there, Christians are there, Muslims are there and other people are there*....(Interruptions)* They have been there for more than 10 years. *....(Interruptions)* So, that deficiency should be corrected by the Home Minister. *....(Interruptions)* That is my point. *....(Interruptions)* We are opposing the introduction of the Bill. *....(Interruptions)*

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, फिर से इसके मैरिट्स पर चर्चा हो रही है। मेरा यह कहना है कि सदन की विधायी क्षमता पर ही अभी चर्चा हो सकती है कि सदन के पास यह अधिकार है या नहीं है कि इस बिल पर चर्चा हाथ में लें। श्रीमान बालू जी और अधीर रंजन जी जो कह रहे हैं, वे मैरिट्स में जा रहे हैं। जब डिसकशन होगा, मैं विधेयक पर चर्चा शुरू करूंगा, मुझे सुनने के बाद उनको

भी बोलने का मौका मिलेगा।…(व्यवधान) सब लोग अपना-अपना पक्ष रखें। मैं जवाब भी दूंगा। उसके बाद सदन निर्णय करेगा। मुझे लगता है कि पुर:स्थापित करने के समय पर ये सारी चीजों की चर्चा इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह सदन की कॉम्पीटेंसी का सवाल नहीं है। ये बिल के मैरिट्स पर चर्चा कर रहे हैं।…(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, it is a half-backed motion. *....(Interruptions)* That is why, interests of all should be fulfilled. *...(Interruptions)*

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान के एक बड़े विषय पर यह एक अमेंडमेंट है। सर, मैं जो पढ़ रहा था, वह प्रिएम्बल ऑफ दि कांस्टीट्यूशन पढ़ रहा था। वह क्या आपको अच्छा नहीं लगता? What I said is, "We in the Constituent Assembly on 26th November, 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves the Constitution". संविधान का मतलब क्या है? कांस्टीट्यूशन का मतलब होता है- जस्टिस, ईक्वैलिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी। यह प्रिएम्बल को थ्रो कर रहे हैं। …(व्यवधान) आर्टिकल 14 को आप अंडरमाइन कर रहे हैं। आर्टिकल 14 पर आप आक्रमण कर रहे हैं। यह तो हमारा लोक तंत्र का ढॉचा है। …(व्यवधान) (1230/RAJ/SAN)

आप उस पर प्रहार कर रहे हैं।…(व्यवधान) आप हिन्दुस्तान को और एक बार कम्यूनल का प्रयास कर रहे हैं।…(व्यवधान) जैसे ब्रिटिश राज में होता था।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप भाषण नहीं दीजिए।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I rise to oppose the introduction of the Citizenship (Amendment) Bill, 2019 on specific grounds. …(*Interruptions*)

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): आप बिल की काम्पिटेंसी पर नहीं बोल रहे हैं, आप कारण दीजिए। आप वह नहीं दे रहे हैं।…(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am on my legs. …(*Interruptions*)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सर, यह क्या तरीका है कि आपने एलाउ किया है और मंत्री जी डिस्टर्व कर रहे हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको भी इजाजत नहीं दी है।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री रवि शंकर प्रसाद: उन्होंने नाम लिया, इसलिए मैं बोल रहा था।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी बैठ जाइए।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, we are not satisfied with the Bill. So, we are walking out.

1232 hours

(At this stage, Shri T.R. Baalu and some other hon. Members left the House.)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Speaker Sir, I am opposing the introduction of the Bill. I shall fully abide by the rulings of the hon. Speaker and what the hon. Home Minister has rightly pointed out. We are challenging the legislative competence …(*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मुझे बोलने दीजिए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने विषय के बारे में बोल दिया है।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मैं काम्पिटेंसी पर बोलना चाहता हूं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको इसी विषय पर बोलने का मौका दिया था।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, आप एक मिनट में अपनी बात कह दीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, the Preamble of the Constitution has engraved the basis of our democratic fabric and any deviation from it would render any statutory enactment not only nugatory but also unconstitutional. The Supreme Court has also observed: 'Whether it is the Constitution that is expounded or the constitutional validity of a Statute, what is considered a cardinal rule is to look to the Preamble of the Constitution as the guiding light. The Preamble embodies and expresses the hopes and aspirations of the people.'

Articles 5 to 11 of the Constitution deal with the citizenship and the Citizenship Act which was thereafter drafted keeping in mind the guidelines as fixed and prescribed by the Constitution itself. The concept of citizenship cannot be read in isolation but has to be read extensively with the Articles enunciated in our Constitution itself. मैं कहां इसके बाहर बात कर रहा हूं?

The amendment goes against the essence of Articles 5, 10, 14 and 15 of the Constitution of India. Article 5 deals with citizenship at the commencement of the Constitution and Article 10 deals with continuance of the rights of citizenship. The aforementioned Articles define and protect the right of

citizenship of Indians, which is in serious threat if the said amendment is sought to be brought. Article 14 guarantees equality before law.

Article 15 protects every person of discrimination on the pretext of religion, race, caste, sex or place of birth. Article 11 of the Constitution further empowers the Parliament to legislate on citizenship, but it has to be borne in mind that the said legislation is subject to Article 13 which envisages an express bar to legislation inconsistent with the Fundamental Rights guaranteed under Part III of the Constitution. आप बोलिए, माननीय मंत्री, मैंने कहां गलत किया? …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, क्या आप अन्य दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलने का मौका देंगे।?

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): That is why, we are opposing this kind of a Bill being brought to the House because it is regressive, diversionary and exclusionary …(*Interruptions*) and it will harm integrity and unity of our country.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity.

I shall fully abide by the ruling of the Hon. Speaker. Also, the hon. Home Minister has already spoken about the legislative competence of the Bill. We are challenging the legislative competence of the Bill. That is why, we are discussing.

I am not going into the merits and history of the case. It is entirely different. The first point is that this is the first time in the legislative history of India that in order to acquire the citizenship, one of the main factors is the religion.

Sir, clauses 2 and 6 violate the right to equality guaranteed under Article 14 of the Constitution as it provides differential treatment to the illegal migrants on the basis of religion.

(1235/RBN/VB)

I will not even name the religion. Article 14 is the heart and soul of the Fundamental Rights, Chapter III of the Constitution.

माननीय अध्यक्ष: मैं सबकी व्यवस्था दूँगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप मेरी बात भी सुन लें।

आप रूल बुक पर डिबेट करना चाहते हैं, तो आप टू-डू पॉइंट पर बोलें। मैं सबकी व्यवस्था आपको दूँगा। लेकिन आप इस बिल के डिटेल का वर्णन नहीं करेंगे।

…(व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The second point is this. The Clauses in the Bill violate articles 25 and 26 of the Constitution as the right to religion is applicable to all the persons including non-citizens. I repeat, it is applicable to all the persons and even to non-citizens. So, the right to religion is applicable not only to citizens but also to non-citizens. The right to religion under articles 25 and 26 is applicable to all the persons who are residing in India, including non-citizens.

The third point is, the Bill violates the basic structure and features of the Constitution envisaged in the Preamble of the Constitution as entitlement of the citizenship based on religion is against the secular fabric of the country.

The fourth point is, the provisions in clause 4 are self-contradictory as one provision makes the other provision redundant.

The final point is, the Statement of Objects and Reasons is not clear. It is ambiguous as it does not explain the rationale behind differentiating between illegal migrants on the basis of religion they belong to.

So, if it goes to the court of law, definitely the court will strike it down. Therefore, this House has no legislative competence to discuss this Bill. Hence, I oppose its introduction. Thank you very much.

माननीय अध्यक्ष: एक बार जो विषय आ गया हो, सदन में उसका रिपिटिशन न करें।

…(व्यवधान)

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): The noise from this side is so strong today.

माननीय अध्यक्ष: जिन्होंने नोटिस दिया है, केवल उन्हीं को बोलने का मौका दिया जाएगा। जिन्होंने नोटिस नहीं दिया है, वे हाथ खड़ा न करें।

…(व्यवधान)

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Why is there so much opposition from this side? The noise from this side is so strong. Why is it so? The ruling Party should understand that what they are doing is totally against the Constitution.

माननीय अध्यक्ष: आप विषय पर अपनी बात कहें।

…(व्यवधान)

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Sir, it is against the essence of the Constitution. The provisions of the Bill are in utter violation article 14 of the Constitution. That is what everybody is saying. The Government should not introduce this Bill.

HON. SPEAKER: Okay.

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): I will just say one word. It is in violation of article 14, the Fundamental Rights. They are naming one particular community, that too the major community of this nation, that is the Muslim community. They are naming it.

HON. SPEAKER: Prof. Saugata Roy ji.

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): They are naming and saying it. …(*Interruptions*)

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): कहीं पर भी मुस्लिम कम्युनिटी को नेम नहीं किया गया है। यह सत्य नहीं है। …(व्यवधान)

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): They have named four or five communities and excluded one community. So, in a technical manner, it is equivalent to naming one community.

श्री अमित शाह: केवल मुस्लिम एक्सक्लूड नहीं होता है, बहुत-से एक्सक्लूड होते हैं।…(व्यवधान) कहीं पर भी मुस्लिम का नाम नहीं है। …(व्यवधान) आप इसमें दिए गए प्रोविजंस को तोड़-मरोड़कर नहीं रख सकते हैं। …(व्यवधान)

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Let me complete what I have to say. It is almost equivalent to saying that one particular community will not be given citizenship. Everybody knows that. How can you do that in this House? So far it has not happened here.

माननीय अध्यक्ष: आपने विधान की बात रख दी।

प्रो. सौगत राय।

…(व्यवधान)

(1240/SPS/SM)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I rise to oppose the introduction of Citizenship (Amendment) Bill, 2019 under rule 72(1) of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. Sir, this is the book. But I do not refer to only the book. Please see rule 72(1).

I think that the Home Minister, being new to this House, is not fully familiar yet with the rules of procedure …(*Interruptions*) I have not used any unparliamentary word …(*Interruptions*) I am only saying that it is only six months that he is in this House. He is not yet aware of the rules.…(*Interruptions*) What does the rule say? It is very relevant …(*Interruptions*) Sir, one second …(*Interruptions*) क्या मैंने कुछ खराब बोला है? …(व्यवधान) सर, हाउस को ऑर्डर में लाइए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आप सभी को व्यवस्था दूंगा, लेकिन पहले इनकी बात सुन लीजिए। मैं इनके बाद आपको मौका दूंगा।

…(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): …(*Interruptions*) Sir, can I speak now? …(*Interruptions*) The rule says: If a motion for leave to introduce a Bill is opposed as it has been done, the Speaker after permitting brief statements from the member who opposes the motion, may without further debate put the question. So, opposing is *per se suo moto.* It does not need any reference to legislative competence.

Secondly, there is a Proviso which says:

> "Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon."

Sir, I also refer to Kaul and Shakdher 7th edition, pages 618-619. आप देखिए पूरी डिटेल लिखी हुई है कि कैसे बिल को अपोज किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: मैंने पढ़ लिया है।

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, मैंने अपोजिशन का नोटिस दिया था और 10 बजे के अंदर दिया था। मैंने कारण भी दिखाया था कि क्यों मैं इस बिल को अपोज करता हूं। मुझे आपसे विनती करनी है कि आज संविधान संकट में है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सभी ने जो नोटिस दिए हैं, मैं उनको पढ़कर सुना दूंगा। आप नोट कर लीजिए और नोटिस के इतर मत बोलिए। आप नोटिस देते हैं और मैं नोटिस को पढ़ता हूं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं सभी को व्यवस्था दे रहा हूं। अधीर रंजन चौधरी जी - आर्टिकल 14 और 15, एन.के. प्रेमचन्द्रन जी - आर्टिकल 14, 15 और 26, पी.के. कुनहलिकुट्टी जी - आर्टिकल 14, प्रो. सौगत राय - आर्टिकल 14, ई.टी. मोहम्मद बशीर - आर्टिकल 14 और 15, ए.एम. आरिफ जी ने कोई कारण नहीं दिया है और बिना कारण के बोला भी नहीं जाता है। श्री गौरव गोगोई का आर्टिकल 5, 10, 14 और 15 पर है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जब मैं आपका नाम लूं, तभी बोलिएगा। मेरी एक बात सभी सुन लीजिए। जब आप कानून की बात कर रहे हैं तो फिर कानून के हिसाब से ही सब कुछ हो।

(1245/MM/AK)

अभी तक मैं आपको कानून के विपरीत भी बोलने का मौका देता था। अगर आप कानून के अनुसार बात रखना चाहते हैं तो सदन कानून से चल जाएगा। आप एक मिनट रुकिए, मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको बोलने के लिए मौका नहीं दिया है।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात का कोई जवाब नहीं देगा।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : किसी की बात अंकित नहीं हो रही है। जो माननीय सदस्य बैठे-बैठे बोल रहे हैं, उनकी बात सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बन रही है।

… (व्यवधान) (<u>कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।</u>)

माननीय अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, सौगत राय जी, आपने आर्टिकल 14 पर बोलने के लिए नोटिस दिया है।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : आपको भी बोलने का मौका देंगे।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : अब आप आर्टिकल 14 पर बोलें।

…(<u>व्यवधान</u>)

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, मैं आर्टिकल 14 के अलावा भी एक पॉइंट रखना चाहता हूं। कृपया मुझे वह पढ़ने दिया जाए। …(<u>व्यवधान</u>) सर, क्या इस तरह से हाउस में चलेगा?…(<u>व्यवधान</u>) क्या हम लोगों को मारेंगे…(<u>व्यवधान</u>) Let me first read Article 14. …(*Interruptions*) Sir, Article 14 says that : "The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India …". …(*Interruptions*) Now, 'any person' includes 'any community'. If any community

is left out of the purview of law, then it is violative of Article 14 of the Constitution. This is what I was saying.

Further, I heard the Home Minister four months ago in this House, when he said हमारा स्लोगन है, "एक विधान, एक निशान" …(व्यवधान) One country, one nation. …(*Interruptions*) It was said while abrogating Article 370 …(*Interruptions*) सर, मुझे बोलने दिया जाए। It was said while abrogating Article 370 relating to Jammu and Kashmir that one nation - one law. So, no separate law for Kashmir.

Now, you are bringing a law and you are saying that the areas included in the Sixth Schedule of the Constitution belonging to Meghalaya, Mizoram, Nagaland will not form part of the law. …(*Interruptions*) Also, the areas under the Inner Line Permit will also be excluded. Now, the Home Minister is proposing one law for rest of the country; one law for the Sixth Schedule areas; and one law for the Inner Line Permit. …(*Interruptions*) Hence, I …(*Interruptions*) सर, मैं कम्प्लीट कर रहा हूं। इसे पढ़कर खत्म कर रहा हूं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप पढ़ चुके हैं।

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, मैं केवल इतना ही पढूंगा।

Sir, under Rule 72 (1) of the Rules of Procedure, I beg to oppose the introduction of the Citizenship (Amendment) Bill, 2019. The ground for opposition are following :

1. The Bill is divisive and unconstitutional;
2. It violates Article 14 of the Constitution, which ensures equality before law of all persons; and
3. This law is against everything that our founding fathers and Dr. Ambedkar envisioned in the Constitution of India.

The Bill, by leaving out the tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram or Tripura, as included in the Sixth Schedule, …(*Interruptions*) इसमें क्या गलती हुई है?…(व्यवधान) क्या पार्लियामेंटरी अफेयर मंत्री नहीं जानते हैं? …(व्यवधान) मैंने नोटिस दिया हुआ है।…(व्यवधान) सर, मुझे इसे पढ़ने दीजिए।…(व्यवधान) सर, मिनिस्टर उठकर रुकावट डाल रहे हैं।…(व्यवधान) सर, यह दुखद बात है।…(व्यवधान)

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, thank you very much for giving me this opportunity.

(1250/SPR/SJN)

Respecting the direction of the hon. Speaker, I am not entering into any other provisions of the Act. What I am saying, in brief, is this. I am very sorry to say that in the history of this House, which made tremendous laws, this is the darkest day because this is the first time an enactment is coming dividing the people into Muslims and non-Muslims. It is a shame. …(*Interruptions*) Article 14 of the Constitution says equality before the law. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं कि गृह मंत्री जी ने इस बिल की मंशा को आप सबको बता दिया है। माननीय सदस्य, आप एक मिनट के लिए बैठ जाइए। मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूं। बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने इस बिल की मंशा के बारे में आपको संक्षिप्त में बता दिया है। मेरे पास आर्टिकल 14 और 15 है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आर्टिकल 14 में दो लाइन लिखी है, मैं सभी सदस्यों को पढ़कर सुना देता हूं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : 'भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा'। एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। इस बिल पर बाद में डिटेल में चर्चा होगी। लेकिन माननीय सदस्य आप बिल की मेरिट पर नहीं बोल रहे हैं, आप भाषण कर रहे हैं। विधेयक क्यों नहीं लाया जाए, उसको पुरःस्थापित क्यों नहीं किया जाए, आप इस पर बोलिए। आप तो बिल पर भाषण कर रहे हैं।

…(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर) : अध्यक्ष महोदय, अभी तक किसी ने भी उत्तर-पूर्वांचल को लेकर बात नहीं रखी है। मैं पहला व्यक्ति हूं, जो यह कह रहा है कि उत्तर-पूर्वांचल के राज्यों को आर्टिकल 371 ए,बी,सी,एफ और जी के तहत स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। यह बिल उन सारे प्रोविजन्स का उल्लंघन करता है। यह असम एकार्ड का उल्लघंन करता है। पूरे तरीके से डिस्टैबिलाइज़ करता है।…(व्यवधान) इसलिए, हम इसके विरोध में हैं।…(व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I am opposing the Parliament's legislative competence to address and pass this Bill because it is an assault on the foundational values of our Republic. The nationalist movement did not divide on ideological grounds or on regional grounds or on geographical grounds or on linguistic grounds. It divided on one simple principle: should religion be the determinant of our nationhood. The fact is, those who said

religion should determinate the nationhood, they formed Pakistan. That was the idea of Pakistan.

Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Dr. Ambedkar, Maula Azad, they all said, religion cannot determinate the nationhood. Our nation is land for everybody. That is why, this is violative of the fundamental structure of the Constitution of India. It betrays the Preamble, on which I have given you a notice. Preamble constitutes an integral part of the basic structure. That is violated. It violates Article 14, as others have pointed out, which applies to all persons not just citizens. …(*Interruptions*) Finally, it enshrines discrimination against the values of our Constitution. I, therefore, believe, we do not have the competence to discuss this Bill. It should not be brought forward and introduced.

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : महोदय, मैं सिर्फ चार पाइंट्स पर आपकी तवज्जो चाहता हूं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा।

माननीय अध्यक्ष : आप डिबेट पर 40 पाइंट्स बोलिएगा।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : महोदय, आपने क्या कहा है, मैं सुन नहीं पाया हूं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप डिबेट पर 40 पाइंट्स बोलिएगा, मैं आपको पूरा समय दूंगा।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : महोदय, 40 का वक्त नहीं है, सिर्फ 4 पर ही बोलूंगा।…(व्यवधान) ये जवाब नहीं दे पाएंगे।…(व्यवधान) महोदय, पहली बात यह है कि सेकुलरिज्म इस मुल्क के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। केशवानंद भारती में कहा गया है, आर्टिकल 14 में कहा गया है। दूसरा, हम इस एक्ट की इसलिए मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि यह फंडामेंटल राइट्स को वाइलेट करता है, आर्बिट्री इन नेचर है। शायरा बानो और नवतेज जोहर का जिक्र है। तीसरा, बोम्मई और केशवानंद भारती है। चौथा, हमारे मुल्क में सिटिजनशिप का कान्सेप्ट सिंगल है। आप इस बिल को लाकर सर्वानंद सोनोवाल सुप्रीम कोर्ट केस का वायलेशन कर रहे हैं। पांचवा, हमने चकमा को…(व्यवधान) यह सुप्रीम कोर्ट का केस है।…(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट का केस है कि चकमा केस में, चकमा को अरुणाचल प्रदेश में रहने की इजाज़त है, बगैर आई.एल. परमिट के। आखिरी पाइंट है, मैं आपसे हाथ जोड़कर यह अपील कर रहा हूं कि इस मुल्क को ऐसे कानून से बचा लीजिए और आप होम मिनिस्टर जी को भी बचा लीजिए।…(व्यवधान) वरना क्या होगा कि न्यूरेमबर्ग रेस लॉज़ और इजराइल के सिटिजनशिप एक्ट में *… (Not recorded)* के साथ लिखा जाएगा। आप हाउस को बचाइए।…(व्यवधान)

جناب اسدالدین اویسی (حیدرآباد): **محترم چیرمین صاحب، 40 کا وقت نہیں ہے، صرف 4 پر ہی بولوں گا (مداخلت)۔ یہ جواب نہیں دے پائیں گے (مداخلت) جناب، پہلی بات یہ ہے کہ سیکولرزم اس ملک کے بیسِک اسٹرکچر کا حصہ ہے۔ کیشوآنند بھارتی میں کہا گیا ہے، آرٹیکل 14 میں کہا گیا ہے۔ دوسرا اس ایکٹ کی ہم اس لئے مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ یہ فنڈا مینٹل رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہے، آربِٹری اِن نیچر ہے۔ سائرہ بانوں اور نو تیج جوہر کو ذکر ہے۔ تیرس بوممئی اور کیشوآنند بھارتی ہیں۔ چوتھا ہمارے ملک میں سیٹیزن شِپ کا کنسیپٹ سِنگل ہے۔ آپ اس بل کو لا کر سروانند سونو وال سپریم کورٹ کیس کا وائلیشن کر رہے ہیں۔ پانچواں ہم نے چکما کو (مداخلت)۔۔۔ یہ سپریم کورٹ کا کیس ہے۔ (مداخلت)۔۔ سپریم کورٹ کا کیس ہے کہ چکما کیس میں چکما کو اروناچل پردیش میں رہنے کی اجازت ہے، بغیر آئی۔ایل۔، پرمِٹ کے۔ آخری پوائنٹ ہے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اس ملک کو ایسے قانون سے بچا لیجیئے اور آپ ہوم منسٹر صاحب کو بھی بچا لیجیئے (مداخلت)۔۔ ورنہ کیا ہوگا کہ نیو ریمبرگ ریس لاز اور اسرائیل کے سیٹیزن شِپ ایکٹ میں (کاروائی میں شامل نہیں) کے ساتھ لکھا جائے گا۔ آپ اس ایوان کو بچائیے۔ (مداخلت)۔۔۔**

(1255/GG/UB)

माननीय अध्यक्ष: इसे रिकार्ड से निकाल दिया जाए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि संसदीय भाषा का प्रयोग करें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करें जो असंसदीय हो।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ऐसी भाषा को कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री एस.एस. अहलूवालिया जी बोलिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हाँ निकाल देंगे।

…(व्यवधान)

श्री एस. एस. अहलुवालिया (बर्धमान-दुर्गापुर): अध्यक्ष महोदय, …(व्यवधान) अरे बैठो ना। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अभी सिटीजनशिप बिल, 2019 का प्रस्ताव माननीय गृह मंत्री जी ने इंट्रोड्यूज करने के लिए रखा है और हमारे विद्वान साथी अधीर रंजन जी ने इसका विरोध करते हुए …(व्यवधान) इसका अपोज़ किया है। …(व्यवधान) मैं आर्टिकल - 5, 10, 14, 25 और अर्टिकल – 26 के बारे में बोल रहा हूँ। …(व्यवधान) महोदय, जो कि मेरे ऊपर भी लागू होता है। …(व्यवधान)

मैं एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य हूँ। …(व्यवधान) जो मेरे ऊपर भी लागू होता है। …(व्यवधान) मुझे यह बोलने का पूर्ण अधिकार है। …(व्यवधान) मैं आर्टिकल - 5 के बारे में कहना चाहता हूँ कि नागरिकता का यह विधेयक किस पर लागू होगा। …(व्यवधान) इसमें आर्टिकल – 5 का उल्लेख करते हुए जब इन्होंने बात रखी है कि "At the commencement of the Constitution, every person who has his domicile in the territory of India" …(व्यवधान) यह उनके लिए लागू होता है। …(व्यवधान) किंतु आर्टिकल – 10, जिसके प्रावधान को ही संशोधन करने के लिए गृह मंत्री ने यहां पर एक बिल इंट्रोड्यूज़ करने की कोशिश है, वह है आर्टिकल – 10 …(व्यवधान) "Every person who is or who is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this Part shall, subject to the provisions of any law that may be made by Parliament…" …(व्यवधान) जब तक यह पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूज़ नहीं होगा, तो इसका प्रावधान कहां से आएगा? …(व्यवधान) यह पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूज़ होना चाहिए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्री जी, बोलिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज़ दादा बैठ जाइए। नोटिस दिया करो।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: गृह मंत्री जी, बोलिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए। माननीय गृह मंत्री जी बोलेंगे।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : भैया, आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनिए। एक मिनट गृह मंत्री जी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन में इतना जोश मत खाया करो। मैंने अहलूवालिया जी को परमिशन दी है और सुनो।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हाँ एक कानून मैं आपको बताऊं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज़ बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं कई बार सदस्यों को, वरिष्ठ सदस्यों को जब कानून की डिबेट होती है।

…(व्यवधान)

(1300/KN/KMR)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, आप मुझे भी बोलने नहीं देंगे क्या? प्लीज बैठ जाइये।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आप सब को बोलने का अवसर देता हूँ। मैंने कभी भी आपके अवसर को समाप्त नहीं किया। क्या मैंने कभी इसे समाप्त किया है?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं सर।

माननीय अध्यक्ष : मैं सब को पर्याप्त अवसर देता हूँ। किसको अवसर देना है, किसको अवसर नहीं देना है, कुछ चीजें मुझे तय करने दिया करो। माननीय सदस्य, आप जोश में बोल रहे हो। आपको भी कई बार नोटिस दिए बिना भी मैं बोलने का मौका देता हूं। नियमों से परे भी मौका देता हूं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इस विषय पर बोलें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप भी बोलना।

…(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं यह बिल पुर:स्थापित करने के लिए खड़ा हुआ, सदन के बहुत सारे लोगों ने नियम 72(1) का उल्लेख करते हुए सदन की कम्पीटेंसी के बारे में सवाल उठाया। कम्पीटेंसी इस दृष्टि से कि यह बिल संविधान के कई आर्टिकल्स की मूल भावना को आहत करता है। इसलिए इस बिल पर सदन चर्चा न करे। इस बिल को पुर:स्थापित न किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मै सबसे पहले आपके माध्यम से पूरे सदन को और सदन के सदस्यों के माध्यम से पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यह बिल संविधान के किसी भी आर्टिकल को कंट्राडिक्ट नहीं करता है।…(व्यवधान) आप सुनें ना।…(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह ठीक नहीं है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कल्याण जी, बैठिये।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह : बैठ जाओ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सिर्फ माननीय गृह मंत्री जी का भाषण रिकार्ड में अंकित हो।

…(व्यवधान)*… (Not recorded)*

श्री अमित शाह : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से एक बार सदन के सभी सदस्यों को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस बिल का मैं पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव लेकर आया हूँ, वह बिल किसी भी तरह से, किसी भी दृष्टिकोण से संविधान के किसी भी आर्टिकल को आहत नहीं करता है। सबसे पहले अनुच्छेद 11 की बात करें। मेरा सबसे आग्रह है कि अनुच्छेद 11 को पूरा पढ़ लें। मैं अनुच्छेद 11 का उपबंध पढ़ना चाहता हूँ-

> "इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई भी बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी।" …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी का वक्तव्य अंकित नहीं होगा।

…(व्यवधान)… *(Not recorded)*

श्री अमित शाह : अध्यक्ष जी, इस तरह से नहीं होगा। मैं सब का जवाब दे रहा हूं। मान्यवर, मेनली सभी ने आर्टिकल 14 का उल्लेख किया है कि आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है।

(1305/RV/RSG)

अध्यक्ष जी, मैं सदन के सामने थोड़ा आर्टिकल-14 को पढ़ना चाहता हूं: -

"राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।"

यह है आर्टिकल-14.

मान्यवर, मैं जो बिल लेकर आया हूं, इसमें कुछ सदस्यों को लगता है कि समानता का अधिकार इससे आहत हो गया है, परन्तु मैं सबके सामने मेरी एक बात रखना चाहता हूं कि आर्टिकल-14 रिजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर कानून बनाने से रोक नहीं सकता।…(व्यवधान) एकदम जवाब मत दीजिएगा, मुझे ध्यान से सुनिएगा।

मान्यवर, ऐसा नहीं है कि पहली बार नागरिकता के लिए कोई सरकार निर्णय कर रही है। वर्ष 1971 में श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने एक निर्णय किया कि बांग्लादेश से जितने भी लोग आए हैं, सारे लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए कि फिर पाकिस्तान से आए हुए लोगों को इसमें क्यों नहीं लिया?…(व्यवधान) आप बैठिए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, यह ठीक नहीं है।…(व्यवधान) मैं बताता हूं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, उस वक्त के लिए मेरा छोटा-सा सवाल है कि जब आर्टिकल-14 ही था तो फिर सिर्फ बांग्लादेश क्यों? अभी अधीर रंजन चौधरी खड़े हो गए। उनका गुस्सा होना स्वाभाविक भी है। मैं उनका गुस्सा होना समझ रहा हूं और गुस्से का कारण भी समझ रहा हूं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, ये कह रहे हैं कि यह तो बांग्लादेश से आए हुए लोगों के लिए था, तो यह भी बांग्लादेश से आए हुए लोगों के लिए भी है और नरसंहार रुका नहीं है। वर्ष 1971 के बाद भी वहां अल्पसंख्यकों को चुन-चुन कर प्रताड़ित करने की घटना हुई है। मैं जब बिल का जवाब दूंगा तो बताऊंगा।…(व्यवधान) मैं बिल पर ही बोल रहा हूं, आर्टिकल-14 पर ही बोल रहा हूं।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, यह भाषण हो रहा है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपने भी भाषण दिया था।

श्री अमित शाह: भाषण तो होगा ही।…(व्यवधान)

मान्यवर, उसके बाद युगांडा से आए हुए सारे लोगों को, इस देश में, काँग्रेस के शासन में ही शरण दी गई, नागरिकता दी गई। क्यों युगांडा से आए हुए लोगों को दिया, इंगलैंड से आए हुए लोगों को क्यों नहीं दिया? सबको देने चाहिए थे, क्योंकि एक विशिष्ट रिजनेबल क्लासिफिकेशन के ग्राउण्ड पर युगांडा वालों को दिया गया था।

दंडकारण्य कानून लेकर आए। तब भी सबको नागरिकता दी। उस वक्त भी, वर्ष 1959 में क्यों सिर्फ बांग्लादेश को किया, क्योंकि रिजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर यह किया गया।

मान्यवर, श्रीमान् राजीव गाँधी जी ने असम अकॉर्ड किया। फिर से वर्ष 1971 तक के सभी लोगों को स्वीकार कर लिया। वर्ष 1971 के बाद के लोगों को क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि एक कट-ऑफ डेट नक्की थी, तो क्या वहां आर्टिकल-14 अप्लाई नहीं होता था? पूरी दुनिया से आए हुए लोगों को वर्ष 1971 से ले लेते?

मान्यवर, ऐसे समानता के अधिकार के कानून दुनिया भर के संविधान के अन्दर हैं। मैं ढेरों संविधान को क्वोट कर सकता हूं। एक नागरिक यहां से वहां जाकर सिटीजनशिप ले ले। वे ग्रीन कार्ड देते हैं। वे इसे किसके आधार पर देते हैं? जो ज्यादा निवेश करेगा, जो रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा, उसे देते हैं। क्या इससे समानता विकसित होती है? यह नहीं होती है। यह एक रिजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर होता है। ऐसे कई सारे कानून हैं। इसे छोड़ दीजिए।

मैं अभी बोलूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मगर समानता का, आर्टिकल-14 का, मेरे विपक्ष के सदस्य मित्र जैसा इंटरप्रिटेशन करते हैं, अगर वैसा ही इंटरप्रिटेशन समानता के कानून का करना है तो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार कैसे होंगे, मुझे यह बताइए।...(व्यवधान) समानता का कानून वहां एप्लाई क्यों नहीं होता है? उनके एजुकेशन, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो अधिकार मिले हैं, क्या वह आर्टिकल-14 को वॉयलेट करता है? ...(व्यवधान)

(1310/NK/RK)

...(व्यवधान) दादा आप बैठ जाइए। आपको मुझे सुनना पड़ेगा।...(व्यवधान) आप बैठ जाइए। मैं आपको एक-एक चीज का जवाब देता हूं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्लीज बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ऐसे नहीं रोक सकते, इस सरकार को पांच साल के लिए चुना गया है। आपको हमें सुनना पड़ेगा। इस तरह से नहीं चलेगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): अध्यक्ष जी, पांच वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था कितनी गिरी है, वह भी इनको देखना पड़ेगा। इस सबको हमें भी देखना पड़ेगा। आपके टाइम में यही सब देखना होगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं सभी सदस्यों को चुप करा रहा था। अगर इस सदन को चलाना है और गंभीरता से चलाना है, सवाल करेंगे तो जवाब भी सुनना चाहिए। मैं आपको डिबेट के समय पर्याप्त समय दूंगा, यह आपको बताया है। गृह मंत्री जी के भाषण के बीच में कोई भी माननीय सदस्य न उठे, न ही उनका भाषण अंकित होगा।

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, रिजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर इस देश में आर्टिकल 14 के रहते ढ़ेर सारे कानून बने हैं। इस कानून को लाने के लिए रिजनेबल क्लासिफिकेशन

का क्या आधार है, वह मुझे बताना चाहिए। मैं जब बिल पॉयलट कर रहा हूं, बिल लेकर आया हूं तो मेरा दायित्व है कि मैं सदन के सामने रिजनेबल क्लासिफिकेशन का आधार रखूं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): माननीय अध्यक्ष जी, इस बिल के अंदर भारत की जमीनी सीमाओं से सटे हुए तीन देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान है। …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): क्यों, नेपाल नहीं है?

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं नेपाल का भी जवाब दूंगा, लेकिन जब बिल चर्चा में आएगा तब सभी का जवाब दूंगा। …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अभी आप जिक्र करना बंद कीजिए, हम भी चुप रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए। मैं सदन के नेता से आग्रह करूंगा कि आप अपनी गरिमा बनाए रखें, अपनी सीट पर से न उठे, अच्छा नहीं लगता है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदय, ये मौका देते हैं इसलिए उठता हूं।

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): अध्यक्ष जी, मंत्री जी अगर ठीक बोलेंगे तो हम भी सुनेंगे। मंत्री जी अगर लक्ष्मण रेखा क्रास कर जाएंगे तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे, …(व्यवधान) हम लोग अपोज करने के लिए आए हैं और अपोज करके रहेंगे। आप पांच वर्ष मिनिस्टर रहेंगे और हम लोग पांच वर्ष तक अपोज करेंगे। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: दादा, आज आप जोश में क्यों हो, आपका संदेश वहां तक पहुंच गया है।

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिजनेबल क्लासिफिकेशन के ग्राउंड पर था। रिजनेबल क्लासिफिकेशन का ग्राउंड क्या है? इस बिल के प्रस्ताव को संशोधन लेकर आया हूं, उसमें भारत की जमीनी सीमाओं से सटे हुए तीन देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान है।

(1315/SK/RC)

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: सभी सदस्य कह रहे हैं कि भारत की 106 किलोमीटर जमीनी सीमा अफगानिस्तान से सटी हुई है।…(व्यवधान) मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, उकसाने से कुछ नहीं होगा। …(व्यवधान) रिकॉर्ड की बात है। …(व्यवधान) मैं इस देश के भूगोल को जानता हूं। …(व्यवधान) मैं यहीं का हूं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैं रिपीट करना चाहता हूं, इस देश की 106 किलोमीटर की जमीनी सरहद अफगानिस्तान से सटी है।...(व्यवधान) शायद ये लोग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं।...(व्यवधान)

मैं सभी सदस्यों से आपके माध्यम से विनती करता हूं कि क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन को धैर्य से सुनें, सिर्फ भौगोलिक आधार नहीं है।...(व्यवधान) इसमें बहुत सी चीजें हैं।...(व्यवधान)

महोदय, तीन देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। हमें तीनों देश के संविधान को बारीकी से देखना पड़ेगा, अगर इस बिल के तथ्यों को समझना है। ...(व्यवधान) अखिलेश जी, जल्दी समझ में नहीं आएगा। ...(व्यवधान)

मान्यवर, अफगानिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के संविधान के अनुच्छेद में पवित्र धर्म इस्लाम रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का धर्म है, मतलब स्टेट का एक धर्म है। पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के संविधान का अनुच्छेद 2 देखिए, इसमें प्रावधान है – पाकिस्तान राज्य का धर्म इस्लाम होगा। बांग्लादेश के संविधान के अनुच्छेद 2क में रिपब्लिक राज्य बांग्लादेश का धर्म इस्लाम है। ...(व्यवधान) मैं तीनों पड़ोसी देशों के धर्म का जिक्र कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिए, बहुत हो गया।

...(व्यवधान)

(1320/MK/SNB)

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैं फिर से यह स्पष्ट कर दूं कि अभी मैं बिल पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं बिल की कांपिटेंसी को समझा रहा हूं। अपने वक्तव्य के अंदर दयानिधि मारन जी श्रीलंका के बारे में पूछेंगे तो जरूर जवाब दूंगा। मगर, मैं अभी बिल की वैधानिक कांपिटेंसी के बारे में कह रहा हूं। ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया के जिन देशों के बारे में पूछना है, पूछ लीजिएगा। ...(व्यवधान) मैं सबका जवाब दूंगा।

माननीय अध्यक्ष: आप सभी बैठ जाइए।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री अमित शाह: मान्यवर, ये जो तीन देश हैं, इन तीनों देश के संविधान के अंदर राज्य के धर्म का जिक्र है। पार्टिशन के वक्त शरणार्थियों का यहां से वहां जाना और वहां से यहां आना हुआ। वर्ष 1950 में नेहरू-लियाकत समझौता हुआ। मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। मगर, नेहरू-लियाकत समझौते में, उस समय पूर्व और पश्चिम दोनों पाकिस्तान और भारत के बीच में एक समझौता हुआ। इसमें दोनों देशों ने अपने यहां मॉइनोरिटी के संरक्षण की व्यवस्था की गारंटी दी। दुर्भाग्य से, यहां पर इसका अनुपालन ठीक ढंग से हुआ, लेकिन इन तीनों देशों में मॉइनोरिटी पर, मैं जब बिल पर आऊंगा तब बताऊंगा, बहुत अत्याचार हुए। वे अत्याचार के मारे, धार्मिक प्रताड़ना के कारण हिन्दू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी प्लीज।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री अमित शाह: एक मिनट, मेरे शब्द को मत पकड़िए। दानिश अली जी, क्या आप कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में मुसलमान पर अत्यचार होगा, बांग्लादेश में मुसलमान पर अत्याचार होगा, कभी नहीं हो सकता।...(व्यवधान) मान्यवर, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट माननीय सदस्य।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: इतने अधीर मत होइए अधीर रंजन जी। बैठ जाइए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वे बोल रहे हैं, एक मिनट ।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैं सारी चीजों का जवाब दूंगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्लीज।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्यवर, इन तीनों राष्ट्रों के अंदर हिन्दू, बुद्ध, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इन छ: मत के धर्म का पालन करने वालों के साथ धार्मिक प्रताड़ना हुई है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज, आप सभी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैं जो बिल लेकर आया हूं, वह पॉजिटिव डायरेक्शन के आधार पर धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को शरण में लेकर नागरिकता देने का बिल है। यह भी कहा गया कि मुस्लिमों के अधिकार ले लिए गए, इस बिल ने किसी मुस्लिम के अधिकार नहीं लिए। हमारे एक्ट के मुताबिक कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है। बहुत सारे लोगों को नागरिकता दी गई है और भविष्य में भी बहुत सारे लोगों को नागरिकता मिलेगी। नियमों के अनुसार एप्लीकेशन देंगे तो सबको मिलेगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट प्लीज, माननीय मंत्री जी आप इनका जवाब मत दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्वयर, अब ये इतना बोल रहे हैं तो मैं कह दूं कि इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी है? ...(व्यवधान) जब देश को आजादी मिली, तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो इस बिल की जरूरत न पड़ती। ...(व्यवधान) किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? ...(व्यवधान) इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है, हमने नहीं किया है। ...(व्यवधान) मान्यवर, इनको सुनना पड़ेगा । यह इतिहास है, इसको सुनना पड़ेगा।...(व्यवधान)

(1325/RPS/RU)

मान्यवर, इस देश का विभाजन हुआ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी, आपका भाषण अंकित हो रहा है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी ।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्यवर, उनको सुनना पड़ेगा। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप लोग बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज, आप लोग बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, इन तीनों राष्ट्रों के अंदर, धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर जिन छ: धर्म समुदाय, जिनका मैंने नाम कहा है, वे लोग भारत में आए हैं, उन लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए प्रस्ताव है। This is reasonable ground for classification. इस रीजनेबल ग्राउण्ड ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर आर्टिकल 14 को यह बिल आहत नहीं करता है। …(व्यवधान)

मान्यवर, मैं फिर से एक बार कहता हूं कि इन तीन राष्ट्रों से अगर कोई मुसलमान, मुस्लिम सज्जन हमारे कानून के आधार पर एप्लीकेशन देता है तो यह देश खुले मन से उस पर विचार करेगा, परन्तु लोगों को यह जो प्रावधान होने जा रहा है, उसका फायदा इसलिए नहीं मिल सकता है क्योंकि उनके साथ धार्मिक प्रताड़ना नहीं हुई है। इस निश्चित क्लासिफिकेशन के आधार पर हम यह बिल लेकर आए हैं। …(व्यवधान)

मान्यवर, आर्टिकल 371 का जिक्र हुआ है। …(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 371 के किसी भी प्रॉविजन को यह बिल वायलेट नहीं करेगा, आहत नहीं करेगा, वह जस का तस रहेगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जितने भी आर्टिकल्स कोट किए गए है, उन सभी आर्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए ही इस बिल को ड्राफ्ट किया गया है और मैं मानता हूं कि यह बिल इस सदन की कम्पिटेंसी की परव्यू के अंदर आता है, इसलिए इस पर चर्चा की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि नागरिकता अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, हम इस पर डिवीजन चाहते हैं।…(व्यवधान)

1329 बजे

माननीय अध्यक्ष : प्रवेश-कक्ष खाली कर दिए जाएं।

(1330/IND/NKL)

अब प्रवेश कक्ष खाली हो गए हैं।

महासचिव।

स्वचालित मतदान रिकार्डिंग प्रणाली के बारे में घोषणा

महासचिव, लोक सभा : माननीय सदस्यों का ध्यान स्वचालित मतदान रिकार्डिंग प्रणाली के संचालन से संबंधित विधि की ओर आकृष्ट किया जाता है। मतदान आरम्भ होने से पूर्व प्रत्येक माननीय सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए और उस स्थान से ही प्रणाली का संचालन करना चाहिए। जब माननीय अध्यक्ष 'अब मतदान' बोलेंगे, तब मैं, महासचिव मतदान बटन को एक्टिवेट करूंगी, जिसके पश्चात् माननीय अध्यक्ष के आसन के दोनों ओर डिसप्ले बोर्डों के ऊपर लाल बटन जलेंगे और इसके साथ-साथ गोंग की ध्वनि भी सुनाई देगी। मतदान के लिए माननीय सदस्य केवल गोंग की ध्वनि के पश्चात् ही दो बटन एक साथ दबाएंगे।

इस बात को मैं पुन: दोहराना चाहूंगी कि केवल गोंग की साउंड के बाद ही दोनों बटन दबाए जाएं। प्रत्येक माननीय सदस्य के सामने हेड फोन प्लेट पर लगा वोट बटन और सीट की डेस्क के सबसे ऊपर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन यदि आप 'हाँ' कहना चाहते हैं तो 'हरे' रंग का बटन दबाएंगे और यदि 'नहीं' कहना चाहते हैं, तो 'लाल' रंग का बटन और यदि मतदान में भाग नहीं लेना चाहते हैं तो 'पीले' रंग का बटन दबाएंगे। गोंग की ध्वनि दूसरी बार सुनाई देने तक, मैं यह भी बता दूं कि पहली ध्वनि और दूसरी ध्वनि के बीच में दस सैकेंड का अंतर होता है और इन दस सैकेंड के लिए आपको दोनों बटन दबाकर रखने हैं और प्लाजमा डिसप्ले के ऊपर लगे लाल बल्ब भी उसी के साथ बुझते हैं। तब तक दोनों बटनों को दबाए रखना अनिवार्य है।

माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि उनके मत दर्ज नहीं होंगे, यदि गोंग की ध्वनि सुनने से पहले उन्होंने बटन दबा दिया हो।

(1335/ASA/KSP)

दूसरी गौंग ध्वनि सुनाई देने तक दोनों बटन लगातार दबाकर नहीं रखे गए हों। माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष के आसन के दोनों तरफ स्थापित डिसप्ले बोर्डों पर अपना मत देख सकते हैं। मत रजिस्टर नहीं होने की दशा में वे पर्ची के माध्यम से भी मतदान कर सकते हैं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : मैं एक सूचना देना चाहता हूं। श्री प्रिंस राज, जिन्हें अभी मत-विभाजन संख्या आबंटित नहीं हुई है, उनको सीट पर पक्ष-विपक्ष में मुद्रित पर्ची अपना मतदान रिकार्ड कराने के लिए दी जाएगी। वे पर्ची पर विनिर्दिष्ट स्थान पर अपना नाम, पहचान, पत्र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य, दिनांक को स्पष्ट लिखकर और पर्ची पर हस्ताक्षर करके अपनी इच्छानुसार मतदान करें। यदि माननीय सदस्य मतदान में भाग नहीं लेना रिकार्ड करना चाहते हैं तो मतदान में भाग नहीं लेने वाली पर्ची की मांग कर सकते हैं।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि नागरिकता अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:

माननीय अध्यक्ष : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम यह है:

पक्ष	293
विपक्ष	82

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

(1340/RAJ/SRG)

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : लॉबीज खोल दी जाएं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 17, डॉ. जयशंकर जी।

ANTI-MARITIME PIRACY BILL

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to make special provisions for repression of piracy on high seas and to provide for punishment for the offence of piracy and for matters connected therewith on incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि खुले समुद्र में जलदस्युता के दमन के लिए विशेष उपबंध करने के लिए और जलदस्युता के अपराध के लिए दंड और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

डॉ. शशि थरूर जी, क्या आप बोलना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Yes, Sir. I oppose the introduction of the Bill. …(*Interruptions*). The basic issue is that the Supreme Court has ruled that death penalty can only be in the rarest of rare cases, whereas this Bill has an automatic provision for death penalty to be applied.

Secondly, you are putting the country in a situation where it will be impossible for us to get the cooperation of foreign countries because of the automaticity implicit here. Therefore, we need a Bill which does not involve the violation of the constitutional principle of not having the death penalty. There is the issue. I, therefore, oppose the Bill.

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: Sir, through you, I would like the hon. Member to recognize that the Bill actually does not have an automatic death penalty. Article 3 of the Bill says that whoever commits any act of piracy, shall be punished with imprisonment for life or with death, if such a person is in the committing act of piracy, causes death or attempt thereof. So, it is factually incorrect to say that there is automatic death penalty. So, I would urge the hon. Member not to see a rigidity that is not there in the Bill.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि खुले समुद्र में जलदस्युता के दमन के लिए विशेष उपबंध करने के लिए और जलदस्युता के अपराध के लिए दंड और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: Sir, I introduce the Bill.

विशेष उल्लेख

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदय, रानी झांसी रोड में पिछले दिनों जो आग लगने की घटना हुई, यह काफी हृदय विदारक है। कोई बड़ी घटना होती है तो उससे लोग सिखते भी हैं कि आगे उसकी पुनरावृति न हो, लेकिन उसको ध्यान में नहीं रखा और यह अग्निकांड हो गया। हम समझते हैं कि इसमें जितने लोग मरे हैं, उनमें से एक-दो लोगों को छोड़ कर सभी लोग बिहार के ही हैं। सहरसा जिले से आठ व्यक्ति झुलस कर मर गए, समस्तीपुर जिले से नौ व्यक्ति जल कर मर गए, मुजफ्फरपुर जिले से तीन व्यक्ति जल कर मर गए, बेगुसराय जिले से एक व्यक्ति जल कर मर गया, सीतामढ़ी से पांच व्यक्ति जल कर मर गए, मधुबनी से एक व्यक्ति जल कर मर गया और अररिया से एक व्यक्ति जल कर मर गया।

अध्यक्ष महोदय, उसमें बिहार के 25 लोगों की मृत्यु हो गई है और कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं, तो उनकी संख्या बढ़ सकती है। यह हादसा जिस तरह से हुआ है, अगर सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो उसकी बिल्कुल अनदेखी की गई। वे सभी गरीब परिवार के लोग हैं। बिहार में गरीबी है, इसीलिए लोग दिल्ली में रोजगार के लिए आते हैं, ताकि वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें। लोग लाचार हो कर वहां से यहां आते हैं।

दिल्ली सरकार ने भी मुआवजे का प्रावधान किया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी सहायता की घोषणा की है। बिहार के मुख्य मंत्री, श्री नीतीश कुमार जी ने भी दो-दो लाख रुपये इन सभी के परिवार वालों को देने की घोषणा की है। मेरा आपसे आग्रह है कि जितने लोग घायल हैं, उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

(1345/VB/KKD)

इस घटना में जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, उनको अपने-अपने जिले में भेजने की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग गरीब हैं। मुआवज़े की जो व्यवस्था की गई है, वह कम है। मुआवज़े के रूप में कम से कम 25 लाख रुपए सभी मृतक के परिवारों को दिए जाएँ। कोई ठोस व्यवस्था की जाए, ताकि इस तरह की घटना पुन: न हो, यह माँग मैं आपके माध्यम से सरकार से करता हूँ।

अंत में, मैं मृतक के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आसन के माध्यम से भी मृतक लोगों के परिवारों में भी संवेदना चली जाए, तो यह बहुत बड़ी बात होगी।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो घटना हुई है, वह सचमुच बहुत ही दर्दनाक है। बड़ी संख्या में लोग बिहार से बाहर काम करने के लिए आते हैं। इस घटनाक्रम में जिस प्रकार से लोगों की दर्दनाक मृत्यु हुई है, उसके लिए एक विशेष जाँच बिठाई जाए। इस घटना पर हमें दु:ख है। जितने गरीब लोगों की मृत्यु इसमें हुई है, उनके परिवार को राहत पहुँचे, इसकी जाँच बैठे और जाँच का प्रतिवेदन देश के समक्ष आए, ताकि फैक्ट्रियों या गोदामों में काम करने वाले लोगों को आने वाले दिनों में राहत मिल सके। सरकार इसमें पहल करे और इसकी पूरी तरह से जाँच कराई जाए।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि केन्द्र के स्तर से एक जाँच की जाए और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, सहायता की राशि के रूप में कम से कम पच्चीस-पच्चीस लाख रुपए उन परिवारों को दिए जाएँ।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Hon. Speaker, Sir, the devastating blaze at Delhi's Anaj Mandi in a 4-storey building housing illegal manufacturing units causing loss of lives of more 43 people, is yet another incident of lack of safety norms and irresponsible enforcement of provisions towards ensuring safety of factory workers.

Sir, this is the second worst fire in the Capital City of Delhi that caused numerous deaths, which throws light into the absolute lack of regulation for safety of the workers and occupants of the building.

The major tragedy, in recent times, was in 1997 when Uphar Cinema Theatre fire killed 59 people. Along with that in February, 2019, 17 people were killed by a fire in a 6-storey hotel in the City in their illegal roof top kitchen.

Sir, this has been happening regularly in the Capital City of the country. This incident shows that there is absolutely no enforcement of safety system whereas the Delhi Government and the Central Government are engaged in the blame game.

I would, therefore, request that the victims of the factory fire must be given adequate compensation. Also, building and shop owners, who had flouted norms, must be prosecuted along with concerned Government officials, who failed to effectively enforce the safety provisions

Sir, the hon. Home Minister is sitting here. Let him respond.

माननीय अध्यक्ष: शून्यकाल में जवाब नहीं दिया जाता है।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, this has happened in the Capital City of Delhi. The hon. Home Minister must respond.

श्री सुनील कुमार पिंटू (सीतामढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल रविवार, दिनांक 8.12.2019 को दिल्ली के रानी झांसी रोड पर स्थित अनाज मण्डी के रिहाइशी इलाके में एक अवैध फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड में लगभग 45 मजदूरों की मृत्यु हो गई। इस घटना में घायल हुए 25 लोग अभी भी जीवन और मौत से अस्पताल में जूझ रहे हैं।

यह अग्निकांड पूर्णत: लापरवाही और नियमों की अनदेखी के कारण घटित हुआ है। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि ज्यादातर मजदूर लोग, जो इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, वे बिहार के रहने वाले थे। इन लोगों के परिवार में अन्य कोई व्यक्ति कमाने वाला नहीं है। राज्य सरकार एवं

अन्य संस्थाओं ने थोड़ी-बहुत मुआवजे की घोषणा की है। मेरे नेता माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी सभी पीड़ित परिवारों को दो-दो लाख रुपए देने की घोषणा की है।

महोदय, यह देखा जा रहा है कि देश भर में, जिस प्रकार से अवैध फैक्ट्रियों में लगातार घटनाएँ घटित होती जा रही हैं, वे पूर्ण रूप से लापरवाही और नियमों को सही ढंग से पालन नहीं करने के कारण होती हैं।

(1350/SPS/RP)

आकस्मिक आग से निपटने का कानून तो है, परंतु उसका पालन सही रूप से नहीं किया जा रहा है, जिसका खामियाजा गरीब, मजदूर एवं कार्यरत कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष: श्री गोपाल जी ठाकुर को श्री सुनील कुमार पिंटू द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष जी, अभी जो दिल्ली का विषय जीरो आवर में आया था, उस पर माननीय गृह मंत्री जी सदन में कल वक्तव्य देने वाले हैं।

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1350 बजे

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा, जो निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गए हैं, शेष को व्यपगत माना जाएगा।

Re: Need to include Sanskrit education under Sarva Shiksha Abhiyan

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा):अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि संस्कृत शिक्षा को सर्व शिक्षा अभियान के तहत जोड़कर बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में इसे लागू किया जाये।

महोदय, इससे संस्कृत शिक्षा के स्तर में सुधार होगा यथा भवनहीन संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालयों में चल रहे पठन-पाठन के कार्यों में गुणात्मक सुधार होगा तथा ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों में संस्कृत शिक्षा में अभिरूचि पैदा होगी क्योंकि संस्कृत भाषा ही अन्य भारतीय भाषाओं की जननी है।

(इति)

Re: Need to set up a Potato Development Board

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद): फर्रुखाबाद के आसपास के जनपदों में एशिया का सर्वाधिक आलू उत्पादन होता है। आलू ही ऐसी सब्जी है जो 365 दिनों तक पूरे देश में सब्जी के रूप में उपयोग होता है। यदि आलू का उत्पादन कम हो जाये तो पूरे देश में अन्य सभी सब्जियों के दाम आसमान छू जाते हैं।

महोदय, जहां किसान पूरे देश को आलू सब्जी खिलाता है और अन्य सब्जियों के दाम भी नियंत्रित करता है वहीं आलू किसानों को उत्पादन का लाभकारी मूल्य न मिल पाने के कारण खून के आंसू रोना पड़ता है।

अतः आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जिस प्रकार केरल में मसाला बोर्ड की स्थापना करके मसाला उत्पादक किसानों की दशा में सुधार हुआ है इसी प्रकार जूट बोर्ड, टी-बोर्ड आदि की तरह राष्ट्रीय आलू विकास बोर्ड की स्थापना भी कराई जाये जिससे आलू किसानों की आर्थिक स्थिति को ठीक किया जा सके।

(इति)

Re: Need to construct compound wall in government schools in Rewa parliamentary constituency, Madhya Pradesh

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा):: मेरे संसदीय क्षेत्र के कई शासकीय विद्यालयों में चारदीवारी न होने के कारण सुरक्षा का खतरा रहता है। विद्यालय में कई असामाजिक प्रवृति के लोग प्रवेश करते हैं जिनसे छात्र-छात्राएं असुरक्षित रहते हैं। आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जिन विद्यालयों में चारदीवारी नहीं है उनमें चारदीवारी कराने में मदद करने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to introduce daily train service from Prayagraj in Uttar Pradesh to Pune and Bengaluru

श्रीमती केसरी देवी पटेल (फूलपुर): अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान जनपद प्रयागराज, उ0प्र0 की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं, महोदय जनपद प्रयायराज उ0प्र0 की सर्वाधिक आबादीवाला जनपद है, यहां के बड़ी संख्या में छात्र-छात्रायें एवं नौकरी करने वाले लोग पुणे और बंगलोर में रहते हैं। प्रयागराज से दोनों शहरों को जोड़ने के लिए मात्र एक ही ट्रेन है, जो सप्ताह में एक बार ही चलती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मा० रेल मंत्री जी से मांग करती हूं कि एक ट्रेन प्रारंभ की जाए जो प्रति-दिन प्रयागराज से शुरू हो और दोनों शहरों को जोड़े। जिसमें छात्र-छात्रायें एवं नौकरी करने वाले लोगों को आने-जाने की यात्रा सुगम हो।

(इति)

Re: Need to declare a MSP for crops grown in rain-fed regions of Churu parliamentary constituency, Rajasthan

श्री राहुल कस्वां (चुरू): मेरे संसदीय क्षेत्र चूरू (राजस्थान) में किसानों द्वारा वर्षा आधारित (रेनफेड) परम्परागत जैविक खेती आज भी 80 प्रतिशत से अधिक हिस्से में की जा रही है। वर्षा आधारित (रेनफेड) खेती में आज भी रसायनिक व पेस्टीसाइड सामग्री का प्रयोग बहुत ही कम व नाममात्र क्षेत्र में किया जा रहा है लेकिन उन किसानों द्वारा पैदा की गई फसलों को मान्यता एवं प्रमाणित कर बाजार में अलग से बिकी का कोई प्रावधान नहीं है और न ही सरकार ने बिक्री के लिए कोई मूल्य निर्धारित किया है, जिस वजह से मेरे क्षेत्र के किसान को अपनी वर्षा आधारित (रेनफेड) फसल का पूरा मूल्य नहीं मिल पा रहा है इसी कारण किसानों का परम्परागत खेती से रूझान हटता जा रहा है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि किसानों द्वारा वर्षा आधारित (निफेड) परम्परागत खेती के माध्यम से तैयार की गई फसलों को बाजार में अलग से बिक्री करने व अलग से सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू की जाये।

(इति)

(PP. 346-347)

Re: Need to extend Rayalseema Express (train no. 12793/12794) upto Nanded in Maharashtra

श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर (नांदेड़): मेरा संसदीय क्षेत्र नांदेड़ धार्मिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक एवं व्यापारिक दृष्टि से राज्य में ही नहीं अपितु देश भर में महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां हजूर सचखंड साहिब का विश्व प्रसिद्ध गुरूद्वारा है।

इसको मद्देनजर रखते हुए मेरी सरकार से विनती है कि 12793/12794 रायलसीमा रेलगाड़ी वर्तमान में निजामाबाद से तिरूपति तक चलती है, इस गाड़ी का विस्तार नांदेड़ तक किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि नांदेड़ क्षेत्र के लोगों को तिरूपति जाने के लिए यह गाड़ी निजामाबाद जाकर पकड़नी पड़ती है। नांदेड़ से तिरूपति जाने वालों की बहुत अधिक संख्या है और हमारी सरकार की यह प्राथमिकता भी है कि देश के सभी प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों को रेलमार्ग से जोड़ा जावे।

महोदय, इस ट्रेन के विस्तार से न सिर्फ जनता को सुविधा मिलेगी बल्कि रेल विभाग को भी अच्छा राजस्व प्राप्त होगा। इसलिये मेरी मांग है कि रायलसीमा ट्रेन का विस्तार नांदेड़ तक करने हेतु जल्द से जल्द कदम उठाये जावें।

(इति)

Re: Need to address the problem of land depression and land erosion caused by Brahmaputra river flood in Guwahati parliamentary constituency, Assam

श्रीमती क्वीन ओझा (गौहाटी): मेरे संसदीय क्षेत्र गुवाहाटी में प्रसिद्ध ब्रह्मपुत्र नदी में प्रत्येक वर्ष वर्षा से आने वाली बाढ़ के कारण आसपास में रहने वाले जनजीवन भूमि कटाव के कारण बहुत प्रभावित हो रहे हैं। जिसमें मुख्य रूप से गुवाहाटी से चन्द्रपुर, सनसली, खारधुली व पश्चिम गुवाहाटी ग्रामीण क्षेत्र और पसबरी, शीयोगांव, बोकू में ब्रह्मपुत्र नदी के आस पास के गांव में रहने वाले लोगों के घर, पशु सहित जानमाल की क्षति होती है। वर्तमान में बाढ़ के कारण उत्पन्न भूमि धसान व कटाव ने एक बहुत ही गंभीर रूप ले लिया है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों की निरंतर मांग को देखते हुए शीघ्र ही. केन्द्र सरकार को निर्देशित कर एक उच्च स्तरीय तकनीकी टीम का गठन कर बाढ़ के कारण हो रहे भूमि धसान व कटाव को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं जिससे यहां पर रहने वाले सभी नागरिकों को राहत मिल सके।

(इति)

Re: Need for contingency plans to address the drinking water crisis in Karnataka

SHRI G. S. BASAVARAJ (TUMKUR): My state Karnataka known as the abode of the holy and perennial Kaveri river, has been hit by a water crisis. From the capital city of Bengaluru to the traditionally arid zone in the Hyderabad-Karnataka region, the water crisis has assumed alarming proportions. The worst hit districts are Tumakuru, Vijayapura, Chitradurga and Chikkaballapura having more than 100 villages. My home district Tumakuru is worst hit with 142 villages is being served by tankers. Tumakuru urban area with 46 wards is receiving rationed water through tankers. Karnataka has already suffered three successive drought years. Water level in state reservoirs/dams is much below their capacities. For the time being areas having services by Irrigation Department or urban local bodies can manage till reservoir levels fall too low. But the remaining 65% of the state is dependent mostly on ground water which is depleting faster than getting recharged. I urge the Centre especially the newly created Jal Shakti Ministry to roll out contingency plans for Karnataka to overcome the impending drinking water crisis during the coming summer.

(ends)

Re: Proposal for Veer Savarkar Memorial in Marseilles, France

SHRIMATI POONAM MAHAJAN (MUMBAI-NORTH-CENTRAL): In 1910, Swatantryaveer Savarkar's historic jump and subsequent illegal arrest by the British, while on French Land, caused worldwide furor. The arrest was considered a detestable act in violation of the right to asylum and was challenged in the International Court of Justice. In view of Swatantryaveer Savarkar's courageous act in defiance of imperialism, organisations including the Mumbai based Swatantryaveer Savarkar Seva Kendra, have been actively demanding the construction of a memorial for the great freedom fighter, in Marseilles. While the said organisations have reported that the Mayor of Marseilles had given consent for the same in year 1998, there is no report of any formal proposal received by the Government of India. I request the Government, through the Ministry of External Affairs, to work closely with their French counterpart in establishing a formal proposal for the Veer Savarkar Memorial in Marseilles and rightfully honour the historic event.

(ends)

Re: Need to set up a Mega Food Park in Kaushambi district, Uttar Pradesh

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को समृद्ध बनाने के लिए उनकी आय दुगुनी करने हेतु अनेक योजनाएं चलायी जा रही हैं, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद कौशाम्बी, जहां विश्व विख्यात इलाहाबादी अमरूद, आम एवं केला तथा जनपद प्रतापगढ़ में विश्व विख्यात आंवला की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, वहां कोई मेगा फूड पार्क न होने के कारण किसान अपने उत्पादन को औने-पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर है। इलाहाबादी अमरूद एवं प्रतापगढ़ के आंवला की अन्तर्राष्ट्रीय पहचान होने के बावजूद भी किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाता है।

अतः मेरा अनुरोध है कि विश्व विख्यात उत्पादन को बढ़ावा देने व किसानों को उचित मूल्य दिलाने हेतु जनपद कौशाम्बी में एक मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाए, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ायी जा सके। धन्यवाद,

(इति)

(PP. 352-353)

Re: Need to provide environmental clearance for construction of canal connecting water reservoirs to agriculture fields in Chhattisgarh

श्री चुन्नी लाल साहू (महासमुन्द): छत्तीसगढ़ राज्य के बांधों एवं छोटे-छोटे जलाशयों से कृषि भूमि एवं परती भूमि को नहरों के द्वारा सिंचित कर अधिक फसल की पैदावार बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कुछ लंबित वन प्रकरणों के कारण जैसे कोमा जलाशय, भीमखोज जलाशय, पाली जलाशय योजना आदि जलाशयों से नहर बनाकर सिंचित करने में वन विभाग की भूमि आ जाने से पूर्व प्रस्तावित नहरों का कार्य आज तक रूका हुआ है। विगत पांच वर्षों से असमय वर्षा के कारण अकाल की स्थिति से किसान जूझ रहे हैं कर्ज तले स्थिति दयनीय है।

सदन के माध्यम से सरकार से अवगत कराते हुए मेरी गुजारिश है कि उपरोक्त वन विभाग ओर सिंचाई विभाग के संदर्भ को दृष्टिगत करते हुए अतिशीघ्र समन्वय कराया जाए, जिससे आने वाले समय में कृषि सिंचाईसुविधा बढ़े जिससे अधिक कृषि क्षेत्र में वृद्धि होगी एवं किसान खुशहाल होंगे, किसानों की आय भी दुगुनी होगी। साथ ही देश भी समृद्ध होगा। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का सपना भी साकार होगा।

(इति)

Re: New railway line project from Kaliaganj to Buniadpur in West Bengal

DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT): A project of rail connectivity between Kaliaganj and Buniadpur was announced and approved in 2010-11. So many years have passed but due to shortage of funds no concrete development has taken place. Even land acquisition process has not been completed due to paucity of funds. Poor people who are solely dependent on public transport are forced to travel by bus or jeeps due to non-availability of train on this route.

I request Hon'ble Railway Minister to look into this matter and release funds and issue necessary instructions to expedite the railway project between Kaliaganj and Buniadpur so that by 2020, lakhs of people of my constituency may get benefitted.

(ends)

(PP. 355-356)

Re: Childcare responsibilities faced by working women

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): The participation of women in workforce is very crucial. However, the responsibility of childcare pushes women out of workforce. If any functional alternative is developed with support from State, it could lead to increasing participation of women in the workforce.

Model Proposed

- For every colony of a fixed group of population, crèche and daycare facilities will be made available;

- At least 1/3 members of such centres should be male to set as a precedent for involving men in childcare responsibility;

- Dedicated school/state sponsored transport to drop pre-school kids to these centres.

Time-Benefit

If such daycare centres are established, office timing could be advanced, and people would be able to leave office premises earlier and look after childcare responsibilities.

(ends)

Re: Problems in construction of Railway line between Deogarh and Pirpainti via Godda in Jharkhand

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): Jharkhand has six railway line projects under the 67% state funding and 33% central government funding mechanism since 2002. The states like Maharashtra, Gujarat, Karnataka and Tamil Nadu among others contribute only 50% as state funding component while West Bengal and Bihar do not have to spend anything as the whole funding is done by the Centre for railway line projects. Jharkhand, which contributes more than 40% to railways' total revenue ends up paying more state funding component. In the meantime, the Railways have done a fresh MoU of 50% state contribution for six prior projects and all future projects. Hence, the crucial Deogarh-Pirpainti via Godda railway line needs to be constructed as per the new cost share of 50-50 as well. The state government has agreed and wrote to the Railway Board that it will happily contribute to 50 per cent of the total cost. In February 2014, the CCEA cleared this 127-km Deoghar Pirpainti via Godda rail project. The land acquisition has since been started. However, in 2017 the Coal Ministry put up an objection saying that it has been allotted with a coal block on the route between Godda and Pirpainti. But, NoC had already been provided by the Coal Ministry which allowed for the land acquisition to take place.

Now, the Godda to Mahagama 32 Km land acquisition process is complete and the Railways have awarded the work to lay the railway line. However, the 30-km section between Mahagama and Pirpainti is stuck due to the coal companies last minute objections. Due to this hitch, the State Government is not willing to fund the project, as the new alignment will go through Bihar.

It is, therefore, requested:

(1) Overrule the objections of Coal India and stick to the old alignment of the proposed railway line.

(2) NTPC should allow for the usage of its existing line and save costs and delays.

Godda is an aspirational district and in Jharkhand it is the lowest ranked district in terms of health and infrastructure. Here, people are suffering from cancer, tuberculosis, children are malnourished and girls are anemic. Due to coal we have no safe drinking water, and no job.

It is thus requested that you kindly intervene at the earliest and resolve this problem which is preventing the development of the region.

(ends)

Re: Need to declare Barpeta town in Assam as a heritage city

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): Barpeta is situated at a distance of 137 km from Guwahati. Barpeta is undoubtedly regarded as an important cultural town for its unique socio-religious and cultural heritage. Barpeta is known as Satranagari, for its innumerable satras and monuments established by the Vaishnavite saint Mahapurush Madhabdev, the chief disciple of Srimanta Sankardeva who laid a strong pillar of Assamese culture through his socio-religious Vaishnavite movement. Barpeta became the nerve centre of Vaishnavite culture as Srimanta Sankardev himself preached vaishnavite in the area. The Barpeta Satra was established in th 16th century by Mahapurush Madhavdev. As Barpeta is the Land of Satras, so all the fairs and festivals, rituals and ceremonies, observances are associated with it and centred on Kirtanghar. The people of Barpeta celebrate the festivals and ceremonies with satriya tradition. Barpeta is also famous for its traditional art heritage. Famous Vrindabani Bastra was woven by Gopal Tanti. Barpeta is also famous for making of traditional gold ornaments since the medieval period. There are many traditional cultural and economic activities which are prevalent in and around Barpeta. There are 12 heritage cities in India and Barpeta too deserves to be in the list for many a historical reasons. Once the heritage status is given to Barpeta, there would be an overall development in the area which would also improve the socio-economic condition of the people. So, I urge the Ministry of Housing and Urban Affairs to declare Barpeta Town as a heritage city and usher in the economic development of the area.

(ends)

Re: Need to protect mangrove forest of Sunderbans in West Bengal

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sundarban means “Beautiful forest”, it comprises closed and open mangrove forests, tidal streams and channels. Four protected areas in the Sundarban are enlisted as UNESCO world heritage sites. Despite a total ban on all killing or capture of wildlife other than fish and some invertebrates, it appears that there is a consistent pattern of depleted biodiversity or loss of species. Ecological quality of the forest is declining. The forest is suffering from increased salinity due to rising sea levels and reduced fresh water supply and mangrove forest in the area is the victims of destruction by unscrupulous elements. Lakhs of people still live in this area and earn their livelihoods from the forest. My earnest request is to save the forest from rampant plunder.

(ends)

(PP. 360-362)

Re: Need to provide funds for payment of wage dues under MGNREGA

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): The people in the rural areas of Tamil Nadu and across the country are facing a lot of problems due to more than 6 months delay in payment of wages under MGNREGA.

There is severe fund shortage under MGNREGA in the states. Payment to MGNREGA workers has been stopped for the last six months.

I urge the Central Government to provide adequate funds for MGNREGA wages to the state governments at the earliest.

(ends)

Re: Need to set up a Medical College in Kallakurichi District, Tamil Nadu

SHRI GAUTHAM SIGAMANI PON (KALLAKURICHI): I request the Central Government to set up a Medical College in Kallakurichi District, Tamil Nadu.

(ends)

Re: Need to enhance the pension under Employees Pension Scheme – 1995

श्री राजेन्द्र धेड्या गावित (पालघर): महोदय, देश में विभिन्न निजी एवं अर्धसरकारी संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की आर्थिक दशा को देखते हुए 1995 में तत्कालीन सरकार ने इम्प्लॉइमेंट पेंशन स्कीम 1995 शुरू किया जिसके तहत इन संस्थानों से सेवानिवृत होने के पश्चात सभी कामगारों को पेंशन देने का प्रावधान किया गया।

महोदय, 1995 में जो पेंशन की राशि तय की गयी थी वही राशि आज भी दी जा रही है। आज की महंगाई के दौर में कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदाताओं को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 1000/- रुपया दिया जाना उनके साथ अन्याय के समान है। 2012-13 में सरकार राज्यसभा के याचिका समिति के अध्यक्ष श्री भगत सिंह कोशियारी जी ने सभी पर अध्ययन के पश्चात 3 हजार रुपए एवं महंगाई भत्ता के साथ करने की सिफारिश की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस सिफारिश को लागू करने के आदेश दिए।

महोदय, निवृत कर्मचारी समन्वय समिति के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कई बार धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन भी किया है लेकिन महोदय सरकार की उदासीनता के कारण अभी तक कोई सार्थ निष्कर्ष नहीं निकल पाया है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उपयुक्त सेवानिवृत सभी कामगारों को कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत मिल रही पेंशन की राशि बढ़ाकर 9000/- रुपए प्रतिमाह किया जाय एवं ईएसआईसी के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(इति)

Re: Need to construct flyover on level crossings in Katihar parliamentary constituency, Bihar

श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी (कटिहार): मेरा संसदीय क्षेत्र कटिहार, रेलवे डिवीजन मुख्यालय है जो उत्तर-पूर्व रेलवे अंतर्गत में पड़ता है। कटिहार शहर के बीचोंबीच से रेल लाइन गुजरती है। बरौनी से मुकरिया रेल लाइन पर छीटाबारी केएम/2 और बरौनी से कुमेदपुर रेल लाइन पर भगवान चौक केके/1 फाटक बने हैं। ये दोनों फाटक कटिहार शहर में एक ही मार्ग पर लगभग 150 मीटर की समानांतर दूरी पर है। महोदय, यदि इन दोनों फाटकों के उपर एक ओवरब्रिज बना दिया जाय तो सड़क मार्ग का यातायात अवरोधमुक्त हो जाएगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि जनहित में उक्त दोनों समपार फाटक छीटाबारी और भगवान चौक पर एक फ्लाईओवर बनाकर इन फाटकों से यातायात जाम को अवमुक्त कराया जाय जिससे सड़क मार्ग से आवागमन निर्बाध गति बना रहे।

सधन्यवाद।

(इति)

Re: Integration of schemes meant for tackling malnutrition in the country

SHRI ACHYUTANANDA SAMANTA (KANDHAMAL): Despite economic growth in recent years, in the recent Global Hunger Index, 2019 India is ranked 102nd out of 117 countries. Moreover, a survey by the Ministry of Health has found that currently Indian children and adolescents suffer from high levels of malnutrition. POSHAN Abhiyaan aims to achieve the target of malnutrition free India by 2022, these recent statistics show that in our fight against hunger and malnutrition, we are not headed in the right direction.

Coming to my constituency- Kandhamal, according to the District Human Development Report (DHDR) for Kandhamal the percentage of children in 0-3 year age group under malnutrition (Grade II,III and IV) category is 21.5%. This statistic makes Kandhamal one of the lowest ranked districts with respect to nutritional status of children. One of the main problems we face is with respect to lack of healthcare services due to remote locations, inadequate staffing and infrastructure. Though the Government has introduced a number of schemes which directly or indirectly affect the nutritional status of children, the level of malnutrition in the country is high. I would like to ask the Hon'ble Minister of Women and Child Development whether the Government has any plans of integrating all relevant schemes under one single authority, which will create synergy and link schemes, and ensure that there is uniformity/clarity in the implementation of such schemes.

Also, data has shown that moving towards a diet which is focused more on nutri-cereals, pulses, milk and poultry has improved nutrition levels in children. I request Hon'ble Minister to keep this in mind while formulating new policies to tackle malnutrition in the country.

I have worked and work with lakhs of young tribal children on a daily basis, giving them a home, ensuring that no one goes hungry, and it is possible to have a malnutrition free India. We just have to focus all our energy on tackling this efficiently and promptly.

(ends)

Re: Need to provide arrears of honorarium due to Madarsa teachers employed under MPQEM and MPEMM schemes of Government of India

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एस.पी.क्यू.ई.एम./एस. पी.ई.एम.एम. योजनांतगर्त कार्यरत मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के सामने अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में लगभग 25500 व अन्य राज्यों में कई हजारा मदरसा आधुनिक शिक्षक मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं कम्प्यूटर शिक्षा विगत 26 वर्षों से देते आ रहे हैं। इस महंगाई के दौर में स्नातक शिक्षक को मात्र 6000/- रुपए प्रतिमाह व स्नातक, बी.एड. शिक्षक को मात्र 12000/रुपए प्रतिमाह की दर से दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन शिक्षकों को इस कम मानदेय के बावजूद भी समय पर मानदेय नहीं मिला बल्कि आज भी केन्द्र सरकार पर विगत 3 वर्षों का मानदेय बकाया है। इसके कारण अब तक 24 मदरसा आधुनिक शिक्षकों की हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी है।

अतः अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मेरी सरकार से मांग है कि मदरसा आधुनिक शिक्षकों का लंबित बकाया मानदेय भुगतान जल्द से जल्द किया जाए।

(इति)

کنور دانش علی (امروہہ): محترم چیرمین صاحب، وزارات انسانی وسائل کی ترقی کے ذریعہ سنچالِت ایس۔پی۔کیو۔ای۔ایم۔/ایس۔پی۔ای۔ایم۔ایم۔ منصونہ بندی کے تحت کاریرت مدرسہ جدیدیت اساتذہ کے سامنے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اُتر پردیش میں لگ بھگ25500 و دوسری ریاستوں میں کئی ہزار مدرسےجدید تعلیمی مدرسوں میں ہندی، انگریزی، حساب، سائنس و کمپیوٹر کی تعلیم گزشتہ 26 سالوں سے دیتے آ رہے ہیں۔ اس مہنگائی کے دور میں گریجویٹ اساتذہ کو صرف 6000 روپئیے مہینے کی در سے و پوسٹ گریجویٹ، بی۔ایڈ اساتذہ کو -/12000 روپئے فی ماہ دئیے جانے کا پراودھان ہے۔ لیکن اساتذہ کو اتنے کم محنتانا کے باوجود بھی وقت پر محنتانا نہیں ملابلکہ آج بھی مرکزی سرکار پر گزشتہ 3 سال کا محنتانا بقایا ہے۔ اس کی وجہ سے اب تک 24 مدرسہ آدھونِک اساتذہ کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو چکی ہے۔

جناب، آپ کے ذریعہ میری سرکار سے مانگ ہے کہ مدرسہ آدھونِک اساتذہ کو لمبے وقت سے بقایا محنتانا جلد سے جلد ادا کیا جائے۔

(ختم شد)

Re: Need for construction of flyover at Yerravally cross roads on N.H. 44 in Nagarkurnool parliamentary constituency, Telangana

SHRI RAMULU POTHUGANTI (NAGARKURNOOL): There is an urgent need for construction of new Flyover at Yerravally Cross Roads on National Highway No.44, in Jogulamba Gadwal District, Nagarkurnool Parliamentary Constituency, Telangana. The N.H.-44 is a busy road with vehicles constantly plying. Crossing the road, particularly by the pedestrians and two wheelers, involves a lot of hardship. A large number of accidents take place on this road.

I, would, therefore, urge upon the Union Government/Hon'ble Minister of Road Transport & Highways to accord approval with adequate financial support for the construction of the Flyover at Yerravally Cross Roads on N.H.-44, in Jogulamba Gadwal District, Telangana which will help the public to a great extent.

(ends)

Re: Need to construct a barrage on Sakri river in Bihar

श्री चंदन सिंह (नवादा): प्रकृति पर निर्भर रहने वाले जमुई, नवादा, शेखपुरा के किसानों का हर साल सुखाड़ की वजह इनकी लहलहाती फसल बर्बाद हो जाती है। नदी जोड़ योजना के तहत सिंचाई के लिए अति महत्वपूर्ण माने जाने वाली नाटी और सकरी नदी को जोड़ने के लिए यहाँ के किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यदि यह योजना का क्रियान्वयन होता है तो जमुई, नवादा, शेखपुरा, नालन्दा तथा लखीसराय जिले के बड़े भूभाग पर बहुत हद तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। सकरी नदी को नाटी में मिलाने के लिए जमुई, नवादा, शेखपुरा, नालंदा के किसानों के लिए सिंचाई जैसे अति महत्वपूर्ण योजना सकरी बराज निर्माण कब पूरा होगा कहा नहीं जा सकता। सकरी बराज का निर्माण नवादा के गोविन्दपुर प्रखंड के बक्सोती गाँव के समीप सकरी नदी पर बांध बनाकर कौआकोल से दक्षिण नाटी नदी में मिलाना है जिसकी दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। बिहार विभाजन के बाद सकरी बराज का कैचमेंट एरिया झारखण्ड के कोडरमा, गिरिडीह तथा हजारीबाग के इलाके में चला गया। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 1977 में जमुई, नवादा, शेखपुरा के कई विधायक व सांसदों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से मिलकर योजना पर अमल करने का अनुरोध किया था, लेकिन यह योजना कुछ कारणों के चलते ठंडे बस्ते में चली गयी लेकिन स्थानीय किसानों ने हिम्मत नहीं हारी और संगठित होकर संघर्ष को तेज किया। परिणामस्वरूप 20 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने गोविंदपुर प्रखंड के बकसोती के समीप इस योजना का शिलान्यास किया। प्रस्तावित योजना के अनुसार इसके निर्माण से तत्कालीन मुंगेर जिले का लगभग 29 हजार 286 एकड़ भूभाग का पटवन किए जाने का लक्ष्य था। 20 नवम्बर, 1991 को तत्कालीन जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार ने भी इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर कार्यरूप दिए जाने से संबंधित एक पत्र राज्य सरकार को लिखा था एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता ने पटना हाईकोर्ट में सीडब्ल्यूजेसी दाखिल कर इस योजना के निर्माण का आग्रह किया था तथा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 6 अक्टूबर, 2004 को राज्य के जल संसाधन विभाग के आयुक्त सह सचिव को प्राथमिकता के आधार पर योजना पर अमल करने का आदेश दिया था। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई पहल नहीं हो सकी, जिसके चलते कृषि पर आधारित नवादा के कृषक हर साल सूखे की मार झेल रहे हैं।

अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि नवादा के गोविन्दपुर प्रखंड के बक्सोती गाँव के समीप सकरी नदी पर सकरी बराज का निर्माण कराया जाये ताकि 40 हजार हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था होगी जिससे जमुई, नवादा, शेखपुरा और नालंदा जिलों के लाखों किसानों को फायदा होगा।

(इति)

Re: Students strike in Jawahar Lal Nehru University due to hike in hostel fee

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): It was brought to my notice by the Jawaharlal Nehru University Teachers Association that the student representatives of the Inter-Halls Administrative Committee were not given voice, when the decision to hike their hostel fees was taken. This fee hike is adding to the burden of already high mess costs that students are bearing because of rising food inflation. It is requested that the Centre make the Report of the High Powered Committee, formed through Ministry of HRD notification on 17th November 2019, public and resolve this matter. It must also consider reinstating the studentships that were cancelled after protests to fee hike started. I urge the Government to engage in dialogue with students and refrain from using violence against student protestors. I also request the Centre to make higher education accessible to everyone by withdrawing the JNU hostel fee hike.

(ends)

आयुध (संशोधन), विधेयक 2019

1351 बजे

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि आयुध अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय, वैसे तो बिल स्वयं स्पष्ट है। सभी सदस्यों के विचार सुनने के बाद मैं उत्तर भी दूंगा और बिल के बारे में संक्षिप्त में भूमिका रखने का प्रयास भी करूंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह बहुत पुराना कानून है और इस कानून के तहत ढेर सारी विसंगतियां थीं, जैसे, गैर कानूनी हथियार उपयोग करने वालों और गैर कानूनी हथियार बनाने वालों में सजा के प्रावधान में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। यदि किसी के पास से देशी कट्टा मिलता है या ए.के.- 47 रायफल मिलती है तो दोनों के लिए एक समान कानून अप्लाई होता है। इसके कारण क्राइम कंट्रोल में बहुत बड़ी दिक्कत आती थी। हमने इसमें खिलाड़ियों को विशेष छूट देने का प्रावधान किया है। बहुत सारे सदस्यों का यह कहना था कि जो व्यक्तिगत लाइसेंस होते हैं, उनमें एक की जगह दो आयुधों की परमिशन दी जाए, उसका भी संशोधन लाकर ऑफिशियल अमेंडमेंट सदन के सामने रखा है और आयुधों की तस्करी, गोला-बारूद, इन सबके लिए विशेष प्रावधान इस बिल के अंदर किए गए हैं। सभी सदस्यों की चर्चा सुनने के बाद मैं चर्चा का उत्तर दूंगा और इस बिल को लाना क्यों जरूरी था, वह भी बताऊंगा।

(इति)

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि आयुध अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

1353 hours

SHRIMATI PRENEET KAUR (PATIALA): Mr. Speaker, Sir, I would like to draw the attention of this House to the Bill introduced to bring amendments in the Arms Act, 1959. What is the purpose of the original Arms Act? The purpose is to regulate usage and possession of arms in the country. As a Member of the House and a responsible citizen, I do appreciate that laws required to keep pace with the changes in the society. And it is incumbent upon Governments to bring legislations in consonance with the changing social realities.

1553 hours (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

However, if we go back to historical traditions, the ancient arms bearing tradition of India continues to feed the manpower demand of the current national security establishments of India. The local arms bearing culture of Hindustan keeps the fighting tradition alive in India and continues to motivate our young to lay their lives in the line of fire. A negative consequence of disarming the population by law was the growth of bodies of skilled lathiyals, making of illegal country-arms and smuggling of fire arms. This is the major source of crime today and not the legal licensed fire arms. The licensing fire regime prescribes to ensure that individuals get licenses for their private protection, for crop protection, for purposes of sports and for purposes of arms that have been inherited. What is the usage of licensed arms in the crimes committed? According to the Government's data, approximately 58,000 offences were recorded in the year 2017. Out of which, 419 involved licensed arms. (1355/RCP/MM)

This comes to less than one per cent of the total. If the idea is to reduce crime, as the Minister said, involving arms, then should we be looking at the licensed arms or the unlicensed arms? In 2017, approximately 63,000 firearms were seized, out of which about 3,500 were licensed. This comes to only 6 per cent. Does this warrant an amendment, a change? While I agree that irresponsible usage of licensed arms is wrong and it should be penalised, I disagree with the proposed Clause 3 of this new amendment. As a Member of Parliament representing Punjab, I must voice my concerns on this.

Punjab is a State with a 553-kilometre long border with the not so friendly State of Pakistan. It has been a witness to terrorist violence on account of militancy in 1980 and 1990, an aspect that needs no further elaboration. These conditions naturally gave rise to a very palpable sense of fear and insecurity.

It is also pertinent to mention that a large number of farmers have, over the years, come to live on farmhouses that are outside their villages where they do not

have the comfort and the safety of the main village habitation. The State has over the years granted licences and also issued licences for firearms for crop protection to farmers as provided in the Arms Act. An unintended consequence will be this. When you limit them to one firearm, how will they be able to protect their farmland as different bores have different usages?

The House must look at both the unintended consequences and the intended consequences of this proposed legislative action. I have no doubt that the Ministry of Home Affairs would have examined the different aspects before piloting the Bill. However, as a concerned citizen and a representative of the people of Punjab, I consider it my bounden duty …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Madam, just a minute, please. The hon. Minister wants to say something.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): हम ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आए हैं और सभी को सर्कुलेट किया गया है। एक जगह दो आर्म्स के लिए इंडिविजुअल लाइसेंस, यानी एक लाइसेंस पर दो आर्म्स लगाने के लिए है। हमने इसको ऑफिशियली सर्कुलेट किया है। माफी चाहता हूं।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): यह आपका हक है, इसमें माफी की कोई बात नहीं है।

SHRIMATI PRENEET KAUR (PATIALA): Thank you, Mr. Minister for giving this small concession. But we still want the three arms to remain in the Act.

The people of Punjab have been historically classified as a martial race with strong representation in Armed Forces and paramilitary, as have been other citizens from other States. A large number of people have come to possess firearms and take pride in retaining them. There is also a great cultural importance that the citizens belonging to the martial communities attach to them, such as the Ahirs, the Dogras, the Jats, the Rajputs, the Sikhs, etc. and a large number of these people take pride in retaining them. They have been legal holders of three firearms sometimes across many generations. Suddenly, when they have to deposit it – first it was two; now you are saying one – even that will tantamount to not being in the public interest.

There is another aspect to this that I would like to come to. That is the talent pool for sports representation. Qualified shooters today enjoy holding of multiple guns according to their level of achievements as defined in the Exemption Notification. But, at the same time, there are thousands of shooters who have not reached the prescribed achievement level. This large number of people produces the pool for talent scouting. No sport can survive and expand unless the total number of persons playing the game is large at the grassroots level. In fact, the larger the pool, the higher the chance of finding world-class talent.

(1400/VR/SJN)

Today, India is enjoying glory at world level only because of this large pool of talent at the grassroot level which produces the world class shooters. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Hon. Minister wants to intervene.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी) : मैं आदरणीय संसद सदस्या जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि चाहे राइफल क्लब हो, राइफल एसोसिएशन हो, जो स्पोर्ट्स में शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए कोई चेंज नहीं किया गया है। इसीलिए, आप एक बार ठीक तरह से बिल पढ़कर अपना मत रखें, तो ठीक रहेगा।

SHRIMATI PRENEET KAUR (PATIALA): Thank you, Sir. मेरे पास जो कागज आए थे, उसमें पूरा बिल नहीं था। जो अमेंडमेड्स में शब्द चेंज किए हैं, उसमें वही आया था। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने शूटर्स के बारे में सोचा है और जो स्थिति है, अब वह स्थिति मौजूद रहेगी, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

1401 बजे (डॉ. काकोली घोष दस्तीदार पीठासीन हुईं)

यह मेरे कन्सर्न्स थे। मैं खुश हूं कि आपने इनको नोट किया है। एक बार फिर जो यह अमेंडमेंड तीन है, आपने एक के बजाय दो किया है। आप इसको फिर से कंसिडर कीजिए और इसको तीन ही रहने दीजिए।

(इति)

1401 बजे

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : आदरणीय सभापति महोदया, मैं सबसे पहले भारत के बहुत ही तेजस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा प्रस्तुत आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019 के समर्थन में बोलने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं।...(व्यवधान) सुरेश जी, आप ध्यान से सुनिए, यह आपके भी काम आएगा।...(व्यवधान) विशेष रूप से पुलिस और सुरक्षा बलों से हथियार छीनना और लूटना, अंडरवर्ल्ड द्वारा गन्स का अवैध ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग करना, विदेशी हथियारों का ट्रांसपोर्टेशन करना और हर्ष फायरिंग करना, इस पर कड़ी सजा को बढ़ाने का जो प्रावधान किया गया है, मैं उसका बहुत समर्थन करता हूं। माननीय सभापति महोदया जी, मैं आज अपनी बात एक वेद मंत्र से शुरू करना चाहता हूं।

'यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यंचौ चरतः सह,
तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र देवाः सहाग्निना।'

जिस भी समाज में, जिस भी देश में, ज्ञान शक्ति और छात्र शक्ति दोनों साथ-साथ चलती हैं, दोनों का समन्वय होता है और जहां पर अच्छे लोगों का संरक्षण होता है, उनकी सुरक्षा होती है, उनके पास शक्ति होती है, वहीं पर उसी समाज और उसी देश के अंदर पुण्यलोक या स्वर्गलोक का निर्माण हो सकता है। शक्ति अच्छे लोगों के हाथों में रहे, तो समाज और देश का भला होता है। अगर गलत लोगों के हाथों में हथियार और शक्ति चली जाए, तो बहुत ही संघारक है, विनाशक है और वह राक्षस बन सकता है। लेकिन बिना शक्ति के न राज्य चलता है और न ही ज्ञान और विद्या का प्रचार होता है। इसीलिए, हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि-

'शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते।'

जहां शस्त्रों की झनकार होती है, वहीं शास्त्रों की चर्चा चल सकती है। इसीलिए शस्त्र भी बहुत जरूरी है। बिना शक्ति के, बिना पुलिस के न हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं काम कर सकती हैं। पिछले 70-72 वर्षों का इतिहास इस बात को दिखाता है कि हमारी पुलिस ने इतनी अच्छी आंतरिक सुरक्षा का निर्माण किया है, जिससे आज हमारे देश का लोकतंत्र सुरक्षित है। हमारी जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, वे ठीक तरह से काम कर रही हैं। सभापति महोदया, मैं आपके और इस सदन के माध्यम से इस देश के जो लाखों पुलिसवाले हैं, मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं और सभी को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदया जी, भारतीय संस्कृति का एक बहुत अच्छा संदेश है, सभी लोग इस बात को मानेंगे हमारे जितने भी देवी-देवता हैं, सभी के हाथों में हथियार है। आप मूर्तियों को देखिए, किसी देवी की मूर्ति देखिए, किसी देवता की मूर्ति देखिए। यह इस बात का संदेश है कि जो शक्ति है, वह अच्छे लोगों के हाथों में होनी चाहिए। गलत लोगों के हाथों में नहीं होनी चाहिए। इसका दूसरा संदेश भी यह है कि लाइसेंस भी अच्छे लोगों को ही दिया जाना चाहिए, गलत लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए।

(1405/GG/SAN)

देवताओं के पास होना चाहिए, अच्छे लोगों के हाथों में होना चाहिए। जब तक देश में हम लोग इस बात पर, हमारे शास्त्रकारों ने जो कहा, उस पर हम लोग चलते रहे, अस्त्र-शस्त्रों में हम लोगों ने जंग नहीं लगने दिया, तब तक यह भारत विश्व विजयी रहा। जब हम लोग ने मात्र कुछ संप्रदायों के प्रभाव में आ कर पूरी तरह से अहिंसक बन गए, अहिंसा का पालन करने लगे, सेना रखना बंद कर दिया, हथियारों पर जंग लग गई, तभी यह देश खंडित होने लगा, और अंतत: यह देश गुलाम बन गया।

महोदया, सन् 1857 तक इस देश के अंदर हथियार रखने के बारे में कोई कानून या कोई नियंत्रण नहीं था। इस देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। विशेष रूप से उत्तर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत जोरों से क्रांति हुई। हम लोग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुनते हैं। उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए क्रांति की, अंग्रेजों की खिलाफत की। अवध की बेगम हजरत महल ने भी अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की थी। आरा, बिहार के कुंवर सिंह थे, उन्होंने भी किया। लेकिन मैं आपको यह जिक्र करना चहता हूँ कि हमारे बागपत में ही दिल्ली के पास कोई रियासत नहीं थी। वहां के बाबा सामल ने छह हजार किसानों को इकट्ठा कर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की। सन् 1857 के बाद पहली बार अंग्रेजों का झंडा, जिसको हम यूनियन जैक बोलते हैं, उसको उतार कर ओम का झंडा सन् 1857 में लगाया। एक तरफ तो यह माहौल था। अंग्रेजों ने देखा कि जिन लोगों के पास हथियार हैं, रियासत नहीं है, तब भी हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं तो सन् 1857 के बाद यह किया गया कि लोगों के हथियार जमा कराए जाएं। एक तरफ यह माहौल था। दूसरी तरफ यह माहौल आया कि सबसे पहले इस देश में जितने भी समाज सुधारक हुए, जितने भी महापुरुष हुए, उनमें से महर्षि दयानंद ने सन् 1874 में सबसे पहले लिखा। बहुत लोगों ने शायद किताब में पढ़ा भी होगा, उनका लिखा हुआ सत्यार्थ प्रकाश है। उनको मैं कोट करता हूँ कि –

> " अब अभाग उदय से, और आर्यों के आलस्य, प्रमाद, प्रस्पर के विरोधी यह आर्यव्रत विदेशियों के पादाक्रंत हो रहा है, ये हमारे दुर्दिन हैं, कोई कितना भी करे, परंतु जब स्वदेशी राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता है, अथवा मतमतांतर के आग्रहरहित अपने और पराए का पक्षपात सुन प्रजा पर पिता-माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ भी विदेशियों का राज सुखदायक नहीं है। "

यह पहली बार महर्षि दयानंद ने घोषणा की थी! मुझे लगता है कि जितने भी महापुरुष इस देश में हुए हैं, 19वीं शताब्दी के अंदर केवल मात्र महर्षि दयानंद ऐसे थे, जिन्होंने स्वराज का बिगुल सबसे पहले बजाया था। यह जो इस प्रकार का उस समय चल रहा था, कांग्रेस ने सन् 1929 के अंदर स्वराज की मांग की थी। उससे पहले सन् 1874 में महर्षि दयानंद ने यह कहा था। इसलिए देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी ने यह लिखा है, अगर महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं तो महर्षि दयानंद इस देश के राष्ट्रपितामह होने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आजादी का बिगुल महर्षि दयानंद ने इस देश के अंदर बजाया था। इन बदलते परिवेश में आजादी की क्रांति एवं स्वामी दयानंद की अलख ने अंग्रेजों को सचेत कर दिया और इसलिए सबसे पहले हथियार रखने पर पांबदी करने

के लिए सन् 1878 में सबसे पहले अंग्रेज लोग आर्म्स एक्ट ले कर आए। लॉर्ड लिटन उस समय के वॉयसरॉय थे। हथियारों के बारे में बारे इतनी जबरदस्त पाबंदी लगाई गई कि बिना परमिट और बिना लाइसेंस के कोई भी भारतीय न हथियार बना सकता था, न बेच सकता था, न रख सकता था और न हथियार ले कर चल सकता था। केवल ब्रिटिश और एंग्लो इंडियंस को इस मामले में छूट दी गई। लाइसेंस मिलना लगभग नामुमकिन हो गया। हथियारों में केवल रिवॉल्वर, पिस्टल और बंदूक ही नहीं थे, लेकिन संगीन, खड़ग, तलवार भाले, नोक, धनुष बाण आदि सब पर अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दी। श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस कानून को कहा था, जब 1878 का कानून आया उन्होंने कहा कि a badge of racial inferiority and humiliation for all Indians. ऐसा सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने इस कानून के बारे में लिखा था कि यह जातीय भेद का शिकार, तथा भारतीयों की बेइज्जती करने का कानून है। महात्मा गांधी ने इस कानून के बारे में कहा था कि यह जो कानून है, यह ब्लैकेस्ट कानून है।

(1410/KN/RBN)

सबसे बड़ा काला कानून है। इसने सारे देशवासियों को एकदम से नि:शस्त्र कर दिया। सन् 1918 में गांधी जी ने जहां इस कानून की भर्त्सना की, वहीं पर वर्ष 1918 में एक पेम्फ्लैट निकाल कर भारतीयों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के लिए भी आह्वान किया। इस दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो रहा था। मुझे मालूम नहीं कि अंग्रेजों की मदद के लिए फौज में भर्ती होने के आह्वान में, बाद में हो सकता है कि महात्मा गांधी जी ने बाद में कभी पश्चाताप भी किया हो, मुझे नहीं मालूम है। उनकी अपील के कुछ महीनों के बाद ही इस देश के अंदर रोलेट एक्ट आया, जिसको ब्लेकेस्ट एक्ट कहते हैं। रोलेट एक्ट उससे भी ज्यादा भयंकर कानून था, जिसमें न कोई दलील थी, न कोई बेल थी और न कोई अपील थी। इस तरह का कानून इस देश के अंदर आया। इंडियन पीनल कोड, 1860 है, उसके तहत लोगों को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया, उसमें साधारण अपवाद दिए गए धारा 96 से लेकर 106 तक, उसके भी खिलाफ यह 1878 का हथियार का कानून था। आत्मरक्षा का कानून सब को है और सर्वप्रथम है, सब को प्राप्त है। भारत आज़ाद हुआ और वर्ष 1959 में हमारे देश में आज़ाद भारत का आर्म्स एक्ट, 1959 बोलते हैं, वह कानून आया। सरकार ने लोगों की आत्म रक्षा और सम्पत्ति के अधिकार को पुन: महत्व देते हुए एक लाइसेंस और परमिट के ऊपर तीन-तीन हथियार तक देने का प्रावधान किया। अनुभव यह कहता है कि लाइसेंसधारकों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम किया। ऐसा इस देश का पिछले 70-72 वर्षों का रिकार्ड यह दिखाता है कि जिनको लाइसेंस मिले, जिनके पास लाइसेंस के हथियार थे, उन्होंने काफी जिम्मेदारियों से काम किया और आँकड़े इस बात को कहते हैं। आंकड़ों में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है कि लैस देन वन परसेंट जो है, लाइसेंस वाले जो लोग थे, वे अपराधों में इन्वॉल्व हुए या उनका दुरुपयोग हुआ। आर्म्स एक्ट को लागू करने में समाज में कुछ दिक्कतें आई, पुलिस को कुछ दिक्कतें आईं तथा कुछ कमियां भी इसमें नजर आईं। वर्ष 1988 में इस कानून में संशोधन हुआ, पर वह कोई ज्यादा पर्याप्त नहीं था। हथियार कानून के बारे में चर्चा करते समय तीन-चार बातें बहुत विशेष महत्व की हैं।

सभापति महोदया, लोग हथियार क्यों चाहते हैं? एक तो यह है कि सब लोगों को आत्म रक्षा करने का, अपनी जान-माल की रक्षा करने का, अपने पड़ोसी का और अपनी इज्जत की रक्षा करने का अधिकार कानून ने दिया है। नंबर 2, असुरक्षा की भावना– जब समाज में असुरक्षा की भावना होती है, अगर हम अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं तो हमको लगता है कि हमको हथियार चाहिए। लाइसेंस अगर मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, अगर लाइसेंस नहीं मिलता है तो बहुत से लोग अवैध हथियार लेने की कोशिश करते हैं और अनुभव यह दिखाता है कि आज अवैध हथियार समाज और देश के अंदर है, उसमें यह नहीं है कि सब आदमी, जिनके पास अवैध हथियार है, सब सही हैं। कानून की नजर में वे अपराधी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हों, क्योंकि उनको असुरक्षा लगती है, इसलिए लोग दूसरी तरह के हथियार अपने पास रखना पसंद करते हैं।

कुछ लोगों के पास परम्परा से, बाप, दादा से हथियार आए हैं। वह अफेक्शन का मामला है, इसलिए वे हथियार रखते हैं। चौथे किस्म के वे लोग हैं, जो दिखाने के लिए, हम लोग बोलते हैं कि गन रोमांटिसिज्म है, गन हाथ में होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, उसके कारण से लोग हथियार रखने लगते हैं। कुछ जन प्रतिनिधि, मैंने देखा है कि स्टेटस सिम्बल है। हथियार वाला आदमी होना चाहिए। हथियार वाला, लाइसेंस वाला नहीं रहता, जिनके पास दूसरे हथियार हैं, उनको अपने पास रखते हैं, उनका रुतबा भी बढ़ता है, सुरक्षा भी होती है। इनकी संख्या बहुत कम है। ऐसे लोग भी समाज के अंदर हैं। पांचवीं किस्म के अपराधी तत्व हैं, जो अपराधी हैं, नक्सल्स हैं, एक्स्ट्रीमिस्ट्स हैं, आतकंवादी हैं, जिन्हें अपराध के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए या पुलिस और फौज पर हमला करने के लिए हथियार चाहिए। इनकी संख्या काफी ज्यादा है। देश के अंदर जो नम्बर ऑफ लाइसेंस हैं, वह लगभग 34 लाख के आस-पास लाइसेंस हैं। इनसे थोड़े से कम हथियार हैं, जितने लाइसेंस हैं, उनसे थोड़े कम हथियार हैं। बिना हथियार के लाइसेंस की संख्या लगभग 5 लाख के आस-पास हैं। उसमें दिया है कि 14.5 परसेंट लोग ऐसे हैं, जिनके पास लाइसेंस हैं, लेकिन हथियार नहीं हैं। एक हथियार वाले लाइसेंस लगभग 79 परसेंट, 27 लाख के आस-पास लाइसेंस हैं। दो हथियार वाले लाइसेंस लगभग 2 लाख 10 हजार लगभग 6 परसेंट है। तीन हथियार वाले लाइसेंस लगभग 1 परसेंट है। जो स्पोर्ट्स पर्सन्स, खिलाड़ियों को लैस देन 4 हजार पूरे देश के अंदर लाइसेंस दिए गए।

(1415/RV/SM)

वर्ष 2013 में भारत सरकार ने नेशनल डेटाबेस फॉर आर्म्ड लाइसेंस बनाया। वर्ष 2013 से पहले लोगों को यह मालूम नहीं था कि इस देश के अन्दर कितने लाइसेंस हैं, किस जिले में कितने लाइसेंस हैं, किस राज्य में कितने लाइसेंस हैं। इसलिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद दूंगा। आजकल यूनिक आइडैंटिफिकेशन सिस्टम हो गया है। उससे मालूम चलता है कि किसके पास लाइसेंस है। उदाहरण के लिए दिल्ली शहर में लगभग 39,000 लाइसेंस हैं, मुम्बई में केवल 15,000 ही लाइसेंस हैं।

महोदया, मैं बागपत जिले से आता हूं। बागपत जिले में, जहां लगभग 9-10 लाख की आबादी है, वहां 5,000 से कम लाइसेंस हैं। देश के सामने हथियार, लाइसेंस के बारे में जो मुख्य समस्या है,

वह हम सब के सामने और सरकार के सामने यह है कि आज अवैध हथियारों की भरमार है। जितने लाइसेंस हैं, जितने के बारे में पुलिसवाले बताते हैं, मुझे लगता है कि उससे कम से कम दस गुणा ज्यादा अवैध हथियार इस देश के अन्दर होंगे। उनका बनना, ट्रांसपोर्ट होना, बिकना, प्रयोग होना जारी है, चाहे ये अन्डरवर्ल्ड के पास जाएं, चाहे नक्सली लोगों के पास जाएं।

इसकी दूसरी समस्या है - गलत लाइसेंस बनना। हमारे देश में जिलों में एस.पी., कलक्टर के यहां, डी.एम. के यहां, जो फाइनल ऑथोरिटी है, वहां पर अभी भी बहुत से केसेज़ ऐसे हैं कि लाइसेंस गलत लोगों के बनाए जाते हैं। ये क्यों बनाए जाते हैं, मैं उस पर आगे बताऊंगा।

तीसरी बात है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि पुलिस से हथियार छीनना, उन्हीं के खिलाफ इसका आपराधिक प्रयोग करना, इस प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं तो एक सर्वे के मुताबिक, मुझे नहीं मालूम कि यह सर्वे कितना सही है, पर एक सर्वे में बताया गया है कि देश के अन्दर 6 करोड़ 14 लाख अवैध हथियार हैं। लाइसेंस हथियारों से लगभग 18 गुणा ज्यादा अवैध हथियार हैं। मुझे लगता है कि इसकी संख्या इससे भी ज्यादा होगी। वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2017 तक लगभग 35,000 अवैध हथियार और लगभग डेढ़ लाख अवैध कारतूस सामान्यत: हर साल पकड़े गए, लेकिन जितने पकड़े जाते हैं, उनके बारे में मुझे लगता है कि वे दस प्रतिशत भी नहीं हैं, ऐसा मैं पुलिस में अपने काम के अनुभव से बता सकता हूं।

महोदया, दुनिया को मालूम है कि इसके कारण गम्भीर अपराध होते हैं। अंडरवर्ल्ड का मुम्बई, अहमदाबाद, इन्दौर, यू.पी. जैसी जगहों में जो इतना पावर बना, उसका मुख्य कारण यही था कि उनके पास ये हथियार और फायर आर्म्स आने लगे। वर्ष 1970 के दशक में, उदाहरण के लिए मुम्बई में अंडरवर्ल्ड के लोगों के पास, माफिया लोगों के पास चाकू-छुरे होते थे। वर्ष 1980 आते-आते इनके पास रिवॉल्वर्स, पिस्टल्स आने लगे और जैसे-जैसे इनके पास अवैध हथियार आने लगे, तो पहले वे शराब का अवैध व्यापार करते थे, स्मगलिंग करते थे, लेकिन उसके बाद वे धीरे एक्सटॉर्शन का गुनाह करने लगे, लोगों को धमकियां देने लगे। अगर लोग उन्हें पैसे नहीं देते तो ये लोगों को गोली मारने लगे। वर्ष 1990 आते-आते, मैं उदाहरण के लिए यह बोल रहा हूं, हमारे अरविंद सावन्त जी यहां बैठे हैं, उन्हें मालूम है कि उस समय मुम्बई शहर इतना असुरक्षित हो गया कि कोई भी बड़ा व्यापारी, कोई भी आदमी अपने बच्चों की शादी किसी फाइव स्टार होटल में करने से डरने लगा, बड़ी गाड़ी खरीदने से डरने लगा, फ्लैट खरीदने से डरने लगा। वर्ष 1990 के आस-पास वहां की हालत इतनी खराब थी और यह उन हथियारों के कारण थी, जो अंडरवर्ल्ड के पास थे। अंडरवर्ल्ड में जो लोग थे, उनमें काफी लोग हमारे यू.पी. के थे, बिहार के थे। यहां से ये रिक्रूट होकर वहां गए और उनके बड़े-बड़े गैंग वहां बने। शुरू में तो हाजी मस्तान, युसूफ पटेल थे। अब्दुल लतीफ अहमदाबाद का था। ये लोग वहां आए। मुम्बई के अन्दर दाउद इब्राहिम आ गया, अरुण गवली आ गया, अमर नाईक आ गया। वर्ष 1993 के बाद छोटा राजन भी आ गया। उसके बाद अंडरवर्ल्ड के लोग भी धीरे-धीरे बढ़ते गए और जैसे लोग जमीन बाँटते हैं, उसी तरह ये लोग शहर को भी बाँटने लगे कि यह मेरा ज्यूरिस्डिक्शन है, यह तुम्हारा ज्यूरिस्डिक्शन है। इसमें तुम काम करोगे, इस तरह वहां होने लगा

और यह केवल अवैध हथियारों के कारण हुआ। इन अवैध हथियारों को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएं, इसलिए यह सब हुआ।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में अवैध हथियारों का सबसे बड़ा कारखाना, जैसा कि मैं नाम सुनता हूं और वह अभी भी होगा, वह बिहार में मुँगेर जिले में मिर्जापुर वर्धा एक जगह है, वहां है। यह सारी दुनिया को मालूम है कि मिर्जापुर वर्धा में सभी तरह के हथियार बनते हैं और वहां से ये बिकते हैं। लेकिन, फिर भी यह सब चल रहा है। इसके अलावा, जैसे बिहार में मुँगेर है, वैसे ही मध्य प्रदेश में खरगौन है। पिछले बीस-तीस सालों से मैं सुनता आ रहा हूं कि खरगौन में सब तरह के हथियार मिलते हैं। मेरठ के हमारे राजेन्द्र अग्रवाल जी बैठे हैं, मेरठ में यह होता है। हमारे शामली जिले का कैराना है, मुज़फ्फरनगर का जौला है। ये कुछ जगहें ऐसी हैं, जहां पर आप किसी भी तरह का अवैध हथियार ले सकते हैं।

(1420/MY/AK)

हमारे देश में बाहर से भी अवैध हथियार आते हैं। अण्डर वर्ल्ड के पास पता नहीं कितने हथियार आए, उनके पास नेपाल तथा बंग्लादेश के रास्ते से हथियार आते थे। बहुत लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तान के पेशावर में दर्रा आदम खेल है। वहां दुनिया का सबसे बड़ा अवैध हथियारों का कारखाना है। वहां कारखाने ही कारखाने हैं। आपको किसी भी तरह का हथियार मिल सकता है। वहां से आप पिस्टल से लेकर, ए.के.47, मशीन गन तथा एंटी एयर क्राफ्ट तक खरीद सकते हैं। वहां से होकर बांग्लादेश तथा नेपाल के रास्ते हमारे देश में काफी अवैध हथियार आते हैं।...(व्यवधान)

मैडम, अभी मैं फर्स्ट स्पीकर हूं, इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मेरा दूसरा मुद्दा है, कुछ जगह ऐसी है, जहां से डीएम तथा पुलिस के बिना जांच किए भ्रष्टाचार के तहत काफी लाइसेंस बनाने के केस सामने आए हैं। जम्मू एंड कश्मीर में भी इस तरह के बहुत लाइसेंस बने हैं। नागालैंड में भी इस तरह के लाइसेंस बने हैं। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में सीबीआई का केस हुआ। केवल मुम्बई शहर के अंदर हम लोगों ने ऐसे 600 लाइसेंस पकड़े हैं, जिनको जम्मू-कश्मीर तथा नागालैंड से बनाकर लोग लाए हैं। मेरा कहना यह है, उसको असला बाबू बोलते हैं, जो डीएम के ऑफिस में रहते हैं। अभी राजेन्द्र अग्रवाल जी बोल रहे थे। यह इतना कमिटेड पोस्ट है कि इन मामलों में वहां बहुत भ्रष्टाचार होता है। हमें वहां ध्यान देने की जरूरत है कि इतनी गड़बड़ी क्यों होती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि देश और समाज में जो खतरा अवैध हथियारों तथा नक्सली इंसर्जेंट से है, वे पुलिस तथा फौज पर हमला करने का दुस्साहस करते हैं। इनकी रोकथाम के लिए हथियार कानून में जो बदलाव लाया गया है, मेरा विश्वास है कि यह बहुत ही ज्यादा प्रभावी होगा।

सभापति महोदया, मेरे कुछ सुझाव भी हैं। माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। पहला, प्रत्येक जिले तथा प्रत्येक राज्य में अवैध हथियारों के नियंत्रण के लिए एक इल्लीगल आर्म्स कंट्रोल सेल बनाना चाहिए। यह आज तक नहीं है। अवैध हथियारों के बारे में एक सेल बनाया जाए और उनको यह काम दिया जाए कि इस देश के अंदर जितने भी अवैध हथियार हैं, उनकी अवस्थापना कीजिए। दूसरा, आर्म्स एक्ट में हथियार कानून के अंदर जितने भी आरोपी है, उनको एंटी सेपेटरी जमानत नहीं दी जाए। बिहार के अंदर इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ। बिहार में उस समय डी.जी.

अभयानंद जी थे। उस जमाने में उन्होंने कहा कि आर्म्स एक्ट के जितने भी केस हैं, ज्यादातर लोग आर्म्स एक्ट में पकड़े जाते हैं और जल्दी ही बेल पर वापस आ जाते हैं। उन्होंने जुडिशियरी से बात करके, अभी के जो मुख्य मंत्री है, उनसे भी बात करके इन सभी की जमानत कैंसिल की गई। इसके लिए बहुत ही फास्ट ट्रायल हुआ। अगर आप बिहार के वर्ष 2008, 2009 तथा 2010 के आंकड़ें देखें, मेरे पास सारे आंकड़े हैं। वहां कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हुई है, केवलमात्र आर्म्स एक्ट के अंदर कानूनी कार्रवाई करने से बहुत हद तक स्थिति सुधरी है। केवल छह महीने के अंदर उनको सजा दी गई।

महोदया, मेरा एक और निवेदन यह है कि डीएम और एसपी की ए.सी.आर. में, उनके क्षेत्र में लोग यह सोचते हैं कि अरे, मेरे जुरिस्डिक्शन में अगर कोई हथियार बना रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग बाहर जाकर क्राइम करते हैं, उनके ए.सी.आर. में एक नोट लिखा जाए कि इल्लीगल हथियार के बारे में इन लोगों ने क्या किया है। जैसा मैंने कहा कि लाइसेंस बनाने के लिए हमें बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था करनी चाहिए। मेरा एक और निवेदन यह है कि वर्ष 1984 में एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट पॉलिसी आई, हम बाहर से जो हथियार इम्पोर्ट करते थे, उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। हमारे देश के अंदर अच्छी क्वालिटी के वेपन तथा स्मॉल आर्म्स नहीं बनते हैं। सरकार से मेरा निवेदन यह है कि क्या इस विषय पर पुनर्विचार करना चाहिए कि यह जो वर्ष 1984 इम्पोर्ट पॉलिसी है, उसको दोबारा शुरू किया जाए? इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए।

ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो रिवॉल्वर तथा पिस्टल बनते हैं, अगर उनकी कीमत भी थोड़ी रीजनेबल रखी जाए तो अच्छा रहेगा। अगर लोगों को आराम से हथियार मिलेगा तो वे इल्लीगल आर्म्स की तरफ नहीं जाएंगे। आप लोगों ने एक लाइसेंस पर दो हथियार अलाऊ कर दिया तो मैं माननीय गृह मंत्री जी का उस बात के लिए बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं।

अंत में, मैं आशा करता हूं कि इस देश के तेजस्वी गृह मंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसा देश बने, मैं अपनी बात एक उदाहरण से कहना चाहता हूं। महाभारत में एक उदाहरण आता है, भीष्म पीताम्ह शर-शैय्या पर पड़े हुए हैं और युधिष्ठर उनके पास जाते हैं। युधिष्ठर उनसे उपदेश मांगते हैं कि भीष्म पीतामह जी, मैं अभी राजा बन गया हूं, अब मुझे कुछ उपदेश दीजिए कि राज्य कैसे चलाया जाए। उन्होंने कहा कि

'स्त्रियश्च पुरुषांच मार्गं सर्वालंकार भूषिता ।
निर्भया प्रतिपद्यन्ते यदि रक्षित: भूमिप:।।'

(1425/CP/SPR)

उन्होंने कहा कि जहां स्त्री और पुरुष सारे अलंकार पहन कर अगर सड़क पर जा सकते हैं, निर्भय होकर घूम सकते हैं, तब हम कहेंगे कि देश सुरक्षित है। हमारा देश ऐसा सुरक्षित बने। मेरा पूरा विश्वास है कि इससे अवैध हथियारों पर कंट्रोल होगा। ऐसे लोगों के लिए सजा बढ़ाई गई है और नियम में यह किया गया है।

मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1426 hours

SHRI A RAJA (NILGIRIS): Madam, thank you for giving me this opportunity to say a few words on the Arms (Amendment) Bill, 2019. There are two major changes. Apart from these two, the other change is that a number of firearms can be kept by a person. Firstly, the definition of new offences; secondly, enhancement of punishment. I want to mention a few international Conventions, out of which, I think, the Bill has come out.

There is a need to revisit the circumstances for bringing the Arms Act, 1959. The Bill, in the present context, is having a root in the United Nations Conventions. The illicit proliferation of firearms and misuse of them is a great curse in these hectic days. By reading this Bill, I can understand the circumstances for revisiting the Act. The circumstances are increasing the organised crimes by using illicit weapons; a growing number of licenses for arms, which need more regulations; and inadequate punishment for the offences committed for using the weapons. On these three footings, the Bill stands.

Madam, in 2001, the most intense effort came into existence through the United Nations. The United Nations Small Arms Conference was held in New York. The primary purpose was to consolidate and coordinate small arms initiatives and develop an agenda for action. The resolving agenda for action contains recommendations for various governments – national, regional and global – as to how to follow up roadmaps in this regard.

As part of this agenda, the United Nations have taken up the issue of small arms and proliferation of arms in the United Nations Security Council and the United Nations General Assembly. In consequence of these two incidents, the United Nations Security Council took cognisance and the United Nations General Assembly took cognisance. Over these issues, another Conference was comprehensively held in the name of the United Nations Conference on Illicit Trade and Light Weapons a year back, which resulted in an international Programme of Action (PoA) on Illicit Arms. It was decided in the Conference to have a clear and comprehensive set of laws, regulations and administrative procedures that covers all aspects of manufacture, transport, storage and disposal of arms. These are the pre-requests for an effective national response to an illicit proliferation and misuse of arms.

I hope, all these Conventions and deliberations in the Conventions might have been kept in mind by the Government while bringing this Bill. In that sense, broadly, I welcome the measures taken by the Ministry of Home Affairs. This is the Bill essentially needed in this context.

Coming to the Act, I would like to simply make two suggestions. Section 25 of this Bill gives a new definition for the organised crime syndicate, in which any person can be involved in an offence.

(1430/UB/NK)

"The Explanation – For the purpose of sub-sections (6) and (7) – 'Organised crime' means any continuing unlawful activity by any person, singly or collectively, either as a member of an organised crime syndicate or on behalf of such syndicate, by use of violence or threat of violence or intimidation or coercion, or other unlawful means, with the objective of gaining pecuniary benefits – Madam Chairperson, please see 'pecuniary benefits' – or gaining undue economic or other advantage for himself or any person."

So, the sole intention of the Bill is to punish those people who are indulging in an unlawful act which was meant for pecuniary benefits, gaining undue economic or other advantage. My humble submission to the hon. Minister is that it should not be only advantages because, sometimes, the crime is not committed only for pecuniary advantages. The crime can be committed on the basis of the principle of antagonism against a person or a group. When someone's philosophy, principle or some policy does not suit the other person or a group of people, then a rivalry or a conflict occurs between them and a crime will be committed by both of them. That is not addressed in the Bill. I request the hon. Minister that this point must be kept in mind.

Madam, I have another small suggestion. Regarding the punishment, sub-section (9) says, "Whoever uses firearm in a rash or negligent manner in celebratory gunfire so as to endanger human life or personal safety of others shall be punishable with an imprisonment for a term which may extend to two years…". Madam, the offence may be by way of use of firearm in a rash or negligible manner. The celebratory gunfire in a celebration is in order to show strength; there is no intention to harm anybody but apprehension or threat may be there. The Government has given the provision of punishment of two years. I think, seizure of licence, punishment for minimum six months, fine or something

like that can be done for this purpose because punishment for two years is too much for a celebratory gunfire. So, my humble submission is that these two suggestions can be taken into consideration.

We are talking about the misuse of a weapon by an individual, but what about the misuse of a weapon by the armed forces? A person can be permitted to use a gun or a firearm for self-defence. What about the Government sponsored act by the armed forces or State police? One year ago, in Tamil Nadu, there was an agitation by the people against the Sterlite Plant as it was creating pollution. It might be known to everybody. A huge group of people protested to close the Sterlite Plant. It is a common cause. People were sitting peacefully in front of the Collectorate but the State police fired at the people, not following the norms prescribed under law; they aimed at particular persons who carried out the agitation for years together, those who were the leaders and who were the front runners in the agitation. The Police fired at them using the telescope. It is absolutely a brutal murder committed on the part of the State Government. The Chief Minister of Tamil Nadu did not give any condolences. He did not even admit either on the floor of the House or outside that there was a shooting at all. He simply said that thirteen persons were killed. So, this type of excess of power which is used by the State's armed forces must be regulated. Some provisions must also be brought into account. With these words, I commend the Bill.

(ends)

(1435/KMR/SK)

1435 hours

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam, as far as the Arms (Amendment) Bill, 2019 is concerned, there is a new provision being sought to be made vide Clause 2*(ea)* for granting licences. But what are the guidelines for granting such licences? What would be the criteria? Who will get the licences? The guidelines for issuance of licence should be stricter. I find that the Bill which has been brought is in keeping with the judgment of the Supreme Court delivered in 2012.

I would like to seek some clarifications in this regard. Before that, I want to state a few facts. Seizure of illegal weapons increased by 11.5 per cent between 2014 to 2016. Seizure of arms is done under the Arms Act. I have the NCRB figures of illegal arms seized up to 2016. The State of Uttar Pradesh is at first position as far as unauthorised arms seizure is concerned with a total of 27,850 arms, that is 46 per cent of the total arms seized. Next comes Madhya Pradesh with 9,269. Then comes Rajasthan with 6,840. Then comes West Bengal with 3,311. Next comes Bihar with 2,821. So far, Uttar Pradesh and Jammu and Kashmir are the two top States in the country where respective District Administrations had issued more than three lakh gun licences.

Now, the question is, what should be the criteria to decide as to who will get the licence. About seven people are arrested every hour in India with illegal weapons. That is the situation obtaining in the country now. I would seek certain clarifications now and request the Government to see if they could include the points in the rules in future.

It can be seen that private security agencies are seeking licences and they, in turn, are providing firearms to private security guards. The question is, whether private security guards who are carrying those firearms are authorised to do so. It has now become a status symbol for a few rich people, a few politicians or others to engage private security guards carrying firearms for their security. Who are these firearms issued to? They are not issued to a person to protect or guard any other person. Even when the police personnel carry firearms, they do not display them to be seen by the general public. But you can clearly see the private security guards going around with firearms. The

impression that the general public gets is that these rich people are being protected by Black Cat commandos.

(1440/SNT/MK)

Let us assume one can use a firearm for self-defence. If one has hired a security person, and if he is attacked, though the private security person is usually not attacked, can he use a firearm? There must be check and balance. I would request the hon. Minister to look into this subject which is now a big phenomenon. They think that unless it is there, there is no status! Status has to be done away with.

My next concern is to have private security guards with arms. So far as the security agency is concerned, do you think that rules and acts permit to grant such type of licences to any security agency who may gain say, 15, 20, or 30 per cent profit and give firearms for the purpose when it is being hired? This is a matter of great concern.

Illegal trading of arms business has been increasing. Today we find that even a child, not a minor child, is also carrying illegal arms. One month back, one incident happened, I have forgotten the name of the State. A minor boy had fallen in love with a girl. That girl loved another person. And that boy who was carrying the firearm killed the girl. How can such incidents be stopped?

Another point is this. U.P., Jammu & Kashmir, Patna, and Munger district of Bihar have become a hub of manufacturing illegal arms. Why is it so in the border areas? Border security forces are not very much proactive to seize illegally transported firearms. In the border areas, Border Security Force has to be vigilant. So, these are the places where it has to be done very seriously.

Now, Madam, I would like to point out that Azamgarh and Muzaffarnagar, Uttar Pradesh have acquired notoriety as manufacturing hubs. …(*Interruptions*)

माननीय सभापति (डॉ. काकोली घोष दस्तीदार): आप टोका-टोकी मत कीजिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): The gun that killed Gulshan Kumar was a made in Bamhaur. So, necessary steps should be taken in this context.

माननीय सभापति (डॉ. काकोली घोष दस्तीदार): आप बीच में क्यों बोल रहे हैं।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam, the Supreme Court has passed an order in which a bench of Justice K.S. Radhakrishnan and Dipak Misra said: “Proliferation of arms and ammunition, whether licensed or not, in the country disrupts the social order and development, vitiates law and order situation, directly contributes towards lethality of violent acts which needs to be curbed. We are sorry to note that the law enforcing agencies and to a certain extent, the courts in the country always treat the crimes lightly without noticing the havoc they can create, to the ordinary peace-loving citizens of this country, to the national security and to the integrity and unity of this nation.” The Supreme Court again stressed the importance of avoiding the minimum sentence under the law at least for three years. Now, you have made it five years.

(1445/GM/RPS)

This is incommensurate with the views expressed by the hon. Supreme Court. As far as the Arms Act is concerned, today every agency should be more proactive. The border area, where the Central forces are posted, is a route of illegal transfer of arms; arms are either trafficked to this side or to the other side of the border. The Border Security Force should be more proactive. All the State agencies have to be more proactive in this matter. Earlier, a person could have kept three weapons. Now, it has come down to two or one. What is the necessity of keeping a weapon at all? A perfect man does not require any arms. We do not require any arms. If the Government is giving us security, it is all right. If not, that is all right. Why is a weapon required?

There are rifle clubs where shooters get their training. What are the guidelines and the criteria as far as rifle clubs are concerned? There are arms dealers who will be dealing with arms and ammunition. What are the criteria for them? How are they checked? Are there any rules or guidelines about how it can be done? These are some of my points and clarifications. If the hon. Minister responds, I will be very happy.

This part of the Act, which I am now going to mention, has to be applied more strictly. There are people who indulge in illegal arms trading. Some people keep four or five persons as private security just for status. Sometimes, very few politicians, who have not been given the security, have three or four persons dressed like black cat commandoes. This should be stopped. Even the bouncers carry weapons with them. Actors, singers etc. have six to eight armed bouncers with them. The Government should make a comprehensive law in this regard. I am thankful to the hon. Minister who has very patiently heard me. Thank you. (ends)

1449 hours

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): Hon. Chairperson, Madam, thank you for giving me this opportunity to speak on the Arms (Amendment) Bill 2019. The legislation dealing with the acquisition, possession, use, manufacture, transfer, sale, transport, export and import of arms and ammunition is contemplated in the Arms Act of 1959. The Act also provides for penalties for contravention of provisions given in the Act. From a perusal of the various provisions of the Act, it is evident that the Act needs updation with time and developments in the arms scenario in India. Madam, with the passage of time, the menace of illegal weapons is on the rise. These weapons have created a spike in organized crime in many parts of the country.

(1450/RSG/IND)

The advancement in technologies has made matters more gruesome as firepower of illegal firearms can now be made at par with legal ones. The sophistication of weapons is also such that it becomes more difficult to identify illegal weapons. Law enforcement agencies, thus, have a tough time in identifying and establishing the illegality of weapons.

Due to rise of fire power, illegal weapons will cause much more harm than before and will be a serious cause for concern in our internal security considerations. Illegal weapons are not only manufactured and traded within India but also outside the country. Transport and smuggling of such illegal weapons is a vital link in creating a spike in the supply of such weapons. Such trade occurs across the entire border of India which is an offshoot of the global nexus of illegal weapons trade. As the geopolitical scenario further deteriorates in our neighbourhood and across the globe, it becomes pertinent to nip this supply chain through stronger legislation that can curb the demand to begin with.

In this context, an amendment to the Arms Act, 1959 becomes important for the internal security of the country, for the security of our citizens, and in our fight against the global nexus as well. Stricter and more commensurate punishments are needed to act as an effective deterrent against illegal weapons.

The Bill enhances the period of arms licences from three years to five years and also provides to issue arms licences in electronic form. The enhancement of the period is in the spirit of convenience to legitimate users of arms by reducing the frequency of interaction with the bureaucracy. The electronic form licence issuance will also help curb red-tapism.

There are some suggestions from my side. I would like to suggest to the hon. Minister, through you, to incorporate the following suggestions. Whoever threatens any person at the point of arms to commit any other offence shall be punished with imprisonment either a term of description which may extend to two years or with a fine up to Rs. 20,000 or both. Secondly, every offence under this Act shall be cognisable and non-cognisable within the meaning of the Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974). The third suggestion is the deletion of section 39. The existing section 39 may be deleted as it calls for unnecessary delay and technical problems.

Before concluding, I would like to remind this hon. House that before become a Member of this august House, I was in the Andhra Pradesh State Police Department and I fully understand the intent of the Government in bringing this Bill. I would like to congratulate the hon. Home Minister Shri Amit Shahji for bringing this Bill, given the internal security situation in India and the rise in gun usage.

Thank you.

(ends)

(1455/RK/ASA)

1455 hours

SHRI ACHYUTANANDA SAMANTA (KANDHAMAL): Madam, thank you for allowing me to speak on the Arms (Amendment) Bill, 2019. I support the Bill.

Currently, in India there are approximately 4 million arms licences. It is being observed that possession of illegal firearms, that are used to commit crime, has increased and, therefore, the Arms Act, 1959 is being amended to regulate the acquisition, possession, sale, use, manufacture, transport, export and import of arms. This will ensure reduction in violence and will remove the use of illegal weapons in the society.

Still, there is an issue of firearms that have been in the family for generations. Most of these weapons are old, making them obsolete. The inherited weapons are treasured items for such families and they are not for any use. Recently, the Government has amended the Arms rules to allow private manufacturers to produce firearms. Now, the Government wants to restrict the ownership to one weapon. In such a case, the market of firearms will get affected since the citizens will be allowed the ownership of only one weapon. According to the National Crime Records Bureau, licenced firearms hardly contribute to the growing crime in the country.

The Government *via* the Arms (Amendment) Bill, 2019 seeks to introduce an amendment to the Arms Act, 1959. The proposed law will not only decrease the number of licenced firearms that a person can keep in possession but also will increase the penalty for certain offences under the Act. I am of the view that a person can obtain firearm licence for only one weapon instead of three. In cases where a person has more than one firearm, after the commencement of the proposed Act, he has to deposit the remaining firearms within one year. Failure to do so will

lead to cancellation of the licence within 90 days from the date of expiry of one year.

The validity of the licence has been increased from three years to five years. The Act bans the manufacturing, sale, use, testing, transfer, and conversion of firearms without a licence. The punishment for manufacturing, sale, transfer, conversion, repair, testing of firearms without a licence is imprisonment for a minimum term of seven years, which may extend to life imprisonment. The previous prescribed punishment was imprisonment for a minimum term of three years, which may extend to seven years. Punishment for acquiring or possessing a prohibited arms or ammunition is imprisonment for a minimum term of seven years, which may extend to fourteen years. Previous prescribed punishment was imprisonment for a minimum term of five years which may extend to seven years.

The proposed Bill has inserted a new clause with respect to organised crime syndicate. The possession, manufacture, sale, and transport of firearms by a member of syndicate will lead to imprisonment between ten years and life, along with a fine.

Lastly, the introduction of this proposed Bill shows a positive intent on the part of the Government to reduce the use of illegal firearms which leads to violence. I am very much happy that the shooters, who are the pride for the entire country, are allowed to keep three main arms, like rifles, shotguns and handguns. It is a good thing for the shooters who are bringing laurels to the country. Hence, on behalf of the BJD, I support this Bill. Thank you.

(ends)

(1500/RAJ/RC)

1500 बजे

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): मैडम, मैं आयुध (संशोधन) विधेयक 2019 पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हूं। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और रीजन्स देखेंगे, तो लगता है कि यह सही है। हालांकि आज भी कानून राज्य के तहत आता है। The law and order come under the State Government. लाइसेंस कौन इश्यू करता था, यह राज्य के होम मिनिस्ट्री से इश्यू होता था। हम केन्द्र की तरफ से यह कानून ला रहे हैं, तो क्या हम राज्य के अधिकारों को छीन रहे हैं, इस पर भी विचार होने की आवश्यकता है।

1500 बजे (श्री ए. राजा पीठासीन हुए)

जब हम कहते हैं कि आज कल साफिस्टिकेटेड, इलीगल आर्म्स आ गए हैं। Now-a-days, you are getting the sophisticated arms. इलीगल आर्म्स, ट्रैफिकिंग इन सभी मुद्दों पर सही है, इसके प्रावधानों के ऊपर कोई बहस नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि जब हम लाइसेंस देते हैं, तो Very stringent rules are applied. उसको अप्लाई करके लाइसेंस दिया जाता है। आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि जितने भी आज लाइसेंसधारक देश में हैं, क्या उनकी वजह से कभी खून-खराबा हुआ। मुझे बताइए कि एक भी लाइसेंसधारक ने इसका गलत इस्तेमाल किया। रेयरेस्ट एंड रेयरेस्ट उदाहरण होगा कि किसी ने आत्महत्या की होगी, लेकिन किसी को नहीं मारा है। एक स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। Gun loving people are there. They possess the licence. There are sportsmen who possess the licence. There are people who possess the licences due to security reasons. आप इस तीन कैटेगरी में देखेंगे कि जितने लोगों ने भी लाइसेंस लिए हैं, आप मुझे बताइए कि किसी ने उसका गलत इस्तेमाल किया है। मेरे पास महाराष्ट्र राइफल एसोसिएशन का पत्र है। उन्होंने उस पत्र में खुले आम लिखा है कि lovers of sports – shooting and are passionate about shooting paper targets. वे फायर रेंज में पेपर टारगेट पर शूटिंग करते हैं। It further says that a large number of our members enjoy more than three guns according to their levels and achievements as defined in Exemption Notification. किसी के पास तीन-तीन गन है और स्पोर्टस में तो पांच-पांच गनों का प्रावधान है। Then it says that they strongly suggest that instead of reducing the number of weapons from three to one, it should be increased to five as there are mainly five categories of fire arms. These are – pistol/semi-auto hand gun, revolver hand gun, small bore .22 rifle, centre fire/big bore rifle and shot gun. ये स्पोर्टस एक्टिविटीज में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम स्पोर्टस एक्विटीज करने वाले लोगों को प्रोत्साहन नहीं देंगे, हमें उनका स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा।…(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): स्पोर्टस मेन के लिए, राइफल क्लब हो या राइफल एसोसिएशन हो, जिनका जिक्र आदरणीय सांसद जी कर रहे थे, इसके लिए कोई चेंज नहीं किया गया है, वैसे ही रूल्स हैं। स्पोर्ट्स मेन जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस बिल के माध्यम से उनको रोकने या कंट्रोल करने के लिए कोई नया नियम नहीं लाया गया है। स्पोर्ट्समैन के लिए रूल्स वैसे ही हैं। आर्मी के पास भी दो वेपन्स होते हैं, उनके पास एक खुद का वेपन होता है। आर्मी के लिए भी रूल चेंज नहीं किया गया है। तीसरा, लाइसेंस इश्यू अथॉरिटी केन्द्र सरकार ने नहीं लिया है, वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ही होते हैं। पहले से जो नियम है, वह वैसा ही है। हम नया ऐक्ट नहीं लाए हैं, वर्ष 1958 का ऐक्ट है, वैसा ही है, यह सिर्फ अमेंडमेंट है।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): मैं स्वागत करता हूं कि आपने तुरंत उत्तर भी दे दिया। I was expecting your answer when you will be going to give the reply to the debate. इसके बारे में हमारे माननीय मुख्य मंत्री, उद्धव ठाकरे जी ने पत्र लिखा है। हमारे देश की संस्कृति, परंपरा, राजघराने, जिनके पास बहुत सारे वेपन्स हैं, कहीं उनका गलत इस्तेमाल न हो।...(व्यवधान) उन्होंने भी पत्र लिखा होगा। मेरे माननीय मुख्य मंत्री, उद्धव ठाकरे जी ने इसके बारे में आपको पत्र लिखा है। उन्होंने आपसे यही अपेक्षा की है, स्पोर्ट्स के बारे में अपेक्षा की है, रिट्रास्पेक्टिव न लगाया जाय। यह राज्य का अधिकार है। आपने उसका जवाब दे दिया है, वह और अच्छा हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सत्यपाल जी, जो मुंबई के कमिशनर रहे हैं। जो अवैध हथियार इस्तेमाल करने वाले लोग हैं या जो आतंकवादी हैं, उनके लिए यह कानून बहुत अच्छा है, स्वागत करने लायक है, लेकिन हम वहीं पाबंदी लगाने में कमजोर हो रहे हैं। उनके पास हथियार कहां से आते हैं। नक्सलियों के पास कहां से हथियार आते हैं, अंडरवर्ल्ड के पास कहां से हथियार आते हैं? उन हथियारों के बारे में हम क्या करने वाले हैं, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। The law-abiding people should not have any fear in their mind. On the contrary, this Rifle Association came forward and itself said this.

(1505/VB/SNB)

We are here to serve the nation. We are having licence. We are having the practice of shooting also. As and when the situation demands, why the Government does not allow us to take part the protection of the country? That also can be thought of. वह भी उन्होंने कहा है। एक बात यह है कि इसमें रेट्रोस्पेक्टिव लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि यह भी गलत होगा, क्योंकि जो पुराने वेपंस हैं, जो शौकीन लोग हैं, जिन्होंने वर्ष 1985, 1995 या 2000 में लिया होगा, लेकिन आज की डेट में नये और सॉफिस्टिकेटेड वेपंस आते हैं। आप कहेंगे कि पुराने वेपंस सरेंडर कर दो। इससे अच्छा है, वे लॉ-एबाइडिंग मेन हैं, why should we have fear about them? Why should we not have faith in them? जो लॉ-एबाइडिंग पर्सन्स हैं, उनको देने में क्या है? अगर वे वेपंस रिपेयर के लिए दिए जाते हैं, तो वे कितने साल में रिपेयर होकर आते हैं, यह देखिए। इस बीच में वह खुद का भी प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन, मैं समझता हूँ कि जो वैसे शौकीन लोग हैं, शादियों में चलाने वाले, नार्थ इंडिया में तो देखते हैं कि सब

गन लेकर घूमते रहते हैं। जैसा कि हमारे मित्र ने कहा, वे सब लोग वेपंस लेकर घूमते हैं। It should be prevented. Nothing wrong in that. यह सब जो फैशन बन गया है, वह गलत है। लेकिन जो लाइसेंस होल्डर्स हैं, there are law-abiding people and we should have no fear of them.

मैं एक सजेशन भी दूता हूँ। इतनी जल्दबाजी क्या है? हम इसे क्यों नहीं जॉइंट सिलेक्शन या स्टैंडिंग कमेटी के पास लेकर नहीं जाते हैं? इस पर थोड़ी और बहस होगी। कुछ बातें और डिटेल में मालूम होगी। डॉ. सत्यपाल साहब ने तो डिटेल्स दी थी कि 10 करोड़ वेपंस हैं। लाइसेंस लेकर भी वेपंस लेने वाले भी लोग हैं। यह भी बड़ी अच्छी बात है कि लाइसेंस ले लिया है, लेकिन वेपन नहीं खरीदा है।

सर, यह अमेरिका नहीं है। This is not USA. जहाँ खुलेआम बेचा जाता है, खुलेआम शूटिंग होती है। यह हमारे देश में नहीं होता है। यहाँ पर लोग कानून को मानते हैं। इसलिए इस तरह का कानून लाकर, लोगों में जो थोड़ी घबराहट पैदा करने वाली बात होती है, उसको दूर करके यदि इसे जॉइंट सिलेक्शन कमेटी के पास भेजा जाएगा, तो ज्यादा अच्छी बहस होगी और ज्यादा अच्छा कानून आएगा।

जैसा कि अभी आपने बताया कि यह लॉ स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए नहीं है। यह कानून में तो मौजूद नहीं है, उसमें नहीं लिखा है। That has to be provided.

इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हो सके तो इसे जॉइंट सिलेक्शन कमेटी के पास भेजें और इस बिल को जॉइंट सिलेक्शन कमेटी से रिक्मेंड करवाकर लाएँ, फिर इंट्रोड्यूस करें और इसे पास करवाएँ।

(इति)

1507 बजे

श्री महाबली सिंह (काराकाट): माननीय सभापति महोदय, आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019 सदन में लाया गया है, मैं इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

वर्ष 1959 में जो अधिनियम बना था, उसमें भी अस्त्र-शस्त्र की तस्करी पर और इसे अवैध रूप से रखने वालों के विरुद्ध कानून बना था। कानून बनने के बाद अवैध हथियारों पर रोक नहीं लग सकी, बल्कि दिन-प्रतिदिन अवैध हथियारों की तस्करी होती रही। चीन के द्वारा और पाकिस्तान के द्वारा हथियारों की तस्करी होती रह गई। यहाँ तक कि मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि हमारे देश में जो ऑर्डनेंस फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ से हथियार चोरी करके तस्करी के माध्यम से आपूर्ति होती रही है।

जहाँ तक हमारी सोच है कि देश में सभी राज्यों में छोटी-मोटी अस्त्र-शस्त्र की अवैध फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखेंगे, तो अस्त्र-शस्त्र की छोटी-मोटी फैक्ट्रियाँ अवश्य मिल जाएंगी।

कानून काम करता है। केवल कानून बनाने से नहीं होगा, बल्कि कानून को इतनी बारीकी से लागू करना होगा कि लोगों में कानून का डर पैदा हो। कोई भी हथियार बनाने वाला, जो तस्कर है या कारखाना चलाने वाला है, वह हथियार बनाता है, पकड़ा जाता है, जेल जाता है और उसे तीन महीने या छ: महीने के बाद जमानत मिल जाती है। वह वापस आकर फिर से हथियार बनाना शुरू कर देता है।

(1510/SPS/RU)

हर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को मालूम है, लेकिन उस पर रोक नहीं लगती है, क्योंकि वह जानता है कि अगर हम पकड़े भी जाएंगे तो साल या छ: महीने के बाद जमानत हो जाएगी, उसके बाद फिर वह उसी काम को करना शुरू कर देता है। इसलिए इस तरह का जो बिल लाया गया है, इसमें कड़े से कड़ा कानून होना चाहिए, जिससे जो अवैध करोबार करने वाले हों, तस्कर हों, चाहे छोटे-मोटे हथियार बनाने वाले हों, उनके अंदर डर पैदा हो। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं कि हमको हर डिस्ट्रिक्ट और हर राज्य के विषय में अनुभव है, जानकारी है। इस पर कड़ा कानून बनना चाहिए। हमने देखा है कि हमारे बिहार या देश के अंदर ए.के. 47 राइफल तस्करी के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर आई हैं कि कहीं भी छापा पड़ता है तो ए.के. 47 राइफल मिलती है।

हमारे गृह राज्य मंत्री जी बैठे हैं, आप इस पर कड़ा कानून बनाइए। पहले 3 साल की सजा थी, उसको 6 साल कर दिया, जो 7 साल की सजा थी, उसको 14 साल कर दिया था, इससे इस पर रोक लगने वाली नहीं है। इस पर कड़ा प्रावधान लाइए। जो अवैध तस्कर हो, अवैध हथियार रखने वाला हो, अगर वह पकड़ा जाता है और वह हथियार सहित पकड़ा जाता है, तो ऐसा कानून हो कि 6 महीने या साल भर में उस मामले का निपटारा होना चाहिए, ट्रायल चलाकर उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। यह मामला पेचीदा होकर 10, 12 या 18 साल तक चलता रहता है। इससे कानून का किसी को भी भय नहीं है। कानून का भय उसी शर्त पर होगा, जब उस तस्कर या हथियार रखने वाला आदमी पर दो साल के अंदर ही ट्रायल शुरू करवाकर उसको सजा दी जाए, तब जाकर अवैध हथियारों पर प्रतिबंध लगेगा, लेकिन अभी वह डरने वाला नहीं है। हम लोगों ने इस बिल में देखा है

कि पहले एक व्यक्ति को तीन अनुज्ञप्ति रखने का प्रावधान था और अब जो बिल है, उसमें आप लाए हैं …(व्यवधान) महोदय, अभी हमारा समय बाकी है। जनता दल (यूनाइटेड) का समय बाकी है, लेकिन अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। पहले जो तीन हथियार रखने की अनुज्ञप्ति थी, उसमें आपने दो कर दिए हैं। यह बहुत खुशी की बात है कि आपने दो रखने की बात की है। मैं इसलिए यह बात कह रहा था, क्योंकि अगर किसी के पास एक हथियार रहता है तो कोई उग्रवादी, आतंकवादी या नक्सलवादी उस पर अटैक करता है तो फिर कोई कुछ कर नहीं पाता है। झारखण्ड और बिहार नक्सलवादी क्षेत्र है। आपने बहुत अच्छा किया कि दो हथियार रखने का प्रावधान कर दिया है, इसके लिए आपको बधाई देता हूं। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

(इति)

1514 बजे

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): महोदय, धन्यवाद। मैं एक कपलेट से अपनी बात शुरू करता हूं। इसे मैंने कहीं से नकल नहीं किया है और न ही उधार लिया है। अच्छा तो यह होता कि माननीय गृह मंत्री जी मौजूद होते, यह उनके लिए था। जो उनसे छोटे मंत्री हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसे उनको नजर कर दें। यह मेरा खुद का बनाया हुआ है।

"मत दो आदमी को इतनी सजा हे हुकाम,
हम तो पहले ही तेरी शिलाओं की मार झेले हैं,
एक उधारी है, अपनी हर फतह पर इतना गुरूर न कर,
मिट्टी से पूछ आज सिकंदर कहां है।"

(1515/MM/NKL)

सभापति जी, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आज न केवल अपने जनपद जौनपुर के मसाईल के बारे में बात कर रहा हूं बल्कि पूरे देश के पीड़ित और इस अमेंडमेंट से सदमाग्रस्त लोग हैं, उनके बिहाफ पर भी मुझे बात करने का मौका मिल रहा है।

At the outset, I would like to say that this amendment of reducing the number of weapons from three to one, now I have been told by the hon. Minister that it has been reduced to two, is not well-thought of; it is statistically incorrect, ill-conceived, immature, unwarranted, non-sensible, not reasonable, irrational, regressive, inappropriate, hurried and harried, and on the verge of arrogancy.

मैं कहना चाहता हूं कि जैसे औरतें अपने गहने की तारीफ अपनी सहेलियों-सखियों में करती हैं, उसी तरह से आर्म्स आदमियों के आभूषण की तरह हैं। जब हम आदमियों में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास पेराजी है, हमारे पास ब्लेजर है, हमारे पास गलैक्स है, हमारे पास तरह-तरह की पिस्टल्स हैं तो हमारी बांछे खिल जाती हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपने तीन से दो तो कर दिया है, लेकिन आपके पास तो थाने में रखने की जगह भी नहीं है। अभी जो जब्त किए गए वैपन्स हैं, वे बुरी तरह से सड़ गए हैं। अभी अगर किसी का वैपन जमा हो जाता है तो वह अपनी किस्मत को ठोकता है, क्योंकि उसका वैपन सड़ जाता है और खराब हो जाता है। तीन से दो आपने किया है, लेकिन एक आंकड़े के अनुसार कम से कम 90 हजार करोड़ रुपये का नुकसान आप आम आदमियों का कर रहे हैं। आपके पास थाने में रखने की जगह नहीं है। वे मैंटेन नहीं हो पाएंगे और सड़ जाएंगे। इससे जीडीपी को भी बहुत नुकसान होगा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि यह जो आंकड़े हैं। आपने इन आंकड़ों को देखा होगा, मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने भी तरह-तरह की बातें की हैं, लेकिन मैं अपनी बात सूक्ष्म में इसी पर कंसंट्रेट करता हूं। एनसीआरबी का एक आंकड़ा है which gives State-wise details of victims murdered by use of firearms. The shocking revelation is that only 8.5 per cent of the total murders with firearms were committed with licensed weapons, and 91.5 per cent of it were committed with unlicensed, illegal weapons.

मेरा आपसे कहना है कि आप वैपन की संख्या कम करने की बजाय लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त कीजिए। हम सभी लोग जानते हैं कि आपका लॉ एंड ऑर्डर देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में कैसा है? औरत तो दूर की बात है आदमी भी सुरक्षित नहीं है कि वह अपने घर पहुंच जाएगा, सभी लोग चिंतित रहते हैं। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कीजिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि डॉ. जी.वी. मावलंकर जी इसी सभा के पहले अध्यक्ष थे। वह हमारी नेशनल राइफल एसोसिएशन के प्रेज़िडेंट थे। जब देश आजाद हुआ तो इंटरनल बहुत डिस्टरबेंस था। उन्होंने जगह-जगह पर राइफल क्लब बनवाए, राइफल क्लब की बिल्डिंग बनवायी और लड़कों-लड़कियों और नौजवानों को आर्म्स की ट्रेनिंग देने का काम किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इसके बारे में कम्पलेसेंट मत होइए, कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं और इंटरनल डिस्टरबेंस हो सकता है। हम लोग जो शूटर हैं, जो आर्म्स वाले हैं, जो असलेहधारी हैं, वही काम आएंगे देश में इंटरनल डिस्टरबेंस को कंट्रोल करने के लिए और माननीय मंत्री जी जो इतनी सुरक्षा में चलते हैं, वह नहीं आएंगे। वह उस समय नहीं दिखेंगे। केवल लाइसेंसी ही देश की रक्षा के लिए काम आएगा। मैं अपने सत्ताधारी बीजेपी के भाइयों से जब भी बात करता हूं तो बहुत लोग कहते हैं कि सभी इसके विरोध में हैं, लेकिन आपके पास संख्या बल है और सत्ता में, शासन में हैं।

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): Please conclude.

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): महोदय, मुझे दो मिनट और दीजिए क्योंकि मेरा हक इसलिए भी बनता है, आपको भी इससे प्रशंसा होगी कि भले ही मुझे ओलंपिक का सिल्वर मेडल नहीं मिला, लेकिन मैं ऐसा शूटर हूं, कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौर मेरे दोस्त हैं और सुन भी रहे होंगे कि पांच डिसिप्लिन हैं- एयर राइफल, 25 मीटर पिस्टल, 50 मीटर राइफल, शॉटगन और बीग बोर राइफल।

(1520/SJN/KSP)

ये पांच डिसीप्लीन्स हैं। मैं सबमें रिनाउन्ड शूटर हूं। There is no other shooter in India who is renowned in all these five disciplines. इसलिए मेरा बोलने का हक बनता है। मुझे तो आपने 20 मिनट दिए हैं। डॉ. सत्यपाल सिंह जी तथा बाकी अन्य लोगों को 10 मिनट दिए हैं, मुझे तो आधा घंटा देना चाहिए था। लेकिन मैं अपनी बात को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं।

देखिए, तीन वेपन्स से दो वेपन्स करने का क्या लॉजिक है? मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि अगर मैं आपको, आपको नहीं, किसी को मारना चाहूंगा, तो मैं एक ही वेपन से मारूंगा। अगर पिस्टल मारने के लिए निकाली है, तब तक राइफल को ढूंढ़ने लगेंगे, तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। उसके पास भले तीन वेपन्स हों, लेकिन वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है। खुदा न खास्ता उसको ऐसी जरूरत न पड़े, लेकिन वह एक ही वेपन यूज करता है। इसमें तीन से दो करने की जरूरत नहीं है।

अंत में, मैं सभापति जी से यह कहना चाहूंगा कि मैं इसके विरोध में हूं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी देश के आदमियों को इतनी पीड़ा न दीजिए, नहीं तो उनकी आह से आप अगली बार इस कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। आप अपने इस अमेंडमेंड को विद्ड्रा कीजिए या सेलेक्ट कमेटी में भेजिए। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं।

(इति)

1521 hours

SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): Mr. Chairman, Sir, as the House is aware, crime incidents are increasing day-by-day in all parts of the country with the possession of legal and illegal arms. The Government must have a policy of issuing 'one person-one gun. But this policy may be relaxed in rare cases. Law abiding citizens should not be penalized for actions to stop criminal activities.

The Government may undertake thorough checking at Inter-State and Inter-district borders round the clock with the strengthening of police force and with the help and introduction of drones, CCTVs and GPS facilities. We must ensure law and order to protect the future lives of our children.

The Government can also use the latest Block Chain Technology to systematically track the arms from manufacturing to user end. मेरी किशन रेड्डी साहब से भी थोड़ी विनती है। अभी हमारे एक एमपी साहब ने बताया था कि इसको और भी मजबूत करना है। स्टैंडिंग कमेटी में बिल पर थोड़ा और समय दिया जाए। यह चुनाव का समय है, किसको ईश्यू करना है, किसके पास रखना है, आर्म्स के लिए बहुत लोगों को शंका है। इसको कलैक्टर ईश्यू करता है या एस.पी. ईश्यू करता है, उसके बारे में स्टैंडिंग कमेटी द्वारा सपोर्ट करने के लिए उनको एग्जामिन करने का समय देंगे, तो इसका अच्छा नतीजा भी आएगा। इसकी गहराई में जाने के बाद बिल को पास करेंगे, तो अच्छा रहेगा, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। We support the Bill.

(ends)

1523 बजे

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल (सतारा) : महोदय, मुझे आपने बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस अगस्त हाउस में जो बात चल रही है, मैं उसको ध्यान से सुन रहा हूं। मैं इसीलिए यहां पर खड़ा हुआ हूं कि जो यह लाइसेंस देने की अथॉरिटी थी, वह कभी मेरे पास थी, क्योंकि मैं पुणे का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। ऐसा होता है कि महिलाओं को लाइसेंस देना उचित नहीं समझा जाता है। जब महिलाएं लाइसेंस मांगती हैं, तो कभी उनको लाइसेंस नहीं दिया जाता है। लेकिन मैं जब कलैक्टर था, तो जितनी भी महिलाएं राइफल क्लब से ट्रेन्ड होकर आती थीं, उनको प्रायोरिटी से लाइसेंस देते थे। अगर यहां पर कोई ऐसा सुझाव दे और जूडो-कराटे खेलने वाली महिलाएं स्वरक्षण कर सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई उन पर दूर से अटैक करना चाहता है, तो उनके पास पिस्तौल-रिवाल्वर है, तो वह महिला दूर से ही अपने ऊपर हुए अटैक का जवाब दे सकती है। इसीलिए, जितने भी राइफल क्लब हैं, उनको मॉनिटरी असिसटेंस देकर, फाइनेंशियल असेसटेंस देकर, अगर महिलाओं को ट्रेन्ड किया जाए, तो अच्छा रहेगा। While touring, when travelling in trains or when there are some functions, women should be given licence to carry and use such weapons so that they will feel secure and will not be afraid of any attacker.

(1525/GG/SRG)

दूसरी बात यह है कि नए-नए हथियार बन रहे हैं। अगर मैं पुराना हथियार बेचना चाहता हूँ तो उचित दाम मिलने के लिए फायर और आर्म्स वाले जो डीलर्स होते हैं, उनके पास डिपॉजिट किया। नया लिया तो जो पुराना आर्म है, वह अगर कोई खरीदना चाहता है तो वह दीजिए ताकि मेरे पास दो हथियार रहेंगे। एक नया रहेगा और दूसरा पुराना मेरे बाप-दादा का रहेगा। क्योंकि हमारे मुल्क में बाप-दादा के हथियार लोग रखते हैं। जब लोग आते हैं तो दिखाते हैं कि यह मेरे फादर का है, यह मेरे ग्रैंड फादर का है। हमारे जो दीवानखाने होते हैं, उनमें तलवारें लटकी रहती हैं, कुल्हाड़ी लटकी रहती है। इस तरह से शो के लिए भी जो है, उसमें भी बदलाव करने की आपने अभी जो तरमीम रखी है तो नहीं करना है, तो जो भी चीजें हमारे पास हैं, वे चीजें रखने के लिए और दूसरी बात है कि रिटेनरशिप - अगर मैं घर में नहीं हूँ, और मेरे पास लाइसेंस है, मेरी पत्नी घर में अकेली रहने वाली है, क्योंकि मैं चार दिन घर में नहीं रहूंगा तो और रिटेनरशिप के लिए मेरी पत्नी को अगर आप सिखाएंगे, और रिटेनरशिप के लिए डीएम से उनको परमिशन देंगे तो वह भी हथियार यूज कर सकती है। अगर लड़का है उसको भी देना चाहिए। यह फॉर्म संरक्षण के लिए रहता है। अगर वैपन हैंडल करने की परमिशन एक ही आदमी को दी होती है और वह घर में नहीं है तो हथियार रहने से कोई फायदा नहीं होता है, चलाने की अगर आदत नहीं है तो इसमें एक प्रावधान के िलए कि The Retainer can be somebody who is a major and has got knowledge of handling the weapon because कभी-कभी क्या होता है कि घर में बाल-बच्चे होते हैं, लेकिन हथियार हमेशा तिजोरी में रहता है। मैंने देखा है कि मेरे एक दोस्त के घर में बड़ी चोरी हो गई। एक भाई के घर में रिवॉल्वर रखी थी और उसकी गोलियां दूसरे भाई के घर में रखी थी। उसका क्या उपयोग होगा? ऐसा कायदा बनाओ कि हमेशा उसका प्रोटैक्शन भी रहे, उसका गलत इस्तेमाल न हो। जो भी गलत चीजें बनाने वाले लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। कट्टा आदि गलत हथियार बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स को बंद करना जरूरी है। यही मेरे सुझाव हैं। आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। (इति)

1528 बजे

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): सर, इस आर्म्स एक्ट पर मैं मंत्री जी से मालूम करना चाहता हूँ, अभी तक तो हमें पता था कि एक आर्म अलाउड है, अब दो हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तीन आर्म्स रखने वाला कोई क्रिमिनल है? क्या ऑर्गनाइज्ड क्राइम्स में वह मुलविस है या वह इंडीविजुअल क्राइम कर रहा है? सर, ज्यादातर लाइसेंस कैरेक्टर को देख कर दिए जाते हैं। शरीफ लोगों को दिए जाते हैं। उनसे वे अपनी हिफाज़त करते हैं। मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूँ कि 90 पर्सेंट अपराध चाहे वे ऑर्गनाइज्ड हों या इंडिवीजुअल हों, अवैध हथियारों से हो रहे हैं। सन् 1910 से ले कर सन् 1914 तक देश के अंदर फायर आर्म्स से 17,488 मर्डर्स हुए हैं। जिनमें से 91 मर्डर्स अवैध हथियारों से हुए हैं। बाकी मर्डर्स लाइसेंसी हथियारों से हुए हैं। उनमें ज्यादातर आत्मरक्षा के लिए किए गए हैं। मैं यह उचित सवाल पूछना चाहता हूँ कि इन लाइसेंसों को कम करने का क्या औचित्य है? क्या हिंदुस्तान में बहुत लाइसेंस है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमरीका के अंदर 88 पर्सेंट लोगों के पास लाइसेंस हैं और मेरे देश के अंदर सिर्फ चार परर्सेंट लोगों के पास लाइसेंस हैं। यह भी समझ में नहीं आता है कि क्यों यह एक्ट लाया जा रहा है? इसलिए मैं आपसे इस बात को भी कहना चाहूंगा कि शूटर की समस्या आपने हल कर दी, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं भी एक छोटा सा शूटर हूँ। मैं दो बोर में शूटिंग करता हूँ – बिग बोर में और शॉट गन में। मैं एक हथियार, अपनी सेफ्टी के लिए, रिवॉल्वर भी चाहता हूँ। क्योंकि मैं बड़ी बंदूर कहीं नहीं ले कर जा सकता हूँ। मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो कोई न कोई हथियार मेरे पास भी होना चाहिए। कम से कम तीन हथियार तो मुझे ही चाहिए। इसलिए जो हथियार खानदानी चले आ रहे हैं, जो एंटीक हो चुके हैं। लोगों को एंटीक चीजें रखने का शौक है।

(1530/KN/KKD)

हम अपनी एंटीक कारें रखते हैं। हमारी रेसेस होती हैं, लोग पुरानी चीजें रखते हैं। बाप, दादा के हथियार, दादा-पड़दादा के हथियार अगर हम अपने पास रखे हुए हैं, तो क्या हम उनसे क्राइम कर रहे हैं? किसलिए उसको कट-शॉर्ट किया जा रहा है? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से गुजारिश करूँगा कि हथियार ज्यादा से ज्यादा बांटिए। लाइसेंस ज्यादा से ज्यादा दीजिए क्योंकि यह भी क्राइम का डेटेरेंट है। जिन गाँवों के अंदर हथियार होते हैं, उन गांवों के अंदर डकैत आने से बहुत डरते हैं। अगर चारों कोनों से गांव में फायरिंग होती है, हवाई फायरिंग होती है तो डकैत दूर से भाग जाते हैं। उन गाँवों में डकैतियां, क्राइम्स और लूटमार नहीं होती। इसलिए हमें हथियार बढ़ाने की जरूरत है। अवैध हथियारों पर जरूर अंकुश लगाइए। आज अवैध हथियार हर गाँव के अंदर हैं, इसलिए हैं, ताकि वे इन क्रिमिनल्स से बच सकें।

मेरा आपके माध्यम से कहना है कि लाइसेंस के नम्बर के ऊपर रोक नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई क्रिमिनल है, क्राइम कर रहा है, आर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहा है, यकीनी तौर पर हमारा तंत्र ऐसा है, खूफिया तंत्र ऐसा है कि वह पहचान लेता है, उसके लाइसेंस कैंसिल कर दिए। लेकिन बिना वजह उनके हथियारों को कर्ट-शॉर्ट करना, हमें इसका औचित्य समझ में नहीं आता। मैं इसलिए इस बिल का विरोध करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। (इति)

1532 बजे

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (जयपुर ग्रामीण): महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले तो यह बात तय है कि समय-समय पर अपने कानूनों पर चर्चा होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए। समय को ध्यान रखते हुए उसमें तब्दीली भी आनी चाहिए। यहां पर सदन में भी बहुत से लोग हैं, जिनके पास लाइसेंस हैं, हथियार हैं। बहुत से लोग देश में हैं, जिनके पास आर्म्ड लाइसेंस हैं। हम सभी को और पूरे देश को भी अगर चिंता है, तो बिना लाइसेंस के हथियारों की चिंता है। अनलाइसेंस वैपन्स, इल्लीगल वैपन्स हमें चिंता उसकी है और नि:संदेह मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि इल्लीगल वैपन्स के ऊपर रोक लगाने के लिए सज़ा में बढ़ोतरी की गई है। मुझे ताज्जुब होता है कि अभी तक जो आंकड़े हैं, उसमें जो मर्डर्स हुए हैं, 90 प्रतिशत मर्डर्स इल्लीगल वैपन्स से हुए हैं। नि:सन्देह इन इल्लीगल वैपन्स के ऊपर अंकुश लगाने की जरूरत है। ताज्जुब इस बात का भी है कि जो हथियार बनाने वाला है और जो हथियार इस्तेमाल करने वाला है, मैं इल्लीगल वैपन्स की बात कर रहा हूँ, उनकी सज़ा अभी तक बराबर की थी। मुझे खुशी है और मैं गृह मंत्री साहब को भी और मंत्रालय को बधाई देता हूँ कि जो इल्लीगल हथियार बना रहे हैं, उनकी सज़ा बढ़ा दी गई है। यह बहुत ही फेवरेबल और पॉजीटिव स्टेप है। मेरी गृह मंत्री साहब से और उनके मंत्रालय से सदन के बाहर भी बातचीत हुई, जब यह आर्म्ड एक्ट आने की बात हुई, अखबारों में चर्चा हुई, अलग-अलग तरह की बातें हुईं। गृह मंत्री साहब के साथ बैठ कर, उनके मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठ कर खिलाड़ियों के लिए और आम नागरिक के लिए उन्होंने सहमति जताई। जिस तरह का समर्थन सरकार से मिलना चाहिए, उसके लिए भी हम उनको धन्यवाद देते हैं। पहले एक लाइसेंस पर एक हथियार की बात हो रही थी। मैं गृह मंत्री साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अब दो हथियार एक लाइसेंस पर कर दिए हैं। मैं इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शुरू में खिलाड़ियों के लिए कुछ कमी लाई जा रही थी, वह कमी अब पूरी तरह से दूर कर दी गई है। शूटिंग खेल के खिलाड़ियों के लिए पूरी तरह से जो एग्जम्शन्स पहले चल रहे थे, वहीं एग्जम्शन्स आज भी लागू होते हैं। मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।

(1535/RV/RP)

महोदय, देश के अन्दर तकरीबन 32,000 लाइसेंसेज ऐसे हैं, जिनके ऊपर तीन हथियार हैं, तकरीबन दो लाख लाइसेंसेज ऐसे हैं, जिनके ऊपर दो हथियार हैं और तकरीबन 30 लाख लाइसेंसेज ऐसे हैं, जिनके ऊपर एक हथियार है। मैं इसकी तुलना इससे करता हूं कि अलग-अलग देशों के अन्दर अलग-अलग कानून हैं। कहीं पर लिखा है - 'shall issue' और कहीं पर लिखा है - 'may issue'. हमारे देश के अन्दर जो रूल है, वह है - 'may issue', यानी पुलिस तय करती है कि कौन अच्छा नागरिक है और उस नागरिक को वह लाइसेंस देती है। इसका मतलब कि एक पूरी चयन प्रक्रिया होती है, जहां पर यह सेलेक्ट किया जाता है कि किसे लाइसेंस दिया जाए और एक अच्छे नागरिक को लाइसेंस दिया जाता है।

महोदय, मैं इसकी तुलना वैक्सीन के साथ करता हूं। जब कभी कोई बीमार पड़ता है या बचपन में जो वैक्सीनेशन होता है, उसमें उसी बीमारी के लाइव वायरस दिए जाते हैं, ताकि वे लाइव वायरस, अगर मैं यह कह सकूं तो ये उन इल्लीगल वायरस के साथ मुकाबला कर सकें। देश के अन्दर जो लाइसेंस्ड बंदूकधारी हैं, वे एक अच्छे नागरिक के रूप में जो असामाजिक तत्व हैं, उनसे लड़ने का काम करते हैं। सोच में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। जितने भी लीगल वेपन होल्डर्स हैं, उन्हें गृह मंत्रालय और पुलिस विभाग अपने साथ रखकर काम कर सकता है। अमेरिका में अलग-अलग तरीके हैं, उनके शेरिफ

डिपार्टमेंट्स हैं। जब पुलिस कहीं पर नहीं पहुंच सकती तो licence holders can be the first to react. हालांकि, उसके अन्दर भी तालमेल जरूरी है।

महोदय, भारत के इतिहास में तो यह लिखा हुआ है कि अलग-अलग क़ौमों ने अलग-अलग समय पर दुश्मनों से लोहा लिया, चाहे तलवार हो, चाहे तीर-कमान हो, चाहे हथियार हो, उन हथियारों से उन्होंने भारत की रक्षा की। इसलिए एक अच्छे नागरिक को हथियार देना जरूरी है और उसे मजबूती प्रदान करना भी सरकार का दायित्व है और मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने इसकी तरफ सोचा।

महोदय, मैं आखिर में कुछ जरूरी सुझाव भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि हालांकि, सबकी रक्षा करने के लिए पुलिस है, लेकिन अगर आप पुलिस और सिटीजन का अनुपात देखें तो वह बहुत ही खराब है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड है, लेकिन इसके बावजूद भी आप हर जगह फायर एक्सटिंग्विशर्स देखेंगे। उसी तरह असामाजिक तत्वों को खत्म करने के लिए पुलिस है, लेकिन रख-रखाव, बचाव के लिए लाइसेंस्ड वेपन्स की भी जरूरत होती है।

महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि आज भारत पूरी दुनिया के अन्दर शूटिंग के खेल में दबदबा बना रहा है। आज भारत के पास ओलम्पिक में शूटिंग के अन्दर 15 कोटा आए हैं। यह धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे-जैसे हम अपना दबदबा पूरी दुनिया पर बना रहे हैं, हमें ऐसे कानून भी लाने चाहिए, जिनसे हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, जो इस शूटिंग के खेल में आएगी, उन्हें तैयारी करने में मदद मिले। आप ओलम्पिक के जितने भी खेल देख लीजिए, चाहे वह कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो, तीरंदाजी हो, भाला फेंक हो, वेटलिफ्टिंग हो, ये सारे खेल कहीं न कहीं, युद्ध की जो शैली होती है, उससे जुड़े होते हैं, यानी हम हमेशा युद्ध की तैयारी में अपने खेलों को उसके साथ हमेशा जोड़ते हैं। जो भी देश युद्ध के लिए तैयार होगा, उस देश में हमेशा शांति बनी रहेगी और इसलिए मेरा यह मानना है कि आम नागरिक को और उनमें जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए हम इस तरह के कानून बनाएं ताकि वे शूटिंग के खेल को अपनी हॉबी या अपने एक्सेलेंस का हिस्सा बना सकें।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव दूंगा। यहां पर हमारे एम.ओ.एस. किशन रेड्डी जी हैं, नित्यानन्द राय जी भी हैं। गृह मंत्री साहब को ये सुझाव बताएं। सबसे पहले तो मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि जो सेलेब्रेटरी फायर होता है, वह खतरनाक होता है, उससे जान की हानि होती है, लेकिन ये सेलेब्रेटरी फायर क्यों होते हैं? आपने दो लाख, तीन लाख, तीस लाख लाइसेंस तो दे दिए, लेकिन इन लाइसेंस होल्डर्स को आपने कोई जगह नहीं दी, जहां पर वे अपने हथियारों को हैंडल करना सीख सकें, जहां पर साल में एक बार वे फायरिंग कर सकें। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि आपकी पुलिस की जितनी भी शूटिंग रेजेज हैं, वहां पर हफ्ते में एक दिन लाइसेंस होल्डर्स को प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाए, ताकि वे अपने वेपन्स हैंडल कर सकें।

(1540/MY/RCP)

मेरा आपसे यह भी आग्रह है, क्योंकि पुलिस की खुद की शूटिंग रेंजेज बहुत कम हैं। जहां-जहां शूटिंग रेंजेज नहीं हैं, मैं बड़ी तहसीलों या जिलों की बात कर रहा हूं, उससे नीचे की बात नहीं कर रहा हूं। जहां पर शूटिंग रेंजेज नहीं हैं, वहां पर नेशनल राइफल एसोसिएशन से ऐफिलिएटेड जो क्लब्स हैं, उनको रेंज बनाने की अनुमति प्राथमिकता से दी जाए, ताकि हमारे जो नागरिक हैं, वे मजबूत बने सकें। आपने ही उनको हथियार प्रोवाइड कराये हैं, ताकि वे हैंडल करना भी सीख सकें। मैंने बचपन से हथियारों के साथ

अपना जीवन गुजारा है। मुझे याद है कि बचपन में छोटी-छोटी बातें सिखायी जाती थी और उन छोटी-छोटी बातों को सीखते हुए, मैं एक अच्छा फौजी बना और एक अच्छा खिलाड़ी भी बना।

सभापति महोदय, मैं कोई स्पेशल नहीं हूं। अगर हर बच्चा सही सीख प्राप्त करेगा तो वह भी इस देश का नाम रोशन कर सकेगा और और देश की सुरक्षा भी कर सकेगा। हमें अपने देश को मजबूत करना है। इसी के लिए मैं एक और सुझाव गृह मंत्रालय को देना चाहता हूं। हमारे शूटर्स जब ओलम्पिक खेलों में मुकाबला करने जाते हैं तो 200 से ज्यादा देशों के खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करते हैं। They compete with more than 200 countries in the world. यह मुकाबला कम नहीं है, बल्कि काफी बड़ा है। उस मुकाबले के अंदर, जहां उनकी कला, उनकी काबिलियत और उनकी कड़ी मेहनत 200 देशों के खिलाड़ियों के बराबर होती है, तो कई कानूनों की वजह से हम पीछे रह जाते हैं। हमने कितने लिमिटेड हथियार अपने खिलाड़ियों को दे रखे हैं। जूनियर शूटर्स को आज आपने एक एक्स्ट्रा वेपन एलाऊ कर रखा है। इन्स्परेशनल शूटर्स, जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं, उनको आपने मात्र एक वेपन एक्स्ट्रा एलाऊ कर रखा है, यानी जितना लाइसेंस पर है, उसके अलावा एक वेपन एलाऊ किया है। रिनाउन्ड शूटर्स को भी उसी तरह से आपने कुछ अनुमति दी हुई है।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं और यह मेरा आग्रह है कि अगर हम वाकई देश के खिलाड़ियों का पूरी दुनिया के ऊपर अपना दबदबा बनवाना चाहते हैं तो हमें उनको फैसिलिटीज़ प्रदान करनी चाहिए। जो जूनियर शूटर्स, इन्स्परेशनल शूटर्स, रिनाउन्ड शूटर्स हैं, उनकी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी है। इनके लिए अभी जो एक्स्ट्रा हथियार लागू है, उसमें हंड्रेड परसेंट बढ़ोतरी होनी चाहिए। मैं आपको नाम गिनाता हूं। मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बतलाता हूं। सौरभ चौधरी, 17 साल की उम्र में वर्ल्ड का टॉप टेन के अंदर खिलाड़ी है। दिव्यांश सिंह, 17 साल की उम्र में वर्ल्ड टॉप टेन में है। एलावेनिल, जिनकी उम्र 20 साल है। अपूर्वी चंदेला, जिनकी उम्र 20 साल हैं। यह भी वर्ल्ड के टॉप टेन में है। भाकर मनू, जिनकी उम्र 17 साल है, यह भी वर्ल्ड के टॉप टेन खिलाड़ी है। ये सारे जूनियर्स खिलाड़ी हैं। देश में ऐसे बहुत से नौजवान हैं, जो देश का नाम रोशन कर सकते हैं। मेरा आग्रह है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड इनके नंबर्स हैं, इनके लिए आपने एडिशनल स्पोटर्स वेपन एलाऊ कर रखा है, उसे आपको डबल कर देना चाहिए।

महोदय, अब ऐसे भी हथियार हैं, मेरे पिताजी को बंदूकों का शौक था। उन्होंने कोई जमीन नहीं खरीदी है। उनका इनवेस्टमेंट सिर्फ हथियारों में होता था। उन्होंने लोहा खरीदा। उन्होंने लोहा इसलिए खरीदा कि उनका बेटा बड़ा होकर देश के दुश्मनों के साथ लोहा लेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने सिर्फ हथियारों के अंदर अपना इनवेस्टमेंट किया। आज जो पुश्तैनी हथियार हैं, उसकी अलग वैल्यू होती है। जब मेरे पास परदादा, दादा तथा पिता जी से कोई हथियार आता है तो उसकी अलग वैल्यू होती है। न केवल उसकी इमोशनल वैल्यू होती है, बल्कि उसकी रीयल वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। मैं आपको बतलाता हूं कि अभी एक वेपन को डीएक्टिवेट करने के लिए अनुमति है। अगर आप आर्म्स रूल 2016 की परिभाषा देखें, उसके अंदर जो डीएक्टिवेशन की परिभाषा है, वह यह कहती है कि the weapon should not be able to discharge a projectile, and which cannot be readily restored. यानी आप उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए, ताकि वह फायर न कर सके, it should not be readily restored. अब मैं आपको इसका कान्ट्रडिक्शन बताता हूं। रूल सेक्शन 80 अनसर्विसेबल, डीफेक्टिव और डीएक्टिवेटेड आर्म्स के अंदर सब-सेक्शन 6 कहता है कि जो डीएक्टिवेटेड फायर आर्म्स हैं, उनको डिस्ट्राय किया जाएगा। उसका प्रोसिजर सेक्शन 81 में है, जो परमानेंट हथियार का परमानेंट डैमेज बताता

है। इस डेफिनेशन के अंदर टेम्परेरी डीएक्टिवेशन है, which should not be readily restored. लेकिन उसका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर परमानेंट डीएक्टिवेशन दिया हुआ है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। अभी यहां एए.ओ.एस. साहब बैठे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि यह देश के लिए बड़े कीमती हथियार हैं और देश के लिए वैल्यूबल भी है। यह इमोशनल भी है और रीयल भी है।

(1545/CP/VR)

ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पुश्तैनी हथियार हैं। आप उनको एलाऊ करिए। एक लाइसेंस पर दो ही हथियार एलाऊ करिए, मगर two active weapons. बाकी वैपन्स आप डीएक्टिवेटेड एलाऊ करिए, लेकिन डीएक्टिवेटेड के अंदर जो कांट्राडिक्शन है, इसको दुरुस्त करके टेम्परेरी डीएक्टिवेशन कर दीजिए। अगर मेरे पास पुश्तैनी हथियार हैं, तो मैं दो से ज्यादा हथियार अपने लाइसेंस पर रख सकता हूं।

…(व्यवधान)

महोदय, यह बहुत जरूरी है। मैं तीन-चार मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। आप डीएक्टिवेटेड वैपन्स एलाऊ करिए। एक साधारण नागरिक जिसके पास लाइसेंस है, उसके लाइसेंस पर दो ही हथियार होंगे, जो एक्टिव होंगे, बाकी हथियार डीएक्टिवेटेड होंगे। अगर मैं अपना पुराना हथियार या महंगा हथियार जो दो से ज्यादा हैं, अगर मैं पुलिस स्टेशन में रखता हूं या किसी आर्मरी में रखता हूं, तो उसका रख-रखाव नहीं हो पाएगा। मैंने बचपन से सीखा है, उसके लिए मेरी इमोशनल वैल्यू है, उसकी मैं हर रोज साफ-सफाई करूंगा और उसका रख-रखाव करूंगा। जब कभी मुझे उसका इस्तेमाल करना पड़े या उसको मुझे कहीं बेचना पड़े, तो मैं पुलिस की परमीशन से वापस उसको एक्टिवेट करके आपकी परीशन से किसी को बेच सकता हूं। इसमें कोई खतरा भी नहीं है। कृपया आप उसका टेम्परेरी डीएक्टिवेशन करवाइएगा।

मैं अपने आखिरी सजेशन पर आता हूं। बहुत से लोगों के पास पहले से हथियार हैं, उन हथियारों का क्या होगा? परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, उनके लिए एक्सपीडियस लाइसेंस इश्यू हो जाए, चाहे मैं अपनी पत्नी को देना चाहूं, चाहे मैं अपने एडल्ट बेटे या बेटी को देना चाहूं। यह एक एक्सपीडियस प्रोसेस हो जाए, ताकि हथियार परिवार में रहे और उनका रख-रखाव भी होता रहे।

सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया। देश को मजबूत बनाने के लिए लाइसेंस होल्डर आपके साथ खड़े हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हर लाइसेंस होल्डर पूरी तरह से कानून में रहता है और अनलाइसेंस्ड, जो इल्लीगल वैपन्स रखते हैं, वे न तो आपकी परमीशन लेते हैं और न ही उनको लाइसेंस चाहिए। But we are law abiding citizens.

With these words, I thank the hon. Home Minister for the support that he has provided to us and conclude.

(ends)

1547 hours

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity. As usual, I stand to oppose the Arms (Amendment) Bill, 2019.

Sir, the Government has introduced the concept of organized crime syndicate by amending Section 9 (6) of the Bill which includes anyone involved in possession, manufacture, sale or transfer of firearms on behalf of organized syndicate. This particular definition of 'organized crime syndicate' is exactly as is given in the Maharashtra Control of Organised Crime Act (MCOCA).

Sir, the Maharashtra Assembly had enacted that particular MCOCA Act under the State List. The Union has no power to interfere with the States' powers to investigate, prosecute and penalise the organized crime. Making laws pertaining to law and order is a State Subject. When the organized crime is already within the exclusive purview of the State, the Union cannot make any law in that regard.

Sir, may I point out that under Article 246 it is very clear that the States are supreme in terms of enacting legislation pertaining to the State List and the Union is supreme in terms of subjects pertaining to the Union List. Then, why are they interfering with the State List? Is there a legislative gap which the Government is trying to fill up?

Furthermore, when I read the Bill, the Government offers no explanation as to why it is necessary to incorporate organized crime syndicate under Arms Act. Why is the Government using this incidental legislation to expand the scope of the original purpose of the Arms Act to include organized crime? The Constitution does not allow this. Day in, day out, it seems that this Government does not believe in federalism. They want to trample upon the State List. Inclusion of organized crime syndicate by amending Section 9 (6) shows that they are completely encroaching upon the State List. I request the hon. Home Minister to please take it back.

Secondly, I would make an earnest request to the Government that no public representative, whether MP or MLA, should get any security from the Government unless and until there is some real threat perception to him. Having security guards by MPs and MLAs has become a status symbol. I have seen with my own eyes in my State that some of the security guards go and buy grocery. You should make a law that no MP or MLA would get any security. In turn, what should the Government do? I have not taken any security in my whole political life of about 27 years.

(1550/SAN/NK)

You please give me more licensed weapons. Why should an MP or MLA get security from the Government? Why should this be a burden on the tax-payers? You

give security to the common man. Day in, day out, we see women being raped. We do not have infrastructure or logistical things to provide security to the common people. Why should an MP or MLA have security until and unless you yourself are a – what we call in Urdu –*zalim* or you are a murderer! If an MP or MLA is facing a case of murder, let him face it.

There is one more reason for me to oppose this Bill. Many Members have talked about NCRB data. NCRB report says 58,053 cases were registered under the Arms Act, 1959 and 63,219 arms were seized, out of which only 3,525 were from people who had licenced weapons while 59,694 were unlicensed weapons. The problem lies somewhere else. The problem is with having unlicensed arms. There are some States, which I do not want to mention over here, where there are factories which manufacture what we call 'kattas'. Why are you not stopping them? You use UAPA against them as you have made an Act. There is more of a problem which, I as a countryman is facing, is from unlicensed weapons, not from licensed weapons.

Let me come to 2014 data. Only 14 per cent of people killed in gun violence were killed by legal weapons. Similarly, of all weapons seized under the Act, only 17 per cent were legal firearms. I want to know from the hon. Minister why this Bill prohibits punishment for celebratory gunfire. In UP itself, in 2013, 720 people, including 125 women, died in celebratory gunfire. Why do you require celebratory gunfire? For what do you require it? You are getting married and there is no need to shoot a weapon over there. A man is getting married to a woman or a woman is getting married to a man. Then, the Bill prohibits punishment for celebratory gunfire. Any celebratory gunfire is an attempt to murder - it is as simple as that – and IPC should interfere. That is why, I do not know what you are achieving by making it two and not three. You know the data of licensed people who have three weapons, two weapons and one weapon.

Lastly, I want to point out one contradiction of the Government. They have liberalised manufacture of small arms, FDI of 49 per cent is allowed and no additional approval for DIPP is required. Why is it so? You are allowing 49 per cent FDI in small arms' manufacture and then, you want to limit it. That is why, I oppose this Bill.

Thank you.

(ends)

1553 hours

SHRI JASBIR SINGH (DIMPA) GILL (KHADOOR SAHIB): Mr. Chairman, Sir, I rise with a mixed feeling. On the one hand, I appreciate the Government's efforts where they have increased the punishment. इन्होंने सजा बढ़ाई है, जो आर्गेनाइज्ड क्राइम और दूसरे लोग हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं, What I am going to say here is from my own experience. एक तरफ क्लीयरली कहा है कि छह परसेंट लोग ही हैं जिनके पास तीन हथियार है। पंजाब में मिलिटेंसी के पीरियड में मेरे ऊपर अटैक हुआ और मुझे गोली लगी। तीन साल के बाद दोबारा अटैक हुआ और मेरे आठ सिक्युरिटी गार्डस मार दिए गए। उसके बाद जिस पीएसओ को लगाते थे, वह बहाना बनाकर छुट्टी ले लेता था कि इसे तो मरना ही है, हम इसके साथ क्यों मरे, यह सच्ची बात है। उसके बाद हमारे दोस्त और रिश्तेदार लाइसेंसी वेपन लेकर चलते थे, ऐसा टाइम हमने निकाली है। हमने पंजाब में विलेज डिफेंस कमेटी बनाई, जिन्होंने मिलिटेंसी के टाइम में मिलिटेंट के साथ लड़ाई लड़ी। उनमें से सात लोगों को शौर्च चक्र मिला, जिन्होंने देश में अपनी लाइसेंसी वेपन के साथ देश की लड़ाई लड़ी। आज इसे तीन से दो कर रहे हैं, इसका लॉजिक मेरी समझ से बाहर है।

(1555/SK/RBN)

आर्म्स लाइसेंस मिलता है, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन पासपोर्ट से ज्यादा होती है। इसके लिए कई चीजों से गुजरना होता है, इंटेलीजेंस की रिपोर्ट आती है, पुलिस की रिपोर्ट आती है। पासपोर्ट की वैलिडिटी अगर दस साल होती है तो लाइसेंस की भी दस साल कर दीजिए। इससे टाइम बचेगा, करप्शन नहीं होगा और आम लोगों के लिए आसानी होगी।

महोदय, वैपन्स की डिमांड कम होगी तो जॉब कट्स होंगे और प्रोडक्शन भी कम होगी। आप मुझे दो मिनट दीजिए। यह मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैंने दो सुझाव देने हैं।

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): Your Party's time is already over. Please wind up in one minute.

श्री जसबीर सिंह (डिम्पा) गिल (खडूर साहिब): प्रहिब्टेड बोर और नॉन प्रहिब्टेड बोर, दो तरह के वैपन्स के लाइसेंस होते हैं। प्रहब्टिेड बोर, जिन्हें बहुत ज्यादा थ्रैट होता है, जो एंटी सोशल एलीमेंट्स, माओइस्ट, टेररिस्ट के निशाने पर होते हैं, उनको दिए जाते हैं। यह लाइसेंस होम सैक्रेट्री सैंक्शन करता है। इसका रिनुअल भी होम सैक्रेट्री, स्टेट के पास आता है।

मेरा निवेदन है कि कम से कम इसका रिनुअल डीएम के पास करवा दें क्योंकि उनको उतना ही कष्ट उठाना पड़ता है और प्रोसीजर भी लंबा हो जाता है। लाइसेंस तो होम सैक्रेट्री इश्यू करे लेकिन इसे रिन्यु डीएम करे, मेरा निवेदन है कि यह प्रोवीजन जरूर कीजिए।

महोदय, वैपन्स का इम्पोर्ट एलाऊ करना चाहिए। आप 500 परसेंट ड्यूटी लगाइए, लोगों को अच्छा वैपन मिलेगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा।

महोदय, राज्यवर्धन जी ने दो बातें कही हैं, एस्पाइरिंग स्पोर्ट्समैन को जरूर कुछ न कुछ रियायत दीजिए। पुलिस की फाइरिंग रेंजेज़ को एक बार खुलवा दीजिए, चाहे हफ्ते में एक बार ही हो। धन्यवाद।

(इति)

1557 hours

SHRI S. JAGATHRAKSHAKAN (ARAKKONAM): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on this Bill, the Arms (Amendment) Bill, 2019 on behalf of DMK Party. I rise to oppose this Amendment Bill, 2019.

Indian Government is crawling back to colonial mindset by confining the rights of gun licence holder to one-gun theory. Right to have guns is one of the earlier freedoms outlined in the USA's Bill of Rights. Without guns in the hands of the people, all the other freedoms are easily negated by the State.

The firearms would be registered under the National Database Arms Licence, NDAL, and the Arms Licence Issuance System, ALIS, along with the owner's address, the type of the firearm, its serial number, etc. Those criminals who want to commit crimes will not and do not bother to purchase firearms legally and register them.

Authenticate evidence provided by the NCRB in its 2017 statistics detailing the occurrence of crime shows that more crimes happen due to unlicensed and untraceable weapon. So, there is no point in curtailing the rights of licence holders by the Government.

The strengthening of three-to-one gun theory by the Government is in no way going to address the root causes of crime-spiralling due to illegal firearms. The Government should concentrate more on taking actions rather than on formulating laws.

The Government is indirectly making India less competitive in the global arena by limiting the quality and uniqueness of arms that could be manufactured within India.

Thank you very much.

(ends)

1559 hours

SHRIMATI MALA ROY (KOLKATA DAKSHIN): The bell seeks to decrease the number of licenced firearms allowed per person and increase penalties for certain offences under the Act. It also introduces new categories of offences.

The Bill provides for punishment for holding unlicensed firearms. That is a good step. But what are the measures being taken by the Government to stop smuggling of arms and ammunition into the country?

(1600/SM/MK)

Until March, 2019, the police had seized 174 illegal firearms and more than 2,000 live cartridges from various individuals in Delhi alone. The Government has to define what a firearm is. There are various sporting facilities across the country where competitive sport is practised in the field. Will they be affected as well? What are the provisions for the same?

The Bill proposes the tracking of firearms and ammunition, which is a good step. But who guards the guard? Will the privacy of people holding firearms not be compromised?

There has to be a holistic mechanism for the collection and protection of data. The Government has still not tabled the Data Protection Bill in Parliament.

The Bill prohibits using firearms in celebratory gunfire which is a good step. But there has to be provision for banning the using of arms for other acts like a farmer using a licensed gun to ward off animals from his crops.

The Government in 2016 had claimed that demonetisation would kill terrorism. To counter that, requires holistic policies and strong action; and far-reaching and overarching legislation is also required.

In this context, what has the Government done to curb terror? Has demonetisation reduced the number of terror activities by stemming the flow of illegal cash? Has the Government found out the number of attacks post the announcement of demonetisation? Thank you.

(ends)

1602 hours

*SHRI HEMANT PATIL (HINGOLI): Hon'ble Chairman Sir, Thank you, very much. The Bill which has been brought here is very necessary in the backdrop of increasing criminal activities and illegal weapon trade in our country. Some restrictions would be imposed on the licensed arms holder through this Bill. But, I would like to request you to kindly reconsider it as the arms licence holder has to pass through rigorous and very strict screening process. He has to fulfill all the terms and conditions and submit all the necessary papers before getting the licence.

Through this Bill, you are going to restrict only two arms at a time. Many families and even freedom fighters have got more than two weapons. Our country is known as warriors country and we belong to this martial race. Many of us have old weapons as our ancestral property. What would we do with traditional , ancestral and inherited weapons? That is a question which should be answered. So, I have a request. We have banned import of weapons since 1984. We have arms factories at Kolkata and Ambarnath. But the weapons manufactured in these factories are of substandard quality and it takes a lot of time to repair these weapons once they got malfunctioned.

1604 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

So, it is my request to you that import of foreign made weapons should be allowed. Necessary taxes should also be levied on the imported arms. Secondly, all the MPs who have been elected by 15-20 lakh people should be allowed to keep weapons and latest and sophisticated weapons should also be allowed to import. You can see that illegal arms factories and illegal arms trade is on rise in our country.

I want to congratulate you for bringing some strict norms. Lastly, I would like to request you that this Bill should be referred to a Joint Select Committee and weapons import policy should be revisited.

Thank you

(ends)

* Original in Marathi

(1605/AK/RPS)

1605 hours

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, a number of suggestions have already come on the Bill. So, I will delve into a little bit of its history.

It was with the Central Asia marauders who attacked India 1,200 years ago, and they brought gunpowder into this country, which actually changed our history to a very great extent. The first use of gunpowder was demonstrated in a very large scale in the First Panipat War where a very small contingent of the marauders from Central Asia changed the total history of our country. It was gunpowder because before that whatever war was being fought was with strength, swords and other things, but with canon, pistol or whatever names it was being called during that time, it was the changing factor.

Subsequently, after 500 years, it was the colonial powers from the European countries who traded firearms with our Kings and rulers of this country, and that actually changed our position to a very great extent. Subsequently, it became something, which we should possess for our protection and that is why a lot of advancement has been made in-between where technology has grown, fire power has also increased and sophistication also increased, which has led to illegal firearms. This is the reason why there is restriction in our country to contain the use of firearms to a very great extent.

I believe, that with this licensing policy that the Government has made during the last so many decades, it is necessary that we should not put more restrictions on the licensing mechanism. Rather, more stringent action should be taken against illegal fire arms dealers. This is the reason why public order and Police, as being a State subject, a number of States have already been consulted. I would suggest that to curb illicit trade of fire arms, offenders of this should be dealt with full force.

The National Database of Arms License – Arms License System (NDAL-ALIS) has been created by the Government. As per NDAL-ALIS portal, 36,64,762 arms licenses were registered, and creation of a national database is actually to maintain a total list at the centralised-level of the licenses issued by the Central and State Governments, and by law-enforcing agencies in connection with it.

My only contention here is that the Home Ministry has proposed stringent punishment including jail till death for those illegally manufacturing prohibited arms. This reminds us about Mr. T. N. Seshan, who passed away very recently. We used to see on TV news channels the manner in which illegal arms were being used to subvert our election processes, but after Mr. T. N. Seshan's strict enforcement of the law, to a great extent, our elections are being conducted in a better manner, which has got recognition throughout the world.

The Bill covers five new areas, namely, illegal trafficking of arms, tracking arms and their component from manufacturers to end-users, organised crime, organised crime syndicates and celebratory firing. Here, it has sought to amend Section 25 (1AA) of the Act to give a punishment from the usual life term of 14 years to imprisonment for the remainder of that person's natural life.

I would only mention something relating to the worry that was mentioned in this House by one of our hon. Members. There are a lot of worried people in the shooting sports community in India, and their anxiety is that it limits the number of weapons, which will hit new and emerging talent. The first weapon that one may buy is for safety, and then they buy a sports weapon. Therefore, I would request the Government, through you, Sir, that adequate steps need to be taken to encourage the sporting activity relating to shooting, which has brought a lot of laurels for this country.

With these words, I support the Bill. Thank you very much.

(ends)

(1610/IND/SPR)

1610 बजे

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): अध्यक्ष जी, आयुध संशोधन विधेयक, 2019 पर इस सम्मानित सभागृह के बहुत सारे सदस्यों ने चर्चा की है। श्रीमती परनीत कौर, डॉ. सत्यपाल सिंह जी, श्रीमान राजा जी, श्री कल्याण बनर्जी जी, श्री जी. माधव जी, श्री सामंत जी, श्री अरविंद जी, श्री श्याम सिंह यादव जी, श्री महाबली सिंह जी, श्री के. प्रभाकर रेड्डी जी, श्री दादासाहब पाटील, श्री एस. टी. हसन जी, कर्नल राज्यवर्धन राठौर, श्री ओवैसी जी, श्री जगबीर सिंह जी, श्रीमती माला राय, श्री हेमंत पाटिल जी, श्री भर्तृहरि महताब जी आदि सदस्यों ने अपने-अपने विचार इस विधेयक पर व्यक्त किए हैं। भारत के संविधान में आर्म्स, फायर आर्म्स, एम्युनिशन और एक्सप्लोजन समसूची यानी यूनियन लिस्ट में हैं। कुछ सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया कि कहीं राज्यों के अधिकार तो केंद्र सरकार नहीं ले रही है। यह शुरू से सैंट्रल एक्ट है और इस एक्ट के तहत राज्यों को भी अपने राज्य की सीमा के अंदर लाइसेंस देने का अधिकार प्राप्त है। इस बिल से किसी भी राज्य का कोई अधिकार छीना नहीं जाने वाला है। शस्त्र और गोला बारूद का नियंत्रण करना किसी भी देश की सुरक्षा के लिए, कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी होता है। मैं मानता हूं कि इसका प्रभावी नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी होता है और यह प्रभावी नियंत्रण करने के लिए मैं संशोधन लेकर इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं।

अध्यक्ष जी, भर्तृहरि जी ने थोड़ा पीछे जाकर बात कही और यह बात सही है कि पहली बार अंग्रेजों ने एक कानून सन् 1857 की क्रांति के बाद बनाया था। सन् 1857 की क्रांति में देश की आजादी के ढेर सारे मतवालों ने अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र आंदोलन किया। एक लड़ाई छिड़ी, एक जंग छिड़ी और बहुत लम्बा भी चला, लेकिन अंततोगत्वा हम पराजित हुए और अंग्रेजों की जीत हुई। मगर जैसे ही कम्पनी के हाथ से राज्य जाने के बाद ब्रिटिश ताज का राजा आया, उन्होंने सैन्य बलों को मार्शल तथा गैर मार्शल केटेगरी के अंदर पुन:व्याख्यित किया, पुन:गठित किया। उसके बाद उन्होंने सबसे पहला नियम वर्ष 1860 में बनाया, जो बाद में भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 के नाम से जाना गया। ये दोनों कानून, पहले नियम और बाद में कानून, दोनों सन् 1857 की क्रांति का ही नतीजा थे, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि उनकी अनुमति के बगैर देश की जनता के हाथ में कहीं पर कोई हथियार या गोला बारूद न रहे और इस प्रकार उन्हें निकालने का ऐसा सामूहिक प्रयास फिर से न हो। जब यह कानून आया, तब यह अधिनियम ब्रिटिश आधिपत्य और शासक वर्ग के हितों और उनके शासन की रक्षा के लिए आया था। मूल कानून का उद्देश्य यही था और जब महात्मा गांधी जी ने इस देश में आजादी की लड़ाई छेड़ी, तब गांधी जी ने इस मुद्दे को देश के अधिकार के साथ जोड़ा। प्रथम विश्व युद्ध की भर्ती के पैम्फ्लेट में जब इन सारी चीजों का उल्लेख किया गया, तब महात्मा गांधी जी ने विरोध किया था कि इतिहास इस अधिनियम को पूरे राष्ट्र के लोगों को हथियारों से वंचित रखने का कदम और सबसे काला कदम का अध्याय मानेगा। तब गांधी जी ने आर्म्स एक्ट को निरस्त करने की मांग भी की थी और उस समय इस परिप्रेक्ष्य में

यह मांग हुई थी कि अंग्रेजों ने इस देश की सारी जनता का निशस्त्रीकरण करने का इसलिए प्रयास किया था कि सन् 1857 जैसी क्रांति कभी न हो।

(1615/ASA/UB)

वर्ष 1926-1927 में आर्म्स एक्ट के सत्याग्रह के रूप में नागपुर के अंदर एक आंदोलन भी छेड़ा गया और 1930 में इरविन को लिखे 8 बिन्दुओं के जो गांधी जी के पत्र थे, गांधी जी ने 8 बिन्दुओं को, इस देश की जनता, इसके सम्मान और स्वतंत्रता का प्रतीक बनाया और उन बिन्दुओं में से एक बिन्दु हथियार धारण करने का अधिकार भी था। गांधी जी ने जब इरविन को पत्र लिखा, तब कहा था कि सन् 1957 के अंदर जब क्रान्ति हुई, तब इसके बाद समूचे देश का निशस्त्रीकरण कर दिया और आपने हमारा यह अधिकार हमसे छीना है। मगर जब आज़ाद हुए, हम जब अपना संविधान बनाने बैठे, संविधान सभा की जब बैठक हुई, उस वक्त इस इतिहास को भी संविधान सभा में दोहराया गया और कहा गया कि अब तो हमारा शासन है। जनता के हथियार जनता के पास रहें, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है और यह हमारी आज़ादी के आंदोलन का मुद्दा भी रहा है। तब इसको हटा लेना चाहिए था। एक्ट को रिपील कर देना चाहिए था, नए संविधान में इसको जगह देनी चाहिए। मगर बहुत सारी चर्चा के बाद डॉ. अम्बेडकर की सिफारिश पर इसको नये सिरे से खारिज़ किया गया और कहा गया कि चूंकि अब हमारा शासन है, इसलिए किसी को भी स्वतंत्रता संग्राम करने की जरूरत नहीं है। जनता की रक्षा का दायित्व खुद की चुनी हुई सरकार का है। इसलिए अब इस एक्ट का तत्कालीन कोई महत्व नहीं रहता। मतलब आज़ादी की दृष्टि से देखने का महत्व नहीं रहता, क्योंकि हम आज़ाद हैं। अगर एक चुनी हुई सरकार ही जनता की रक्षा करती है तो फिर शस्त्र की जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि अब किसी को अपनी स्वतंत्रता के लिए संग्राम ही नहीं करना है और उसके बाद शस्त्र, आग्नेयास्त्र, गोला बारूद और विस्फोट संविधान की 7वीं अनुसूची की पहली लिस्ट में संघ की सूची में सं. 5 पर शामिल किया गया। इस प्रकार से केन्द्रीय कानून चला है।

शस्त्र अधिनियमन 1955 लागू हुआ। शस्त्र के निर्माण, विक्रय, आयात-निर्यात, सब प्रावधान इसके अंदर फिर से लिए गए और लगभग तीन दशक के बाद 1988 में सांप्रदायिक परिस्थितियों के आधार पर इसकी समीक्षा की गई। आज उसके बाद पहली बार श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार इसके अंदर संशोधन लेकर आई है। अब मैं संशोधन के जो बिन्दु हैं, उनको थोड़ा बताना चाहूंगा कि संशोधन से क्या उपलब्धियां होंगी।

खिलाड़ियों पर संशोधन का असर आएगा, ऐसी चिंता कुछ माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है। कुछ सदस्य मुझसे भी मिले हैं। श्रीमान् राज्यवर्धन भी खिलाड़ियों की चिन्ता करते हुए मुझसे मिले हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि खिलाड़ियों को जो हथियारों की संख्या दी गई है, उसमें लाइसेंसों का अलग-अलग प्रकार और शस्त्र दोनों में वृद्धि की गई है। कहीं पर कटौती नहीं की गई है। इसलिए किसी भी खिलाड़ी को खेल के लिए, शूटिंग की प्रैक्टिस के लिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसकी पूरी चिन्ता इस संशोधन के अंदर हमने की है। पहले सिर्फ .12 बोर की राइफल और ए राइफल दी जाती थी। अब अलग-अलग शस्त्र देने का भी प्रावधान किया गया है। अल्टीमेटली जो प्रस्थापित खिलाड़ी हैं, उनके लिए 2+79 का प्रॉविजन हमने किया है। जूनियर खिलाड़ी जो प्रैक्टिस में जाने

वाले हैं, सबके लिए अलग-अलग प्रावधान किया है। इसलिए इसकी किसी को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

सैन्यबल के रिटायर्ड अधिकारी और सर्विस में जो अधिकारी हैं, उनको भी चिन्ता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके प्रॉविजन के अंदर भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। उनके प्रॉविजन को भी as it is रखा गया है। पूर्व सैनिकों को भी इसकी चिन्ता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे एक जिम्मेदार नागरिक थे।

अधिनियम की धारा 5,6 और 11 के उल्लंघन में आग्नेय अस्त्र और गोला बारूदों के अवैध निर्माण, विक्रय और सम्परिवर्तन आयात-निर्यात, गैर-कानूनी आयात-निर्यात के लिए पहले जो सज़ा का प्रावधान था, उसमें हम बढ़ोतरी कर रहे हैं।

(1620/RAJ/KMR)

मैं नहीं मानता कि इस सदन में किसी को आपत्ति हो सकती है। जो गैरकानूनी हथियार बनाते हैं, बेचते हैं, इसकी तस्करी करते हैं और उसको देश से बाहर निर्यात करते हैं, उनको आजीवन कारावास तक की सजा मिले, सात वर्ष से आजीवन कारावास तक, जो जज साहब न्याय करेंगे, उनकी मुंसिफी पर छोड़ कर, सात साल से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। मैं मानता हूं कि इसमें किसी को आपत्ति होने का सवाल नहीं है। प्रतिबंधित शस्त्र और प्रतिबंधित गोला बारूद को अपने कब्जे में रखने के लिए भी पांच साल से दस वर्ष तक की कारावास की जगह सात वर्ष से चौदह वर्ष तक की कारावास का हमने प्रावधान किया है और 25(1) को संशोधित किया है। उन मामलों में, जो शस्त्र पुलिस बल से छीन लिए जाते हैं, कहीं पर नक्सलवादी एरिया है, सरहदी एरिया है, वहां पर पुलिस के शस्त्र चुरा लिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं, इन सभी में भी आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है और 25(क)(ख)(ग) में इसका संशोधन किया है।

मान्यवर, यह इसलिए बेहद जरूरी है कि कई नक्सल, वामपंथी और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में यह नजर में आया है कि वे पुलिस स्टेशन पर रेड कर देते हैं, सारे हथियार उठा कर ले जाते हैं और उसी का उपयोग राज्य सरकार एवं पुलिस के सामने होता है। सेना के हथियार भी चुरा लिए जाते हैं और छीनने का भी प्रयास होता है। इन सारे लोगों के लिए, जो पहले छ: साल की सजा थी, उसमें हम ने बहुत बढ़ोतरी की है। जो अवैध रूप से उसका निर्माण करते हैं, उनके लिए भी महत्तम आजीवन कारावास तक की सजा को हम ने बढ़ाया है। अभी तो परिस्थिति ऐसी थी कि कोई एक देसी पिस्तौल, कट्टा रखता है और चलाता है तो उसको भी छ: साल की सज़ा और जो बनाता है, उसको भी छ: साल की सज़ा है। मैं मानता हूं कि जिसके पास वह है, वह तो विक्टिम है, असली गुनाहगार कट्टा बनाने वाले हैं, अवैध हथियार बनाने वाले हैं, जिनके लिए आजीवन कारावास का प्रोविजन किया गया है। विभिन्न छोटे अपराधों के लिए एक वर्ष से तीन वर्ष की सजा के स्थान पर पांच वर्ष की सजा का भी प्रावधान किया है। संगठित अपराध और सिंडिकेट को हथियार सप्लाई करने के लिए, जो आतंकवादी ग्रुप है, नक्सलवादी प्रवृत्ति के लोग हैं और संगठित अपराधी हैं, जो उनको हथियार सप्लाई करते हैं, हम ने उनके लिए भी आजीवन सजा का प्रावधान किया है। जिससे उनको बेल न हो पाए और कठोर सजा का प्रावधान जरूरी है। जहां तक लाइसेंस के रिन्युअल का

प्रश्न है तो उसे तीन साल से पांच साल कर दिया गया है, जिसके कारण सभी की रिन्युअल की दिक्कत कम हो जाएगी। लाइसेंस को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रखने की व्यवस्था की गई है, जिससे हम नकली लाइसेंस एवं अन्य चीजों पर कंट्रोल कर पाएंगे। बाकी अन्य चीजों के लिए भी जो उचित बदलाव थे, इस संशोधन में किए गए हैं। हम ने इस बिल को लगभग एक महीने पहले गृह विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक रखा था, इस पर बहुत सारे संशोधन आए हैं। बहुत माननीय सदस्य मुझसे व्यक्तिगत तौर पर भी मिले हैं। माननीय अध्यक्ष जी के सामने बिल की चर्चा करने की आपने बहुत अच्छी परंपरा बनाई है, उस वक्त भी सभी लोगों ने सुझाव रखा था कि एक लाइसेंस कम है, हमारे पास चार-चार लाइसेंस हैं, थोड़ा छीन लें, लेकिन चार की जगह एक का प्रावधान न करें। थोड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी भी बताई गई थी। जो खेत में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वहां बड़ा हथियार चाहिए, शहर में दो नाली गन लटका कर नहीं जा सकते हैं, वह अच्छा नहीं लगता है, तो मिनिमम दो हथियार होने चाहिए।

मान्यवर, सभी की बातों को सम्मान देते हुए मैं एक अधिकृत संशोधन भी लेकर आया हूं, हम एक हथियार की जगह, दो हथियार रखने का प्रावधान लेकर आए हैं।

मान्यवर, सभी सम्मानीय सांसदों ने यह दलील दी थी कि लाइसेंस वाले हथियार से कभी हत्या नहीं होती है। मैं थोड़े तथ्य सदन के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि हमारा जो इम्प्रेशन है, हमें उसको बदल देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 4,848 हत्याओं में से अवैध हथियार से 1,302 हत्याएं हुईं और लाइसेंसी हथियार से 191 हत्याएं हुईं। ऐसा नहीं है कि उनसे हत्याएं नहीं होती हैं। मैं सिर्फ वर्ष 2016 की बात कर रहा हूं। बिहार के अंदर लाइसेंधारी हथियार से 12 हत्याएं हुई हैं, हमें इसे बहुत बड़ी संख्या माननी चाहिए।

(1625/VB/SNT)

झारखण्ड में भी लाइसेंसी हथियार से 14 हत्याएँ हुई हैं। मैं मानता हूँ कि 14 लोगों की जान जाना कम नहीं है।

मान्यवर, एक जमाना था, जब पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने 50-50 किलोमीटर की दूरी पर होते थे, बहुत दूर होते थे। पुलिस तक पहुँचने में दिक्कत होती थी, पुलिस तक कम्युनिकेशन में भी दिक्कत होती थी। अब बहुत-से नम्बर्स भी बने हैं। सूचना की अलग-अलग व्यवस्थाएँ बनी हैं। देश में पुलिस तक पहुँचने की रेंज, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा-से-ज्यादा, मैं ज्यादा-से-ज्यादा कह रहा हूँ, आधे घंटे की है और शहरी क्षेत्रों में 10 मिनट की है। इसलिए आजादी के समय से हथियार रखने की जरूरत अब काफी कम हुई है। मैं मानता हूँ कि यह कानून आने के बाद, जो लोग सेलेब्रिटी फायरिंग करते थे, जिसे हर्ष फायरिंग कहते हैं, किसी की शादी है, तो धड़ाधड़ हवा में फायरिंग करते हैं, कोई चुनाव जीतता है, तो हवा में फायरिंग कर देते हैं, कोई धार्मिक उत्सव है, तो भी हवा में फायरिंग कर देते हैं। इसके कारण वर्ष 2016 में 169 लोगों की जानें गईं। हर्ष फायरिंग बहुत ही गंभीर चीज थी। इसमें भी हमने सजा का प्रावधान कर दिया है और हर्ष फायरिंग करने वालों को अब जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा।

मैं मानता हूँ कुल मिलाकर हथियारों की अवैध तस्करी, स्वचालित हथियार, पहले कट्टा मिले या ए.के. 47 मिले, इसके लिए समान सजा थी। अब तस्करी में ए.के. 47 मिलेगी, तो आजीवन कैद हो जाएगी। ऐसे ढेर सारे समयानुकूल बदलाव मैं लेकर आया हूँ। यह ऐसा बिल है कि जिसे पॉलिटिकल पक्षपात से ऊपर उठकर देश भर में कानून-व्यवस्था को ठीक करने के लिए यह बिल है। इसलिए सभी लोग इसका समर्थन करें। मैं ऐसी विनती करते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि आयुध अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

खण्ड 2

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय - उपस्थित नहीं।

श्री सुरेश कोडिकुन्निल, क्या आप संशोधन संख्या 29 मूव करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I beg to move:

Page 1, line 10,–

after "form"

insert "which is duly authorized and digitally endorsed and is subject to express revocation upon violation of conditions for issue of licence and eligible for reissue". (29)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री सुरेश कोडिकुन्निल द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 29 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

खण्ड 3

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 2, पंक्ति 5,-

"एक अग्न्यायुध" के स्थान पर

"दो अग्न्यायुध" प्रतिस्थापित करें। (54)

पृष्ठ 2, पंक्ति 9,-

"एक" के स्थान पर

"दो" प्रतिस्थापित करें। (55)

पृष्ठ 2, पंक्ति 10,-

"कोई एक" के स्थान पर

"कोई दो" प्रतिस्थापित करें। (56)

पृष्ठ 2, पंक्ति 10,-

"अग्न्यायुधों" के स्थान पर

"अग्न्यायुध" प्रतिस्थापित करें। (57)

पृष्ठ 2, पंक्ति 18,-

"एक अग्न्यायुध" के स्थान पर

"दो अग्न्यायुध" प्रतिस्थापित करें। (58)

(श्री अमित शाह)

माननीय अध्यक्ष: श्री अधीर रंजन चौधरी, क्या आप संशोधन संख्या 3 मूव करना चाहते हैं?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):सर, मैं मंत्री जी के समक्ष एक छोटी-सी बात रखना चाहता हूँ। …(व्यवधान) बात यह है कि आपने इसमें पनिशमेंट के सारे इंतजाम किए हैं। सब ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई लोकल पुलिस इसका मिसयूज़ करते हुए, इसका एब्यूज़ करते हुए पकड़ा गया, मान लीजिए कोई आपके हाथ में एक आर्म थमा देता है, तो वह क्या करेगा?

पृष्ठ 2, पंक्ति 19 के पश्चात्,-

"परंतु यह और कि जहाँ केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञप्त अथवा मान्यता प्राप्त किसी राइफल क्लब या राइफल एसोसिएशन को कोई अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, वह व्यक्ति तीन अग्न्यायुध को रख सकता है।"

अंत:स्थापित करें। (3)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय - उपस्थित नहीं।

श्री विनायक भाऊराव राऊत, क्या आप संशोधन संख्या 26 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने तीन अग्न्यायुधों के स्थान पर दो अग्न्यायुधों का प्रावधान किया है, इसलिए I am not moving.

माननीय अध्यक्ष: श्री सुरेश कोडिकुन्निल, क्या आप संशोधन संख्या 30 मूव करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I beg to move:

Page 2,*for* line 6,–

substitute "him none of such firearms and shall deposit, within thirty days from such". (30)

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री भर्तृहरि महताब, क्या आप संशोधन संख्या 44 और 45 मूव करना चाहते हैं?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, the Minister has given an exhaustive answer. My only concern here was rifle club or rifle association licenced or recognised by the Central Government using a point 22 bore rifle or an air rifle for target practice. अगर आप इस अनुष्ठान को रेकग्नाइज करते हैं, तो उनके लिए भी यह व्यवस्था होनी चाहिए।

Sir, I am not moving amendment no. 44 and 45 to Clause 3.

(1630/SPS/GM)

माननीय अध्यक्ष: श्री जसबीर सिंह (डिम्पा) गिल, क्या आप संशोधन संख्या 50 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI JASBIR SINGH (DIMPA) GILL (KHADOOR SAHIB): I beg to move:

Page 2, *after* line 14,--

insert "Provided also that the provisions of sub-section (2) of section 3 shall apply to those applicants who apply for arms licence after the coming into force of this Act.". (50)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री जसबीर सिंह (डिम्पा) गिल द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 50 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 3, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 3, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करना चाहते हैं?
SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

Page 2, line 16, --

after "procure,"

insert "possess,". (7)

Hon. Speaker, Sir, I did not speak on the Bill. It is a very positive and valid amendment. The hon. Minister may kindly see that the words 'manufacture', 'obtain', and 'procure' are there in the Bill. My only amendment is that there is a difference between 'procurement' and 'possession'. So, my amendment is 'manufacture', 'obtain', and 'procure' and 'possess'. Even possessing a weapon more than what is stipulated will also be punishable.

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री कोडिकुन्निल सुरेश, क्या आप संशोधन संख्या 31 प्रस्तुत करना चाहते हैं?
SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I am not moving amendment no. 31 to Clause 4.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 और 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 7

माननीय अध्यक्ष: श्री कोडिकुन्निल सुरेश क्या आप संशोधन संख्या 32 प्रस्तुत करना चाहते हैं?
SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I beg to move:

Page 2, line 23, --

after "firearm"

insert ", including point 22 bore pellet guns or air rifles". (32)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री कोडिकुन्निल सुरेश द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 32 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8

माननीय अध्यक्ष: श्री जसबीर सिंह (डिम्पा) गिल, क्या आप संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI JASBIR SINGH (DIMPA) GILL (KHADOOR SAHIB): I beg to move:

Page 2, line 26,--

for "five"

substitute "ten". (4)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री जसबीर सिंह (डिम्पा) गिल द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 8 और 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I am not moving amendments no. 8 and 9 to Clause 8.

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय - उपस्थित नहीं।

माननीय अध्यक्ष: श्री विनायक भाउराव राऊत, क्या आप संशोधन संख्या 27 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): मैं संशोधन संख्या 27 को प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग थी कि रिन्यूअल के बारे 3 साल से 10 साल तक बढ़ाइए, लेकिन मंत्री महोदय ने 3 साल से 5 साल तक का प्रावधान किया है।

माननीय अध्यक्ष: श्री कोडिकुन्निल सुरेश, क्या आप संशोधन संख्या 33 और 34 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I am not moving amendments no. 33 and 34 to Clause 8.

माननीय अध्यक्ष: श्री टी.एन. प्रथापन, क्या आप संशोधन संख्या 46 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): I beg to move:

Page 2, line 26,--

for "five"

substitute "six". (46)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री टी.एन. प्रथापन द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 46 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री जसबीर सिंह (डिम्पा) गिल, क्या आप संशोधन संख्या 51 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI JASBIR SINGH (DIMPA) GILL (KHADOOR SAHIB): I beg to move:

Page 2, line 26,--

for "five years"

substitute "ten years". (51)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री जसबीर सिंह (डिम्पा) गिल द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 51 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

(1635/MM/RSG)

खंड 9

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी, क्या आप संशोधन संख्या 5 और 6 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I beg to move:

"Page 3, *omit* lines 4 to 7." (5)

"Page 3, *after* line 12, --

insert "Provided that the prosecution must prove beyond reasonable doubt that the person has actually taken the firearm from the police or armed forces by using force."." (6)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा खंड 9 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 और 6 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रख गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, क्या आप संशोधन संख्या 10 से 16 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am moving amendment Nos. 10 and 16; I am not moving rest of the amendments. The Government should take into consideration, 'procure' and 'posses' at least in the future.

I beg to move:

"Page 2, line 37,--

after "procure"

insert ", possess"." (10)

"Page 3, line 29, --

after "procure"

insert "possess,"." (16)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा खंड 9 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 और 16 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं।

श्री अरविंद सावंत जी, क्या आप संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, the hon. Minister has given a satisfactory reply. Hence, I am not moving the amendment.

माननीय अध्यक्ष: श्री कोडिकुन्निल सुरेश, क्या आप संशोधन संख्या 35 से 42 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I am not moving my amendments.

माननीय अध्यक्ष: श्री टी.एन. प्रथापन, क्या आप संशोधन संख्या 47 से 49 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): Sir, I beg to move:

"Page 2, lines 42 and 43, --

for "imprisonment for life"

substitute "twelve years"." (47)

"Page 3, line 3, --

for "seven years but which may extend to fourteen years"

substitute "five years but which may extend to eleven years"." (48)

"Page 3, line 30,--

after "transfer,"

insert "assemble,"." (49)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री टी.एन. प्रथापन द्वारा खंड 9 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 47 से 49 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: श्री बैन्नी बेहनन, क्या आप संशोधन संख्या 52 और 53 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I beg to move:

"Page 3, line 46,--

for "economic or other advantage"

substitute "economic or any other illegal or immoral purpose to the advantage"." (52)

"Page 4, *after* line 20,--

Insert "Provided that in case of death or injury caused by the use of firearm in celebratory gunfire in rash or negligent manner, the person guilty of the offence

shall, in addition to above punishment, be also liable to pay a compensation of rupees twenty lakhs in case of death and two lakhs in case of injury to the kin of victim or the victims, as the case may be"." (53)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री बैन्नी बेहनन द्वारा खंड 9 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 52 और 53 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11

माननीय अध्यक्ष: श्री कोडिकुन्निल सुरेश, क्या आप संशोधन संख्या 43 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I am not moving my amendment.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।

श्री अमित शाह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019

1638 बजे

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 20.

माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी।

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नागरिकता अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय, आज इस महान सदन के सामने मैं एक ऐतिहासिक विधेयक लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस विधेयक को इस महान सदन की अनुशंसा मिलने के बाद ही लाखों-करोड़ों लोग यातनापूर्ण जीवन से मुक्त हो जाएंगे और सम्मान के साथ भारत के नागरिक बनेंगे।

मान्यवर, आज सुबह बहुत सारी चर्चा हुई थी कि इससे किसी को सिंगल-आउट करने की बात है, किसी के साथ अन्याय करने की बात है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा चलाने की बात है। मान्यवर, मैं फिर से एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर कोई मेरी बात को ध्यान से सुनेगा और इस विधेयक को फिर से पढ़ेगा, मैं इस सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, अगर होगा तो न्याय ही होगा और उन लोगों के साथ न्याय होगा जो 70-70 साल से न्याय की राह देख रहे हैं।

(1640/SJN/RK)

मान्यवर, पॉलिटिकल एजेंडा की बात की गई है, तो पॉलिटिकल एजेंडा क्या होता है? हम चुनाव में जाते हैं। हम बहुपक्षीय संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हैं। हर पार्टी अपना-अपना घोषणा-पत्र घोषित करती है और घोषणा-पत्र को जनता के सामने रखती है, उसका प्रचार करती है। घोषणा के बिन्दुओं को सारे देश की जनता के सामने, सारे प्रत्याशी, सभी पार्टी के लोग रखते हैं। इसके आधार पर एक जनमत की निर्मिती करते हैं और निर्मित हुआ जनमत अपनी सरकार का चयन करता है। इसमें पॉलिटिकल एजेंडा क्या है? यह संवैधानिक प्रक्रिया है। हर राजनीतिक दल को किसके आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए? सिर्फ अपने नेता के चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए, परिवार के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए, किसके आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए? मैं यह मानता हूं कि पार्टी की विचारधारा और पार्टी के घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए, जो इस देश की जनता की अपेक्षाओं में से निर्मित होता है। चुनावी घोषणा पत्र क्या होते हैं, जो देश की जनता राजनीतिक दलों से अपेक्षा रखती है? जब राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच में जाती हैं, उनके संगठन के लोग जाते हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि जाते हैं, जो बातें सुनते हैं, उनकी संवेदना को सुनते हैं, वह अंततोगत्वा तो घोषणा पत्र के अंदर ही समाहित होती हैं। वह चुनावी एजेंडा नहीं होता है। वह पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता है। वह देश की जनता की जनभावनाओं का प्रतिबिंब होता है, जिसको देश की जनता ने स्वीकृत किया है। यहां यही हुआ है।

मान्यवर, वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में हमारे दोनों चुनावी मेनिफिस्टो के अंदर और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि जब वर्ष 2019 में मेनिफिस्टो की घोषणा की गई थी, तब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, उसको रखने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। मान्यवर, हमने कहा था, हमने घोषणा पत्र में क्या कहा था कि हम हमारे पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को, तो माइनोरिटी के, मेरे मित्र जिसका विरोध कर रहे हैं, वह उसका एजेंडा है। क्यों एजेंडा है, क्योंकि आप मानते हैं कि माइनोरिटी को विशेष व्यवस्था मिलनी चाहिए। मैंने कई बार आपके मुंह से सुना है कि माइनोरिटी को विशेष व्यवस्था मिलनी चाहिए। तो बांग्लादेश की माइनोरिटी को विशेष व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए? पाकिस्तान की माइनोरिटी को विशेष व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए? अफगानिस्तान की माइनोरिटी को विशेष व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए? मान्यवर, कौन भेद-भाव कर रहा है? मैं तो नहीं कर रहा हूं। कौन भेद-भाव कर रहा है? एक जगह पर तो खड़े होते हैं। माइनोरिटी सिंगल आउट है।...(व्यवधान) अरे हम क्या करें? माइनोरिटी को ही अधिकार दे रहे हैं। मगर वह माइनोरिटी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से है।

मान्यवर, हमने कहा था कि पड़ोसी देशों के प्रताड़ित, धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटिजनशिप अमेंडमेंड बिल, जिसको सीएबी के पापुलर नाम से जाना जाता है, हम इसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने इसके साथ में यह भी कहा था कि हम पूर्वोत्तर राज्यों के उन वर्गों के लिए मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए भी प्रयास करेंगे, जिन्होंने कानून के बारे में आशंका व्यक्त की है और पूर्वोत्तर के लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की रक्षा के लिए भी हमारी प्रतिबद्धता है।

मान्यवर, मैं आज जो बिल लेकर आया हूं, वह बिल हमारे उस घोषणा पत्र के अनुरूप है, जिसको इस देश की 130 करोड़ की जनता ने मोदी जी के मैन्डेट के साथ अप्रूव किया है। यह सालों की मांग है। इस सदन को इसमें पार्टी की आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। वहां से लाखों-करोड़ों लोग धकेल दिए गए हैं। कोई भी आदमी अपना देश वैसे ही नहीं छोड़ता है। देश छोड़िए, जनाब गांव नहीं छोड़ता है। कितने प्रताड़ित हुए होंगे, कितने दुखी हुए होंगे, कितने अपमानित हुए होंगे? तब जाकर वे देश को छोड़कर यहां शरण में आए हैं। इतने सालों से न उनको मताधिकार है, न उनको शादी का अधिकार है, न उनको सरकारी नौकरी का अधिकार है, न घर खरीदने का अधिकार है, न शिक्षा का अधिकार है, न स्वास्थ्य का अधिकार है। मान्यवर, ये लाखों-करोड़ों लोग नर्क की यातना के अंदर जी रहे हैं। आज नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बिल के आने के बाद उनको सम्मान मिलेगा, उनको अधिकार मिलेगा। हम इसमें किसी का कोई अधिकार नहीं छीन रहे हैं। मैं आप सबकी बात सुनने के बाद इस विषय पर आऊंगा। मैं एक-एक चीज का जवाब दूंगा। मगर मेरी सभी पक्ष और विपक्ष तथा सभी सांसद महोदयों से एक आग्रहभरी विनती है कि चर्चा को शांति से सुनें और चर्चा में शांति से हिस्सा लें।

(1645/GG/RC)

जब कोई खड़ा होता है, अपने विचार के अनुकूल नहीं बोलता है, टोका-टोकी करना, बिठा देना, मैं नहीं मानता कि यह महान सदन की गरिमा के अनुरूप है। सुबह मैंने शांति से आप सबको सुना। जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो बीच-बीच में खड़े हो जाते थे। भइया, मुझे भी तो सुनो। मैं भी तो सांसद हूँ। 18 लाख लोगों ने मुझे भी तो चुन कर भेजा है। ऐसा कैसे चलेगा कि आप मुझे नहीं सुनोगे? तो मेरा सबसे निवेदन है कि हम चर्चा के अंदर जो हिस्सा लें, वह सदन की गरिमा के आधार पर लें।

मान्यवर, यह बात सही है कि विविधता में एकता ही हमारे देश को एक रखने का सबसे बड़ा मंत्र है। मान्यवर, सहिषणुता हमारा गुण है। कभी भी इस देश ने सीमाओं को लांघ कर किसी पर आक्रमण नहीं किया है। मान्यवर, दस हजार साल का इतिहास है, यहां से सेना कभी इसके बाहर नहीं गई है। सहिषणुता हमारा गुण है। बदलाव को हमने खुलेपन से स्वीकार किया है। इसी कारण यह देश इतनी सदियों से चल रहा है। बदलाव को हम स्वीकार करते हैं। बदलाव को अपनी संस्कृति में समाहित करते हैं और संस्कृति की यात्रा को और आगे ले जाते हैं। सामुहिक चित्त और मानस हमारी संस्कृति का अविभाज्य हिस्सा है। यह बिल उसी को परिव्याख्यायित करने वाला बिल है।

मान्यवर, मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि 15 अगस्त, 1947 को आजादी के बाद हमारी संविधान सभा ने पंथ निरपेक्ष राज्य को जो स्वीकार किया, इसका भारतीय जनता पार्टी और हम सब साथी दल हृदय से सम्मान भी करते हैं, इसको स्वीकार भी करते हैं और उसको आगे ले जाने के लिए हम लालायित भी हैं। हम सब पंथनिर्पेक्षता को स्वीकार करते हैं। किसी धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। किसी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। संविधान की इस स्पिरिट को मान्यवर हम स्वीकार कर रहे हैं।

मान्यवर, मगर किसी भी सरकार का यह तो कतर्व्य है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करें। देश के अंदर आते हुए घुसपैठियों को रोकें। शरणार्थी और घुसपैठियों की अलग-अलग पहचान करें। यह भी तो राज्य का ही कत्तर्व्य है। वर्ना क्या यह देश सबके लिए खुला छोड़ देंगे? मान्यवर, जो बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सा देश ऐसा है, जिसने बाहर के लोगों को नागरिकता का अधिकार देने के लिए कानून नहीं बनाया है। दुनिया में कोई ऐसा देश भला हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता है। लिबरल से लिबरल देश ने अपना कानून बनाया है। हमने भी बनाया है। इसीलिए हमने संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। एकल नागरिकता के प्रावधान को अनुच्छेद 5(11) में किया है। मान्यवर, आज जो मैं बिल ले कर आया हूँ, सुबह इसको सदन में रखने के पहले ढेर सारे सदस्यों ने इसका विरोध किया कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इससे आर्टिकल 14 का वॉयलेशन हो जाएगा। मान्यवर, इस देश में बहुत बार ऐसा हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ और जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, उनके शासन के समय में ही हुआ है, उन्होंने ही किया है। अपनी सरकारों के कामों को ढंग से पढ़ लेते तो शायद न बोलते। मैं आपको बताता हूँ कि सन् 1947 में जितने भी शरणार्थी आए, सबको भारत के संविधान ने स्वीकार कर लिया। हमने स्वीकार किया है, हर जगह पर रहते हैं, शायद ही हिंदुस्तान का कोई गांव ऐसा होगा, जहां पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से आए

हुए शरणार्थी न रहते हों। कई लोग इस देश में बड़े-बड़े पदों पर बैठे हैं। सरदार मनमोहन सिंह जी उसी कैटेगरी में आते हैं। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी भी उसी कैटेगरी में आते हैं। मान्यवर, हमने उनको स्वीकार किया था। उनको नागरिकता दी थी, तभी तो वे देश के प्रधान मंत्री और उप-प्रधान मंत्री बन पाए थे। बड़े-बड़े उद्योगपति बने। इस देश की विकास की यात्रा में अपना योगदान दिया। इस देश की विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया है। इसके बाद बीच में सन् 1959 में दंडकारिणी योजना आई। (1650/KN/SNB)

यहां महताब साहब बैठे हैं, जो अभ्यास करते हैं, उनको मालूम होगा कि क्या थी- दण्डकारण्य योजना। यह भी शरणर्थियों को नागरिकता देने के बारे में थी। वर्ष 1971 की लड़ाई के बाद जब इंदिरा जी ने बहुत राइटली इंटरवीन करके बंगलादेश की रचना की, रचना करने में भारत की सेना ने सहायता की, क्योंकि वहां बहुत प्रताड़ना हो रही थी। बंग्लादेश की रचना के बाद वर्ष 1971 तक के सारे जो शरणर्थी आए थे, उनको यहां शरण भी दी गई, नागरिकता भी दी गई। किसी ने विरोध नहीं किया। हमारी पार्टी ने भी विरोध नहीं किया। इस देश की करोड़ों की जनता ने पाँच पैसे का बंग्लादेश का एक अलग टिकट सालों तक उनके निर्वहन के लिए लगाया। इसके बजट का जो बोझ आता था, उसके निर्वहन के लिए पाँच पैसे का एक अलग टिकट हम पोस्ट पर लगाते थे, आप सभी को याद होगा। उसके बाद युगांडा में ईदी अमीन का शासन आया। भारतीय निकाल दिए गए, फिर से सामूहिकता से नागरिकता दी गई। लंका क्राइसेस में भी काफी सारे भारतीय जो वहां गए थे, उनको नागरिकता दे दी गई। वर्ष 1985 में असम एकॉर्ड हुआ। राजीव गांधी और असम के छात्र नेताओं के बीच में हुआ। उसमें फिर से वर्ष 1971 तक असम में जितने भी लोग थे, सब को नागरिकता दे दी गई। उस वक्त किसी ने विरोध नहीं किया। हमने भी नहीं किया, क्योंकि हम समझते थे कि यह समय की जरूरत है। हमारे देश के जो लोग हैं, वे कहाँ जाएंगे। हमने विरोध नहीं किया और आज जब हम बिल लेकर आए हैं, तो कृपा इसको राजनीतिक पार्टी के आधार पर मत देखिए। जो यहां पर करोड़ों नागरिक आ गए हैं, करोड़ों हैं, जो नर्क की यातना में जी रहे हैं। मैं बंगाल के सभी सांसदों को विशेष रूप से कहना चाहता हूं, वे भी इस डिबेट को देखते हैं, उनको भी आपसे आशा है कि आप उनकी नागरिकता का समर्थन करेंगे। वे लोग भी चाहते हैं कि उनको जो अधिकार मिल रहा है, आप उसमें रोड़ा न डालो। मैं कांग्रेस के मित्रों को भी कहता हूँ कि आप चर्चा के अंदर यह साबित कर दीजिए कि यह बिल किसी के साथ भेदभाव करता है तो मैं यहाँ से बिल लेकर वापस चला जाऊँगा। मगर यह बिल किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किसी को अधिकार देने का बिल है, किसी का अधिकार छीनने का बिल नहीं है। मान्यवर, किसी का अधिकार नहीं छीना जाता है और इस बिल के अंदर हमने जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था को मैं थोड़ा फिर से एक बार बताना चाहता हूँ। यह विधेयक हमारे तीन पड़ोसी देश, जिनसे हमारी जमीनी सीमा छूती है, पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिन्दू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदाय के ऐसे प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता का रास्ता खोलता है, जो धर्म के आधार पर अपने देश में प्रताड़ित हुए हैं। मान्यवर, वह धर्म के आधार पर प्रताड़ित हुए हैं, भाग कर आए हैं। या तो यात्रा का दस्तावेज ही नहीं है या दस्तावेज है तो वह दस्तावेज अपनी समय-सीमा को लांघ गया है। या तो दस्तावेज है नहीं, या

तो अधूरा है, या समय-सीमा को लांघ गया है। यह सभी प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए इस बिल के अंदर प्रावधान है। अब मैं प्रावधानों को जरा डिटेल में बताता हूं।

मान्यवर, नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 2(1) बी में अभी प्रावधान है कि कोई भी विदेशी नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के और ट्रेवल दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करता है तो उसको अवैध माना जाता है। इस विधेयक में यह प्रस्ताव है कि ऐसे प्रताड़ित नागरिक जो 31 दिसम्बर, 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं, जिनको भारत सरकार ने 'द पासपोर्ट एक्ट, 1920 और फॉरनर्स एक्ट, 1946 के दण्डात्मक प्रावधानों से माफ कर दिया है, उनको नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 2(1) बी में अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इन प्रताड़ित प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने की बात है। मान्यवर, यह आज की प्रक्रिया नहीं है। उस वक्त किसी ने विरोध नहीं किया। जब श्रीमान राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, मोदी जी ही प्रधान मंत्री थे, उस वक्त इन सारे लोगों को लॉंग टर्म वीजा का प्रोविजन कर दिया गया था। उनको यहां रहने की एक प्रकार से अनुमति दे दी गई थी और आज उसी चीज को एक्सैंड करते हुए, आज उनको नागरिकता देने की प्रक्रिया से यह बिल आया है। मैं मानता हूँ कि लाखों-करोड़ों लोगों को नर्क जैसी यातना भरी जिन्दगी से यह विधेयक मुक्ति दिलाने वाला है और उनको भारत के नागरिक का एक सम्मानजनक आधार देने वाला है।
(1655/RV/RU)

इस बिल को पहले लोक सभा ने पास किया, राज्य सभा में यह पास नहीं हो पाया। लोक सभा की अवधि खत्म हो गई और यह लैप्स हो गया। मैं इसे फिर से लेकर आया हूं।

मान्यवर, इसमें छ: बिल्स लाने का भी प्रस्ताव है, जिसमें भारत सरकार यह प्रावधान करेगी कि धार्मिक उत्पीड़न के शिकार उपरोक्त प्रवासी निर्धारित की गई शर्तों, प्रतिबंधों व तौर-तरीकों को अपनाकर रजिस्ट्रेशन या न्यूट्रलाइजेशन के माध्यम से…

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): न्यूट्रलाइजेशन नहीं, यह नैचुरलाइजेशन है।

श्री अमित शाह: मैंने नैचुरलाइजेशन बोला।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): आपने न्यूट्रलाइजेशन बोला है।

श्री अमित शाह: ठीक है, यह नैचुरलाइजेशन है।…(व्यवधान) भई, कभी-कभी ये ठीक भी बोलते हैं, आप चिन्ता मत कीजिए। …(व्यवधान)

महोदय, इस विधेयक में नागरिकता अधिनियम की धारा 18(2)(ee)(i) में सरकार को इस के बारे में नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं।

मान्यवर, धार्मिक प्रताड़ना के कारण इन तीन देशों के जो अल्पसंख्यक यहां आए हैं, जो माइनॉरिटीज़ यहां आई हैं, मैं बार-बार यहां माइनॉरिटी शब्द इसलिए बोलता हूं, ताकि आपको मालूम पड़े कि हमें भी माइनॉरिटी की ही चिन्ता है। माइनॉरिटीज़, जो वहां से यहां आई हैं, जिनमें हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, उन्हें एक अर्जी लगाने से नागरिकता मिलेगी और इसके रूल्स भारत सरकार बाद में बनाएगी। यह प्रावधान किया जा रहा है कि ऐसे प्रवासी, अगर नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा के तीसरे शिड्यूल की शर्तें पूरी करने के उपरान्त नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें भारत में उनके प्रवेश से ही नागरिकता दी जाएगी।

मान्यवर, उनकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर आज वे बेचारे एप्लाई करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि वे भारत के नागरिक नहीं हैं। इस बीच किसी ने छोटा-सा घर ले लिया है, किसी ने स्कूटी ले ली है, किसी ने साइकिल ले ली, किसी को छोटी-सी नौकरी भी मिल गई है, वैसे उन्हें कुछ मिलता नहीं है, मगर किसी को मिल गया है तो उसे यह डर है कि उसका यह सब छिन जाएगा।

यह बिल उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है और मैं यह मानता हूं कि इस सदन के सभी सदस्यों को, विशेषकर बंगाल के सदस्यों को, बंगाल के अन्दर जो शरणार्थी हैं, नॉर्थ-ईस्ट के अन्दर जो शरणार्थी हैं, उन तक यह बात अच्छे से पहुंचानी चाहिए कि आप जिस तारीख से भारत में आए हैं, उस तारीख से आपको नागरिकता दी जाती है और इसके बीच में किसी की भी जरूरत नहीं है। कोई राशन कार्ड निकालने की जरूरत नहीं है। ख्वामखाह लाइनें मत लगाइए। कोई आपको डरा देता है तो डरिए मत। मैं देश के गृह मंत्री के नाते कहता हूं कि आपके पास राशन कार्ड है या नहीं है, हम नागरिकता देंगे।

मान्यवर, एक दूसरी दुविधा है कि अगर मैं आपको एप्लीकेशन देता हूं तो उससे यह होगा कि अब तक तो मैं अवैध रूप से रहा हूं, तो मुझ पर केस हो जाएगा, यह भी भय है। यह भय खड़ा भी किया जा रहा है। कुछ पार्टियां प्रचार करती हैं कि एप्लीकेशन मत डालो वरना जेल में जाओगे। अरे भैया, उन्हें क्यों जेल भेजना है, बेचारे वैसे ही परेशान हैं।

मान्यवर, हम प्रोविजन लेकर आए हैं कि ऐसे अल्पसंख्यक प्रवासी के खिलाफ अवैध प्रवासी या नागरिकता के बारे में कोई भी कार्रवाई चल रही है या चल सकती है तो वह भारत की नागरिकता मिलने के साथ ही खत्म हो जाएगी, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो। अगर ऐसी कार्रवाई चल भी रही है तो ऐसी कार्रवाई के साथ भी एप्लीकेशन करने के लिए पात्र होगा। अगर किसी पर केस चल रहा है तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं।

मान्यवर, इसमें यह भी प्रोविजन किया है कि भारत सरकार का जो सक्षम अधिकारी होगा, इस कारण से नागरिकता के आवेदन को खारिज नहीं कर पाएगा कि उसके खिलाफ अवैध प्रवास या नागरिकता के विषय में कोई कार्रवाई चल रही है, यह प्रोविजन भी हमने किया है।

मान्यवर, इस धारा में हमने यह भी प्रावधान किया है कि अगर कोई आवेदक, आवेदन की तिथि से किसी भी प्रकार से अधिकार या प्रिविलेज ले रहा है, मतलब अगर किसी की शादी हो गई, किसी को छोटी-मोटी नौकरी मिल गई, कोई पिओन बन गया या कुछ बन गया, किसी ने छोटा-सा मकान खरीद लिया, अगर कोई प्रिविलेज ले रहा है तो इस प्रावधान के तहत आवेदन करने से इन अधिकारों या प्रिविलेजेज से वह वंचित नहीं किया जाएगा, उसको सम्पूर्ण प्रोटेक्शन मिलेगा।

(1700/MY/NKL)

मान्यवर, हमने यह भी प्रोविजन किया है। बहुत सारे संसद सदस्यों ने तथा श्रीमान गोगोई जी ने भी एक मुद्दा उठाया था कि पूर्वोत्तर के लोगों की भाषाई संस्कृति और सामाजिक संरक्षण के लिए आप क्या करेंगे। मान्यवर, इस बिल के अंदर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं यह आपके सामने इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर के अंदर या तो समझ कर, या समझे वगैर ढेर सारे लोगों के मन में एक भय खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। किसी को भयभीत या आक्रांतित होने की जरूरत है, इसलिए मैं बहुत स्पष्टता के साथ इसको आपके सामने रखना चाहता हूं।

मान्यवर, सबसे पहले अरूणाचल प्रदेश है। अरूणाचल प्रदेश, बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के अनुसार कवर होता है। जो बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के अनुसार कवर होते हैं, उनको इस कानून के बारे में कोई डर रखने की जरूरत है। वहां यह नागरिकता कानून अप्लाई नहीं होगा। नागालैंड के थोड़े हिस्से को छोड़कर, इनरलैंड परमिट सिस्टम से प्रोटेक्टेड है। उनकी यह प्रोटेक्शन चालू रहेगी। पूरा मिजोरम भी इनरलैंड परमिट सिस्टम से प्रोटेक्टेड है, जो कि बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 का प्रावधान है। वह भी चालू रहेगा। मणिपुर राज्य की भावना को ध्यान में रखकर मणिपुर को हम इनरलैंड परमिट सिस्टम के अंदर ला रहे हैं। मणिपुर की घाटी की बहुत बड़ी समस्या का आज समाधान हो रहा है।

मान्यवर, मणिपुर की घाटी के सारे लोग बहुत समय से इसकी मांग कर रहे थे। आज मैं मणिपुर के लोगों की ओर देश के प्रधान मंत्री का कोटि-कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने मणिपुर की सालों पुरानी मांग को आज समाप्त कर दिया है। त्रिपुरा में ए.डी.सी. क्षेत्र में सी.ए.बी. लागू नहीं होगा। जो हाई लेबल कमेटी बनाई गई है, उसी में सारे ट्राइबल को समाहित करने का काम किया है। पूरा मेघालय सिक्स शेड्यूल से कवर है। हम इसको सिक्स शेड्यूल से बाहर रख रहे हैं।

जहां तक असम का सवाल है, उसमें बी.टी.सी., कारबी आंगलोंग, दिमा, हसाव जैसे सारे ए.डी.सी. को सी.ए.बी. से बाहर रखा गया है और जो असम का मूल प्रदेश है, वहां पर क्लॉज सिक्स है। सुबह गौरव भाई बात कर रहे थे कि यह असम अकॉर्ड की भावना है। गौरव जी, भावना का क्या करेंगे? वर्ष 1985 में राजीव गांधी जी ने असम अकॉर्ड किया और उसके बाद कुछ भी नहीं किया गया। अभी तक सिर्फ भावना ही रही है, पहली बार क्लॉज सिक्स की कमेटी श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने बनायी है और असम केभाषा-भाषी लोगों की संस्कृति और उनके राजनीतिक पहचान को जिंदा रखने का हम एक प्रयास कर रहे हैं। आप बताइए, अभी तक आपने क्या किया? मैं इस सदन के माध्यम से असम की जनता से भी पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने असम अकॉर्ड दिया, इतने सालों तक क्या किया? असम अकॉर्ड की कौन-सी चीज को आपने इम्प्लीमेंट किया? क्या एन.आर.सी. किया - ना जी। क्या क्लॉज-सिक्स किया - ना जी। क्या किया, तो एक-एक करके सारे लोगों को लाकर बसा दिया। असम का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। वहां 15-15 सालों तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन कोई नहीं बोला। अब जब हम इसे लेकर आ रहे हैं और इस समस्या का समाधान कर रहे हैं, तब जाकर इसका विरोध किया जा रहा है।

मान्यवर, मैं मानता हूं कि असम की छह समुदाय मोरन, मटक, ताई-अहोम, कोच-राजबोंगशी, चुटिया और टी ट्राइबल को भी अनुसूचित जाति में समाहित करने के लिए श्रीमान राजनाथ सिंह जी के समय से प्रयास हुआ है। अब हम इसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। बोडो समुदाय के सांस्कृतिक विकास के लिए भी बोडो म्यूजियम, सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र, कोकराझार आकाशवाणी, दूरदर्शन का आधुनिकीकरण, सुपर फास्ट अरोनाई एक्सप्रेस का नामकरण भी भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने ही दिया है। असम के इश्यू को भी हम इसी प्रकार से एड्रेस कर रहे हैं। आज इस सदन के माध्यम से समग्र नॉर्थ-ईस्ट की जनता से कहना चाहता हूं कि पूरे नॉर्थ-ईस्ट के सभी के सभी राज्यों की चिंताओं का निराकरण इस बिल के अंदर समाहित है, कोई उकसावे में मत आना, कोई आंदोलन मत करना, बहुत हो चुका और अब यह देश शांति के साथ आगे बढ़ना चाहता है।
(1705/CP/KSP)

मान्यवर, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से चर्चा नहीं की। विगत 1 मास के अंदर 140 से ज्यादा संस्थायें, 140 से ज्यादा अलग-अलग एनजीडीओ, राजनीतिक दल, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सभी राज्यों के नेता भी थे और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मैंने लगभग 119 घंटे चर्चा की है। उन्होंने जो सुझाया, वे सारे सुझाव मैं इसके अंदर समाहित करने के लिए आया हूं। मेरे पास ढेर सारी लिस्ट है, मगर मैं पूरी लिस्ट नहीं पढ़ूंगा। अगर वे मुद्दा उठाएंगे, तो मैं जरूर पढ़ूंगा। मैं सभी लोगों के साथ इस पर चर्चा करके आया हूं।

मान्यवर, हम इसमें रियायत भी दे रहे हैं कि अभी न्यूनतम रेजीडेंसी पीरियड एक प्लस ग्यारह, बारह है। अब हम 31 दिसंबर, 2014 की कट ऑफ रख रहे हैं। उन लोगों के 11 साल वर्ष 2025 में होंगे। हम इसको कम करके वन प्लस फाइव कर रहे हैं, तो वर्ष 2014 से 6 साल, यानी वर्ष 2020 में ये सब एप्लीकेशन भी कर सकेंगे और जल्दी से नागरिक बनकर भारत की मतदाता सूची में भी आ जाएंगे। उसके अंदर भी हम उनको बहुत बड़ी रियायत दे रहे हैं।

मैं मानता हूं कि यह जो रास्ता श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रशस्त किया है, उस रास्ते के माध्यम से देश में रहने वाले लाखों करोड़ों लोग, तीन देशों से धार्मिक प्रताड़ना के कारण यहां आए हुए जो माइनोरिटी है, लघुमति है, उन लघुमतियों को, मतलब हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और स्मृति बहन पारसी कह रही हैं, पारसी भी है, पारसी समेत सभी माइनोरिटीज़ को यहां पर नागरिकता देने का रास्ता प्रशस्त हो रहा है।

अभी बिल को पुर:स्थापित करते वक्त बहुत सारे सदस्यों ने बिल की इस सदन की कांपिटेंसी पर सवाल उठाया था। वैधता के बारे में कहा था कि इस बिल को संवैधानिक रूप से यह सदन ले सकता है या नहीं ले सकता है। अभी भी किसी के मन में संशय है, तो प्लीज अपने वक्तव्य के अंदर जरूर सदन के पटल पर यह रखिएगा। मैं एक शब्द को छोड़े बगैर, एक सांसद को छोड़े बगैर, हर एक का बहुत डिटेल में जवाब दूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा दायित्व है कि विपक्ष के भी सारे सांसदों के सवालों का जवाब देना और इसको जस्टीफाई करना, तो मान्यवर, इतनी भूमिका के साथ मैं इस बिल को सदन के सामने विचार करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। आप सभी लोग रचनात्मक दृष्टि से इसको लें। इतनी विनती करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। (इति)

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I rise to move an amendment to the motion for consideration moved by the hon. Minister.

I beg to move:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st March, 2020."

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

"कि नागरिकता अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

"कि विधेयक पर राय जानने के लिए 31 मार्च, 2020 तक के लिए परिचालित किया जाए।"

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको बाद में मौका देंगे। आपको कब मौका नहीं दिया? अकेला नेता, अकेला चलो, फिर भी हर बात पर बोलते हैं।

…(व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): इस पर चर्चा और रिप्लाई क्या आज ही करेंगे? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जैसा सदन का विचार होगा, वैसा करेंगे।

श्री मनीष तिवारी जी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हां, आज ही होगा। आप उनको बोलने दीजिए। कभी रात तक भी सदन चलना चाहिए।

श्री मनीष तिवारी जी।

1709 बजे

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से जो यह नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 सरकार ने आज इस सदन में पेश किया है, मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारा विरोध इस विधेयक के साथ यह है कि यह असंवैधानिक है, गैर-संवैधानिक है, संविधान की जो मूल भावना है, उसके खिलाफ है और जिन आदर्शों पर डॉ. बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे संविधान की संरचना की थी, उसके बिल्कुल विरुद्ध है।

(1710/NK/SRG)

चूंकि समय बहुत कम है, नहीं तो नागरिकता का सिद्धांत कहां से शुरू हुआ? मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता। बहुत वर्ष पहले जब यूनान में गणराज्य हुआ करता था, तब वहां पर नागरिकता का सिद्धांत उत्पन्न हुआ। उसके बाद वर्ष 1648 में वेस्ट फेलिया की संधि हुई, उसके बाद नागरिकता के कन्सेपट को अमलीजामा पहनाया गया। वक्त बदलता गया, सत्ता राजाओं के हाथ से जनता के हाथ में चली गई। वर्ष 1947 में भारत आजाद हुआ, अंग्रेजी साम्राज्यवाद को यहां से भगाया। भारत की संविधान सभा ने उसके ऊपर अपनी चर्चा आरंभ की।

10 अगस्त, 1949 को डॉक्टर बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर ने संविधान सभा में बोलते हुए कहा “except one other Article in the Draft Constitution, I do not think that any other Article has given the Drafting Committee such a headache as this particular Article.” वह नागरिकता की धाराओं का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने यह बात इसलिए कही क्योंकि नागरिकता एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है।

उस समय भारत के निर्माताओं ने यह बात तय की कि नागरिकता के दो आधार होंगे। पहला आधार भौगोलिक और दूसरा खून के रिश्तों के ऊपर आधारित होगा। धारा पांच से ग्यारह को भारत की संविधान में शामिल किया गया। उसके बाद 1955 में नागरिकता का कानून बना और उसमें यह बात सुनिश्चित की गई कि नागरिकता के चार मापदंड होंगे। सबसे पहले जन्म, दूसरा डिसेंट, तीसरा पंजीकरण और चौथा नेचुरलाइजेशन, उसके बाद उस कानून को आठ बार संशोधित किया गया।

लेकिन देश में जितनी उतेजना इस संशोधन को लेकर देखने को मिल रही है, वह आज से पहले कभी नहीं दिखी। उसका कारण है, जो विधेयक लाया गया है, धारा 14, धारा 15, धारा 21, धारा 25 और धारा 26 जो संविधान में है यह उसके बिल्कुल खिलाफ है।

आज सुबह गृह मंत्री जी ने धारा 14 को पढ़ा था, मैं दोबारा से एक बार पढ़ना चाहता हूं। धारा 14 क्या कहती है, `Equality before Law'. "The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India." इसके क्या मायने हैं? इसके मायने है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह भारत का नागरिक है या नहीं, उसको भारत के कानून के सामने बराबरी की नजर से देखा जाएगा। आज जो कानून लाया गया है, यह उस बराबरी को समाप्त करता है। इसी तरह से अगर धारा 15 को देखें, धारा 15 में कहा है “The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of race, religion, caste, sex, place of birth or any of them.” इसका क्या मतलब हुआ। इसका

मतलब हुआ कि आप किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति या समुदाय को लेकर भेदभाव नहीं करेंगे। मैं एक बुनियादी प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब आप किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकते तो क्या आप नागरिकता देने में भेदभाव कर सकते हैं, यह बहुत बुनियादी सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि जब सरकार की तरफ से उत्तर आएगा तो जो जवाब दिया जाएगा।

(1715/SK/KKD)

मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार की तरफ से उत्तर आएगा तो इसका जवाब दिया जाएगा।

इसी तरह से धारा 21 कहती है- It says:

> "No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to a procedure established by law."

इसका उल्लंघन करता है क्योंकि धारा 21 में साफ तौर पर यह बात कही गई है कि जो भी कानून बनाया जाए, it should be equitable; it should be just; it should be fair; and it should be non-discriminatory. इन चारों मापदंड पर यह विधेयक पूरी तरह से गिरता है। वर्ष 1973 में उच्चतम न्यायालय ने केशवनंद भारती का फैसला दिया तो कहा कि भारत के संविधान का यह बेसिक स्ट्रक्चर है। मैं बेसिक स्ट्रक्चर के अंग पढ़ना चाहता हूं – They are: Supremacy of the Constitution, republican and democratic form of Government, secular character of the Constitution, separation of powers between Legislature, Executive and Judiciary, संविधान का मूलभूत ढांचा और सिद्धांत कहता है कि हर कानून पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। यहां आज जो विधेयक आया है, बेसिक स्ट्रक्चर और मूलभूत आधार का भी उल्लंघन करता है। वर्ष 1995 में जब बोम्मई का फैसला आया तो साफ तौर पर भारत के उच्चतम न्यायालय ने जो कहा, मैं केवल उसका एक अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूं –

> "Notwithstanding the fact that the words 'Socialist' and 'Secular' were added in the Preamble of the Constitution in 1976 by the 42nd Amendment, the concept of secularism was very much embedded in our constitutional philosophy. Secularism is a basic feature of our Constitution."

यहां जो विधेयक लाया गया है, भारत के संविधान के प्रिएम्बल, मूलभूत अधिकार और स्वरूप का पूरी तरह से उल्लंघन करता है।

महोदय, इसके साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी हैं। इसमें सबसे बड़ी संधि रीफाउलमेंट की है, जिसे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी शरणार्थी चाहे किसी धर्म का हो, किसी मज़हब का हो या किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, अगर वह आपके यहां आकर पनाह मांगे तो आप उसे पनाह देने से इंकार नहीं कर सकते हैं।

यह बात सही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की शरणार्थियों की संधि पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संधि जो टॉर्चर के खिलाफ है, उसकी धारा 3 में साफ तौर पर लिखा गया है और रिफाउलमेंट उसका अटूट अंग है। इसलिए जब भी कोई शरणार्थी भारत आता है, शरण मांगता है तो हमें नहीं देखना कि उसका धर्म क्या है, उसका मज़हब क्या है, उसका फिरका क्या है? अगर वह मानवीय कारणों से आकर शरण मांगता है तो हमारा कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमने उस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। रेक्टिफाई नहीं किया, साइन किया है।

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): हमने रेक्टिफाई नहीं किया है। देश ने रेक्टिफाइड नहीं किया है। सदन में रिकॉर्ड क्लियर रहना चाहिए।

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): गृह मंत्री जी, जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है, उसे रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इंटरनेशनल कवनेंट ऑफ सिविल ऑर पोलिटिकल राइट्स है, जिसके ऊपर आपने हस्ताक्षर किए हैं, रीफाउलमेंट उसका अटूट अंग है। आपने चाहे उसे रेक्टिफाइड किया है या नहीं किया है, इसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि आपने इंटरनेशनल कवनेंट ऑफ सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स को रेक्टिफाइड किया है, जिसमें रीफाउलमेंट साफ तौर पर लिखा गया है।

श्री अमित शाह: अगर रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है तो प्रक्रिया क्यों रखी गई है?

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): आपने इंटरनेशनल कवनेंट ऑफ सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स रेक्टिफाई किया है या नहीं किया है? मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं? अगर किया है तो रीफाउलमेंट उसका अटूट अंग है, मैं आपको दिखा दूंगा। यह बहुत ही विचित्र कानून है।

(1720/MK/RP)

माननीय अध्यक्ष जी, बांग्लादेश के लिए एक कानून और नेपाल तथा भूटान के लिए दूसरा कानून, अफगानिस्तान के लिए एक कानून और मालदीव के लिए दूसरा कानून, श्रीलंका के लिए एक और कानून। मैं यह पूछना चाहता हूं, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रीजन्स में लिखा है कि जिन तीन देशों का जिक्र किया गया है, उनका राजधर्म इस्लाम है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मालदीव का राजधर्म क्या है? क्या आर्टिकल-10 जो मालदीव का संविधान है, उसमें यह नहीं लिखा गया कि उनका राजधर्म इस्लाम है? इसलिए, इस बिल में पूरी तरह से विरोधाभास है और इसको दोबारा देखने की जरूरत है। आज गृह मंत्री जी ने यह कहा कि यह बिल धारा-14 का जो रिजनेबल क्लासिफिकेशन है, उसके ऊपर खरा उतरता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि रिजनेबल क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? रिजनेबल क्लासिफिकेशन का आधार यह है कि Equals cannot be treated as unequals. इसका मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति भारत आता है तो वह शरणार्थी है। उसमें आप यह नहीं देख सकते कि यह शरणार्थी एक धर्म का है या दूसरे धर्म का है। जब वह शरणार्थी है तो आपका यह फर्ज बनता है कि उसको बराबरी का दर्जा दिया जाए और उसको बराबरी की नजर से देखा जाए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यह जो विधेयक है, यह भारत की परम्परा के भी खिलाफ है। पांचवी सदी से आठवीं सदी के बीच पर्शिया से जब पारसी भागकर आए, उनको वहां प्रताड़ित किया जा रहा था, जब वे गुजरात में सन्जन पहुंचे तो वहां के राजा, जिनका नाम जाधव राणा था, उन्होंने उन पारसियों को एक भरी हुई गढ़वी दूध की भेजी। उन्होंने कहा कि हमारे यहां बहुत लोग हैं, इसलिए आपके लिए यहां जगह नहीं है। पारसियों ने उस दूध की गढ़वी में शक्कर मिला दी और कहा कि हम शक्कर की तरह आपके समाज में घुल जाएंगे। यह भारत की परम्परा है, यह भारत का मूलभूत सिद्धांत है कि जो हमारी शरण में आया, हमने उसका धर्म नहीं देखा, हमने उसका मजहब नहीं देखा, हमने उसका फिरका नहीं देखा, हमने मानवीय आधार पर उसको शरण दी है।

अध्यक्ष जी, मैं दो बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। हम शरणार्थियों को पनाह देने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं। हम सरकार से यह चाहते हैं कि आप एक व्यापक कानून लेकर आइए, एक व्यापक रिफ्यूजी लॉ लेकर आइए, आप इल्लीगल माइग्रेंट्स के ऊपर एक कानून लेकर आइए, जो कानून धर्म, फिरके से ऊपर उठकर, यह जो बहुत संवेदनशील समस्या है, उस संवेदनशील समस्या को बहुत ही पैनी नजर से देखता है। आखिर में एक बात कहना चाहूंगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब सदन में ऐसे संवेदनशील मुद्दे के ऊपर बहस होती है तो कभी कभी सत्तापक्ष के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। आज गृह मंत्री जी ने कहा कि भारत का धर्म के नाम पर विभाजन के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थी। मैं साफ तौर पर एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में किसी ने 'टू नेशन थ्योरी' की नींव रखी थी तो वर्ष 1935 में अहमदाबाद में हिन्दू महासभा के सेशन में सावरकर ने रखी थी, कांग्रेस पार्टी ने नहीं रखी थी। …(व्यवधान) बैठ जाइए, जब आपका मौका आएगा, तब बोलिएगा। मैं आखिरी बात यह कहना चाहता हूं कि यह सत्तापक्ष जानता है कि यह विधेयक क्यों लेकर आए हैं, हम भी जानते हैं कि ये विधेयक क्यों लेकर आए हैं और जनता भी जानती है कि यह विधेयक क्यों लेकर आए हैं। लेकिन, मैं सिर्फ सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि

'इतिहास की आंखों ने वह फलक भी देखे हैं,
लम्हों ने गलती की और सदियों ने सजा पाई है।'

आज आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

(इति)

(1725/RPS/RCP)

1725 बजे

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय अध्यक्ष जी, इस ऐतिहासिक बिल पर अपने विचार रखने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं।

मैं अभी कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद श्री मनीष तिवारी जी के तर्कों को सुन रहा था, यूनान से और कहां-कहां से उन्होंने नागरिकता की बात शुरू की। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। संविधान को हमने आत्मार्पित किया है। संविधान का प्रिएम्बल हमारे लिए पवित्रतम है, संविधान पवित्रतम है, लेकिन संविधान को बनाते समय जो कुछ मानवीयता के सूत्र, जनकल्याण के संकल्प संविधान निर्माताओं के जेहन में रहे होंगे, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम 'गांधी जी का ताबीज' कहते हैं। ये जो सारे ग्रन्थ हैं, ये जो सारी बहस है, यह जरूर सोचने की बात है कि जो लोग लगभग 75 साल से एक प्रताड़ना सह रहे हैं, जिसमें उनका कोई कसूर नहीं है, क्या हमारी यह बहस उस आम तकलीफ के अंदर फंसे हुए व्यक्ति को राहत पहुंचाने वाली है या नहीं? गांधी जी ने यह बात कही थी कि आप जब भी कोई काम करें, आप जब भी कोई योजना बनाएं, तो उस गरीब व्यक्ति का ख्याल रखें कि आपका काम उसके हित में है या उसके अहित में है।

बहुत बार हमारे दोस्त बड़ी एकैडेमिक बहस करते हैं। आर्टिकल-11, आर्टिकल-14 और आर्टिकल-25, सबकी चर्चा हो रही है, सबके जवाब दिए जा रहे हैं। कहीं पर भी संविधान की आत्मा का उल्लंघन नहीं हुआ है, परन्तु मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब देश का विभाजन हुआ, देश के विभाजन में करीब डेढ़ करोड़ से दो करोड़ लोग डिसप्लेस हुए, लगभग बीस लाख लोग मारे गए और भयंकर नरसंहार हुआ। यदि आज भी उस जमाने के किसी व्यक्ति से मुलाकात हो जाए तो दिल दहल जाता है। वे लोग जो रह गए, यहां पर मुस्लिम रह गए, पाकिस्तान में हिन्दू रह गए, वे वहां शताब्दियों से रहते आ रहे थे, उनमें चिन्ता थी कि वे सुरक्षित रहें, इसके लिए 1950 में नेहरू-लियाकत समझौता हुआ। नेहरू-लियाकत समझौते के अन्दर बाकायदा इस बात की गारन्टी ली गई कि हिन्दुस्तान के अन्दर रहने वाले मुस्लिम और पाकिस्तान के अन्दर रहने वाले हिन्दू एवं अन्य अल्पसंख्यक वर्गों की सुरक्षा की चिन्ता सरकार करेगी, लेकिन वह नहीं हुआ। पूरा विवरण इस बात की पुष्टि करता है, जो डेमोग्राफिक चेंजेज हुए, पाकिस्तान से लोग यहां आए, बाद में बांग्लादेश से लोग आए, बड़ी संख्या में लोग आए। कुल मिलाकर, यदि मैं उस डेमोग्राफिक चेंज का उल्लेख करना चाहूं, तो लगभग 40 लाख लोग बाद में बांग्लादेश से केवल बंगाल के अन्दर आए और लगभग 20 लाख लोग पाकिस्तान से केवल पंजाब के अन्दर आए और देश के विभिन्न हिस्सों के अन्दर पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग आए, उनकी संख्या, संसद के अन्दर भी इस बात का उल्लेख किया गया, लगभग ढाई करोड़ से तीन करोड़ अनुमानित की गई। इस बात के प्रमाण हैं कि उन लोगों के साथ बहुत बड़ी मात्रा में धार्मिक उत्पीड़न हुआ, उनकी बहू-बेटियों के ऊपर अत्याचार हुए। मुझे ध्यान है कि 2011 के अन्दर एक सज्जन मेहर चन्द हिन्दुस्तान में आए थे। उनकी बेटियों का किस प्रकार से अपहरण किया गया, उसका उन्होंने उल्लेख किया था। उनको किसी भी प्रकार की प्रोटेक्शन पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की ज्युडिशयरी ने, पाकिस्तान की कार्यपालिका ने प्रदान नहीं किया। उन्होंने

यहां अपना पूरा दुखड़ा बताया, इंडिया टुडे ने पूरे विवरण को छापा था। मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो पीड़ित लोग हैं, इनके प्रति हमारा कुछ कर्त्तव्य है या नहीं है?

(1730/IND/VR)

पिछले सप्ताह हम बलात्कार की घटनाओं से बहुत चिंतित थे और यह स्वाभाविक भी है कि हमें चिंतित होना भी चाहिए। आप यह कल्पना कीजिए कि जिस पिता के सामने उसकी बच्ची को उठाकर कोई ले जाए, उसके साथ बलाात्कार हो और पिता को बच्ची से मिलने भी न दिया जाए, उसे ईश निन्दा कानून जैसे कानूनों के अंतर्गत पीड़ित कर दिया जाए, क्या उसके लिए कोई दर्द नहीं होगा। क्या उस पिता के दर्द को समझने की कोशिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी सारी बहस, हमारे सारे निष्कर्ष, हमारे सारे संवाद इस बात पर केंद्रित होने चाहिए कि वर्ष 1947 में देश के विभाजन के बाद जो उत्पीड़न के शिकार हुए, जिनका कोई अपराध नहीं था, उन्हें यदि नागरिकता नहीं मिली, उन्हें किस प्रकार से नागरिकता मिले तथा वे सुख-चैन से जिंदगी बिता सकें, इसके लिए माननीय नरेन्द्र मोदी जी और अमित शाह जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि वे इस प्रकार का कानून में संशोधन लेकर आए हैं।

अध्यक्ष जी, यह कानून बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन संवेदनशीलता का अभाव था। अंतत: जब नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो वर्ष 2016 में तत्कालीन गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने इस बिल का प्रस्तुत किया। तब यह चर्चा हुई कि इसे जेपीसी में भेजा जाए। हमारे आदरणीय सत्यपाल जी उस समिति के अध्यक्ष थे। मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि वर्ष 2016 से लेकर जनवरी 2019 तक पूरे देश के विधिवेताओं से, सामान्य जन से, पीड़ित पक्षों से, जानकार लोगों से व्यापक चर्चा की गई और करीब 9000 मेमोरेंडम यहां आए। चर्चा के पश्चात् पुन: यह बिल यहां लाया गया और 7 जनवरी, 2019 में जेपीसी की रिपोर्ट रखी गई और 8 जनवरी, 2019 को बिल लाया गया और लोक सभा में इस बिल को पास भी किया गया लेकिन यह बिल राज्य सभा में हमारे कांग्रेस के दोस्तों की जिद के कारण पहुंचा ही नहीं और यह बिल बीच में ही रह गया। अभी रिफ्यूजी के बारे में चर्चा हो रही थी कि रिफ्यूजी कौन हों, जो भी आए क्या उसे रिफ्यूजी मान लिया जाए। माननीय सदस्य ने दूध का भी उदाहरण दिया, लेकिन क्या वे बताएंगे कि जो देश को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से, देश के संसाधनों पर कब्जा करने के उद्देश्य से देश में प्रवेश कर रहे हैं, क्या ऐसे घुसपैठियों को भी हम शरणार्थी मान सकते हैं? यूएनओ ने परिभाषा दी। मैं वह परिभाषा पढ़ना चाहूंगा :

> “Refugees are people who are forced to flee from their countries because of threats to their life, linked to race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.

स्पष्ट लिखा हुआ है और इसमें कोई दुविधा नहीं है। इस प्रकार के उत्पीड़न के शिकार जो लोग आते हैं, वे शरणार्थी हैं। किसी भी व्यक्ति को शरणार्थी मान लेने का कोई औचित्य नहीं है और किसी भी प्रकार से किसी भी देश के लिए यह संभव नहीं है। जहां तक इक्का-दुक्का मसले की बात है, आज लोग अदनान सामी को जानते हैं, लोग उनको सुनते हैं। वे मुस्लिम हैं। उन्होंने यहां निवेदन किया और हमने उन्हें नागरिकता प्रदान की। इस प्रकार के मसले हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर शरणार्थी और घुसपैठिया में यदि हम फर्क नहीं करेंगे, तो बात नहीं बन सकती है। यहां पार्लियामेंट की कम्पीटेंस की बात भी कही गई, मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने इस संबंध में बहुत विस्तार से कहा है। मैं जवाहर लाल नेहरू जी की कुछ कोटेशन्स यहां कोट करना चाहता हूं, क्योंकि जवाहर लाल नेहरू जी की बात हमारे सामने के मित्र जरा ध्यान से सुनेंगे। उनका Tryst With Destiny 15 अगस्त, 1947 का प्रसिद्ध भाषण है। उसमें वे पार्टिशन के कारण जो लोग कष्ट में थे, उनके लिए कहते हैं कि:

> "We think also of our brothers and sisters who have been cut off from us by political boundaries and who unhappily cannot share at present in the freedom that has come. They are of us and will remain of us whatever may happen, and we shall be sharers of their good and ill fortune alike."

(1735/SAN/ASA)

> "There is no doubt, of course, that those displaced persons who have come to settle in India are bound to have their citizenship. If the law is inadequate in this respect, the law should be changed."

पढ़ लेना चाहिए। अच्छा होता मनीष तिवारी जी पढ़ लेते, नेहरू जी ने कहा है और 1950 में जब 8 अप्रैल को समझौता हुआ था। डॉ. श्यामा मुखर्जी ने उनके बारे में चिन्ता व्यक्त की। उनकी चिन्ता अखिल भारतीय भी थी और उनकी चिन्ता बंगाल और असम को लेकर भी थी। यह समझौते के बाद की परिस्थिति है जबकि समझौता होने के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिली थी। उन्होंने यह कहा:

> "The circumstances that have led to my resignation are primarily concerned with the treatment of minorities in Pakistan, specially in East Bengal."

जो इस्तीफा दिया गया, उसका कोई कारण बता रहे हैं।

> "Let us not forget that the Hindus of East Bengal are entitled to the protection of India, not on humanitarian considerations alone, but by

virtue of their sufferings and sacrifices, made cheerfully for generations, not for advancing their own parochial interests, but for laying the foundations of India's political freedom and intellectual progress."

मैं आग्रह पूर्वक यह बात ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह जो विषय है, मुझे लगता है कि यह कहीं खो जाता है। हमारे विज़न की ब्लर्डनैस है, उसके कारण हमारी स्पष्टता खत्म हो जाती है और ये पुराने कोट हो गये। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री जी माननीय मनमोहन सिंह जी हैं, आपको सुनकर अच्छा लगेगा, 2003 की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जो हमारे लोग विदेश में हैं, उनको दोहरी नागरिकता देने के लिए, एक और नागरिकता संशोधन बिल आया था, जबकि उस बिल का सीधा संबंध इस प्रकार के शरणार्थियों को लेकर नहीं था। उसमें वे कहते हैं, यह 18 दिसम्बर 2003 का कोट है।

"While I am on this subject, Madam, I would like to say something about the treatment of refugees. After the partition of our country, the minorities in countries like Bangladesh have faced persecution, and our moral obligation is that if circumstances force people, these unfortunate people, to seek refuge in our country, our approach to granting citizenship to these unfortunate persons should be more liberal."

वह अपेक्षा क्या कर रहे हैं, उस वक्त के गृह मंत्री माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। वह अपेक्षा कर रहे हैं:

"I sincerely hope that hon. Deputy Prime Minister will bear this in mind in charting the future course of action with regard to the Citizenship Act."

वही हम कर रहे हैं और जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि यह हमारा प्रारम्भ से कमिटमेंट है। हम उसी का अनुपालन कर रहे हैं। मुझे कई बार वास्तव में हैरत होती है कि आपकी यह जो सलेक्टिव सेंसिटिविटी है। आप सेंसिटिव तो हैं। कहीं बाटला कांड होता है तो नींद नहीं आती है। आपको तकलीफ होती है परंतु पाकिस्तान में कोई उत्पीड़ित होता है, बंग्लादेश में कोई उत्पीड़ित होता है तो आपको परेशानी नहीं होती। आपकी जो सलेक्टिव सेंसिटिविटी है, यह बहुत चिंताजनक है। इस सेंसिटिविटी के अभाव में जो देश को नुकसान हुआ है, आपको शायद उसका अंदाजा नहीं है।

अभी मैंने सत्यपाल जी का जिक्र किया, वे चेयरमैन रहे हैं। उसके बाद से कुछ चीजें माननीय गृह मंत्रालय ने, माननीय राजनाथ सिंह जी ने राहत की कुछ ऐसी चीजें प्रदान की कि जो लोग बाहर से आ रहे थे, उनके बैंक एकाउंट भी खुले, उनके आधार कार्ड बने और आप कल्पना कीजिए। मैं सलेक्टिव इंसेंसिटिविटी की बात कह रहा हूं कि नागरिकता की फीस 15000 रुपये थी। जो लुट-पिटकर आया है, जो भागकर भी आया है, जो किसी प्रकार से जान बचाकर आया है, वह 15000 रुपये देगा तब वह एप्लीकेशन लगाएगा। हमने उसको 100 रुपये किया। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि यह जो सलेक्टिव सेंसिटिविटी है, इससे काम नहीं चलेगा। संविधान हमसे कहता है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान संवेदनशीलता के साथ न्याय का संकल्प लें। न्याय को हम परिभाषित करते हुए उसको एग्जीक्यूट भी करें। आपने नहीं किया।

(1740/RAJ/RBN)

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए यह कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत चिंता होती है। मैं बहुत संजीदगी से कांग्रेस के दोस्तों से यह बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सांधारण पार्टी नहीं है। कांग्रेस दस दलों में से कोई एक दल नहीं है। कांग्रेस वह दल है, जिसने इस देश के ऊपर सर्वाधिक समय तक शासन किया है।...(व्यवधान) अब क्यों नहीं मिल रहा है? अब क्या हो गया, आप सोचने को तैयार नहीं हैं।...(व्यवधान) कृपया सोचिए।...(व्यवधान) गौरव जी आप बैठिए। Shri Gogoi, you are a brilliant MP. जो नागरिकता संशोधन का विषय है, यह कोई अकेला विषय नहीं है, कहीं पर सोच के अंदर ऐसा दोष है, जो इस प्रकार के अनेक चीजों को करवाता है। कांग्रेस, कृपया सोचिए। बुद्धिमान लोगों की कमी नहीं है, बशर्ते कि आप उनको बुद्धिमता के साथ सोचने का अवसर दें। आज हिन्दू आतंकवाद का विषय लेकर आ जाते हैं, आप राम जन्म भूमि पर अजीब-अजीब बातें करते हैं। अभी मैंने बाटला हाउस का जिक्र किया है, उस पर आप की कैसी प्रतिक्रिया होती है? आप पुलिस अधिकारी की शहादत पर संदेह करते हैं। आपका धारा 370 पर किस प्रकार का रुख है, आप कहते हैं कि वैसे तो ठीक है, परन्तु तरीका गलत है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हैं। शाहबानो केस पुरानी बात हो गई है, आपको क्या होता है, आप सर्जिकल स्ट्राइक पर क्या करते हैं? आप क्या करते हैं, आप जेएनयू में कैसे पहुंच जाते हैं। आप हमेशा आरएसएस का जिक्र करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, आज आपने आरएसएस का जिक्र नहीं किया है? मुझे लगता है कि आपके चश्मे में कुछ ऐसा दोष है, जो आपको साफ-साफ देखने से रोकता है और कृपा करके आप उसको ठीक कीजिए।

अध्यक्ष जी, पहला कदम 75 सेंटीमीटर का होता है, वह एक मीटर का नहीं होता है। आदरणीय सत्यपाल जी आईपीएस रहे हैं। वह 75 सेंटीमीटर का ही होता है, लेकिन पहला कदम दिशा तय कर देता है और मुझको ऐसा लगता है कि देश की आजादी के बाद कांग्रेस के नेतृत्व ने जो दिशा दी, वह दिशा गलत थी, उस दिशा के कारण यह स्थिति हो गई कि सेक्युलरिज्म का मतलब हिन्दुत्व का विरोध करना हो गया। हिन्दुत्व का विरोध करो तो वह सेक्युलर है। यह अजीब बात हो गई है। इसलिए मैंने सारे उदाहरण सुनाए हैं, वे इस प्रकार के हैं कि हिन्दुत्व के विरोध से संबंधित सभी उदाहरण हैं। कांग्रेस जिंदगी भर यही करती रही, इसलिए यह हुआ। कुल मिला कर वोट बैंक की

राजनीति ड्राइविंग फोर्स रही। गौरव जी, आपने बीच में बोला। कृपा करके अब समझिए कि वोट बैंक की राजनीति का समय जा चुका है, जा रहा है, विकास की राजनीति का युग आया है। अब अल्पसंख्यकों का आर्थिक संसाधनों पर पहला अधिकार है, इसका युग चला गया। अब सबका साथ-सबका विकास का युग आया है। आप इस बात को समझिए। अगर आपका दृष्टि दोष दूर नहीं होगा तो आपको सब तरफ इसी प्रकार समस्याएं दिखाई देंगी। मुझे एक शेयर याद आता है। गुलाम अली साहब ने बहुत प्रसिद्ध गजल गायी है। उन्होंने कहा है कि:

"सूरज को लगे धब्बा, कुदरत के करिश्मे हैं,
बूत हम को कहे काफ़िर, अल्लाह की मर्ज़ी है"

आज हिन्दुस्तान में सर्वाधिक सांप्रदायिक सोच वाली कोई राजनीति दल है, तो वह कांग्रेस है। कांग्रेस उसका विश्वविद्यालय है। उस विश्वविद्यालय में पढ़े हुए जितने भी छात्र हैं, जिनमें एक वह भी नाम है, आप देख लीजिएगा और देश की जनता भी देखे कि उस विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन करने वाले जितने भी छात्र हैं, उन्होंने इसी सांप्रदायिकता को अपनी राजनीति का आधार बनाए हुए हैं। वे बांटने की बात करते हैं। वे वोट बैंक की बात करते हैं, लेकिन हम यह नहीं करते हैं। मेरा निवेदन है कि इससे एक बार ऊपर उठिए, गांधी जी को स्मरण कीजिए। गांधी जी की ताव़ीज का स्मरण कीजिए और उसके अनुसार बिल्कुल सामान रूप से, सबसे प्रताड़ित व्यक्ति को किस प्रकार राहत मिले, इसकी चिंता कीजिए। आपके आंख का अंधेरा समाप्त हो जाएगा और आपको इस बिल का समर्थन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी।
(1745/VB/SM)

अध्यक्ष जी, अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात को यहाँ पर कई बार कहा गया है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी का यह एक बहुत ही प्रसिद्ध पद्यांश है, जिसे में कहना चाहूँगा, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक क्षण है। हम बहुत ही कम समय में दूसरी बड़ी भूल, पहली धारा 370 थी, जिसने आतंकवाद को प्रश्रय दिया, जिसने भारत माता के मस्तक को हमेशा पीड़ा से ग्रस्त रखा, उसको हमने दूर किया। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हमने पहला काम यह किया।

दूसरा काम अब यह संसद करने जा रही है। लेकिन ऐसे समय में, जो दिनकर जी ने कहा है, उसे मैं कहूँगा:

समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध,
जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी इतिहास।

कृपया करके तटस्थ मत रहिए, इस बिल के पक्ष में आइए, इस बिल का समर्थन कीजिए और जो लाखों लोग पीड़ित हैं, उनको राहत दीजिए।

(इति)

1746 hours

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Thank you, Speaker Sir. I rise to oppose the Bill, on behalf of DMK Party. Sir, in the very beginning, I would like to state the Preamble which states that: "**WE, THE PEOPLE OF INDIA,** having solemnly resolved to constitute India into a **SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC** and to secure to all its citizens: **JUSTICE**, social, economic and political; **LIBERTY** of thought, expression, belief, faith and worship; **EQUALITY** of status and of opportunity."

The Right-Wing Party has the majority, as the Home Minister has said. You have a majority, but not in our State. We come from a State where none of us voted for you.

So, you have to think that the South and the North think differently. That is the reason, Sir, when you say that you are going to support Muslims and you will take care of the minorities, we are scared. You have not done anything till date to win the support of the minorities and give them a comfort level that you will be there.

Moreover, I would like to say that the 1st Article of Indian Constitution states: "India, that is Bharat, shall be a Union of States." Sir, your Bill is half-hearted. It does not constitute for all the States of India. You are pre-occupied with Pakistan, Bangladesh etc. You have failed to realise that you are not the Home Minister only for the northern part of India but you are the Home Minister for the entire country.

Sir, today morning, hon. Speaker had a guest for the Lok Sabha. Mr. Mohammed Nasheed, Speaker of Maldives was with his full team here to witness the Lok Sabha events. They are also our neighbours.

Sir, as I searched in the internet and saw the records, I could realise that nearly 1082 people have been given citizenship or are in the process of being given citizenship by India, majority of whom have come from Pakistan. 13 people applied for citizenship from Sri Lanka. But you have not taken any note of that in your Bill. Your Bill is half-hearted.

There are Muslims in Sri Lanka who are also part of Tamil Nadu or Tamil Sri Lankans who have been living there. For 30 years, they are in our refugee camps. What are you going to do for them? You have not even addressed the issue because of your preoccupation of hating Muslims.

Sir, coming to Maldives, they are also people of Indian origin who are living in Maldives. If they want to have citizenship or they want to seek citizenship, what is your stand in this regard because they are Muslims? Is it a crime to be a Muslim? We do not understand this.

Sir, I went through your election manifesto. Yes, good job. You are systematically implementing all your election manifestoes. Congratulations! I have nothing to say. In point no. 12 of your manifesto, you have stated: "We are committed to enactment of Citizenship Amendment Bill for the protection of individuals of religious minority communities… etc." It also says: "…. to protect the linguistic, cultural and social identity of the people of Northeast, Hindus, Jains, Buddhists and Sikhs to escape persecution from India's neighbouring countries."

(1750/SPR/SPS)

I was quite surprised to see in the Bill that you added Christians. Sudden love for Christians! The same love was not there when you had prepared your manifesto. It was prepared to get votes, and to ensure that you divide the country against the minorities, and especially to go against the Christians and Muslims. When it comes to the Bill, you have added `Christians'. Probably because of the fear of the West; probably because the fear of you being isolated by the West has crept into you to put Christians in the Bill. At least I am happy. But again you are trying to divide the minorities. You want to make sure that you are going to divide Christians and Muslims so that, `okay, let me finish the Muslims first, then I will come to Christians later'. This is how minorities fear. …(*Interruptions*) The Home Minister assured this House that each individual would be allowed to speak and nobody would disturb. Right now, the Home Minister is encouraging his Party people to disturb. …(*Interruptions*) You said, Sir, on this floor of the House. …(*Interruptions*) The Home Minister assured the House. …(*Interruptions*) I am sure the Party people belonging to the Home Minister would respect his words and follow his instructions and not obstruct me while making my speech.

Today, in this morning's speech, you were talking about the Green Card holders. How did America give Green Card? India is the richest nation here. But you are always preoccupied with Pakistan. Who cares about Pakistan? We have gone a long way. If Pakistan is bringing some laws which are antique, let them

go to hell! It is not our job. We are a superior country. Let us go ahead. What is the policy of Pakistan? It is a tooth for a tooth. If Pakistan is going to do something against the minorities, why should we follow Pakistan? India is far ahead. We are the United States of America in this particular region. We are a superpower in this region. I am sure that is what we are trying to do.

Here, I would like to pose a question. You did raise a question about Kashmir being a part of India. You said that we have a 121 or 128 km. of borders with Afghanistan. Kashmir is a part of India. What if Muslims who are living in Pakistan occupied Kashmir want to come to India because their relatives are on this side of the country? If they want to come to our country, what do you have for them? Your answer is, `no, we have one law. We do not want Muslims. Whoever is a Muslim – whether he is a friend or a foe – he is out'. That is not the way it should be there.

What about atheists? The Bill does not talk about atheists. Taslima Nasrin was given asylum in India because she was an atheist. People will like to come to your country because they feel that it is right. It is my country as well. We will say yes, they want to come to our country because they believe that their rights are respected. Why is this? When you decide to discriminate, definitely, we are going to go to a different level.

I come from the State; I speak the language of *Kaniyan Pungundranar* – *"Yaadhum Oore Yaavarum Kelir"* – the entire world is my country, and everyone in this world is my relatives. Our Prime Minister, your Prime Minister, went to the United Nations, and uttered the same words, when he started his speech in the United Nations. He tried to win the hearts of Tamils. Everyone is our brother and sister but when it comes to the Home Minister, he does not want to follow the Prime Minister. He wants to take a totally different line. If he wants people to understand; if he wants his *bhaktas* here to understand, he should follow *Vasudhaiva Kutumbakam* – the entire world is one. But why do you want to differentiate?

There are 20 crore Muslims in our country. They are in a constant fear from 2014.

(1755/UB/MM)

In 2014, the moment the right-wing Government came into place, they were harassed, persecuted and lynched in the name of cow. After that was over,

now you have brought in NIA under which you are trying to term every Muslim in the country a terrorist. Sir, please take a look at it.

Sir, sometimes, you have to take a pause and see what happened to them. You are scaring them and you are forcing the Muslim youth. The fear has come into them that this Government is against the Muslims. To top it all, your Bill, today's Bill, which you spoke about here, is also saying the same. Sometimes, when you say that you are supporting the minorities, it is not believed by the minorities.

'*Satan Vedam Odhugiradhu*' which means, "Satan is trying to preach gospels". Sir, this is the feeling which people have when you say it. Today, without your knowledge, you expressed it with some words, "should the minorities get benefits"? This sends chills over the spines of all the minorities living in India when it comes from the hon. Home Minister on the floor of the House. Sir, you are not the Home Minister of only those people who have voted for you, you are the Home Minister of the entire country.

Sir, today, you spoke about the Green Card in American. They do not give the Green Card on the basis of caste, creed or colour. Whoever is talented and is able to come can become a citizen of America. Why do we not grow big? Why is that you want to turn India into a small circle with the religious suppression. This is not the way we should do it.

Today, we all are suffering. India is suffering because of the bad economic policies of this Government since 2014. You have not taken any bold steps. By taking these steps, India is not going to prosper. You only want to create more and more animosity amongst the Indians. Sir, I humbly request you, since childhood, we all have learnt to love all Indians as brothers and sisters whether they are Christians, Muslims, Hindus, Sikhs or Buddhists. What is preventing you? When you have a majority, you should not be arrogant, you should be humble towards the minorities. Today, the opposition is like a minority. You have an elephant's strength in this House. Please listen to the voices of the minority. We may be so small, but we represent our constituencies; we represent everyone who voted for us right from Hindus, Muslims and Christians. Sir, what you are doing is not fair. This Bill is half-hearted and is not taking care of the entire country. I request you to reconsider it, try to be more positive and take positive rather than negative steps. (ends)

RE: EXTENSION OF TIME

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर सभा की अनुमति हो तो सदन का समय इस विधेयक पर चर्चा की समाप्ति तक के लिए बढ़ा देते हैं।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

ANNOUNCEMENT RE: ARRANGEMENT FOR DINNER

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, सभी के लिए रात्रि भोजन की व्यवस्था की गयी है। सभी से मेरा अनुरोध है कि वह भोजन ग्रहण करेंगे।

CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL – Contd.

1758 hours

SHRI ABHISHEK BANERJEE (DIAMOND HARBOUR): Sir, I rise here today to speak on the Bill which is fundamentally opposed to the idea of India. This Bill is immoral, unethical and unconstitutional.…(*Interruptions*) सर, मैं एक बात बताना चाहता हूं …(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, if he disturbs him, I will continuously disturb the hon. Home Minister during his speech…(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग प्लीज़ शांत रहिए।

SHRI ABHISHEK BANERJEE (DIAMOND HARBOUR): Sir, let me just remind the hon. Home Minister what he said an hour ago. माननीय गृह मंत्री जी ने बोला था कि यह शांतिपूर्वक चर्चा होनी चाहिए। न तो हम आपको टोकेंगे और न ही आप हमें टोकेंगे। पांच बजे होम मिनिस्टर जी ने यह बात कही थी और छ: बजे उनकी पार्टी के सदस्य यहां चिल्ला रहे हैं। एक बात तो तय है और यह साबित हो चुका है कि बीजेपी एक घंटे में अपनी चाल बदलती है। पांच बजे कुछ और बोलती है और छ: बजे कुछ और करती है, यह तो तय है।

माननीय अध्यक्ष : ऐसा कुछ नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है।

(1800/KMR/SJN)

SHRI ABHISHEK BANERJEE (DIAMOND HARBOUR): Sir, let me first tell you that this Bill has been brought before this House with the noxious motive of gaining political mileage by the incumbent Government. Sir, I would first like to share with all in this august House the vision of the Great Swami Vivekananda, Sardar Vallabh Bhai Patel and Mahatma Gandhi.

Our Prime Minister very often invokes Swami Vivekananda and his teachings but fails in reality to practice his principles. Four years ago, while unveiling a bronze statue of the Great Swamiji in Malaysia, Pradhan Mantri Ji said, 'Swami Vivekananda is not just the name of a person, he personifies the thousand-year old culture of India.'

A hundred and twenty-six years ago, while addressing the Parliament of World's Religions in Chicago, Swami Vivekananda said, "We believe not only in universal toleration but we accept all religions as true." He also said, "I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and nations of the earth." महोदय, या तो 126 साल पहले स्वामी विवेकानंद सही थे, या फिर आज देश के गृह मंत्री सही हैं। Swamiji would have been shell shocked had he been here with us to witness this Bill and debate which is fundamentally opposed to his idea of India, which is dividing India on the narrow lines of caste, creed, religion, race and community.

This Government is using the iconic spectacles of Mahatma Gandhi in their Swachh Bharat campaign. At a time when the nation is commemorating the 150th birth anniversary of the Great Mahatma Gandhi and the Prime Minister is unveiling commemorative stamps and coins to honour him and his contributions, look what Gandhiji had to say 94 years ago. Gandhiji said, "Our ability to reach unity in diversity will be the beauty and test of our civilisation."

The Government has spent Rs.3,000 crore of the taxpayers' money to build a 600 ft, 180 metres, long statue of Sardar Vallabh Bhai Patel in Gujarat. But what about the unity and diversity that Sardar Patel taught the world? I should remind the House what the Iron Man of India said 73 years ago. He said, "Caste and community will rapidly disappear. We have to speedily forget all those things. Such boundaries hamper our growth." These are the same people who, six years ago, made the country run for unity in the name of Sardar Vallabh

Bhai Patel. And these are again the same people who, six years later, are making the entire country beg on their knees for their identity. It is a shame, Sir.

It would be most unfortunate, Sir, if we, Swami Vivekananda's followers and devotees, fail to uphold his philosophy. It would be disastrous if we ignore the words of Great Mahatma Gandhi. It would be a shame if we do not heed to the advice of the Iron Man of India, Sardar Vallabh Bhai Patel.

Do we want an India that is one nation? Do we want an India for ourselves and our children, all our future generations that share the vision of these three great minds? Do we want an India that the founding father of the Constitution had created for us? Or do we want an India that is a loose collection of separate nations divided along the narrow lines of caste, creed, community, race and religion? The answer, hon. Speaker, is very obvious.

The fact that we have been debating the fundamental idea of India today here in this House is causing me sheer sadness mixed with deep anguish, pain and concern. We all have an idea of India in our mind. And everyone sitting over here, be the incumbents or the opposition, we all have an idea of India in our heads, minds and hearts. But your idea of India is different and our idea of India is different. Our India dwells in the optimism of our heart. Your India lives in the scepticism of your mind. Our India believes in love, peace and harmony. Your India is lost in mob lynching and communal agony.

(1805/SNT/GG)

Our India smiles, hopes, cries, desperately waits for development. Your India is lost in the viciousness of destruction. Our India is inclusive. Your idea of India is divisive.

सर, आज जब बिल को इंट्रोड्यूज़ किया जा रहा था, गृह मंत्री महोदय पाकिस्तान के कंस्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, बंग्लादेश के कंस्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। But what about the Constitution that is placed here? What about the Constitution that every Member of this august House has sworn by, to protect and preserve?

Let me raise three fundamental questions. Can you classify migrants on the basis of their religious identity? Can you favour migrants on the basis of country where they come from? Can you put genuine Indian citizens in distress and attempt to snatch away their citizenship on dubious grounds? The answer to these three questions is very easy to find. Read the debates which are put

forth in the Constituent Assembly. See what the Preamble of the Constitution had to say, ponder over the key words, understand the letter and spirit.

Let us start with Constituent Assembly and whether the idea of Indian citizenship was debated at length. Listen to what Pandit Nehru had to say. Pandit Nehru said, you cannot decide whom you like and whom you dislike. You have to lay down certain principles. All these rules naturally apply to every religion, Hindu, Muslim, Sikh, Christian, or anybody else. The Preamble declares India as a sovereign, socialist, secular, and democratic republic.

Now, let me read Article 14 of the Constitution, which every Member of the House is referring to. “The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.” It is clear that the Citizenship (Amendment) Bill, 2019 very clearly violates the Constitution of India. It is immoral, I say again. It is unconstitutional and here are more reasons why it is constitutional.

Sir, after Article 14, let us look at Articles 5 to 11. These are laid down on the basis of who can be the citizen of India. Even though the Constitution was framed after freedom struggle, and the partition of India was characterized by great physical, psychological and emotional upheavals, none of its provisions makes religious identity or country of origin, grounds for restricting Indian citizenship. That is the greatness of Indian Constitution.

*{Great poet Dwijendra Nath Roy said :

Emon deshti kothao khuje pabe na go tumi,
Shakal desher rani she je amar Janmabhumi}

This in English means:

“You will never find such a country anywhere. She is the queen of all countries. She is my motherland.”

---

*Original in Bengali

Sir, any decision on the Citizenship (Amendment) Bill cannot be had without understanding the context of NRC, and any attempt by the Government to make us believe that NRC and CAB are two different exercises is absolutely unconvincing. NRC was a trap and CAB which has been introduced today and considered for passing is even a bigger trap.

मैं यहां पर पूछना चाहता हूँ, हिंदू-मुस्लिम की बात हो रही है, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपकी तबियत खराब होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तब आप पूछते हैं कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं? आप सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जाते हैं, जो बेचता है, उससे पूछते हैं कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम है? …(व्यवधान) आप एंबुलेंस बुलाते हैं, तब पूछते हैं कि हिंदू या मुस्लिम है? …(व्यवधान) अरे सुनने का पेशेंस रखिए। …(व्यवधान) यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, आपके मोहताज नहीं हैं। …(व्यवधान) हम लोग भी चुन कर आए हैं and 65 per cent of the country have voted for the Opposition and you should rightly know that the House belongs to the Opposition. आप लोग जब बोले, आप लोग को बोलने का मौका दिया गया है। …(व्यवधान)

If persecution and genuine concern is the real criteria, then anyone irrespective of religion should be considered for citizenship. How can citizenship be determined on the basis of religion? And if you are considerate towards the majority community here, then why only three countries? We never parted with Afghanistan. मंत्री जी बताएं कि हम बॉर्डर शेयर करते हैं, 106 किलोमीटर लंबा, ठीक है, लेकिन और देश भी हैं, श्रीलंका है, मयंमार है। Myanmar was a part of British India. Why did you not considered them if you are so concerned and bothered about the majority and everyone here?

(1810/GM/KN)

That is why, I am telling it is a trap. एनआरसी एक लॉलीपॉप था। यह और भी बड़ा लॉलीपॉप है। देश की जनता के लिए और एक बड़ा जुमला है। मैं अगर आपसे पूछूँ कि वहाँ पर भी तो तमिल सफर कर रहे हैं, मुझ से पहले जो वक्ता थे, उन्होंने बताया कि वहां के जो माइनोरिटीज हैं, उनके लिए तो आप सोच नहीं रहे हैं। They are also being persecuted; they are also suffering. Why do you not consider them? It is simple. Thinking for them as genuine Indian citizens will not serve your political hunger. It only goes to prove how outrageous and how morally noxious your intent is. Coming to the actual process of NRC, it is a totally botched up exercise. It is a failure and there is no doubt about it. You messed up with doing NRC in one of the States. …(*Interruptions*) Now you want to implement NRC in 27 other States and nine other Union Territories. You ask citizens to give this card, that card, documents before 1971, land document, this certificate and that certificate. यहाँ पर सदन में

अपोजिशन को छोड़ कर जितने लोग बैठे हुए हैं, रूलिंग साइड में वर्ष 1971 के पहले का सबके पास डॉक्युमेंट होगा। If I were to ask you about the real certificates and documents of education and otherwise, many of the Ministers in the Cabinet would be left embarrassed. So, I am not going into that. …(*Interruptions*) How big a disaster NRC was going to be as it was implemented and scrapped! यह लुका-छिपी नहीं है। सब के देखने के लिए है। Please allow me to give you five real stories of the disaster that the NRC was. I have already documented a list of people who lost their lives because of the ordeal of NRC and the panic that was caused because of NRC. Fifty-five-year-old daily labourer Kamal Ghosh was from Purba Bardhaman. He was not sleeping all night and not eating in the day. He went to the local BDO office to get his digitisation card. He felt unconscious on the floor and lost his life. Who is responsible for his death, Sir? I demand an answer from the hon. Minister. In Dhupguri, 39-year old driver Shyamal Roy committed suicide after he had lost his voter ID card. His family members say that he was in a state of panic after losing it. What would have happened if NRC had been implemented? Who killed him? Who is responsible for his death? In South Dinajpur, a person called Mintu Sarkar, 52 years of age, died after falling ill in the same way, as he was trying to acquire the digitisation card. Who is responsible for his death, Sir? In my constituency, Diamond Harbour, Kalachand Midde, a 43-year-old resident of Falta, hanged himself from a bamboo clamp because of the ordeal of NRC. Who is responsible for his death, Sir? We also know why Bengalis were brutally shot dead in November 2018 in Tinsukia. These are real people who died due to the ill though-out or the half-baked process of NRC. Why is there so much discrimination and hatred towards Bengal?

Now that I have established that this Bill is anti-Constitutional and anti-Indian, let me give you a few examples that will fundamentally establish how this Bill is against the whole Hindu community. Hon. Speaker, Sir, as a proud citizen and Bengali Hindu, I live by the idea of *Vasudhaiva Kutumbakam*. प्रधान मंत्री महोदय भी बहुत बार बोलते हैं। लेकिन हम लोग इसमें क्या सही से चर्चा करते हैं, इसको ग्राउंड लेवल पर सही से एग्जिक्यूट करते हैं? जो सदियों से आए हुए हैं, they speak the same language, they share the same culture, they cherish the same traditions and no one can tear them apart. Peace, harmony and diversity are the core values of our country. These values are being pitted against suspicion, animosity and divisiveness. This proposed Act rips apart the soul of Bengal. The Citizenship

(Amendment) Bill 2019 is anti-Indian and anti-Bengali also. No one here needs to be reminded about the legacy of Bengal. Bengal has reacted and strongly opposed any attempt at the divisive and inhuman politics. Bengal knows the pain of partition. Bengal has always rejected policies fundamentally based on hate. We will not let any genuine Indian suffer; we will not let any Bengali suffer.
(1815/RSG/RV)

I now come to the point of what Bengal has given India. Who gave us the Indian National Army, the Azad Hind Fauj? Who gave us the Planning Commission? Who gave us the highest number of Nobel laureates? Who gave us the National Song? Who gave us the National Anthem? Who showered the light during the freedom movement, if I were to ask you?

Look closely at the numbers of this Government's failed NRC experiment, the prelude to the Citizenship Amendment Bill. From the very beginning, AITC had warned you about the consequences and results and that it is going to be disastrous. You did not heed our warning. You did not take our advice. Now, look where you have ended up. Out of 19 lakh people excluded from NRC, 11 lakh are Bengali Hindus, four lakh are Hindus from different States like Odisha, Bihar, Uttar Pradesh and Rajasthan, one lakh are Gorkhas, and three lakh plus are Bengali Muslims; most importantly, each one of them, is an Indian citizen.

The situation at the detention camp is even worse. It is a painful story. Estimates reveal that 60 per cent to 70 per cent of those held in detention camps are all Bengali Hindus. In our State of West Bengal, you would be happy to know, the refugees have all been given legal rights. We have regularised all refugees. …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please conclude.

… (*Interruptions*)

SHRI ABHISHEK BANERJEE (DIAMOND HARBOUR): They were on the State Government land. We did not discriminate. …(*Interruptions*)

We did not discriminate on the bases of caste, creed, religion, or race. If I were to mention about the Bengali Hindu Matua community, the Matuas have been taken care of. Who took care of the Boro Ma for the last 30 years? We have given the Bengal's highest civilian award. …(*Interruptions*) We have created the Matua Development Board and the Namasudra Development Board. …(*Interruptions*) They have lived here and voted here for decades. They have

chosen MPs, Governments, and Prime Ministers. They are all proud Indian citizens, deemed citizens. …(*Interruptions*)

Sir, you come from Bengal and ask about Sonar Bangla but when Bengal Assembly unanimously passes the State's name and clears it as Bangla, you refuse to act on it. You do not understand the sentiments of ten crore Bengalis. …(*Interruptions*)

You announced demonetisation three years ago but let me tell you that you can demonetise 500-rupee notes, you can demonetise 1,000-rupee notes, and tomorrow, if you want, you can demonetise 2,000-rupee notes, but you cannot demonetise the citizens of this country. …(*Interruptions*) You cannot demonetise the people of Bengal. You cannot demonetise the soul of a Bengali.

HON. SPEAKER: Hon. Member Shri Abhishek Banerjee, please conclude.

… (*Interruptions*)

SHRI ABHISHEK BANERJEE (DIAMOND HARBOUR): If demonetisation had sent the nation to the ICU, CAB will end up putting it on the ventilator. In April this year, the Prime Minister promised and I quote him: "I want to assure all brothers and sisters …" यह प्रधान मंत्री ने बोला। "I want to assure all Gorkha brothers and sisters from this stage that none of you will be inconvenienced because of NRC."

HON. SPEAKER: Shri P.V. Midhun Reddy.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Let him complete, Sir.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सदन की परम्परा और मर्यादा होती है कि एक बार घंटी बजाने के बाद कनक्लूड किया जाए। मैंने आपको एक बार, दो बार कनक्लूड करने को कहा। आप पहली बार भाषण कर रहे हैं, पहली बार सदन में बोल रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पर्याप्त समय दिया।

…(व्यवधान)

SHRI ABHISHEK BANERJEE (DIAMOND HARBOUR): What about the time they are wasting? It is up to you. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने किसी भी माननीय सदस्य को आपको टोकने नहीं दिया और उनका कोई विषय अंकित नहीं हुआ है। सारा विषय आपका ही अंकित हुआ है।

आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI ABHISHEK BANERJEE (DIAMOND HARBOUR): I just need two minutes.

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, इन्हें दो मिनट का समय दे दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: दादा, फिर आप का और किसी का नम्बर नहीं आएगा।

श्री अभिषेक बनर्जी (डायमण्ड हार्बर): सर, तीन साल पहले डिमॉनेटाइजेशन का मसला हुआ।...(व्यवधान)

सब्जेक्ट पर आ रहा हूं भाई, पेशेंस तो रखिए।...(व्यवधान) A hundred and twenty people lost their lives. आप मुझे बताइए कि क्या एक भी मिलियनेयर मरा? आप सी.ए.बी. कर रहे हैं, I challenge the Government. Give me one example, give me one name of a millionaire out of the 19 lakh people who have been excluded. ...(*Interruptions*) Give me one name of a person who has come from a different country who is a millionaire who has suffered irrespective of his religion. It is only the poor who is suffering. ...(*Interruptions*) The poor are becoming poorer and the rich are becoming richer. Time and again, the Government has proved it. ...(*Interruptions*) This has been the trademark of this Government.

(1820/RK/MY)

Sir, I would just say that यहां पर ममता जी के वर्ष 2005 के एक वक्तव्य को लेकर बहुत बात हो रही है।...(व्यवधान) and senior Members of this House are trying to mislead it. I challenge them, go and take out the verbatim records of 2005 debate. It was totally against the duplicacy of cards. That was not against this....(*Interruptions*)

Sir, a lot of people in the ruling dispensation are saying that India is not a *dharamshalla*. It is no one's case that India is a *dharamshalla* and no one wants India to be a *dharmashalla*. But, to the extent that we are a *dharamshalla*, let me remind each and everyone of them that a *dharamshalla* cannot say that it is only allowing people of this religion and not allowing people of another religion. They should keep in mind that it is appalling, heart-breaking and crest-falling. This is totally disappointing.

I would urge the Government, not to discriminate citizenship on the basis of religion. If it has the guts, it should include everyone.

HON. SPEAKER: Shri Midhun Reddy.

SHRI ABHISHEK BANERJEE (DIAMOND HARBOUR): Stop attempting to disrupt the unity and diversity of India. Stop attempting to disrupt the unity and diversity of Bengal. I would just conclude....(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी जी, अब आप बोलिए।

...(<u>व्यवधान</u>)

SHRI ABHISHEK BANERJEE (DIAMOND HARBOUR): Sir, I need just 30 seconds more.

HON. SPEAKER: No.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Thank you, Sir, for letting me talk on this very important Bill.…(*Interruptions*)

SHRI ABHISHEK BANERJEE (DIAMOND HARBOUR): Sir, please give me 30 seconds.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपकी जानकारी में ला दूं और आपको भी ध्यान में रखना चाहिए कि मैं किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करता। आपकी पार्टी का समय 10 मिनट था, लेकिन हमने आपको बोलने के लिए 24 मिनट दिया। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपके साथ न्याय नहीं किया गया। हमने आपके साथ न्याय किया।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब आप 30 सेकेंड में अपनी बात खत्म कर दीजिए।

…(व्यवधान)

*{SHRI ABHISHEK BANERJEE (DIAMOND HARBOUR): This is the country where Rabindranath Tagore said –

Dharmer beshe moho eshe jare dhare

Ando shejan mare aar shudhu more

One who is captured by religion in the form of attraction, that blind person will kills and die. Poet Kaji Najrul Islam had said

Koran, Puran, Bed Bedanta, Bible, Tripitak, Zen Avesta

Granth Sahib, pore jao jato sab

You can go on reading Kuran, Puran, Ved, Vedanta, Bible, Tripitakas, Zen Avesta, Grantha Sahib.}

They would have been heartbroken had they been here today to witness this debate. Come what may, let me reassure this nation from this august House, through you, Sir, that we will fight to the last drop of our blood but will not allow NRC in Bengal. There will not be NRC in Bengal, not at any cost.

(ends)

---

*Original in Bengali

1823 hours

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Thank you, Sir, for letting me speak on this very important Bill.

1823 hours (Shrimati Rama Devi *in the Chair*)

In a snapshot, the Citizenship (Amendment) Bill aims to provide citizenship to religious minorities like Hindus, Christians, Sikhs, Jains and Parsis, who have fled from our neighbouring countries of Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh. Basically, these people have fled their countries and have settled in India for religious persecution. This Bill aims to provide citizenship to these people in our country.

Sir, YSRCP, as a Party and our Chief minister, Shri Y.S. Jaganmohan Reddy, believe in religious harmony. We believe that everybody must be treated at par. Our Chief Minister believes in governance which is transparent and which is above religious affiliation, caste affiliation, and even political affiliation.

This Bill is basically aimed at providing shelter to the people who have suffered, people who belong to a minority religion, who are living in our neighbouring countries. YSRCP supports this Bill but we have concerns also and we expect the Government to take note of our concerns and do justice to all our concerns.

(1825/RC/CP)

Madam, we are called Mother India. Basically, we have a long history of accommodating people who are in trouble. We have given shelter to a lot of people from ages like Parsi community which came to India. We have accommodated them. They have actually gel well into the system. Not only the Parsi community, even after decades of our Independence, we took care of the Tibetan people who migrated to India. Our Government provided them healthcare, rehabilitation, etc. We even took care of their religious identity which was protected. Now, they are an integral part of our country. They are in various places of our country. This is what we are called Mother India for. We are like a nation which is very accommodative.

This Bill also lowers the period from 12 years to six years for permanent residency. These people can get citizenship early. It is good that the period has been reduced. They are the people who are neither here nor there. They have been suffering a lot. It is a welcome measure that the tenure has been reduced. They can be an integral part of our country.

Coming to our concerns, we should understand that this Bill excludes Muslims from its gambit. Basically, the contention of the Government is that the Muslims are a majority population in Afghanistan, Pakistan and Bangladesh. But even in the

Muslims, there are sects which are in minority like Bohras and Ahmadis. They should also be treated at par. That is our request.

Even in our country, the minority community is feeling insecure for whatever reason. We request the Government to proceed with caution because if this insecurity goes beyond a point, it will be out of our hands and it will be very difficult for us to control it in future. I would request the Government to re-think about it. Not just these three countries, we should think about other neighbouring countries also. We should be accommodating Muslims -- be they are from Sri Lanka or Maldives or our other neighbouring countries.

The hon. Home Minister was assuring the North-East people that he will take care of their insecurities. Even the people of North-East are feeling really insecure. There has been a huge influx of migrants from Bangladesh into North-East. There is a competition for jobs. So, there is a lot of insecurity. Though the hon. Home Minister has given assurance that they will be taken care of but this Bill is going to propel influx of refugees in a big way. I think the Government should take care of this also.

We are a developing nation. We are short of funds. Be it housing or anything else or whatever you are doing for the below poverty line, there is a huge shortage of funds for all these things. I do not know how the Government is going to address all this. People would be coming into our country. So, where are they going to get funds from? The Government should make plans to provide proper funds. The States should also be an integral part of this whole re-settlement process.

We also have other neighbouring countries like Sri Lanka. We have a lot of Tamilians who have shifted from Sri Lanka to India. They are also neither there nor here. They are living in various States. Even though they do not speak Telugu, they are there all over Andhra Pradesh. So, the Government should address this issue also. This is a burning issue. We request the Government to take into consideration the other nearby countries and sort out this issue. Let us not be specific to one particular area.

(1830/SNB/NK)

At the end, I would like to reiterate that we support this Bill. We would like to request that the Government may take into consideration the suggestions that we have made.

Thank you.

(ends)

1830 बजे

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदया, मैं सिटीजन अमेंडमेंट बिल, 2019 पर शिव सेना की तरफ से अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक के माध्यम से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो लोग 31 दिसम्बर, 2014 के पहले आ चुके हैं, उनके रिक्गनाइजेशन का काम इस विधेयक के माध्यम से होने वाला है। 1971 के बाद बीच में एक बार यह बिल पेश हुआ था, फिर से यह आज लोक सभा में आया है। दुर्भाग्य से 40-45 वर्ष तक इस दुनिया का कोई भी घुसपैठिए हिन्दुस्तान में आओ, जाओ, तुम्हारा घर, वैसा अपना देश, सभी के लिए खुला करके रखा था, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। किस देश से आ रहा है, क्या कर रहा है। हिन्दू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी बार-बार कहते थे, जो अवैध घुसपैठिए देश में आ रहे हैं और गैर-कानूनी काम उनके माध्यम से हो रहे हैं। अपने देश की सुरक्षा को प्रधानता देकर ऐसे घुसपैठियों को बाहर निकालना हमारा कर्तव्य है।

मैं अभिमान से कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में उस समय माननीय मनोहर जोशी मुख्य मंत्री और गोपी नाथ मुंडे उप-मुख्य मंत्री थे। उस समय महाराष्ट्र के कई इलाकों से अवैध घुसपैठियों को बाहर निकाला और उनके देश में जाकर छोड़ा था, यह काम पहले वहीं हुआ था।

जब यह बिल पेश किया गया, मैं माननीय गृह मंत्री जी का स्पष्टीकरण सुन रहा था। मुझे अभी तक उत्तर नहीं मिल सका कि तीन देशों से आज तक अपने देश में कितने लोग आ चुके हैं। चाहे हिन्दू, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख और पारसी हो, जिस भी धर्म के हों, आज तक इस देश में कितने लोग आ चुके हैं और कितने लोगों को आप मान्यता देने वाले हैं, मैं जानना चाहता हूं।

आज देश की लोक संख्या 130 करोड़ हो चुकी है। इन लोगों की लोक संख्या में गिनती नहीं हुई है। इन सारे लोगों को देश में रिक्गिनेशन देने के बाद अपने देश की आबादी कितनी बढ़ने वाली है?

आज देश के सामने अनेक समस्याएं हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी इतनी फैल गई है कि कई नौजवान युवकों को रोजगार न मिलने की वजह से उनका जीवन ध्वस्त हो गया है। ऐसी स्थिति में जीडीपी कितनी नीचे तक गिर गई है और महंगाई कितनी बढ़ गई है, यह सब आपको मालूम है।

इस देश में निर्माण होने के बाद सारे लोगों को इंसानियत के नाते कानूनी अधिकार देते हैं, उनको आधार देते हैं लेकिन इस देश की समस्या का निराकरण कैसे करेंगे? इन लोगों के आने से अपने देश के ऊपर कितना बर्डन आएगा, इसकी जानकारी मंत्री महोदय के भाषण से मिलती तो अच्छा होता। मैं समझता हूं कि भारत-पाकिस्तान का निर्माण दो धार्मिक आधार पर हुआ। पाकिस्तान में मुस्लिम गए।

स्वर्गीय इंदिरा जी की मध्यस्थता से बांग्लादेश का निर्माण हुआ लेकिन अफगानिस्तान का महत्व मुझे मालूम नहीं पड़ा। मंत्री महोदय जी ने कहा, तटीय देश है, इसके साथ-साथ, मुझे आज भी मालूम है कि तमिलनाडु के हजारों तमिल आज भी अपनी आजादी और न्याय के लिए झगड़ रहे हैं और वहां की सरकार का अत्याचार और अन्याय उन्हें सहन करना पड़ रहा है। आप अफगानिस्तान लेते हैं तो श्रीलंका का भी विचार होना चाहिए था।

(1835/SK/RU)

बाकी के देश भी हैं, जैसे नेपाल हिंदूवादी देश है। जब आप श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, आदि पर विचार करते हैं, अफगानिस्तान के बारे में तटीय सीमा के नार्म्स लगाते हैं तो श्रीलंका के लोगों को सुरक्षित करना भी सरकार का कर्तव्य है। सरकार को कर्तव्य निभाने का काम तो करना ही चाहिए।

तीन देशों से 2014 तक जो लोग आए हुए हैं, मंत्री महोदय ने देश के कई राज्यों से अलग कर दिया है, जैसे पूर्वोत्तर राज्य। मेरे पास जो जानकारी है उस हिसाब से पूर्वोत्तर राज्य के लोगों के दिल में आज भी डर है। वहां के भूमि पुत्रों के पास रोजगार नहीं है, वे आज भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं, क्या यहां आने वाले लोगों को संरक्षण मिलेगा? अगर आप उन्हें उस राज्य में नहीं रखना चाहते हैं तो किस राज्य में रखना चाहते हैं? हमें इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। अगर आप 6ठे शैड्यूल में वहां से हटाकर भारत के अन्य राज्यों में रखेंगे तो कौन से राज्य में पुनर्वास करेंगे? अगर वहीं रखना है तो सरकार की नीतियां अभी तक स्पष्ट नहीं हुई हैं। हम इस बिल के माध्यम से जानना चाहते हैं कि घुसपैठियों की संख्या कितनी है? जिन्हें संरक्षण देना है, उनकी कितनी संख्या है? जिन्हें संरक्षण दिया है, संख्या बताएं और उनका पुनर्वास देश में कहां करने वाले हैं?

यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। बीएसी कमेटी में हमने इसके लिए छ: घंटे डिसकशन की की मांग की है। अनुच्छेद 370 हटाया गया है। हम शिवसेना की तरफ से माननीय प्रधान मंत्री जी का स्वागत करते हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर में भारत से कितने राज्यों से कितने लोग सैटल हुए हैं? वहां कितने लोगों ने व्यवसाय चालू किए हैं? वहां कितने लोगों को रोजगार मिला है? सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, कानून बनाने के बाद अमल भी होना चाहिए। हमें गर्व है कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर भारत में शामिल हुआ। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के बारे में स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से विनती की थी कि बिखरे हुए कश्मीरी पंडित, जो अपनी सम्पत्ति छोड़कर भाग गए थे, उनका पुनर्वास करें। मैं आदर व्यक्त करता हूं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय राजनाथ सिंह जी ने इंसानियत के साथ उनके साथ इंसाफ किया। आज पूरे देश में वे सुखी जीवन बिता रहे हैं। उनकी सम्पत्ति जम्मू-कश्मीर में है। अनुच्छेद 370 के बाद कश्मीरी पंडितों को जम्मू-कश्मीर में पुश्तैनी प्रापर्टी मिलनी चाहिए। कानून बनाना ही काफी नहीं है, सरकार को इसके लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है।

सभापति जी, सारे लोगों पर दया करने में कोई हर्ज नहीं है, उन्हें आश्वासित करें, लेकिन हमारे देश में रहने वाले भूमि पुत्रों पर अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार को इसके लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है। ठीक है, आप इतने सालों बाद उन्हें सुरक्षित कर रहे हैं। इस निर्णय पर राजनीतिक दृष्टि से न देखकर सही दृष्टि से निर्णय लें। हमारी शिवसेना की तरफ से मांग है कि आप जिन्हें आश्वासित करने वाले हैं, उन्हें अगले 25 सालों तक वोटिंग राइट मत दीजिए। उन्हें देश मे रहने दीजिए, देश की सेवा करने दीजिए, लेकिन अगले 25 सालों तक इन लोगों को वोटिंग राइट का अधिकार न दें। सरकार इसके लिए प्रावधान करे और साथ ही जैसे अफगानिस्तान को लेकर सोच रहे हैं तो श्रीलंका के बारे में भी विचार कीजिए। यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद।

(इति)

(1840/MK/NKL)

1840 बजे

श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): सभापति महोदया, आज नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जा रहा है और जनता दल (यूनाइटेड) इस विधेयक का समर्थन करती है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों को मानना, सभी धर्मों का प्रचार करना, सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करना है। यही धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है। यहां धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा लोग अपने-अपने मतलब के हिसाब से कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा और इस बिल को इस देश में रहने वाले बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के साथ जोड़कर पेश किया जा रहा है, जो शायद मुझे नहीं लगता है कि धर्मनिरपेक्षता की सही परिभाषा है। यह बिल उन लोगों के लिए लाया गया है जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले इस देश के नागरिक थे और इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जिनका योगदान था और वे भारत-पाकिस्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए, जो बंटकर अब बांग्लादेश हो गया है, पाकिस्तान से भागकर लोगों ने अफागानिस्तान में शरण ली, ऐसे लोगों को सम्मान के साथ इस देश में फिर से वापस लाने के लिए यह बिल है। यह बिल किसी खास लोगों को सम्मानित करने के लिए नहीं है।

सभापति महोदया, हम लोग समाचार-पत्रों में लगातार पढ़ते रहते हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, चाहे वे हिन्दू हों, सिख हों, जैन हों, बुद्धिस्ट हों, ईसाई हों, पारसी हों, उन पर तरह-तरह के अत्याचार होते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उनके धर्म के प्रचार को रोका जाता है तथा धर्म परिवर्तन कराकर जबरन शादी कराई जाती है। वैसे लोग जो अपनी भूमि छोड़कर अगर यहां आकर शरण ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके सम्मान, आत्मसम्मान और स्वाभिमान पर इतना कुठाराघात किया गया कि अब यह उनके सहन के लायक नहीं है, इसलिए आज वे इस देश में आकर रह रहे हैं। वे यहां वर्षों से रहे हैं, लेकिन वे यहां न तो घर खरीद सकते हैं, न कोई जमीन खरीद सकते हैं, न कोई नौकरी कर सकते हैं। वे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर-दर सड़कों पर घूम रहे हैं, वे खाने-पीने के लिए भी मोहताज हैं। आज अगर इस बिल के माध्यम से फिर से उनको सम्मान दिया जा रहा है, उनके स्वाभिमान की रक्षा की जा रही है, उनको फिर से इस देश का नागरिक बनाकर रखने की शान दी जा रही है तो इसमें विरोध की कोई गुंजाइश नहीं है। यह धर्मनिरपेक्षता के हक में है। इसलिए, आज हम इस बिल का समर्थन करते हैं।

सभापति महोदया, इस बिल में कई तरह की शंकाएं थीं। पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में कई तरह की शंकाएं थीं। माननीय गृह मंत्री जी ने जब इस बिल को पेश किया, इसके पहले भी माननीय राजनाथ जी जब गृह मंत्री थी उन्होंने इस बिल को पेश किया था, उस समय भी हम लोगों का कुछ कन्सर्न था और तत्कालीन माननीय गृह मंत्री राजनाथ जी इस बात से अवगत हैं। आज मुझे खुशी है कि पूर्वोत्तर के राज्यों की जो शंकाएं थीं और पूर्वोत्तर राज्य के लोगों के मन में जो इसके प्रति विषमता थी, वह आज इसमें समाहित हो गई है। इसलिए, इस बिल के विरोध की कोई गुंजाइश नहीं है।

(1845/RPS/KSP)

सभी धर्मों के लोगों को प्रचार करने का अधिकार है। जो सिख हैं, हिन्दू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, आज अगर वे लोग वहां से आकर यहां बसे हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं, उनको आज सम्मान के साथ जीने का अवसर मिल रहा है। आज वे नजर उठाकर देख रहे होंगे और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा कि इस सरकार ने फिर से उनकी जमीन पर, जो उनकी धरती है, उस धरती पर उनको सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ जीने का हक दिया है, जीने का अधिकार दिया है और उनको इस देश की नागरिकता दी है। यह बिल कोई अलग-अलग देशों से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता देने का बिल नहीं है। यह बिल वास्तव में जो इस देश के नागरिक थे, इस देश के बंटवारे के पहले जो नागरिक थे, उनके सम्मान की रक्षा के लिए आया है। इसलिए अन्य जगहों के साथ इसे जोड़ने का कोई अर्थ नहीं है। धर्मनिरपेक्षता इस देश की मूल भाषा है। हम समझते हैं कि आज यह जो बिल आया है, वह कहीं से भी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त को प्रभावित नहीं कर रहा है। इसलिए इस बिल के बारे में मैं यह कहूंगा कि धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए, इस देश के जो हिन्दू, सिख, बुद्धिस्ट, ईसाई, पारसी और जैन लोग, जो बंटवारे के पहले नागरिक थे और पाकिस्तान जाकर बस गए थे, यह बिल उनको सम्मान देने वाला है। यह बिल धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में है, इसलिए हमारी पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) इस बिल का भरपूर समर्थन करती है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, समय दिया, इसके लिए आपके प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

(इति)

1847 बजे

*SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shrimati Sharmishtha Sethi in Odiya ,
please see the Supplement. (PP 466-A to 466-B)}

---

*Original in Odiya

1851 बजे

श्री अफजाल अनसारी (गाजीपुर): सभापति महोदया, आज सदन के समक्ष नागरिकता संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया और उसके क्रम में विभिन्न संसद सदस्यों ने अपने विचार रखे। आपने हमें भी अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। वर्ष 1955 के नागरिक कानून में इससे पहले भी आठ बार संशोधन हो चुके हैं। फिर एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है। भारतवर्ष की स्वतंत्रता के साथ ही विभाजन का एक इतिहास है, उसके कारण, उसी समय से देश में कटुता पैदा हुई। अब जब देश आजाद हुआ और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और देश के उस दौर के तमाम महापुरुषों ने अथक प्रयास करके देश को एक विशाल संविधान सौंप दिया, तब संविधान सभा में संविधान के अनुरूप देश को आगे ले जाने के लिए यह संकल्प पारित हुआ। यह संशोधन संविधान की आर्टिकल-14 की जो मूल धारा है, उसकी विचारधारा से बिलकुल विपरीत है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती जी ने पहले ही इस संशोधन को संविधान विरोधी करार दिया और इसका विरोध किया। आज इस सदन में भी हम बहुजन समाज पार्टी की ओर से इस संशोधन का विरोध करते हुए आपके समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहते हैं। कहा गया है कि पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की हुकूमतों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को सताया और उनके अत्याचारों से पीड़ित लोगों ने भागकर भारत की सीमाओं में प्रवेश किया।

(1855/ASA/RP)

ऐसे लोगों को भारत अपनी नागरिकता प्रदान करके उन्हें एक्सैप्ट करना चाहता है। अपने आपमें यह बात सही भी है। उन देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता, लेकिन हम अपने देश के रहनुमाओं को यह भी बताना चाहते हैं कि बटवारे के समय जो दूसरे धर्म, इस्लाम धर्म के अलावा, जैसा कि इसमें उल्लेख है, हिन्दू, सिख, बौद्ध या दूसरे धर्म के लोग जो उन मुल्कों की सीमा में रहे, उनके साथ अत्याचार हुए, भेदभाव हुआ, यह अपनी जगह एक अलग सत्य है। लेकिन यह भी कटु सत्य है कि भारत से जो मुसलमान भी पाकिस्तान गया, उसे आज भी पाकिस्तान में पाकिस्तानी के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। उसे मुहाजिर कहा गया। उसका दर्जा भी किसी पाकिस्तानी के समान नहीं है।

जब हमारी सरकार यह दरियादिली दिखा रही है कि जिनके साथ अत्याचार हुए हैं, उनको हम अपनी पनाह में लेंगे, तो अपना दिल थोड़ा और बड़ा करना चाहिए कि जिन इस्लाम के मानने वाले लोगों ने हिन्दुस्तान में बंग्लादेश की लड़ाई के वक्त, या उसके पहले या उसके बाद हिन्दुस्तान की सीमाओं में प्रवेश किया, जिन्हें बंग्लादेशी की संज्ञा देकर आज इस बिल में जो सुविधा दूसरे मज़हब के मानने वालों को मिल रही है, उससे वंचित किया जा रहा है, जबकि उनके साथ भी वही पीड़ा है, वे कोई खुशी-खुशी भारत में नहीं आ रहे हैं। उनके साथ भी वहां वही दुर्व्यवहार हो रहा है। अगर उनके साथ अच्छा व्यवहार होता तो वे कदापि उस देश को छोड़कर भारत की सीमा में नहीं आते। कितना अच्छा होता, हमारे संविधान की मंशा भी पूरी हो जाती और इस सरकार की दरियादिली का दुनिया के सामने एक नमूना होता। कुछ शर्ते लगा दी जातीं, कुछ ऐसे परीक्षण उसके साथ जोड़ दिये जाते कि अगर कहीं से यह आशंका है कि उनमें ऐसे भी लोग हैं, जिन्हें एक्सैप्ट नहीं

किया जा सकता तो ऐसे लोगों को छांटकर दरकिनार कर दिया जाता। लेकिन सिर्फ मुसलमान है, सिर्फ इस्लाम धर्म का मानने वाला है, इसलिए उसे एक्सैप्ट नहीं किया जाएगा और बाकी जो लोग दूसरे धर्म को मानेंगे, उनको भारत में एक्सैप्ट कर लिया जाएगा। यह बहुत ही विभाजनकारी है। एक विभाजन उस वक्त था, दूसरा विभाजन अब होने जा रहा है और सिर्फ इस नागरिक बिल के माध्यम से नहीं, इस तरह का अगर रास्ता बना दिया गया तो अन्य मामलों में भी इस तरह का भेदभाव किया जाएगा।

आज तक बुजुर्गों की ओर से यह बताया जाता था कि गुनाह करने वाले की कोई कौम नहीं होती, कोई जाति नहीं होती, चाहे वह दंगाई हो, चाहे वह घुसपैठिया हो, चाहे वह फ़साद करने वाला हो, चाहे वह अपराधी हो। पहली बार हम इस सदन में एक ऐसे विधेयक को मंजूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं जिसके माध्यम से सीधे-सीधे विभाजन दिखाई देता है कि हम गुनहगारों को भी जाति और मज़हब के नाम पर उन्हें फांसी देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बिल को पास कराने से पहले सरकार के लोग फिर इस पर विचार करें। धन्यवाद।

(इति)

(FOR REST OF THE PROCEEDINGS,
PLEASE SEE THE SUPPLEMENT.)